

**THE BOOK WAS
DRENCHED**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_176262

UNIVERSAL
LIBRARY

❀ हिन्दी-व्याकरण ❀

(Prepared in accordance with the Punjab
University Syllabus for the M. S. L. C. and
Hindi Ratna Examinations and the Delhi
University Syllabus for Matriculation Exami-
nation.)

लेखक

176262

पं० रामचन्द्र "कुशल" शास्त्री, बी .ए.
अध्यापक, औरियण्टल कालेज, लाहौर ।

प्रकाशक—

दास ब्रादर्स बुकसेलर्स,
अनारकली, लाहौर ।

चतुर्थ संस्करण ३०००] १९३२ [मूल्य ॥॥

श्री सत्येन्द्रनाथ जी द्वारा राबो फार्मन आर्ट प्रिंटिङ्ग वर्क्स .
मोहन लाल रोड लाहौर में छपी ।



Printed by
Satyendra Nath
Ravi Fine Art Printing Works,
Mohan Lal Road, Lahore.



❀ वक्तव्य ❀

यह व्याकरण उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये लिखा गया है। इस में विषय वही हैं जो और और व्याकरणों में पाये जाते हैं। किसी व्याकरण में सभी विषय एकदम नये नहीं हो सकते। नया हो सकता है उनके वर्णन करने का ढंग और विवेचन करने की शैली।

इसके लिखने में संस्कृत-व्याकरण और अंग्रेज़ी-व्याकरण दोनों दृष्टि में रखे गये हैं और उनका अनुसरण उचित अंशों में किया गया है। हिन्दी के व्याकरण, जो वतमान में उपलब्ध होते हैं, प्रायः सब देख लिये गये हैं और कई अंशों में उनसे सहायता भी ली गई है। इसके लिये मैं उन व्याकरणों के लेखकों का कृतज्ञ हूँ और उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ।

हिन्दी-व्याकरण की बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनमें व्याकरणलेखकों का मतभेद है। ऐसी जगह प्रयोग के अनुसार अपना विचार प्रकट किया गया है और अन्य व्याकरणों का मत भी उद्धृत कर दिया गया है। विषयों के समझाने का ढंग यथाशक्य सरल और रुचिकर रखा गया है जिससे विद्यार्थियों को रटने की आवश्यकता न पड़े।

अमुक वर्ण का अमुक उच्चारण स्थान है - इसके रटलेने मात्र से विशेष लाभ नहीं होता जब तक विद्यार्थी को थोड़ा बहुत पता न हो कि वर्णों के उच्चारण में मुख के किस भाग का कैसे उपयोग होता है। इस लिये वर्णों के उच्चारण स्थान बताने के पहले संक्षेप में उच्चारण का प्रयोग समझाया गया है।

आरम्भ में ही सन्धियों का विषय विद्यार्थियों को समझाने में कुछ कठिन पड़ता है और हिन्दी में प्रयुक्त होने वाले जिन शब्दों में सन्धियां पाई जाती हैं वे समासघटित (समस्त) ही होते हैं। इस कारण सन्धिप्रकरण समासप्रकरण के बाद रखा गया है।

चेष्टा की गई है कि कोई आवश्यक विषय छूटने न पाए और अधिक विस्तार भी न हो, क्रम ठीक हो और भाषा भी स्पष्ट एवं सुगम हो।

पारिभाषिक शब्दों के अंग्रेजी पर्याय बीच में नहीं रखे गये। ब.वल परिज्ञान की सुगमता के लिये वे अकारादि क्रम से एक तालिका बनाकर अन्त में लिख दिये गये हैं। क्योंकि प्रायः विद्यार्थी अंग्रेजी के ही पारिभाषिक शब्दों को याद रखते हैं और हिन्दी के (सस्कृत) पारिभाषिक शब्दों को देखते तक नहीं। इससे यह हानि होती है कि हिन्दी व्याकरण पढ़ते हुए भी उन्हें उसके पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान नहीं होता।

इतने पर भी यह पुस्तक त्रुटियों से सर्वथा मुक्त होगई है—यह नहीं कहा जा सकता। इस लिये अध्यापक महोदयों तथा अन्य विद्वानों से नम्र निवेदन है कि वे इसमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि या भूल पाएं तो कृपा कर मुझे लिख भेजने का कष्ट उठाएं ताकि अगले संस्करण में उसका सुधार कर दिया जाए।

नवीन संस्करण

यह इस पुस्तक का चौथा संस्करण है। इस संस्करण में पंजाब यूनीवर्सिटी के 'मैट्रिकुलेशन' तथा 'हिन्दीरत्न' परीक्षाओं के पाठ्यक्रम (सिलेबस) के अनुसार अक्षरविन्यास (Spelling), मुहावरे और लोकोक्तियां विरामचिन्ह, निबन्ध-रचना (Essay writing)—ये चार विषय और बढ़ा दिये गये हैं। ऐसा करने से इसकी पृष्ठ संख्या तो कुछ बढ़ गई है पर साथ ही सिलेबस के अनुसार हो जाने से उपयोगिता भी बहुत बढ़ गई है इतना होने पर भी विद्यार्थियों की सुविधा के लिये इसके मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई।

देहली यूनीवर्सिटी में भी 'मैट्रिकुलेशन' के लिये हिन्दी-व्याकरण की कोई पुस्तक नियत न करके पाठ्यक्रम (सिलेबस) ही नियत किया हुआ है। मेरा विश्वास है कि यह पुस्तक वहां के विद्यार्थियों के लिये भी पूर्णतया लाभप्रद हो सकेगी।

पहले संस्करणों में उपयोगी टिप्पणियां बारीक टाईप में मूल में ही रक्खी गई थीं। इस संस्करण में विद्यार्थियों की सुविधा के लिये मूलभाग को ऊपर और टिप्पणियों को पाद टिप्पणियों (Foot notes) के रूप में नीचे रक्खा गया है।

इस संस्करण में मेरे मित्र पं० रघुनाथ दत्त बन्धु निरुक्त रत्न, विद्यालङ्कार, शास्त्री. O. T., अध्यापक सनातन धर्म हाई स्कूल लाहौर से कई उपयोगी परामर्श प्राप्त हुए हैं। तदर्थ उनका धन्यवाद।

अन्त में अध्यापक महोदयों से प्रार्थना है कि यदि इस संस्करण में कहीं कोई प्रेस की भूल उनके दृष्टि गोचर हो तो विद्यार्थियों को उसका संशोधन करवा देने की कृपा करें।

विषयसूची ।



विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
पहला अध्याय		तीसरा अध्याय	
१ भाषा	१	१ लिखने की रीति	२७
२ व्याकरण	३	२ अक्षर विन्यास	३०
३ व्याकरण के विभाग	४	शब्दाधिकरण २	
४ हिन्दी का शब्द विभाग	५	पहला अध्याय	
५ व्युत्पत्तिके अनुसार भेद	६	शब्दों का वर्गीकरण	४३
वर्णाधिकरण १		दूसरा अध्याय	
पहला अध्याय		संज्ञा के भेद	४६
१ हिन्दी की वर्णमाला	६	तीसरा अध्याय	
२ स्वरों के विभाग	१२	संज्ञा का विकार	५५
३ व्यञ्जनों के विभाग	१३	लिङ्ग	५५
दूसरा अध्याय		२ वचन	६३
१ वर्णों का उच्चारण	१६	३ कारक	६८
२ वर्णों के उच्चारणस्थान	१८	४ संज्ञाओं की रूपावली	७६
३ प्रयत्नभेदसे वर्णोंके भेद	१९	चौथा अध्याय	
४ हिन्दी के उच्चारण में कुछ		१ सर्वनाम के भेद	८४
विशेषताएं	२०	२ सर्वनामों के विकार	८८
५ 'स्वाराघात या बल	२४	३ सर्वनाम की रूपावली	९०

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
पाँचवाँ अध्याय		दशवाँ अध्याय	
१ विशेषण के भेद	६७	१ सम्बन्धबोधक	१७२
२ तुलना	१०३	सम्बन्धबोधकों की	
३ विशेषणों का विकार	१०५	रचना	१७५
छठा अध्याय		ग्यारहवाँ अध्याय	
१ क्रिया के भेद	१०८	योजक	१७७
२ संयुक्तक्रियाएं	११३	बारहवाँ अध्याय	
३ नामधातु	११६	घातक	१८०
४ प्रेरणार्थक क्रियाएं	११६	एक ही शब्द का भिन्न	
सातवाँ अध्याय		रूप से प्रयोग	१८१
क्रिया का विकार	१२७	तेरहवाँ अध्याय	
१ बाच्य	१२७	शब्दरचना	१८३
२ क्रिया के लिङ्ग वचन		चौदहवाँ अध्याय	
और पुरुष	१३१	(क) उपसर्ग	१८५
३ काल	१३२	(ख) कृतप्रत्यय	१८८
४ प्रकार	१३६	(ग) तद्धितप्रत्यय	१६२
आठवाँ अध्याय		पन्द्रहवाँ अध्याय	
१ क्रियाओंकी रूपरचना	१४३	समास	१६७
२ रूपावली (सम्पूर्ण)	१५३	(१) अव्ययीभाव	१६६
नवाँ अध्याय		(२) तत्पुरुष	२००
१ क्रियाविशेषण	१६७	(क) कर्मधारय	२०१
२ क्रियाविशेषणों की रचना	१६६	(ख) द्विगु	२०२
		(३) द्वन्द्वसमास	२०२
		(४) बहुव्रीहि	२०४

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
सोलहवां अध्याय		(६) कहावतें	२४६
सन्धि	२०७	दूसरा अध्याय	
(१) स्वरसन्धि	२०८	१ वाक्य के भाग	२४६
(२) व्यञ्जनसन्धि	२१०	२ उद्देश्य और उसका वि०	२५०
(३) विसर्गसन्धि	२१३	३ विधेय और उसका वि०	२५१
सत्रवां अध्याय		४ वाक्यभेद	२५२
विभक्तियों के अर्थ और		५ विरामचिन्ह	२५६
प्रयोग	११७	६ निबन्धरचना	२६२
अठारहवां अध्याय		७ वर्णनात्मक निबन्ध	२६३
पदपरिचय	१२६	८ आख्यानात्मक निबन्ध	२६४
वाक्याधिकरण ३		९ विचारात्मक निबन्ध	२६५
वाक्यरचना	२३०	१० निबन्ध लिखने में कुछ	
(१) मेल	२३०	आवश्यक बातें	२६६
(२) क्रम	२३५	तीसरा अध्याय	
(३) प्रयोग	२४०	वाक्यविग्रह	२६६
(४) रोजमर्ता	२४१	१ साधारणवाक्यविग्रह	२६६
(५) मुहावरा	२४१	२ मिश्रितवाक्यविग्रह	२७१
		३ संयुक्तवाक्यविग्रह	२७३



❀ हिन्दी-व्याकरण ❀

उपक्रम

—:०:—

भाषा

१. भाषा का अर्थ है बोली❀ देश-भेद से मनुष्यों की बोलियां अनेक हैं। जैसे भारतवर्ष में संस्कृत, प्राकृत आदि प्राचीन-समय की तथा हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी आदि वर्तमान-समय की। इसी प्रकार यूरोप में लैटिन, ग्रीक आदि प्राचीन-समय की तथा इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन आदि वर्तमान-समय की। इसी भांति अरब आदि देशों में अरबी, फारसी आदि।

हम अपने विचारों को जैसे भाषा द्वारा सरलता और स्पष्टता से प्रकट कर सकते हैं, वैसे संकेतों द्वारा नहीं। इसलिये अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करने और दूसरों के विचारों को स्वयं समझने के लिये सब से

* पशु-पक्षियों की बोली अप्रकृत है अर्थात् उममं भय, क्रोध आदिके अतिरिक्त और कई बात नहीं समझ पड़ती। मनुष्यों की बोली व्यक्त है। उससे प्रत्येक बात, प्रत्येक विचार स्पष्टरूप में प्रकट हो जाता है। व्याकरण का मनुष्यों की व्यक्त बोली से ही सम्बन्ध है और भाषा शब्द का मुख्य अर्थ भी व्यक्त बोली अर्थात् मनुष्यों की बोली ही है। क्योंकि भाषा शब्द संस्कृत के 'भाष्' धातु से बना है, जिसका अर्थ है व्यक्त वाक् (बोली)

सुगम साधन भाषा है ।

२ भाषा का व्यवहार बोलने और लिखने* में किया जाता है । जब हम किसी से प्रत्यक्ष या टेलीफोन द्वारा बातचीत करते हैं तब बोलने की भाषा का प्रयोग करते हैं, और जब किसी दूरवर्ती मनुष्य को अपने विचार प्रकट करने के लिये पत्र लिखते हैं या अपने विचारों को स्थायी बनाने के लिये पुस्तक लिखते हैं तब लिखने की भाषा को उपयोग में लाते हैं ।

३. बोलने की भाषा ध्वनियों से और लिखने की भाषा वर्णों‡ से बनती है । बोलने में जिन २ ध्वनियों का उच्चारण होता है, लिखने में उनके स्थान में वर्णों का उपयोग किया जाता है ।

४. एक या अधिक ध्वनियों या वर्णों से शब्द बनते हैं। जैसे तू, आ, घोड़ा, सूरज आदि ।

५. पूरी बात को प्रकट करने वाले दो या अधिक

*२. आदि में भाषा का केवल बोलने में ही व्यवहार होता था । पर अनन्तर नव सभ्यता के विकास के साथ २ विचारों की वृद्धि हुई और उनको स्थिर रखने की आवश्यकता पड़ी तब कई प्रकार की लिपियों का आविष्कार किया गया और भाषा का लिखने में भी व्यवहार होने लगा । पहले भाषा कानों का ही विषय था, अब आंखों का भी हो गई ।

‡ वर्ण शब्द संस्कृत के वृ' धातु से बना है, जिसका अर्थ है वरना, स्वीकार करना या मान लेना । इसलिये बोलने में उच्चारित होनेवाली ध्वनियों को प्रकट करने के लिये मान लिये गये—नियत कर लिये गये—चिन्ह वर्ण कहते हैं, जिनका लिखने में उपयोग होता है ।

शब्दों से वाक्य बनते हैं। जैसे—राम गया। मोहन रोटी खाता है—आदि।

६. वाक्य भाषा का मुख्य अङ्ग है।

व्याकरण

वाक्यों की रचना को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि उनमें प्रयोग किये गये सब शब्द अलग २ विचारों को प्रकट करते हैं और उनमें अर्थानुसार परस्पर सम्बन्ध रहता है तथा जब एक ही विचार को अनेक रूपों में प्रकट किया जाता है तो शब्दों के रूपों में भी भेद हो जाता है। जैसे पक्षी उड़ते हैं। पक्षियों को उड़ाओ। पक्षियों ने उड़ान भरी इत्यादि। इससे विदित होता है कि स्पष्टरूप से विचारों को प्रकट करने के लिये शब्दों के प्रयोग तथा रूपों में साम-ञ्जस्य का होना तथा रूपपरिवर्तन के नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है।

‘हाथी आया। गाड़ी आई। आप जाते हैं। हम आते हैं—आदि के बदले बहुत से लोग हाथी आई। गाड़ी आया। आप जाते हो। हम आता है’—आदि बोलते और लिख भी देते हैं, जो अशुद्ध है। लिखने तथा बोलने में भाषा का शुद्ध रूप में ही प्रयोग करना उचित है।

१. इन बातों को पूरा करना व्याकरण का काम है। इसलिये

* व्याकरण उम शास्त्र को कहते हैं जो भाषा के शुद्ध रूप में प्रयोग करने के नियमों को समझाए।

⊗ व्याकरण (वि + आ + करण) शब्द का अर्थ है विभाग करके भली भाँति समझाना। व्याकरण में भाषा के नियमों को विभाग (अलग २) करके भली भाँति समझाया जाता है।

कई लोग व्याकरण पढ़े बिना भी बोलने और लिखने में भाषा का प्रायः शुद्ध प्रयोग कर सकते हैं और कई व्याकरण के नियमों को जान कर भी प्रायः अशुद्ध प्रयोग करते हैं। तथापि व्याकरण की उपयोगिता कम नहीं। क्योंकि इस से हम अपनी भाषा के नियमों को जानकर अज्ञान से होने वाली भूलों का कारण समझ सकते और उनसे बच सकते हैं।

किसी भाषा को पूरे तौर पर जानने के लिये उसका व्याकरण जानना भी आवश्यक है, केवल अभ्यास से उसका पूरा ज्ञान नहीं हो सकता।

एक भाषा का व्याकरण जान लेने पर दूसरी भाषाओं के सीखने में भी बहुत सी सहायता मिल सकती है।

२. प्रकृत व्याकरण का विषय हिन्दी* भाषा है। इसमें हिन्दी के ठीक बोलने लिखने और समझने के लिये उपयोगी नियमों को वर्णन किया जाएगा।

व्याकरण के विभाग।

पहले कहा गया है कि वाक्य भाषा के मुख्य अंग हैं। वे शब्दों से और शब्द ध्वनियों से (बोलने में) या उनके स्थानापन्न वर्णों से (लिखने में) बनते हैं। इस लिये वर्णों, शब्दों और वाक्यों के विचार से व्याकरण के मुख्य विभाग तीन हैं।

वर्णाधिकरण, शब्दाधिकरण और वाक्याधिकरण।

१. वर्णाधिकरण में वर्णों के आकार, प्रकार, उच्चारण

* हिन्दी में यहां हिन्दी के उम रूप से तात्पर्य है जिसे 'खड़ीबोली' कहते हैं, जिसमें आजकल हिन्दी का साहित्य लिखा जा रहा है।

† अंग्रेजी व्याकरण में छन्दविचार को भी व्याकरण का एक विभाग माना है। पर हिन्दी में संस्कृत की भांति 'छन्दशास्त्र, एक अलग शास्त्र विद्यमान है। छन्दविचार उसी का विषय है, व्याकरण का नहीं।

और परस्पर मेल से सम्बन्ध रखने वाली सब बातें समझाई जाती हैं ।

२-शब्दाधिकरण में शब्दों की श्रेणियों उनके रूपपरिवर्तन या विकार और व्युत्पत्ति का वर्णन किया जाता है ।

३- वाक्याधिकरण में शब्दों से वाक्य बनाने की रीतियां बताई जाती हैं

हिन्दी का शब्द विभाग

हिन्दी में चार प्रकार के शब्द पाये जाते हैं—

तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी ।

(१) तत्सम या संस्कृतसम वे संस्कृत के शब्द हैं जो संस्कृत के समान ही (अर्थात् उसी रूप में जिसमें वे संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं) हिन्दी में प्रयोग किये जाते हैं । जैसे—राजा, माता, कवि, नदी, वृत्त आदि ।

(२) तद्भव (उस (संस्कृत) से पैदा हुये) वे शब्द हैं जो संस्कृत शब्दों से बने हैं । जैसे—खेत, सेज, मेह, दूध, हाथ आदि । इन के मूल संस्कृत शब्द हैं—क्षेत्र, शय्या, मेघ, दुग्ध और हस्त ।

(३) देशी वे शब्द हैं जिनका संस्कृत से कोई सम्बन्ध नहीं दिखाया जा सकता । वे इस भारत देश के आदिम निवासियों की बोलियों से लिये गये हैं (ऐसा कई विद्वानों का मत है) या पदार्थ के रूप कार्य या ध्वनि के अनुसार कल्पना किये हैं (इन शब्दों को “अनुकरणवाचक” भी कहते हैं) । जैसे—(१) रोड़ा, खिड़की, ठेस, होड़, टीला, पगड़ी (२) झिलमिल, रिमझिम, ऊधम, खलबली, खटखटाना, झिनझिनाना आदि ।

इन के अतिरिक्त यहां की अन्य प्रान्तीय भाषाओं के भी बहुत से शब्द हिन्दी में आ मिले हैं। जैसे—लागू, चालू आदि मराठी भाषा के, गल्प, डोंगी आदि बंगला के।

(४) विदेशी शब्द वे हैं जो अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द हिन्दी में मिल गये हैं। मुसलमानों के भारत में आने पर मुसलमानी भाषाओं के और पोर्चुगीज़ तथा अंग्रेजों के आने पर उन की भाषाओं के बहुत से शब्द हिन्दी में मिल गये (और अंग्रेजी शब्द तो अब भी लगातार मिल रहे) हैं। जैसे—

अरबी — इम्तिहान, औरत, तारीख़, सिफ़ारिश आदि।

फारसी — आदमी, आबादी, वाग़, चश्मा, चाकू, प्याला, कमर आदि।

तुर्की — कोतल, तोप, लाश आदि।

पोर्चुगीज़ — पादरी, गिर्जा, कमरा, पलटन आदि।

अंग्रेजी — अपील, डाक्टर, कोर्ट, पैंसिल, पैंशन, इंच, फ़ुट, बैंक, होटल आदि।

व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के भेद।

व्युत्पत्ति या बनावट के अनुसार शब्दों के तीन भेद होते हैं — रूढ, यौगिक और यौगरूढ।

(१) जो शब्द दूसरे शब्दों के योग से नहीं बने या जिन के खण्ड सार्थक नहीं वे 'रूढ' कहाते हैं। जैसे—खाट, भट, पीला, धन, गज, घोड़ा आदि। इन शब्दों की व्युत्पत्ति या

रूढ का अर्थ है "प्रसिद्ध"। जो शब्द अवयवार्थ नहीं रखते, केवल संकेत के अनुसार किसी एक अर्थ में प्रसिद्ध हो चुके हैं, वे रूढ हैं।

बनावट का पता नहीं लगता। ये किसी दूसरे शब्द या प्रकृति-प्रत्यय के योग से बने हुये नहीं जान पड़ते और इन के खण्ड 'खा' और 'ट', 'भ' और 'ट', 'पी' और 'ला' आदि सार्थक नहीं हैं। इसलिये ये शब्द रूढ हैं।

(२) जो शब्द प्रकृति-प्रत्यय या दूसरे शब्दों के योग से बने हैं (और इसीलिये जिनके खण्ड कुछ अर्थ रखते हैं) वे 'यौगिक' कहाते हैं। सामासिक या समस्त शब्द भी इन्हीं के अन्तर्गत हैं, क्योंकि वे शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे—कतरनी, लड़कपन, पूजक, पानवाला, बुद्धिमान, घुड़चढ़ा, पाठशाला आदि। इनमें कतरनी आदि 'नी' आदि प्रत्ययों के योग से बने हैं ('कतर' धातु का अर्थ है काटना और 'नी' प्रत्यय का अर्थ है करण या साधन। काटने के साधन को 'कतरनी, कहते हैं)। इसप्रकार 'घुड़चढ़ा' घोड़ा और चढ़ा—इन दो शब्दों के योग से बना है। दोनों खण्ड सार्थक हैं।

(३) जो शब्द यौगिक (प्रकृति-प्रत्यय या दूसरे शब्दों के योग से बने) होने पर भी अपने सामान्य यौगिक अर्थ को न बता कर रूढ शब्दों के समान किसी विशेष अर्थ के प्रकाशित करते हैं, वे 'योगरूढ' कहाते हैं। जैसे—चारपाई, अँगरखा, पंकज, पीताम्बर आदि। चारपाई आदि शब्द यौगिक हैं, क्योंकि 'चार' और 'पाई' आदि शब्दों के योग से बने हैं। इन शब्दों का सामान्य यौगिक अर्थ चार पैरों वाली, अङ्गों की रक्षा करने वाला आदि है। परन्तु ये इस सामान्य अर्थ को न बता कर खाट, खुला, लम्बा वस्त्रविशेष—आदि विशेष अर्थ को प्रकाशित करते हैं। गाय आदि पशु और मेजें तथा कुर्सियां भी चार पैरों वाली होती हैं, उन को 'चारपाई, नहीं कहते। सब वस्त्र अङ्गों की रक्षा करते हः

पर वे 'अंगरखा' नहीं कहाने । सब कीचड़ से पैदा होने वाले पदार्थ पङ्कज, (पङ्क=कीचड़ से + ज=पैदा होने वाला) नहीं कहाते । केवल कमल को पङ्कज कहते हैं । इसीप्रकार 'पीताम्बर' विष्णु को ही कहते हैं । पीले कपड़े पहनने वाले और किसी को नहीं । इसलिये ये शब्द यौगिक होने पर भी एक पदार्थ के लिये रूढ (प्रसिद्ध) हो जाने के कारण 'यौगरूढ' हैं ।

अभ्यास

अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करने का सरल से सरल उपाय क्या है ? भाषा शब्द का मुख्य अर्थ क्या है ? व्यक्त बोली किनकी है और अव्यक्त किनकी ? मनुष्यों और पशु-पक्षियों की बोली में क्या अन्तर है ? भाषा के दो भेद कौन से हैं ? बोलने और लिखने की भाषा किस से बनती है ? ध्वनियों और वर्णों से क्या बनते हैं ? शब्द जब पूरी बात को प्रकट करते हैं तब किस नाम से कहे जाते हैं ? भाषा का शुद्ध प्रयोग बताने वाले शास्त्र का क्या नाम है ? व्याकरण के क्या लाभ हैं ? व्याकरण के मुख्य विभाग कितने हैं और उन के क्या नाम हैं ? वर्णाधिकरण और शब्दाधिकरण में किन २ बातों का वर्णन किया जाता है ? हिन्दी भाषा में कितने प्रकार के शब्द पाए जाते हैं ? तत्सम किसे कहते हैं ? व्युत्पत्ति के विचार से शब्द के कितने भेद हैं ?

वर्णाधिकरण १.

पहला अध्याय ।

हिन्दी की वर्णमाला ।

१. अकेली ध्वनि को (जिसके खण्डन हो सकें) जो (भिन्ड) प्रकट करते हैं उन्हें वर्ण* (या अक्षर) कहते हैं । जैसे अ, इ, क्, च् आदि । “नदी” शब्द में न्, अ, द्, ई—ये चार वर्ण हैं ।

२. वर्णों के समूह का वर्णमाला कहते हैं । हिन्दी भाषामें जिस वर्णमाला का उपयोग किया जाता है, वह संस्कृत की है । उसे देवनागरी लिपि में लिखी जानेके कारण “देवनागरी” †वर्णमाला कहते हैं । उस का रूप यह है:—

अ आ इ ई उ ऊ (ऋ लृ) ए ऐ ओ औ

अं अः (ँ)

क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ

ट ठ ड ढ ण त थ द ध न

प फ ब भ म

य र ल व

श ष स ह

* साधारणतः मूल ध्वनियां और उनको प्रकट करने वाले वर्ण—इन दोनों के लिये वर्ण या अक्षर शब्द का प्रयोग किया जाता है ।

† वर्णमाला में ‘अ से औ’ तक स्वर हैं और ‘क से ह’ तक व्यंजन । किसी वर्ण के आगे ‘कार’ लगा कर बोलने से वही वर्ण समझा जाता है । जैसे अकार = अ, कार, ककार आदि ।

इसके दो भाग हैं—स्वर† और व्यञ्जन ।

(क) स्वर उन वर्णों को कहते हैं जो अपने आप (दूसरे वर्णकी सहायता के बिना) बोले जा सकें । जैसे—अ इ आदि ।

(ख) व्यञ्जन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना न हो सके । ये हैं क ख आदि । उच्चारण की स्पष्टता के लिये ही वर्णमाला में ये 'अ' सहित लिखे गये हैं । जब इनमें कोई स्वर नहीं होता तो इनके नीचे तिरछी रेखा (˘) रहती है, जैसे—क, ख आदि, और इस अवस्थामें इनका स्पष्ट उच्चारण नहीं हो सकता । उच्चारण के लिये इनके पीछे या पहले स्वर अवश्य आता है । जैसे—क (क् + अ), का (क् + आ), के (क् + ए), अच्, हल् (ह् + अ + ल्) ।

(ग) अं अः में ऊपर की बिंदी (ˆ) को अनुस्वार और आगे की दो बिंदियों को (:) विभर्ग कहते हैं ।‡

† स्वरों को संस्कृत में 'अच्, आर व्यंजनों को हल् कहते हैं । तिरछी रेखा (˘) हल् का चिन्ह है । जब व्यंजन में कोई स्वर मिलता है तो वह स्वर सहित हो जाता है और हल् का चिन्ह (˘) उड़ जाता है जैसे—क् + अ = क, क् + ई = की आदि । जब व्यञ्जन से मिलता है तब भी हल् का चिन्ह उड़ जाता है, जैसे—क् + र = क्र, ट् + व्य । जिन शब्दों के अन्त में अच् (स्वर) होता है वे अजन्त (अच् + अन्त) कहाते हैं । जैसे राम, नदी, डकू आदि । और जिनके अन्त में हल् (व्यञ्जन) होता है, वे हलन्त (हल् + अन्त) कहाते हैं । जैसे—विद्वान् श्रीमान् आदि ।

‡ अनुस्वार का उसके धीमे उच्चारण को प्रकट करने वाला रूपांतर (अर्धचन्द्र कहाता है । संस्कृत के वैयाकरणों ने अनुसार और विसर्गको स्वर और व्यञ्जन से भिन्न 'आयोगवाह, नामसे कहा है । ये व्यञ्जनोंसे अधिकसमता रखते हैं । क्योंकि येभी व्यञ्जनों की भांति स्वरकी सहायता के बिना नहीं बोले

वर्णमाला में लिखे १४ स्वरों में से हिन्दी में ११ स्वरों का उपयोग होता है। ब्रैकेट () में दिये हुए ऋ, लृ, लृ—इन तीन स्वरों का हिन्दी में प्रयोग नहीं होता। ऋ (ह्रस्व) का प्रयोग भी हिन्दी में आने वाले ऋषि, ऋण, कृपा आदि संस्कृत (तत्सम) शब्दों में ही होता है, साधारण हिन्दी में नहीं। व्यञ्जनों में ड्, ङ्, ण्, ष् भी संस्कृत शब्दों में ही आते हैं। जैसे—सङ्ग, रङ्गन, गुण पुरुष हिन्दी के छः, छिः, ओः आदि कुछ शब्दों को छोड़ कर विसर्ग (:) भी संस्कृत शब्दों में ही आता है। जैसे—पुनः, दुःख आदि

हिन्दी में 'ड्, ढ्' की ध्वनियों से थोड़ी सी भिन्न दो ध्वनियां और हैं जो 'लड़ना' 'पढ़ना' आदि शब्दों में पाई जाती हैं। संस्कृत में ये ध्वनियां नहीं हैं, इसलिये ऊपर लिखी वर्णमाला में इनके लिये कोई वर्ण नहीं रखा गया। ये ध्वनियां ड्, ढ् के नीचे बिंदी देकर (ड़, ढ़) प्रकट की जाती हैं।

जासकते और इनकी सन्धि होने पर व्यञ्जन ही होते हैं। जैसे—अनुस्वार को ड्, ङ् आदि होते हैं, उदा शं+कर = शङ्कर, सं+जय = सञ्जय आदि, और विसर्ग को र्, स्, ष् आदि, उदा०निः+मल = निर्मल निः+तार निस्तार, निःफल = निष्फल आदि। वर्णमाला में अनुस्वार और विसर्ग के स्वरों के वाद रखने का यह अभिप्राय है कि ये सदा स्वरों के परे ही आते हैं, स्वरों के पहले या व्यञ्जनों के परे या पहले नहीं आते। इसी बात के प्रकट करने के लिये वर्णमाला में इनको 'अ अः' इस प्रकार स्वर (अ) के परे रखा गया है। उदा०अंश (अ+—श) आः (आ+ः =), वंश (व्+अ-शं =), छिः (छ्+इः+ =) आदि। हिंदी में अनुस्वार का उच्चारण बहुधा अनुनासिक (मुख और नासिकासे) होता है। जैसे—आऊं, जहाँ आदि। अनुनासिक उच्चारण को प्रकट करने के लिए अर्धचन्द्र (°) चिन्ह लगाते हैं, जैसे आऊं, जहाँ—इत्यादि

❀ इसी प्रकार अरबी फारसी अंग्रेजी आदि भाषाओं के जो शब्द हिंदी

स्वरों के विभाग ।

स्वरों के दो भेद हैं—मूलस्वर और सन्धिस्वर ।

(क) मूलस्वर—वे हैं जो किसी दूसरे स्वर से नहीं बने ।
हिन्दी में मूलस्वर चार हैं—अ, इ, उ, ऋ ।

(ख) सन्धिस्वर— वे हैं जो मूलस्वरों के मेल से बने हैं ।
ये हिन्दी में सात हैं या (अ+अ), ई (इ+इ, ऊ उ+उ),
ए (अ+इ), ऐ (अ+ए), ओ (अ+उ ओ अ+ओ) †

किसी स्वर के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसके माप को मात्रा कहते हैं । इसके अनुसार स्वरों के तीन भेद होते हैं—ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत ।

(ग) अ, इ, उ, ऋ—इनका उच्चारण कम से कम समय

में आते हैं उनकी विशेष ध्वनियों को भी उन ध्वनियों में मिलती जुलती ध्वनियों वाले वर्णों के नीचे बिंदी देकर प्रकट करते हैं । जैसे मञ्जलूम, इल्म, कायदा, खबर, जोग, फीस, जीरो, ज़िकर आदि । इभी भाँति कई लेखक बॉक्स (Box) हॉट (Hot) लॉर्ड (Lord) आदि अप्रजा शब्दों में विशेष ध्वनियों को प्रकट करने के लिए वर्ण के ऊपर (~) इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं । इन चिन्हों का सर्वसाधारण प्रयोग नहीं होता । मञ्जलूम आदि कई शब्द तो हिन्दी के ही गाँवों में डल गये हैं प्रायः सब 'मालूम' ही लिखते हैं, न कि 'मञ्जलूम' ।

‡ पहिले तीनों में एक मूलस्वर का उभी मूलस्वर से मेल है । बाकी में भिन्न २ स्वरों का मेल है । सन्धि की परिभाषा के अनुसार आ, ई, ऊ-दीर्घ, ए, ओ--गुण और ऐ, औ-वृद्धि कहाने हैं ।

में होता है। इसलिये इनको एकमात्रिक या ह्रस्व कहते हैं।

(घ) जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है द्विमात्रिक या दीर्घ कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए आदि।

(ङ) जिनके उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, उन्हें त्रिमात्रिक या प्लुत कहते हैं। प्लुत को प्रकट करने के लिये ह्रस्व या दीर्घ स्वर आगे तीन का अंक (३) लिखा जाता है। हिन्दी प्लुत का उपयोग केवल पुकारने या चिह्नाने में होता है जैसे—अरे मोहन ३, अरे मोहना ३, मोहना रे ३, अरे ३।*

उच्चारण की अपेक्षा स्वरों के दो भेद और हैं—अनुनासिक और अनुनासिक।

(१) जब स्वर मुख और नासिका द्वारा बोले जाते हैं तो 'अनुनासिक' कहाते हैं। अनुनासिक का चिन्ह अर्धचन्द्र (ँ) है। जैसे—आँ (आँच), ईँ (ईँट) आदि।

(२) जो स्वर केवल मुख द्वारा बोले जाते हैं वे 'अनुनासिक' कहाते हैं। जैसे—आ (आग), ई (ईश्वर) आदि।

व्यञ्जनों के विभाग

व्यञ्जनों के मुख्य भाग तीन हैं—स्पर्श, अन्तस्थ और ऊष्प

ॐ कुककुड़ की बोली में ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत तीनों कम से स्पष्ट उच्चारित होते हैं—उउ (ह्रस्व) ऊ ३ (प्लुत)=कुकु, इ, ३)। ह्रस्व स्वर को लघु और दीर्घ तथा जिस ह्रस्व के परे संयुक्त व्यञ्जन हो उसे भी गुरु कहते हैं।

ऋवर्णमाला के पहले पञ्चोस (क से म तक) व्यञ्जन 'स्पर्श' कहते हैं। ये नीचे लिखे कवर्ग, चवर्ग आदि पांच २ अक्षरों के पांच वर्गों में बंटे हैं। बाकी आठ व्यञ्जनों में से यथाक्रम पहले चार 'अन्तस्थ' और बाद के चार 'ऊष्म' कहाते हैं।

क ख ग घ ङ--कवर्ग	}	स्पर्श
च छ ज झ ञ -चवर्ग		
ट ठ ड ढ ण- टवर्ग		
त थ द ध न- तवर्ग		
प फ ब भ म--पवर्ग		
य र ल व--अन्तस्थ		
श ष स ह--ऊष्म		

उच्चारण में होने प्रयत्न (परिश्रम) के अनुसार सारे वर्णों के दो विभाग हैं--अल्पप्राण और महाप्राण ।

जिनके उच्चारण में थोड़ा परिश्रम हो (प्राणवायु का थोड़ा उपयोग हो) वे 'अल्पप्राण' और जिनके उच्चारण में

ऋ'क से म' तक व्यञ्जन "स्पर्श" हैं; क्योंकि इनके बोलने में कण्ठ, तालु आदि स्थानों से जिह्वा का पूरा स्पर्श होता है। श, ष, म, ह--'ऊष्म' है, क्योंकि इनके बोलने में उच्चरणमार्ग के तंग होने से एक प्रकार की गड़गड़ाहट पैदा होकर ऊष्मा (गर्म वायु) निकलती है। य, र, ल, व--'अन्तस्थ' है, क्योंकि ये वर्णमाला में स्पर्श और ऊष्म वर्णों के बीच में रखे गये हैं (अन्तस्थ = बीच में स्थिति) अथवा स्वरों और व्यञ्जनों के मध्यवर्ती होने से इनका अन्तस्थ कहते हैं; क्योंकि (मन्त्र में) इ को यु, उ को व्, ऋ को र्, और लृ को ल् होता है और इसके विपरीत (संप्रासारण में) य् को इ, व को उ र को ऋ और लृ लृ भी होती है। इसीलिये इनको 'अर्ध-स्वर' भी कहते हैं।

अधिक परिश्रम हो (प्राणवायु का अधिक उपयोग हो) वे 'महाप्राण' कहाते हैं ।

वर्णों के दूसरे, चौथे वर्ण (ख, घ आदि) तथा ऊष्म (श, ष, स, ह) और विसर्ग (:) महाप्राण हैं । शेष सब व्यञ्जन तथा सब स्वर और अनुस्वार अल्पप्राण हैं ।

अभ्यास

वर्णमाला किसे कहते हैं ? स्वरों और व्यञ्जनों में क्या भेद है ? — :-इन को क्या कहते ? हल् किसे कहते हैं और उस का चिन्ह क्या है ? वर्णमाला में से हिन्दी में किन वर्णों का उपयोग नहीं होता ? हिन्दी में और ध्वनियां कौन २ हैं और वे कैसे प्रकट की जाती हैं ?

स्वरों के कितने भेद हैं ? सन्धिस्वर किसे कहते हैं ? प्लुत किसे कहते हैं और उसका उपयोग कहां होता है ? उच्चारण के अनुसार स्वरों के कितने भेद हैं ? अनुनासिक किसे कहते हैं ? व्यञ्जनों के कितने भाग हैं ? स्पर्श, और ऊष्म कौन वर्ण हैं ? प्रयत्न के अनुसार वर्णों के कितने भेद हैं ? अल्पप्राण किन को कहते और महाप्राण किनको और क्यों ?

दूसरा अध्याय ।

१. वर्णों का उच्चारण ।

हर एक ध्वनि फेरुड़ों द्वारा बाहर निकली हुई वायु से पैदा होती है। फेरुड़ों द्वारा ऊपर की ओर प्रेरित की हुई वायु श्वासनाली में आने पर वागिन्द्रिय सम्बन्धी भिन्न २ भागों द्वारा भिन्न २ वाणियों का रूप धारण कर लेती है। ये भाग निम्नलिखित हैं।

(क) नादतन्त्रियाँ—ये श्वासनाली में होती हैं। इन की वनावट ऐसी होती है कि ये संकुचित (इकट्टी) भी की जा सकती हैं और फैलाई भी जा सकती हैं। फैलाई हुई नादतन्त्रियों में से वायु बेरोक (खुले तौर पर) गुज़र जाती है और 'श्वास' रूप या 'अघोष' (नाद हीन) ध्वनि पैदा होती है। परन्तु संकुचित नादतन्त्रियों में से वायु-प्रवाह के रगड़ खाकर गुज़रने से कम्प पैदा होता है और 'नाद' रूप या 'घोष' ध्वनि पैदा होती है। वर्णों के पहले दूसरे वर्णों (क्, ख्, च्, छ्, ट्, ट्, त्, थ्, प्, फ्) और श्, प्, स् का उच्चारण श्वास द्वारा और शेष सब व्यञ्जनों और स्वरों का उच्चारण नाद द्वारा होता है ❀ ।

श्वास और नाद को बाहर निकालने के लिये दो मार्ग हैं— मुँह और नाक। हिन्दी भाषा के उच्चारण में श्वास या अघोष

❀ श्वास और नाद का अन्तर ख (श्वास) और ग (नाद) आदि का ध्वनियों की तुलना करने से स्पष्ट प्रतीत हो जाता है ।

ध्वनियों को मुँह से ही निकालना पडता है परन्तु नाद या घोष ध्वनियों को मुँह से और नाक से भी (जैसे—ग को मुँह से और ङ को मुँह और नाक दोनों से) ।

(ख) मुँह की छत (ऊपर का भाग)—इसके तीन भाग हैं, आगे का भाग तालु, बीच का भाग मूर्धा और पीछे का भाग अलिजिह्वा । अलिजिह्वा के नीचे एक पत्ता लगा है जो कभी नीचे कभी ऊपर हो जाता है । जब यह ऊपर उठ जाता है तो नाक का मार्ग बन्द हो जाता है और वायु मुँह से निकलती है तथा जिह्वा के किसी भाग द्वारा मूर्धा, तालु आदि में रुककर छूटने से क, च, ट, त, प आदि भिन्न २ ध्वनियों की सृष्टि करती है । जब यह पत्ता नीचे हो जाता है तो नाक का मार्ग खुल जाता है और वायु के नाक के रास्ते गुजरने से नासिक्य ध्वनि अर्थात् अनुस्वार की ध्वनि पैदा होती है । एवं जब पत्ते के थोड़ा नीचे होने से नाक का रास्ता पूरा नहीं खुलता तो कुछ वायु मुँह से और कुछ नाक से निकलती है और अनुनासिक ध्वनि अर्थात् ङ, ञ, ण, न, म और आँ, ईँ, ऊँ आदि की ध्वनि पैदा होती है ।

(ग) जिह्वा-उच्चारण में इसके मूल, पृष्ठ आदि भागों का आवश्यकतानुसार कण्ठ मूर्धा, तालु, दाँत और ओठों से स्पर्श होता है । इससे स्पर्श वर्णों (क से म तक कवर्ग, चवर्ग आदि पाँच वर्गों के व्यञ्जनों) की ध्वनियां पैदा होती हैं ।

(घ) ओंठ-उच्चारण में इनका एक दूसरे से तथा दाँतों से स्पर्श होता है; जैसे प, व के उच्चारण में ।

(ङ) दाँत— उच्चारण में इनसे जिह्वा के अग्रभाग का स्पर्श होता है ; जैसे त, थ के उच्चारण में ।

२. वर्णों के उच्चारणस्थान

मुख के जिस भाग से जो अक्षर बोला जाता है, वह उस अक्षर का उच्चारणस्थान कहा जाता है ।

स्थान-भेद से वर्णों की नीचे लिखी श्रेणियाँ होती हैं:—

कण्ठ्य या कण्ठस्थानी

अ, आ, क्, ख, ग्, घ्, ङ्, ह्, विसर्गः—कण्ठ से बोले जाते हैं ।

तालव्य या तालुस्थानी

इ, ई, च्, छ्, ज्, झ्, ञ्, य्, श्—तालु से बोले जाते हैं ।

मूर्धन्य या मूर्धस्थानी

ऋ (ॠ), ए, ऐ, उ, ऊ, ऋ, ए, ए, ए—मूर्धा (तालु से ऊपर के भाग) से बोले जाते हैं ।

दन्त्य या दन्तस्थानी

(लृ लृ) त्, थ्, द्, ध्, न्, ल्, स्—दांतों पर जीभ लगने से बोले जाते हैं ।

ओष्ठ्य या ओष्ठस्थानी

उ, ऊ, प्, फ्, ब्, भ्, म्—ओठों से बोले जाते हैं ।

नासिक्य या नासिकास्थानी

अनुस्वार [ँ] नाक से बोला जाता है ।

दो स्थानों से बोले जाने वाले वर्ण

ङ, ज्ञ, ण, न्, म्, और आँ, ईँ, ऊँ आदि (अनुनासिक)

⊛ विसर्ग को आश्रयस्थानभागी भी कहा है अर्थात् यह जिम स्वर के बांद आता है उमी का स्थान पाता है । विसर्ग ह् की अपेक्षा कुछ धीमा बोला जाता है—प्रातः, छिः ।

मुह और नाक से बोले जाते हैं, ए, ऐ, कण्ठ और तालु से, औ, औ, कण्ठ और आँठों से तथा व दांतों और आँठों से ।

विदेशी ध्वनियों के सूचक वर्णों में से अ, क, ख, ग, कण्ठ और जिह्वामूल से बोले जाते हैं, ज, दांतों और तालु से और फ़ दांतों और आँठों से ।

३. प्रयत्नभेद से वर्णों के भेद

वर्णों के उच्चारण में होने वाला प्रयत्न (व्यापार) दो प्रकार का है—'आभ्यन्तर' और 'वाह्य' ।

(क) आभ्यन्तर के चार भेद हैं—

विवृत, स्पृष्ट, ईपद्विवृत, ईपत्स्पृष्ट ।

१. स्वरों का विवृत प्रयत्न है; क्योंकि इनके बोलने में वाणी (वागिन्द्रिय) पूरी तरह खुली (विवृत) होती है ।

२. स्पर्श (क् से म् तक) वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न है; क्योंकि इनके बोलने में जीभ का मुह के भिन्न २ भागों से स्पर्श होता है ।

३. य्, व्, र्, ल्, का ईपद्विवृत प्रयत्न है; क्योंकि इनके बोलने में वाणी कुछ (ईपत्) खुली (विवृत) रहती है ।

४. श्, प्, स्, ह् का ईपत्स्पृष्ट प्रयत्न है; क्योंकि इनके बोलने में वाणी के कुछ बन्द रहने से मुख के भिन्न २ भागों से जीभ का थोड़ा स्पर्श (ईपत् = थोड़ा, स्पृष्ट = स्पर्श) होता है (और एक प्रकार का घर्षण होता हुआ अनुभव में आता है ॥ ❀

❀ प्रतीत होता है कि अन्तस्थ तथा ऊर्ध्व वर्णों के उच्चारण में समय २ पर भेद होता रहा है । इसीलिये इसके विषय में भिन्न २ मत पाए जाते हैं । वैयाकरण-सिद्धान्त-कौमुदी में अन्तस्थों का ईपत्स्पृष्ट प्रयत्न माना है और ऊर्ध्वों का विवृत । डाक्टर मङ्गलदेव ने अपने भाषाविज्ञान

(ख) बाह्य प्रयत्न के दो भेद हैं—अघोष या श्वास और घोष या नाद ।

१. प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे वर्ण (क्, ख्, च्, छ्, ट्, ट्, त् थ्, प्, फ्,) और श्, प्, स्—इनका अघोष प्रयत्न है । इनके बोलने में केवल श्वास का उपयोग होता है ।

२. शेष व्यञ्जनों और सब स्वरों का घोष प्रयत्न है । इनके बोलने में केवल नाद का उपयोग होता है ।

४. हिन्दी के उच्चारण में कुञ्ज विशेषताएं ।

१. यद्यपि श्रीमान्, विद्वान्—आदि कुञ्ज शब्दों को छोड़ कर अन्य दिन, रात सगुण, कोमल, राह, गेह आदि शब्द संस्कृत की चाल पर अकारान्त ही लिखे जाते हैं, तथापि अन्तिम अकार का उच्चारण प्रायः हल् के समान होता है, अर्थात् 'अ' अनुच्चरित रहता है—दिन्, रात्, सगुण् इत्यादि ।

अपवाद—आ, इ, ई, ऊ, से परे आने वाले य में, शब्द के अन्तिम संयुक्त अक्षर में, अकारान्त एकाक्षर शब्दों में और कविता में 'अ' का पूरा उच्चारण होता है । उदा० जाय, प्रिय, स्वीय, राजसूय, इन्द्र, कर्म, सत्त्व, सूर्य, क, ख, "राम राम

(पृ० २२५) में लिखा है "संस्कृत शिञ्जाकारों ने ज्यादातर अन्तःस्थाओं का प्रयत्न ईषत्स्पृष्ट और ऊष्माओं का ईषद्विवृत माना है ।" परन्तु याज्ञवल्क्य, पाणिनि और अमरेश आदि शिञ्जाकार अन्तस्थों का ईषत्स्पृष्ट और ऊष्मों का अर्धस्पृष्ट प्रयत्न मानते हैं और वर्तमान के बहुत से स्वरविज्ञानियों का मत है कि आजकल अन्तस्थों का उच्चारण ईषद्विवृत और ऊष्मों का ईषत्स्पृष्ट ही होता है और इसीलिये हिन्दी-विश्व-कोष तथा नागरी-प्रचारिणी सभा के बृहत् हिन्दी-व्याकरण में इनका उच्चारण इसी प्रकार लिखा है ।

कहि राम कहि"‡ (कविता)

इसी प्रकार शब्दों के बीच में भी बहुधा 'अ' का उच्चारण नहीं होता ।

साधारण नियम ये हैं—तीन अक्षरों के अकारान्तभिन्न शब्दों में दूसरे वर्ण का और चार अक्षरों के अकारान्तभिन्न शब्दों में तीसरे वर्ण का एवं चार अक्षरों वाले अकारान्त शब्दों में दूसरे वर्ण का 'अ नहीं बोला जाता । उदा० चलना (चलना), जागना (जागना), उछलना (उछलना), निकलना (निकलना), भटपट (भटपट), रामदेव राम देव ।

अपवाद—चतुरक्षर अकारान्त शब्दों में यदि पहला अक्षर उपसर्ग हो तो दूसरे वर्ण का 'अ' पूरा बोला जाता है । जैसे विदलित, प्रचलित, सुचरित आदि । कहीं चतुरक्षर अकारान्तभिन्न शब्द में भी दूसरे वर्ण का 'अ' नहीं बोला जाता । जैसे—गड़बड़ी (गड़बड़ी), खलबली (खलबली) आदि ।

यौगिक शब्दों में मूलखण्डों का अन्तिम 'अ' नहीं बोला जाता । उदाहरण—लोकनाथ (लोकनाथ), देशराज (देशराज), लड़कपन (लड़कपन) आदि ।

२. यद्यपि आ, ई, ऊ, ए, ओ—ये दीर्घ हैं तो भी हिन्दी में इनका उच्चारण शब्द के अन्त में ह्रस्व (शिथिल दीर्घ) भी

‡निर्भय, उदय आदि शब्दों में भी 'य' के 'अ' का पूरा उच्चारण नहीं होता—निभय, उदय । अकारान्त एकाक्षर शब्दों में निषेधार्थक 'न' का उच्चारण कहीं ह्रस्व और कहीं दीर्घ होता है । उदा० ऐसा न (ह्रस्व) करो । क्या मैं जाऊँ ? न (ना), तुम न जाओ ।

होता है। ह्रस्व उच्चारण जताने के लिये अक्षरों के नीचे रेखा (—) दी गई है। जैसे—माला, सीटी, चूरे, बोले इन शब्दों में पहले वर्णों में आ, ई—आदि का उच्चारण स्पष्ट दीर्घ है, परन्तु अन्त के वर्णों में ह्रस्व (शिथिल दीर्घ) है। इसी प्रकार मेला, वेटी, जाड़ आदि में भी। एकाक्षर शब्दों में इनका उच्चारण दीर्घ ही होता है। जैसे—आ, की, ले, सो आदि।

३. ऐ, औ का उच्चारण संस्कृत और हिन्दी के शब्दों में भिन्न होता है जैसे—

संस्कृत—तैल, शैल पेशवर्ग, शोच, कौतुक इत्यादि ।

हिन्दी—बैल, है, ऐसा, और कौन इत्यादि ।

४. 'ऋ' का उच्चारण 'रि' के समान करते हैं ।

५. हिन्दी में ड, ढ दो प्रकार से बोले जाते हैं—

(क) जब इनके नीचे बिंदी न हो तो ये तालु से कुछ ऊपर (मूर्धा पर) जीभ के अप्रभाग को रख कर वायु-प्रवाह को रोक कर बोले जाते हैं। इस उच्चारण को 'मूर्धन्य' कहते हैं। शब्द के आदि में, द्वित्व में और ह्रस्व स्वर के परे 'णू' या अनुस्वार (ँ) होने पर ड, ढ, का उच्चारण मूर्धन्य होता है। जैसे—डाक, ढोल, अड्डा, बुड्डा, पराडा (पंडा), ठरड (ठंड) इत्यादि ।

(ख) जब इनके नीचे बिंदी होती है तो इनके उच्चारण के

ॐ शीघ्र बोलने में शब्दों के पहले वर्ण में भी आ, ए, औ (आं ऐ, औं, भी) ह्रस्व (शिथिल दीर्घ) ही बोले जाते हैं। जैसे—मारो मारो देदो देदो, बोलो बोलो, (फेको फेको, दाड़ो दाड़ो) । 'खड़ी बोली' की कविता को छोड़ कर शेष हिन्दी की कविता में छन्द के अनुसार सभी दीर्घ स्वर ह्रस्व बोले जाते हैं। जैसे—"मानो कंवन के कदलीदल पै अति संधी सांपिन सोय रही"

लिये जीभ का अग्रभाग मोड़ कर मूर्ध्ना में लगाया जाता है जिससे जीभ के दोनों किनारों से वायु निकलती है। इस उच्चारण को 'द्विस्वृष्ट' कहते हैं। यह उच्चारण प्रायः शब्द के मध्य या अन्त में आने वाले ड, ढ का होता है। जैसे— लड़ाई, पढ़ाई, लड़का चढ़ना पड़ा चढ़ा इत्यादि।

६ प (मूर्धन्य) का उच्चारण श (तालव्य) के समान किया जाता है। खड़ी बोली के अतिरिक्त हिन्दी में इसको 'ख' के समान बोलते हैं (और लिखते भी हैं)। जैसे— भाषा (भाखा) आदि। इसीप्रकार व (दन्तोष्ण्य) का प्रायः व (ओष्ण्य) के समान बोलते हैं (और लिखते भी हैं)। जैसे— वीरवल (बीरवल), विहारी (बिहारी) इत्यादि।

७. अनुस्वार (ँ) केवल नाक से और अनुनासिक स्वर (ँ) मुख और नासिका से बोला जाता है। अनुस्वार की ध्वनि तीव्र और अनुनासिक की धीमी होती है। हिन्दी के शब्दों में अन्त में और दीर्घ स्वर के अनन्तर आने वाले अनुस्वार का उच्चारण अनुनासिक होता है (परन्तु लिखने में अनुनासिक के स्थान भी बहुधा अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं)। जैसे— आऊँ (आऊँ), आँच आँच, सौँपना (सौँ पना) आदि।

८. झ को साधारणतः 'ग्य' बोलते हैं। यह ज् और ज् के योग से बना है। इसका उच्चारण 'ज्ज, या 'ज्यँ' जैसा होना चाहिये ॥

९. हिन्दी के शब्दों में संयुक्त व्यञ्जन प्रायः ह्रस्व स्वरों के ही आगे आते हैं और उन स्वरों का उच्चारण झटके के साथ होता है। जैसे - पत्थर, मट्टी आदि। तुम्हें, उन्हें, कुल्हाड़ी आदि इसके अपवाद हैं। इनका उच्चारण धीमा होता है, झटके से नहीं। इसी प्रकार देवप्रसाद आदि भी धीमे बोले जाते हैं।

५ स्वराघात या बल ।

स्वर वा स्वरसहित व्यञ्जन को अक्षर कहते हैं ।

'सत्य' में (स्+अ त्+य्+अ) दो अक्षर हैं । किसी शब्द को बोलते हुए उसके किसी अक्षर या स्वर पर (और अक्षरों की अपेक्षा) अधिक ज़ोर डाला जाता है । इसे स्वराघात या बल कहते हैं ।

साधारणतः अनुच्चरित 'अ' वाले वर्ण के, इ, उ, ऋ वाले वर्ण के और संयुक्त व्यञ्जन, विसर्ग तथा अनुस्वार के पूर्ववर्ती अक्षर पर स्वराघात होता है। यह समझाने के लिये स्वराघात वाले अक्षरों और शब्दों के नीचे रेखा (—) दी गई है । जैसे—घर (घर्), बोलकर, (बोल् कर्) मुनि, गुरु, मातृ, सत्य इन्द्र, अतः, स्व द ।

साधारण क्रियाशब्दों में स्वराघात पहले अक्षर पर होता है और प्रेरणाथक क्रिया शब्दों में दूसरे अक्षर पर । जैसे—करो, कराओ, बैठो, बैठाओ इ ।

वस्तुतः स्वराघात का ज्ञान अभ्यास से ही हो सकता है । इसके लिये कोई विशेष नियम नहीं बनाए जा सकते कि कहां किस अक्षर पर स्वराघात होता है । जैसे—समाचार, सहाय, मेरा, हमारा आदि ।

अनेक (भिन्न) अर्थों वाले एकरूप शब्दों का कहां कौन अर्थ लेना चाहिये—यह निश्चय स्वराघात ही से होता है । जैसे—'बना' शब्द के दो अर्थ हैं—आज्ञा और भूतकाल । यदि दूसरे अक्षर 'ना' पर स्वराघात हो तो 'आज्ञा' का अर्थ

लिया जाता है। जैसे—रोटी बना'। यदि पहले अक्षर 'ब' पर स्वराघात हो तो 'भूतकाल' का अर्थ लिया जाता है। जैसे—वहुत अच्छा भोजन बना'। इसी प्रकार पढ़ा, बढ़ा, लिखा, पका—आदि शब्दों में भी समझना चाहिये।

जैसे शब्द में किसी विशेष अक्षर पर स्वराघात होता है ऐसे ही वाक्य में किसी विशेष शब्द पर स्वराघात होता है। जैसे—कोई नहीं आया, हमारी कौन सुनता है यह मेरा है। कई वाक्यों में विशेष स्वराघात नहीं भी होता। जैसे—न कोई आता न कोई जाता, न कोई सुनता न कोई करता इत्यादि।

जैसे एकरूप शब्दों के भिन्न २ अक्षरों पर स्वराघात होने से भिन्न २ अर्थ जाने जाते हैं ऐसे ही एकरूप वाक्यों में भिन्न २ शब्दों पर स्वराघात होने से भिन्न २ अर्थ जाने जाते हैं। जैसे 'वह वहां है' इस वाक्य के भिन्न २ शब्दों पर स्वराघात होने से भिन्न २ अर्थ निकलते हैं।* जैसे -

वह वहां है = (वहां वही है और कोई नहीं) ।

वह वहां है = (वह वहीं है और किसी जगह नहीं)

* कहीं २ बोलने में ठीक २ अर्थ का बोध कराने के लिए स्वरभेद और स्वराघात का उपयोग करना अति आवश्यक होता है। जैसे—“वह आएगा”—यह विधिवाक्य स्वरभेद द्वारा (कुञ्ज तान कर दूसरे स्वर में) बोला जाए तो प्रश्नवाक्य बन जाएगा “वह आएगा ?” इसी प्रकार “तुम क्या खाते हो ?” इस वाक्य में यदि वक्ता “तुम क्या चीज खाते हो”—यह पूछना चाहता है तो 'क्या' पर स्वराघात होगा और यदि “तुम खाते हो या और काम करते हो”—यह पूछना चाहता है तो स्वराघात 'खाते हो' पर होगा— तुम क्या खाते हो ? तुम क्या खाते हो ?—इत्यादि।

वह वहां है = (उसका वहां होना निश्चित है) ।

इसी प्रकार

वह करेगा = (वही करेगा) ।

वह करेगा = (वह अवश्य करेगा ।) ॥

अभ्यास

वर्णों का उच्चारण किस प्रकार होता है ? वागिन्द्रिय सम्बन्धी कौन कौन से भाग ध्वनियों के उच्चारण में उपयुक्त होते हैं ? आस और नाद ध्वनियां कैसे पैदा होते हैं ? नासिक्य और अनुनासिक ध्वनियां कैसे पैदा होती हैं ? स्थान किसे कहते हैं और प्रयत्न किसे ? कण्ठ और कण्ठतालु स्थान किनका है ? और श. प. स—किस २ स्थान से बोल जाते हैं ? ईषद्विवृत प्रयत्न किनका है और अघोष किनका ? हिन्दी में 'अ' का उच्चारण कहां २ नहीं होता ? हिन्दी में ई, ऊ, ए, ओ का उच्चारण कैसा होता है ? ऐ, औ के उच्चारण में संस्कृत और हिन्दी में क्या भेद है ? ड, ढ, ष—का उच्चारण हिन्दी में कैसा होता अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में क्या भेद है ? स्वराघात किसे कहते हैं ? यह कहां कहां होता है ? उदाहरण देकर समझाओ स्वराघात का प्रयोजन क्या है ? उदाहरण से स्पष्ट करो ।

तीसरा अध्याय

१. लिखने की रीति ।

भाषा जिस रूप में लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं । हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ।

“अ” को छोड़ शेष स्वर जब व्यञ्जनों में मिलते हैं, तो उनके असला रूप के बदले नीचे लिखे रूप (चिन्ह) हो जाते हैं जिनको मात्रा कहते हैं ॥

स्वर—आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ
मात्राएँ—। ि ि ि ि ि ि ि ि

“अ” का कोई चिन्ह नहीं, हल् का चिन्ह () न होने से व्यञ्जन में “अ” मिला समझा जाता है । जैसे क्+अ=क । इ की मात्रा (ि) व्यञ्जन के पहिले, आ ई, ओ, औ की मात्राएँ (। ि ि ि ि) पीछे, ए, ऐ की () ऊपर और उ, ऊ, ऋ की () नीचे लगती हैं । जैसे—

का कि की कु कू कृ के कै को को ।

स्वर जब व्यञ्जनों के परे आते हैं तभी उनमें मिल कर मात्राओं में बदलते हैं जब पहले आते हैं तब नहीं; जैसे—आप, इन, उन आदि । र् में उ, ऊ ऋ () के मिलने पर क्रमशः ‘रु, रू और रृ (नैर्ऋत)’—ये रूप होते हैं, ‘रु रू रृ’ ये नहीं । कुछ वर्ण दो प्रकार से लिखे जाते हैं । जैसे अ, आ, ए, ऐ । भ्र के तीन रूप पाये जाते हैं—भ्र झं ऊ ।

दो वा अधिक व्यञ्जनों में स्वर न रहने से वे संयुक्त कहाते

हैं। ये प्रायः मिलाकर ही लिखे जाते हैं। इनका उच्चारण अन्न के स्वर की सहायता से होता है जैसे—स्कूल (स् + क् + ऊल), स्वच्छ (स् + व् + अ च् + छ् + अ) इत्यादि। कई शब्दों में व्यञ्जनों का संयोग उन्हीं व्यञ्जनों के साथ होता है। ये द्वित्व कहाते हैं। जैसे पक्का, छल्ला, अड़ा शब्दों में क् ल् ड् द्वित्व हैं। कई शब्दों में व्यञ्जनों का संयोग दूसरे व्यञ्जनों से होता है जैसे—क्यारी, ध्यान स्थान शब्दों में क् य् ध् य् स् थ्—इन भिन्न २ व्यञ्जनों का संयोग है।

संयोग में व्यञ्जन उसी क्रम से लिखे जाते हैं जिस क्रम से वे बोले जाते हैं। पहले बोले जाने वाले पहले और बाद बोले जाने वाले बाद लिखे जाते हैं। जैसे—प + य् + आर = प्यार, म त् + स् + य् + अ = मत्स्य।

संयोग में क् ड् छ् ट् ठ् ड् ह् द् ह्—के परे आने वाला व्यञ्जन ऊपर की आड़ी रेखा (—) हटा कर इनके नीचे लिखा जाता है। जैसे—पक्क (पक् व =), सङ्ग (सङ् ग =), उच्छ्वास, खट्टा, गड्डा, रही चिङ्ग आदि। बाकी व्यञ्जनों के आपस में मिलने पर पहले आने वाले व्यञ्जनों की खड़ी सीधी रेखा (।) उड़ जाती है। जैसे—प्यास (प + यास), मत्था, यज्ञ इत्यादि। क् त् के मेल से क्त (भक्त) और त् त् के मेल से त्त (पक्षा) लिखा जाता है। कोई २ क् त् को क्त भी लिखते हैं।

क् च्, न् ल्, ब् ये द्वित्व होने पर दो प्रकार से लिखे जाते हैं। जैसे—इक्का, इफ्फा, बच्चा, बच्चा, गन्ना, गन्ना, हल्ला, हल्ला, डिब्बा, डिब्बा। इसी प्रकार क्लीब, क्लीब, श्वान, श्वान—इत्यादि में क् ल् और श् व् के भी परस्पर मिलने पर दो दो रूप होते हैं।

व्यञ्जन के पहिले आने वाला रू = उससे मिलने पर उसके ऊपर () इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे—धर्म, अर्थ शत, जराह। व्यञ्जन के परे आने वाला रू खड़ी सीधी रेखा (।) वाले व्यञ्जनों के नीचे () इस रूप से और अन्य व्यञ्जनों के नीचे () इस रूप से लिखा जाता है: जैसे— निद्रा, राष्ट्र आदि। ह् रू को मिलाकर ह् ही लिखा जाता है, ह् नहीं। (रू+य का संयोग व्रजभाषा में बहुधा -य वा रय लिखा जाता है—माय्यो मारयो)। क् रू के मिलने पर दो रूप होते हैं क और क (वक्र, वक्र)।

क्ष, च, झ— ये ऐसे संयुक्त रूप हैं जिनमें उन व्यञ्जनों का कुछ भी चिन्ह दिखाई नहीं देता जिनसे ये बने हैं। जैसे— क्, प्, के मेल से क्ष (पक्ष), त्, रू के मेल से च (नेत्र) और ज्, झ के मेल से झ (यज्ञ)। ये दो प्रकार से लिखे जाते हैं— क्ष, क्ष, च, च, झ, झ

ॐ दिङ्नाग, वाङ्मय, मृगमय, मन्नाद् उन्हें, तुम्हें आदि कुछ शब्दों को छोड़कर अन्यत्र इ, ज्, ण, न्, म्, अपने ही वर्ग के व्यञ्जनों से संयुक्त होते हैं। जैसे—शङ्का, भङ्ग, पञ्चम, रञ्जन, घराटा, पाराडव, अनन्त, नन्द, चम्पा, लम्बा, इत्यादि। परन्तु हिन्दी में ङ्, ञ् आदि के बदले अनुस्वार भी लिखा जाता है। जैसे—शंका, रंजन, घंटा, नंद, चंगा, आदि। वर्गों के दूसरे और चौथे (ख, छ, ठ, थ, फ, तथा घ, भ, ड, ध, म्) वर्गों का द्वित्व संयोग नहीं हो सकता। क्योंकि इनका द्वित्व रूप में उच्चारण नहीं हो सकता। इस कारण द्वित्व संयोग में पूर्ववर्ती वर्ग के दूसरे और चौथे वर्गों को उच्चारण के अनुसार पहले और तीसरे वर्ण (क्, च्, ग्, ज् आदि) हो जाते हैं। जैसे—रक्खा (रख्+वा =), बग्घी (बघ्+भी =), अच्छा (अच्छ्+छा =),

अभ्यास

लिपि किसे कहते हैं ? हिन्दी किस लिपि में लिखी जाती है ? मात्रा किसे कहते हैं ? ई, ऋ, ऊ, औ की मात्राएं लिखो । र् में ङ, ऊ की मात्राएं मिलाओ । च, त्र, ज्ञ किन २ अक्षरों के योग से बन हैं ? रर, टठ, त् मय, र् द् ध, नत्र, स्त्र, क्प, ज्ञ—इनका मिलाकर लिखो । ख् छ घ् का द्वित्व संयोग होता है या नहीं ? संयुक्त अक्षरों वाले हिन्दी और संस्कृत के दस २ शब्द लिखो ।

—:—

२. अक्षर-विन्यास (SPELLING)

प्रायः विद्यार्थी लिखने में अक्षर-विन्यास (Spelling) की अशुद्धियां अधिक करते हैं । इस विषय में विशेष ध्यान देना चाहिये । हिन्दी में जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है । इसमें यदि विद्यार्थी थोड़े से विचार से काम लें तो अशुद्धियां नहीं हो सकतीं और यदि हों भी तो सिर्फ किन्हीं विशेष (संस्कृत के) शब्दों में ही, जो थोड़े से अभ्यास से दूर हो सकती हैं । जबकि विद्यार्थी अंग्रेजी जैसी भाषा को शुद्ध लिखना सीख जाते हैं, जिसमें बोला कुछ जाता है और लिखा कुछ जाता है, जिसमें अक्षर-विन्यास (Spelling) एक विकट पचड़ा है, तब हिन्दी जैसी लिखने में सरल और सहज भाषा

चिट्ठी (चि+ठी =), बुड्ढा (बु+ढा =), दत्था (दथ्+था =) बुद्ध (बुध्+थ =), गफ्फा (गफ्+फा =), इत्यादि ।

ॐ जैसे But, Put Hide, Hidden, Colonel (कनल) इत्यादि ।

का शुद्ध लिखना तो थोड़ा सा ही ध्यान देने से भली भाँति आसकता है ।

इस विषय में ध्यान देने योग्य बातें नीचे लिखी जाती हैं ।

सब से पहले शब्दों का शुद्ध उच्चारण जानना चाहिये । जैसा जिस शब्द का उच्चारण होता है वैसा ही वह लिखा जाना है । वस सब से बड़ा गुर यही है । विद्यार्थी अशुद्ध बोलते हैं, इसी लिये अशुद्ध लिखते हैं । जैसे—प्यारा शब्द में 'प्' 'य्' हिन्दी में इकट्ठे बोले जाते हैं, इसलिये 'प्यारा' लिखना शुद्ध है, और 'पिआरा' अशुद्ध है । इसी प्रकार 'य्यारी' को 'किआरी' लिखना अशुद्ध है ।

हिन्दी के कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका प्रान्त-भेद से उच्चारण भिन्न होता है । ऐसे शब्दों का जो उच्चारण व्यापक (अधिक प्रचलित) हो उसी के अनुसार उन्हें लिखना चाहिये । जैसे—एक ही शब्द किसी प्रान्त में 'कवा' किसी में 'कौवा' और अधिक प्रान्तों में 'कौआ' बोला जाता है, इसलिये इस शब्द को 'कौआ' ऐसा लिखना ही उचित है ।

अक्षरविन्यास की अशुद्धियाँ प्रायः निम्नलिखित होती हैं—

(क) संयुक्त अक्षरों में ।

(ख) ह्रस्व दीर्घ इकार, उकार में ।

(ग) इकार, उकार के अनन्तर य, व अथवा स्वर लिखने में

(घ) ऋ को रि लिखने में ।

(ङ) ए, न में ।

(च) व. व में ।

(छ) शब्दों के अन्त में (आर कभी २ मध्य में) आने वाले य को ऐ और व को ओ लिखने में ।

(ज) ष श में और श. स में ।

(झ) कतिपय और छोटी मोटी अशुद्धियाँ ।

नीचे क्रम से इन अशुद्धियों का वर्णन और इनने बचने के उपाय लिखे जाते हैं—

(क) संयुक्त अक्षरों में दो प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं—

(१) संयुक्त अक्षरों को अलग लिखना और (२) असंयुक्त अक्षरों को संयुक्त लिखना ।

नीचे दोनों प्रकारों के कुछ उदाहरण और उनके शुद्ध रूप लिखे जाते हैं जिन पर ध्यान देने से इस प्रकार की अशुद्धियाँ दूर हो सकती हैं।

संयुक्त अक्षरों को अलग लिखने की अशुद्धियाँ:—

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अखशर	अक्षर	करोध	क्रोध
अगनि	अग्नि	कलेस	क्लेश
अमल	अम्ल	कारज	कार्य
अरथ	अर्थ	किआरी	क्यारी
अरध	अर्ध	गरथ	ग्रन्थ
अरपन	अपरा	गवाला	ग्वाला
आकरमन	आक्रमण	गया (ग्या) न	ज्ञान
आगया (ग्या)	आज्ञा	चंदर	चन्द्र
इंदर	इन्द्र	चूरन	चूर्ण
करग	कर्ण	य(ज) तन	यत्न
करम	कर्म	यं(जं) तर	यन्त्र

अशुद्ध	शुद्ध
जवाला	ज्वाला
तरपन	तर्पण
तुमहारा	तुम्हांगा
दग्ध	दग्ध
दरपन	दर्पण
धरम	धर्म
ध्रुव	ध्रुव
धिआन	ध्यान
नगन	नग्न
निआरा	न्यारा
निंदरा	निद्रा
निरमल	निर्मल
पत्तर	पत्र
पदम	पद्म
पंदरा	पन्द्रह
परकार	प्रकार
परकाश	प्रकाश
परचार	प्रचार
परताप	प्रताप
परतिग्या	प्रतिज्ञा
परधान	प्रधान
परभाव	प्रभाव
परमाण (न)	प्रमाण
परमाद्	प्रमाद्
परलोभन	प्रलोभन

अशुद्ध	शुद्ध
परसथान	प्रस्थान
परसन्न (न)	प्रसन्न
परसाद्	प्रसाद्
पराकरम	पराक्रम
परीशरम	परिश्रम
पिआर	प्यार
वरत	व्रत
वराहमन	ब्राह्मण
भगन	भग्न
भरम	भ्रम
मंतर	मन्त्र
मित्तर	मित्र
मूरती	मूर्ति
यातरा	यात्रा
रकत	रक्त
रतन	रत्न
राकशस	राक्षस
लख(छ)मी	लक्ष्मी
वरग	वर्ग
वरन	वर्ण
विकरम	विक्रम
विघन	विघ्न
शग्धा	श्रद्धा
शराध	श्राद्ध
शिरीमान	श्रीमान्

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
सकंध	स्कन्ध	सुश्राद	स्वाद
सतकार	सत्कार	सुश्रामी	स्वामी
सतरी	स्री	सुतंतर	स्वतन्त्र
सथान	स्थान	सुदेश	स्वदेश
सनत	सन्त	सुराज	स्वराज्य
सनान	स्नान	सौभाग्य	सौभाग्य
सुआगत	स्वागत	हरम्ब	ह्रस्व

असंयुक्त अक्षरों को संयुक्त लिखने की अशुद्धियाँ—

अवश्यकता	आवश्यकता	प्री (शर) श्रम	परिश्रम
कम्ला	कमला	विम्ला	विमला
चर्न	चरण	भ्यङ्कर	भयङ्कर
बालु	दबालु	भ्यानक	भयानक
नम्र	नगर	सक्ता	सकता
प्रमात्मा	परमात्मा	स्माज	समाज
प्रमेश्वर	परमेश्वर	स्मय	समय
प्राक्रम	पराक्रम	स्मृद्धि	समृद्धि
प्रार्थ	परार्थ	स्वात्तम	सर्वोत्तम
प्रीक्षा (ख्या)	परीक्षा		

(ख) प्रायः हिन्दी में आने वाले तत्सम (संस्कृत) शब्दों को छोड़ कर शेष सब इकारान्त उकारान्त शब्द दीर्घ ही होते हैं। जैसे—ब्यारी, साथी, तैयारी, पानी, भालू, आलू, बुद्धू, बाबू—आदि। अशुद्धियाँ बहुधा तत्सम (संस्कृत) ह्रस्व इकारान्त उकारान्त शब्दों के दीर्घ लिखने में होती हैं। इसलिए ऐसे शब्दों के लिखने में ध्यान रखना चाहिए कि दीर्घ न लिखे जायें नीचे कुछ शब्द लिखे जाते हैं, जो ह्रस्वान्त ही होते हैं—

ह्रस्व इकारान्त

आकृति	वृत्ति	प्रवृत्ति	मति	वृद्धि
कीर्ति	दृष्टि	प्रसृति	गति	शक्ति
क्षति	धृति	प्रीति	रीति	शान्ति
ख्याति	नति	बुद्धि	विकृति	शुद्धि
गति	नीति	भक्ति	विभूति	समृद्धि
जाति	प्रकृति	भीति	वृत्ति	मिद्धि

स्वीकृति इत्यादि ति (क्तिन्) प्रत्ययान्त शब्द

तथा

अति	ऋषि	कृषि	यति	रुचि	समाधि
अतिथि	कवि	निधि	रवि	विधि	स्वस्ति
अस्थि	कपि	पति	रश्मि	व्याधि	इत्यादि
उपाधि	कृमि	मुनि	राशि	शुचि	

ह्रस्व उकारान्त शब्द

अणु	तरु	मधु	घस्तु
अंशु	धेनु	मरु	वायु
आयु	पटु	मृदु	विधु
उरु	परमाणु	मेरु	विभु
ऋतु	पृथु	यदु	वेणु
कटु	प्रभु	रघु	शङ्कु
केतु	बन्धु	राहु	शिशु
गुरु	बाहु	रेणु	सिन्धु
चरु	बिन्दु	लघु	सुमेरु
जन्तु	भानु	वसु	सेतु

हेतु इत्यादि ।

(ग) लिये, लिए, दिये, दिए, किये, किए, पिये, पिए, आदि कुछ रूप ऐसे हैं, जो दोनों प्रकार से लिखे जाते हैं। परन्तु इनके अनुसार लिया को लिआ, दिया, किया, पिया, को दिआ, मिआ, पिया, लिखना अशुद्ध है। बहुषं को बहुषं या बहुषे एवं हुआ को हुआ या हुआ लिखना अशुद्ध है। इसी प्रकार नदियां, नदियों के स्थान नदिआं, नदिओं लिखना ठीक नहीं। उदाहरणार्थ कुछ शब्द नीचे लिखे जाते हैं—

अशुद्ध	शुद्ध
कविआं	कवियों
कुलिआ	कुतिया
गुड़िआ	गुड़िया
चिड़िआं	चिड़ियां
चूड़िआं	चूड़ियां
बटुवा	बटुआ
रँडुवा	रँडुआ
सिआ	सियां इत्यादि

(घ) ऋ को रि या इर् लिखना अशुद्ध है। जैसे - ऋतु को गितु, ऋष को रिष प्राथवी को प्रिथिवी या पिथवी, कृषा को रिषा, क्रिया या किरपा, मृग को म्रिग, मिरग या भिर्ग, वृत्तान्त को विर्तन्त, वृद्ध को विधया विरध इत्यादि। 'ऋ' वाले शब्द तत्सम ही हैं और वे भी अधिक नहीं हैं। उनको जान लेने से ऋ स बन्धी अशुद्धियां दूर हो सकती हैं। प्रायः प्रयोग में आने वाले 'ऋ' वाले शब्द ये हैं—

ऋचा	कृपा	वृतीय	नृप	मृणाल	वृश्चिक
ऋजु	कृपाण	वृषा	पृथक्	मृत	वृष
ऋण	कृषि	वृष्णा	पृथिवी	मृत्तिका	वृष्टि
ऋत	कृष्ण	वृषि	पृथु	मृदङ्ग	मृङ्गला

ऋतु	कृषि	दृष्ट	पृष्ठ	मृदु	शृङ्ग
ऋद्धि	कृश	दृष्ट	बृहन्	वृत्त	शृङ्गार
ऋषि	गृह	दृष्टान्त	बृहस्पति	वृत्तान्त	सुहृद्
कृत	घृणा	दृष्टि	भृङ्ग	वृथा	सृष्टि
कृति	घृत	धृति	भृगु	वृन्द	स्मृति
कृत्रिम	जृम्भा	धृष्ट	भृत्य	वृद्ध	हृत्य
कृपण	तृण	नृत्य	मृग	वृद्धि	हृषीकेश

(क) ए को न लिखने से अशुद्धियां होती हैं। जैसे—परिणाम को परिनाम, प्रणाम को परनाम, गुण को गुन इत्यादि। 'ए' वाले शब्दों का ध्यान रखना चाहिये। प्रायः प्रयोग में आनेवाले 'ए' वाले शब्द ये हैं—

अणु	कृपण	घृणा	दूषण
अणिमा	कृपाण	घृणित	द्रोण
अरुण	क्षण	चरण	धारण (णा)
आक्रमण	क्षीण	चूर्ण	नारायण
आचरण	गण	तरुण (णी)	निपुण
अ.रोहण	गर्भिणः	तरण	निवारण
ऋण	गणिका	तर्पण	पण
कण	गणित	तारण	परिणाम
करण	गुण	तृण	पाणिप्रहण
कर्ण	गुणन	तृष्णा	परिणय
करुण	गौण	त्राण	पाषाण
करुणा	ग्रहण	दक्षिण ए)	पुण्य
किरण	ग्रामीण	दाक्षिण्य	पूर्ण
कृष्ण	ग्राण	दारुण	प्रकरण

प्रणय (न)	भाषण	वर्ण	श्रेणी
प्रणव	भीषण	वर्णज्य	संक्रमण
प्रणाम	भूषण	वर्णा	साधारण
प्रणाली	भरण	वारुणा	सुवर्ण
प्रणेत	मारण	विदागण	स्फरण
प्रणेतः	मृणाल	विष्णु	स्वर्ण
प्रयाण	रण	वीक्षण	स्वैरिणी
प्रवीण	रावण	वीणा	हरिण (णी)
प्राण	रोहिणी	वेणु	द्विमय
बाण	वरण	शरण	इत्यादि
भक्षण	वरुण	शाणित	

(च) व को व और व को ब लिखने से अशुद्धियां होती हैं । जैसे --वय का मन, वड़ा को वड़ा, वचन को वचन, वक्र को वक्र, पढ़ाव को पढ़ाव इत्यादि । हिन्दी में बहुत शब्द 'व' वाले ही हैं । 'व' वाले शब्द बहुत थोड़े हैं और उनमें भी बहुत से विदेशज हैं । इसी प्रकार 'व' वाले तत्सम (संस्कृत) शब्द थोड़े ही हैं । इसलिये 'व' वाले तत्सम (संस्कृत) और 'व' वाले हिन्दी शब्दों के जान लेने से अशुद्धियां नहीं हो सकतीं । दोनों प्रकार के शब्द नीचे लिखे जाते हैं ।

'व' वाले तत्सम शब्द ।

वक	वाण	वीभत्स	अम्बर
बन्दी	वान्धव	बुध	अम्बा
बद्ध	बाधा	बुद्ध	कदम्ब
बन्धन	बालक	बुद्धि	कम्बल
बन्धु	बालिश	बुभुक्षा	निम्ब

वन्ध्या	बाहू	बृहन्	बिलम्ब
विम्ब	बाह्य	बृहस्पति	शबर
बल	विन्दु	ब्रह्म	शब्द
बली	बिल	ब्राह्मण	
बहु	बीज	अब्द	

‘व’ वाले हिन्दी शब्द ।

घक्त	वहां	करवट	दीवाना
वज्रन	वहीं	चाव	दीवार
वजह	वाकिफ	जवाब	धोवन
वज्रोफा	वाजिब	जवासा	नवाब
वज्रार	वापिस	जावट	नवासा
ववा	वार (प्रहार)	ढरावना	पाव
ववाल	वागना	तवा	मेवा
बरक	वारिस	दवा	रवा
वर्फ	वाह	दिवाला	लवा
वसीयत	विदा	दीवा	सीवन
वह	विदाई	दीवान	हवा इत्यादि

तथा भूकाव आदि शब्दों में ‘आव’ करवाना आदि प्रेरणार्थक धातुओं में ‘वाना’ गाड़ीवान में आदि ‘वान’ दिला-वर आदि में ‘वर’ पांचवां आदि में ‘वां’ अठावन आदि में ‘वन’ इत्यादि ‘व’ वाले होते हैं ।

(छ) जय, समय आदि शब्दों में य को ऐ करके लिखना तथा बहाव आदि ‘आव’ वाले शब्दों में व को ओ करके लिखना अशुद्ध है । इसलिये जय, समय आदि को जै, समै, नारा-यण को नरैण (‘न’) और बहाव स्वभाव, आदि को बहाओ, मुभाओ नहीं लिखना चाहिये ।

(ज) प को श और श को प लिखने में तथा श को म लिखने में अशुद्धियां होती हैं । जैसे—वर्ष को वर्ष, कृष्ण विष्णु को कृश्न, विश्वनु ऋषि को रिषि, पुरुष को पुक्क या पुश इत्यादि, तथा दृश्य को दृष्य (श को प लिखने का यह एक ही उदाहरण मेरे देखने में आया है) । प तत्सम (संस्कृत) शब्दों में ही आता है । उन्हें जान लेने से अशुद्धियां दूर हो सकती हैं । प्रायः प्रयोग में आने वाले 'प' वाले शब्द ये हैं—

अधिष्ठाता	गोष्ठी	निपाद	भीषण	बोष्ट
अभिषेक	ग्राह्य	निष्कर्म	भूषण	शिष्ट
अवशिष्ट	घनिष्ठ	निष्काम	भ्रष्ट	शीपेक
अष्टम	चेष्टा	निष्कासन	मनुष्य	शुष्क
आशिष	ज्येष्ठ	निष्ठा	मुष्टि	शेष
इष्ट	ज्योतिष	निष्ठुर	महिष	शुश्रूषा
उत्कर्ष	तृषा	निष्णात	यष्टि	श्रेष्ठ
उत्कृष्ट	तृष्णा	निष्प्रभ	रुष्ट	श्लेष
उद्धू	दष्ट	निष्प्रमाण	रोष	श्लेष्मा
उषा	दुष्कर	पापाण	वर्ष	षष्टि
उष्ण	दुष्कर्म	पिष्ट	दर्पा	षष्ठ
ऊपर	दुष्कृत	पायूप	वाष्प	सन्तुष्ट
ऊष्म	दुष्ट	पुरुष	विशिष्ट	सन्तोष
ऋषि	दृषण	पुष्कर	विशेष	सुषमा
कनिष्ठ	दृष्ट	पुष्ट	विष	सृष्टि
कष्ट	दृष्टि	पुष्टि	विषम	स्पष्ट
काष्ठ	दोष	पृष्ट	विषय	स्पृष्ट
कुष्ठ	द्वेष	पेषण	विषाद	हर्ष
कृषि	धनुष	पौरुष	विष्णु	हृषीकेश
कृष्ण	धृष्ट	भविष्य	वृषभ	हृष्ट
क्लिष्ट	नष्ट	भाषण	वृष्टि	इत्यादि

श को स. स को श लिखने की अशुद्धि बहुत कम देखने में आती है और वह भी विकृत उच्चारण के कारण। जैसे— शान्ति को सान्ति, विश्वास को विस्वास, आशा को आसा, नाश को नास लिखने में और सुगन्ध को शुगन्ध, शैत्य को शौत्य, सागर को शागर, समुद्र को शमुद्र, संताप को शताप, सकल को शकल लिखने में। थोड़ी सी सावधानी से ये अशुद्धियां दूर हो सकती हैं।

(क) और भी विकृत उच्चारण के कारण या अविचार से कई अशुद्धियां होती हैं, जो थोड़े से विचार से दूर हो सकती हैं। जैसे—संयुक्त स से पहिले अ या इ लगाना, दीर्घ आकार का ह्रस्व करके लिखना ढ को ड लिखना इत्यादि।

जैसे—

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
इस्तरी	स्त्री	अस (श) नान	मान
अस्थान	स्थान	इस्कूल	स्कूल
अस्थूल	स्थूल	अनंद	आनन्द
अस्तुति	स्तुति	पढ़ना	पढ़ना

इसी प्रकार

(१) अगले अक्षर पर आने वाले र् को पहले अक्षर से रंयुक्त करना, जैसे—‘पर्यन्त’ को ‘प्रयन्त’ ‘पर्याय’ को ‘प्रयाय’ लिखना,

(२) संबंध कारक की विभक्ति ‘की’ को ह्रस्व और योजक ‘कि’ को दीर्घ लिखना,

(३) ‘नहीं’ को ‘नहि’ या ‘नहिं’ लिखना,

(४) ‘है’ (बहुवचन) को बिना अनुस्वार के लिखना,

(५) ‘हूं’ को ह्रस्व ‘हुं’ लिखना,

(६) दीर्घ इकारान्त उकारान्त शब्दों के बहुवचन में ई ऊ को विभक्तिविकार होनेपर भी दीर्घ ही लिखना, जैसे—नदियां को नदीयां, घड़ियों को घड़ीयों (यों), बहुएं को बहूयं इत्यादि—अशुद्ध है ।

संक्षेप में, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का जानना तथा पुस्तकें पढ़ते समय ध्यान रखना कि कौन शब्द कैसे लिखा जाता है, अशुद्धियों से बचने का प्रधान उपाय है ।

शब्दाधिकरण २. पहिला अध्याय ।

शब्दों का वर्गीकरण ।

साधारणतः शब्द उसे कहते हैं जो सुन पड़े । हम जो कुछ सुनते हैं वह दो प्रकार का होता है । एक ध्वन्यात्मक = केवल ध्वनिरूप; जैसे - घोड़े का हिनहिनाना, गाय का रंभाना, कुत्ते का भौंकना, मक्खी का भिनभिनाना, बादल का गर्जना, एंजिन की चीख, ढोल की ढमाढम आदि सैंकड़ों प्रकार की ध्वनियां, जिनमें वर्ण या अक्षर स्पष्ट नहीं सुन पड़ते, परन्तु अस्पष्ट से भासित होते हैं, जिनके अनुसार हिनहिनाना, भिनभिनाना, आदि ध्वनियों की कल्पना हुई है; दूसरा वर्णात्मक = वर्णरूप; जैसे —आ, राम, मोहन, आना, जाना, खटपट चूँचड़ाँ आदि हमारी बोलचाल में आने वाले अनन्त शब्द, जिनमें वर्ण स्पष्ट सुन पड़ते हैं ।

वर्णात्मक शब्द भी दो प्रकार के हैं—सार्थक और निरर्थक । सार्थक वे हैं जिनसे किसी अर्थ का बोध हो । जैसे —‘घड़ा’ शब्द से हमें मट्टी के बने हुए एक प्रकार के बर्तन का बोध होता है जिसमें पानी भरते हैं । इसलिये ‘घड़ा’ शब्द सार्थक है । निरर्थक वे हैं जिनसे किसी अर्थ का बोध न हो । जैसे—अल्लबल्ल आदि । ❀व्याकरण में सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है ।

❀ क, ख, छ आदि साधारणतः निरर्थक हैं । परन्तु जब ये अक्षरों का बोध कराते हैं तो सार्थक होते हैं । जैसे—‘क’ का करठ स्थान

हैं, 'क' से 'म' तक वर्ण स्पर्श कहलाने हैं—इत्यादि । इसी प्रकार निरर्थक शब्द भी जब विशेष अर्थ में प्रयुक्त किये जाते हैं तो मार्थक होते हैं । जैसे—इन आरतों की 'कां कां' (कलह) से तो मैं तंग आ गया हूं, डाकू ने पिस्तौल तानकर कहा जो कुछ पास है चुपचाप यहाँ भग दो 'चंचड़ां' (इनकार या आगा पीछा) को तो जीते न बचोगे, अरे मोहन, 'अल्लबल्ल' (निरर्थक वान) क्यों बकता है, क्या पागल होगया है ! हमें तो कुछ समझ नहीं पड़ता, न जाने क्या 'अंडवं?' (बेसिर पैर की बांत) बकता है—इत्यादि ।

अन, दुर, को, न, पन, ताला—आदि बहुत से शब्द ऐसे हैं जो दूसरे शब्दों में मिलकर ही सार्थक होते हैं । (यद्यपि कहने को इनका भी अर्थ होता है, जैसे 'अन' का निषेध, 'दुर' का वुर्गई, 'को' का कर्म आदि, तथापि इन अर्थों में इनका स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होता । इसलिये ये अकेले निरर्थक होते रहते) जिन शब्दों से मिलकर ये सार्थक होते हैं उनके अंश हो न से ये 'शब्दांश' कहाते हैं । इन में से जो किसी शब्द के आदि में जुड़ते हैं वे 'उपसर्ग' कहाते हैं और जो अन्त में जुड़ते हैं वे 'प्रत्यय' कहाते हैं । जैसे—अनजान, दुर्जन—इनमें अन, और 'दुर' उपसर्ग हैं और राम ने, लड़कपन—इनमें 'ने' प्रत्यय है ।

एक २ शब्द में कई प्रत्यय लगते हैं । जैसे—'इस हठीलेपन को छोड़ो' इसमें 'हठीलेपन को' यह तीन प्रत्यय लगने से बना है—'हठ' शब्द में 'ईला' प्रत्यय लगाकर 'हठीला' और इससे 'पन' प्रत्यय लगाकर 'हठीलापन' और इससे 'को' प्रत्यय लगा कर 'हठीलेपन को' बना । इसमें 'को' के बाद कोई दूसरा प्रत्यय नहीं लग सकता । इसलिए 'को' अन्तिम प्रत्यय है । अन्तिम प्रत्यय के पहले शब्द का जो मूल रूप होता है, वास्तव में वही शब्द है । अन्तिम प्रत्यय लगने से जो शब्द का विकृत रूप होता है उसे 'पद' कहाते हैं ।

पहले कहा जा चुका है कि वाक्य भाषा के प्रधान अङ्ग हैं और वे शब्दों से बनते हैं। इसलिये शब्द वाक्यों (या वाक्य-त्मक भाषा) के खण्ड होने के कारण 'वाक्य-खण्ड' कहाते हैं।

वाक्य में प्रत्येक शब्द का प्रयोग किसी न किसी अर्थ के लिये किया जाता है। जैसे-मोहनने नीले घोड़ेको ऐसा दौड़ाया कि ओः ! घर तक पहुँचते २ हाँफने लग गया।

इस वाक्य में 'मोहन, घोड़ा, घर'-ये नाम हैं। 'नीला' शब्द घोड़े की विशेषता प्रकट करता है। 'ऐसा' शब्द 'दौड़ाया' को विशेषित करता है (कैसा दौड़ाया ? ऐसा...)। 'दौड़ाया'-यह मोहन के विषय में विधान करता है (दौड़ने की बात कहता है)। 'कि'-मोहन ने...दौड़ाया' और 'घर तक...लग गया' इन दो वाक्यों को मिलाता है। 'तक'-घर' और 'पहुँचते २' इनका सम्बन्ध प्रकट करता है। 'पहुँचते २'-'हाँफने लग गया' की विशेषता प्रकट करता है (कब हाँफने लग गया ? घर तक पहुँचते २) 'वह'-'घोड़ा' इस नाम के बदले प्रयोग किया गया है (वह अर्थात् घोड़ा)। हाँफने 'लग गया'-यह घोड़े के विषय में विधान करता है (हाँफने की बात कहता है)। 'ओः'-यह कहने वाले के आश्चर्य को प्रकट करता है।

इसलिये वाक्य में अर्थानुसारी प्रयोग के विचार से शब्द आठ वर्गों में बाँटे गये हैं—संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्रिया, क्रियाविशेषण, संबन्धवाचक, योजक, श्रोतक।

'हठीलेपन को' में 'हठीलापन' मूल रूप होने से शब्द है और अन्तिम प्रत्यय 'को' के लगने से बना हुआ उसका विकृत रूप 'हठीलेपन को' पद है। 'तेरा' 'मेरा' में 'तू, मैं' शब्द हैं और अन्तिम प्रत्यय 'रा' लगने से बने हुए इनके विकृत रूप 'तेरा' 'मेरा' पद हैं—इत्यादि।]

१. संज्ञा-वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द—

मोहन, पहाड़, सभा, मिठास आदि ।

२. सर्वनाम—'संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द—यह, वह, तू, आप, कौन आदि (जैसे—मोहन, तू कब आयगा) ।

३. विशेषण—वस्तुओं की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द—नीला, लंबा, ऐसा, इतना—आदि (जैसे— काला, घोड़ा) ।

*'वस्तु' शब्द से यहां अस्तित्व रखनेवाले जड़-चतन पदार्थ और उनके धर्म गुण वा स्वभाव—इन सब का ग्रहण होता है । इसलिये एक पदार्थ का नाम 'गज्ञा' जैसे संज्ञा है, वैसे ही उसके गुण का नाम 'मिठास' भी संज्ञा है । इसी प्रकार मर्चाई, लाज, क्रोध ऊंचाई, लंबाई आदि भी । ये सब अस्तित्व रखने से वस्तु कहे जा सकते हैं । 'हीआ' यद्यपि कोई यथार्थ में अस्तित्व रखने वाली वस्तु नहीं तथापि बच्चों को डराने के लिये उसकी कल्पना कर ली गई है । इसलिये उसका भी काल्पनिक अस्तित्व है । अत एव एक कल्पित डरावनी वस्तु का नाम होने में 'हीआ' भी संज्ञा है । इसी प्रकार अन्य कल्पित वस्तुओं के नाम भी संज्ञा हैं । ध्यान रहे, वस्तु के नाम का संज्ञा कहते हैं, वस्तु को नहीं ।

†सर्वनाम को 'प्रतिनिधि शब्द' भी कहते हैं । प्रतिनिधि = संज्ञा के बदले आने वाला । 'सर्वनाम' का अर्थ है—'सबका नाम' । मोहन, मोहन आदि विषय व्यक्तियों के ही नाम हैं, सब के नहीं मनुष्य, घोड़ा आदि विशेष जाति के प्राणियों के ही नाम हैं, सब के नहीं । परन्तु 'यह, वह' आदि सब के लिये प्रयुक्त होते हैं, इसलिये 'सब के नाम' होने में सर्वनाम कहेते हैं ।

‡'काला' पद घोड़े की पहचान के लिये उसकी विशेषता (विशेष गुण 'कालापन' बनाता है, जो उसमें पहल ही में विद्यमान है । इसलिये 'काला' विशेषण है ।

४. क्रिया—वस्तुओं के विषय में विधान करने (कोई बात बतलाने) वाले शब्द—आता है, जाता है, खाता है, इत्यादि ।

५. क्रियाविशेषण—क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द—यहां, कैसे, झटपट—इत्यादि (जैसे—झटपट आओ) ।

६. संबन्धबोधक—एक शब्द का वाक्य के अन्य शब्दों से सम्बन्ध बताने वाले शब्द—तक, पर आदि (जैसे—घर तक चला हूँ । पहाड़ पर घर) ‡

क्रिया को 'विधायक शब्द' भी कहते हैं । 'विधायक' वह है जो विधान करे, वस्तुओं के विषय में कोई नई बात बताए अर्थात् उनके व्यापार को जताए । करना, होना, सोना, जाना, खाना आदि व्यापार हैं । जैसे—'घोड़ा भाग गया'—इस वाक्य में 'भाग गया'—यह पद घोड़े के विषय में नई बात विधान करता है अर्थात् घोड़े के तात्कालिक व्यापार भाग जाने को बोधित करता है । इसलिये 'भाग गया'—यह क्रिया है ।

‡ विशेषण का विशेषण 'विशेषणविशेषण' कहाता है जैसे—'बहुत ठण्डा पानी' इसमें 'ठण्डा' पानी की विशेषता प्रकट करने से उसका विशेषण है और 'बहुत' शब्द 'ठण्डा' (विशेषण) की विशेषता बताने में विशेषण का विशेषण है । यह भी विशेषण की विशेषता बता कर उसके द्वारा वस्तु की ही विशेषता प्रकट करता है । इसलिये 'विशेषण' के ही अन्तर्गत हैं, अलग भेद नहीं माना गया । अंग्रेजी में विशेषण के विशेषण को भी क्रियाविशेषण कहते हैं । क्योंकि अंग्रेजी में विशेषणों की विशेषता 'क्रियाविशेषण' ही प्रकट करते हैं । जैसे—'Naturally stout person' 'Really good heart' आदि में 'Naturally' और 'Really' क्रियाविशेषण है, जो 'Stout' और 'Good' इन विशेषणों को विशेषित करते हैं ।

७. योजक-दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द-
और, कि, तो-आदि (जैसे-मैं और तू । घोड़े पर चढ़ो और
दौड़ लगाओ) ।


८ द्योतक-आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि मन के भावों को
प्रकट करने वाले शब्द—आहो, वाहवा, हा-इत्यादि (जैसे
वाहवा ! चचा आगये) ।

इन में से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया-ये विकारी हैं । क्योंकि
अर्थ के अनुसार इनके रूपों में विकार (परिवर्तन) होता
है । जैसे लड़का, लड़के; बड़ उसने; काला (घोड़ा), काले
(घोड़े); जाता है, गया इत्यादि । शेष (क्रियाविशेषण
संबन्धबोधक, योजक, द्योतक) अव्यय या अविकारी है ।
क्योंकि इनके रूप में कोई विकार (परिवर्तन) नहीं होता ।
जैसे-और, तो, यद्यपि, वाहवा आदि ॥

अभ्यास

शब्द किसे कहते हैं ? व्याकरण में किन शब्दों पर विचार
किया जाता है ? शब्द और पद में क्या भेद है ? अर्थानुसारो
प्रयोग के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं ? प्रत्येक का परिभाषा
और उदाहरण बताओ । शब्दांश और वाक्यखण्ड किसे कहते
हैं ? उदाहरण दो । कौन शब्द विकारी है और कौन अव्यय,
और क्यों ?

दूसरा अध्याय ।



१. संज्ञा के भेद ।

संज्ञा शब्दों के तीन भेद हैं—व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक ।

१. व्यक्तिवाचक संज्ञाएं वे हैं जिनसे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है । जैसे—रवीन्द्रनाथ, लाहौर, गङ्गा द्विमालय, भारतवर्ष, ऋग्वेद, एक देश, एक पुस्तक और एक ही संस्था का बोध होता है, सबका नहीं । ❀

❀ एक नाम एक से अधिक व्यक्तियों का भी हो सकता है । जैसे—‘राम’ यह नाम रामचन्द्र, परशुराम और बलभद्र—इन तीन व्यक्तियों का है । स्कूलों और कालेजों की एक २ क्लास में एक नाम के कई विद्यार्थी होते हैं । परन्तु वातचीत में जब वह नाम बोला जाता है तो बोलने वाले का अभिप्राय उस नाम के एक ही व्यक्ति से होता है, सब से नहीं । जहां बोलने वाले का अभिप्राय उग नाम के सब पुरुषों से होता है, वहां उस नाम का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के समान बहुवचन में किया जाता है । जैसे—राजपूत रजिमेंट नं० १ में पांच ‘शेरसिंह’ हैं । हमारी क्लास के चारों ‘रामदास’ पास हो गये—इत्यादि । परन्तु इस तरह भी ये नाम कुछ ही मनुष्यों का बोध कराते हैं, सारी मनुष्य जाति का नहीं । इत्यलिये जातिवाचक नहीं कहे जा सकते ।

व्यक्तिवाचक संज्ञापं व्यक्तियों के पहचानने या पुकारने के लिये अपनी इच्छानुसार रखे हुए संकेतमात्र हैं। ये बहुधा अर्थहीन होती हैं। इनसे व्यक्ति का कोई धर्म सूचित नहीं होता। एक मरियल मनुष्य का नाम 'भीम' हो सकता है और कंगाल का नाम 'लखपत (ति)' हमारे मोहल्ले की एक पुरबिया (कालीकलूटी) औरत का नाम 'गोरी' है। कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञापं भी अर्थवान् होती हैं। जैसे परमेश्वर ब्रह्माण्ड, गङ्गाजल आदि ॥

२. जातिवाचक संज्ञाएँ वे हैं जिनसे एक जाति के सब पदार्थों का बोध होता। जैसे—मनुष्य, नगर, नदी, पहाड़, देश, पुस्तक, सभा आदि। मनुष्य शब्द सब मनुष्यों का बोध कराता है, नगर शब्द सब नगरों के लिये आता है, सभा शब्द से प्रत्येक सभा का बोध होता है।

यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि एक बड़ी जाति के अन्दर भी कई अवान्तर जातियां या उपजातियां होती हैं। जैसे—मनुष्यों में हिन्दु-थानी, अग्नेज आदि, हिन्दु स्थानियों में हिन्दु सिक्ख, मुसलमान आदि, हिन्दुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, आदि। ब्राह्मणों में सारस्वत गोड़ आदि। उनमें भी छोटे २ भेद, जैसे—भिगन नहरू, मालवीय आदि। ये सब जातिवाचक ही हैं।

कई जातिवाचक संज्ञापं भी व्यक्तिवाचक के समान प्रयुक्त होती हैं। जैसे—संवत् (विक्रमी संवत्) पुरी जगन्नाथ-

* जैसे मनुष्य शब्द से सब मनुष्यों का बोध होता है, इसलिये सब मनुष्य जाति हैं, ब्राह्मण आदि अवान्तर जाति और एक मनुष्य व्यक्ति, इसी प्रकार सभा या सेना कर्तन से सब सभाओं और सब सेनाओं का बोध होता

पुरी) गुसाईं जी (गोस्वामी तुलसीदास) गान्धी जी (मोहन-चन्द कर्मचन्द गान्धी) मालवीयजी (पं० मदनमोहनमालवीय). टागोर (रवीन्द्रनाथ टागोर) आदि ।

कभी २ किसी विशेष गुण के कारण प्रसिद्ध एक व्यक्ति का नाम उस गुण को दूसरे व्यक्तियों में जतलाने के लिये जातिवाचक के समान प्रयुक्त किया जाता है । जैसे— हे भगवन् ! फिर हमारे घरों में राम लक्ष्मण (परस्पर प्यार करने वाले भाई) पैदा कर । फिर हमारे परिवारों की मलिनता को सीताएं और सावित्रियां (आदर्शपत्नियां) दूर करें-ऐसी दया कर । हमारी बहू लक्ष्मी (मङ्गलमयी, दरिद्रता दूर करने-वाली) है । शेक्सपियर यूरोप का कालिदास (महाकवि) है । राममूर्ति कलियुगी भीम (महाबली) है—इत्यादि । यहां 'राम लक्ष्मण' शब्द उनका सा गुण (भ्रातृप्रेम, रखनेवाले सब मनुष्यों के लिये प्रयुक्त हुए हैं, यहां इनसे राम और लक्ष्मण नाम के दो व्यक्तियों का बोध नहीं होना ।

है, इसलिये सब सभाएं या सेनाएं जाति है मनातन धर्मसभा आदि अवा-न्तर जाति और एक सभा या सेना व्यक्ति । जैसे —मनुष्य जाति के 'भिन्न २ व्यक्तियों की पहचान के लिये मोहन, सोहन आदि व्यक्तिवाचक नाम (संकेत) रख लिये जाते हैं इगी भांति सभा, समाज, सेना आदि जातियों की भिन्न २ व्यक्तियों की पहचान के लिये लाहौर सनातनधर्म, अमृतसर आर्यसभात्र जयपुर स्वदेशीप्रचारकमण्डल, आदि व्यक्तिवाचक नाम समझने चाहिये । इगी प्रकार पानी कहने से सब पानियों का बोध होता है, इसलिये पानी शब्द जातिवाचक है । पानी जाति की व्यक्तियों (भिन्न २ पानियों) का बोध गङ्गा- जल, समुद्रजल, कुएं का पानी, नल का पानी आदि कहकर कराया जाता है । इसलिये सभा, सेना, संघ, समाज, मेला आदि और दूध, पानी,

भाववाचक संज्ञाएं वे हैं जिन स पदार्थों के धर्म गुण, दोष, अवस्था, व्यापार जाने जाते हैं। मिठास, चोरी लड़कपन, दौड़, स्याही, गणित, व्याकरण, हैजा, बुखार, सुख दुःख, क्रोध, भय, विद्या, दिन, रात इत्यादि । ❀

कभी कभी भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक के समान भी प्रयोग होता है। जैसे — ये कैसे सुन्दर पहरावे (पहनने के वस्त्र) हैं। इसी प्रकार — वाटरमन की स्याहियां बहुत अच्छी हैं। (स्याही का अर्थ यहां कालापन नहीं है, किन्तु वह पदार्थ है जिस स लिखते हैं। विशेष बात यह है कि स्याही शब्द न केवल काले, किन्तु लाल आदि रंग के भी लेखसाधन पदार्थ के लिये प्रयुक्त होता है। जैसे लाल स्याही, नीली स्याही आदि। अर्थात् स्याही शब्द ने यहां अपने कालापन का सम्बन्ध भी बिलकुल त्याग दिया है) ।

सोना आदि संज्ञाएं, जिनको अंग्रजा व्याकरणों ने 'गमूहवाचक' और 'द्रव्यवाचक' नाम से अलग माना गया है, वस्तुतः 'जातिवाचक ही हैं।

❀ गमर के पदार्थ दो तरह के हैं। एक स्वतन्त्र स्थिति रखते हैं और दूसरे स्वतन्त्र स्थिति रखने वाले पदार्थों में रहते हैं या उनके आश्रित स्थिति रखते हैं। मिठास मीठे पदार्थों में, चोरी चोरी में, लड़कपन लड़कों में रहते हैं, उन से अलग नहीं, क्योंकि पदार्थों के धर्म उन से अलग नहीं रह सकते। बुखार आदि रोग शरीर में रहते हैं, सुख, दुःख आदि हृदय में और विद्याएं तथा कलाएं बुद्धि या मास्तिष्क में। इसी प्रकार दिन, रात आदि समय के विभाग स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखते, इन की स्थिति पृथ्वी के आश्रित है (उन की गति के अनुसार दिन, रात, महीना, वर्ष, ऋतु, अयन, वर्ष आदि के रूप में समय चक्र चलता है)। इसलिये ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं।

भाववाचक संज्ञाएँ तीन प्रकार के शब्दों में बनती हैं—

१. जातिवाचक संज्ञा से—लड़कपन (लड़का से), परिडताई (परिडत से), मित्रता (मित्र से), बुढ़ापा (बूढ़ा से) आदि ।

२. विशेषण से—चतुराई (चतुर से), मिठास (मीठा-से), बुद्धिमानी (बुद्धिमान से) आदि ।

३. क्रिया से—चढ़ाई (चढ़ना से) सजावट (सजाना से), मार (मारना से), लेन देन (लेना देना से) आदि ।

कभी २ दूसरे शब्द संज्ञा के समान प्रयुक्त होते हैं । विशेषण जैसे—‘गुड़ियों’ का आदर कर । ‘वड़ों’ का कहना मान । क्रियाविशेषण जैसे—‘यहां का जलवायु अच्छा है । ‘कल’ का नाम काल है । उसका ‘बाहर भीतर’ एक सा है । द्योतक जैसे—‘हाय हाय’ क्या मचा रक्खी है अच्छे काम करो और वाह वाह लूटो ।


अभ्यास

संज्ञा के भेद और उनके लक्षण बताओ । सेना आदि संज्ञाएँ ज जातिवाचक कैसे हैं ? व्यक्तिवाचक संज्ञा कब जातिवाचक होती

जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाएं सार्थक होती हैं । जब जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाएं किसी व्यक्ति का नाम (संकेत) नियत कर ली जाती है तब अपने अर्थ से सम्बन्ध छोड़ देती है । जैसे—हमारी श्रेणी के एक लड़के का नाम ‘राजकुमार’ एक का ‘मोती, और एक का ‘सत्य’ है । एक पत्रिका का नाम ‘माधुरी’ है । विशेष अवस्थाओं को छोड़ कर व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाएं एकवचन में और जातिवाचक संज्ञाएं बहुवचन में आती हैं ।

है ? ऐसे पाँच उदाहरण दो जहाँ जातिवाचक संज्ञाएँ व्यक्ति-
वाचक के समान आईं हों। कौन संज्ञाएँ सार्थक और कौन
अर्थहीन होती हैं ? कौन संज्ञाएँ बहुवचन में और कौन एकवचन
में आती हैं ? दिन, रात, ज्योतिष बुखार ये संज्ञाएँ क्यों भाव-
वाचक हैं ? भाववाचक संज्ञाएँ किन शब्दों से बनती हैं ? और
कौन २ शब्द संज्ञा के समान प्रयुक्त होते हैं ? उदाहरण दो।

तीसरा अध्याय



संज्ञा का विकार

संज्ञा शब्दों के रूप में लिंग, घनन और कारक के अनु-
सार विकार या परिवर्तन होता है इसलिए क्रम से इनका
वर्णन किया जाता है—

१. लिंग

संज्ञा पुरुषजाति की बोधक है या स्त्रीजाति की यह
जिससे जाना जाय उसे लिंग कहते हैं। पुरुषजाति का
बोधक लिंग पुल्लिङ्ग, स्त्रीजाति का बोधक लिंग स्त्रीलिङ्ग
कहाता है। सभी सजीव पदार्थों में दो भेद पाए जाते हैं।
एक पुरुष या नर और दूसरा स्त्री या मादा। घोड़ा आदि पुरुष
जातिबोधक संज्ञा शब्द, पुल्लिङ्ग और घोड़ी आदि स्त्रीजाति-
बोधक संज्ञाशब्द स्त्रीलिङ्ग है। हिन्दीभाषा में ये दो ही
लिंग हैं। संस्कृत और अंग्रेज़ी के समान हिन्दी में नपुंसक
लिंग नहीं है।

सजीव पदार्थों में जिनका जातिभेद स्पष्ट है, उनकी संज्ञाओं में लिङ्ग
सहज में जाना जा सकता है, जैसे घोड़ा, घोड़ी, लड़का लड़की आदि।
परन्तु चींटी, खटमल; मक्खी मच्छड़ आदि। जिन सजीव पदार्थों में
जातिभेद की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती उन की संज्ञाओं तथा
निर्जीव (अप्राणिवाचक) पदार्थों की संज्ञाओं का लिङ्ग भेद जानने
में कठिनता होती है।

‡ लिङ्गभेद जानने के कुछ नियम नीचे दिये जाते हैं:—

(१) प्रायः मोठी, भारी, वेढंगी वस्तुओं के नाम पुलिंग तथा छोटी हलकी वस्तुओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे— लट्टा या लट्ट (पुं०), लाठी (स्त्री), छप्पर (पुं), छपरी (स्त्री), गड्ढा (पुं), गाड़ी (स्त्री०) आदि।

(२) हिन्दी में आने वाले संस्कृत के पुलिंग तथा नपुंसक-लिंग शब्द प्रायः पुलिंग होते हैं और स्त्रीलिंग शब्द प्रायः स्त्री-लिंग। जैसे—देश, आचार, रत्न, धन आदि पुं० और सुन्दरता, आशा, दिशा आदि स्त्री०। फ़ारसी शब्दों का हिन्दी में प्रायः वही लिंग रहता है जो उन का फ़ारसी में है। जैसे—हवा, आतिश, ताज़गी आदि स्त्री०। चश्मा, वाग़ आदि पुं०। अंग्रेजी शब्द हिन्दी में व्यवहारानुसार पुलिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे—मोहन का बूट (पुं०), मेरी पैंसिल (स्त्री०), समाज का स्कूल (पुं०), स्कूल की पीस (स्त्री०) आदि।

(३) आ, आव, पा, पन, न, जिन के अन्त में हो ऐसे शब्द प्रायः पुलिंग होते हैं और आई, वट, हट, जिन के अन्त

‡ कोई ऐसा व्यापक नियम नहीं जिस से यह कठिनता दूर हो। साधारणतः शिष्टों की बोलचाल को ध्यान-पूर्वक सुनने और अच्छे लेखकों की पुस्तकों को पढ़ने से ही ऐसे शब्दों में लिंग भेद का ज्ञान हो सकता है। बोलचाल सुनेते या लेख पढ़ते हुए ध्यानरखना चाहिये कि कौन शब्द किस लिंग में आया है। ये ऊपर लिखे नियम तो मोटे तौर पर लिंग ज्ञान के लिये लिखे गये हैं।

अंग्रेजी शब्दों के लिंग प्रायः उन के समानार्थक हिन्दी या उर्दू शब्दों के लिंगों के अनुसार बोले जाते हैं। जैसे—प्रार्थना या दरखवास्त शब्द स्त्री० है, उस के अनुसार अंग्रेजी अपील शब्द भी स्त्री है—इत्यादि।

में हो ऐसे शब्द स्त्रीलिङ्ग । जैसे—सोटा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, सेन देन आदि पुं० और चढ़ाई, सजावट, चिल्लाहट आदि स्त्री० ।

(४) कुछ संस्कृत पुं० या नपुं० शब्द हिन्दी में स्त्रीलिङ्ग में प्रयुक्त होते हैं । जैसे—राशि, संतान, समाधि, विधि, मृत्यु, किरण, बलि गन्ध, आयु, इन्द्रिय, शपथ, वस्तु । कुछ संस्कृत शब्द दोनों लिङ्गों में प्रयुक्त होते हैं । जैसे—आत्मा, देह, वायु, विजय, आय, सामर्थ्य, पुस्तक आदि । इसी प्रकार सांस गेंद, गड़बड़, बर्फ, फ़िक्र आदि शब्द भी दोनों लिङ्गों में आते हैं । ❀

(५) प्राणिवाचकों में कई एक शब्द नर मादा दोनों के बोधक होने पर भी व्यवहार के अनुसार नित्य पुं० या नित्य स्त्री० होते हैं । जैसे—चाँटा, खटमल, केंचुआ, भेड़िया, चीता,

❀ देवता, तारा (नक्षत्र) शब्द संस्कृत में स्त्रीलिङ्ग होने पर भी हिन्दी में पुलिङ्ग हैं । व्यक्ति शब्द भी संस्कृत में स्त्री० है परन्तु हिन्दी में अधिक पुलिङ्ग में ही आता है, स्त्री० में कहीं २ इसका प्रयोग देखा जाता है । भाषावाचक सब शब्द स्त्रीलिङ्ग होते हैं । कई लोग उर्दू शब्द का पुं० में प्रयोग करते हैं, सो ठीक नहीं । उर्दू शब्द स्त्री० है । जैसे शिकस्त उर्दू जो पाएगी तो मैं समझूंगा वुत टूटा” अकबर । कलम (लेखनी) शब्द हिन्दी में प्रायः स्त्री० में आता है । जैसे—“बिहारी ने तो कमाल कर दिखाया, कलम तोड़ दी, ” “उसकी कलम चूमने को जी चाहता है” । उर्दू में कलम पुं० में प्रयुक्त होता है । जैसे—“जो हैं तो ऐसे हां रहे गये हैं किताब देखी कलम उठाया” अकबर । कुंज शब्द पुं० और स्त्री० दोनों में आता है । जैसे—“इस मार्ग में बड़े २ कुंज हैं” कविताकौमुदी । “बिनु गोपाल बरिन भई कुंजें” सूरदास ।

कौआ आदि नित्य पुं० और चींटी, मक्खी, कोयल, चील आदि नित्य स्त्री० । इनमें पुरुषजाति और स्त्रीजाति का भेद दिखाने के लिये इन शब्दों के पहले नर और मादा शब्द लगाए जाते हैं । जैसे—नर कौआ । मादा-कौआ, नर-चीता, मादा-चीता आदि । इसी भांति कुतरू (कुत्ता, कुत्ती) शिशु (लड़का, लड़की), दम्पति (पति, पत्नी) आदि केवल पुं० में बोले जाते हैं । कवि, छात्र, मेम्बर आदि शब्द भी पुलिङ्ग ही रहते हैं । जाति-भेद प्रकट करने के लिये इनके पहले पुरुष या स्त्री शब्द जोड़ा जाता है । जैसे—पुरुष-कवि, स्त्री-कवि, पुरुष-मेम्बर, स्त्री-मेम्बर आदि । कोई कोई छात्र शब्द का 'छात्रा' करके स्त्रीलिङ्ग में भी प्रयोग करते हैं ।

पुलिङ्ग शब्दों से स्त्रीलिङ्ग शब्द बनाने की रीति यह है कि पुलिङ्ग शब्दों में ई, इया, इन, नी, आनी, आइन—ये स्त्री-प्रत्यय लगाने से वे स्त्रीलिङ्ग बन जाते हैं । जैसे—

(क) पुलिङ्ग शब्दों के अन्तिम 'आ' या 'अ' के स्थान में प्रायः 'ई' होकर स्त्रीलिङ्ग बनता है । उदाहरण :—

पुलिङ्ग	स्त्रीलिङ्ग	पुलिङ्ग	स्त्रीलिङ्ग
देव	देवी	लड़का	लड़की
पुत्र	पुत्री	बकरा	बकरी
बंदर	बं (बँ)दरी	मुर्गा	मुर्गी
मगर	मगरी	नाना	नानी
गीदड़	गीदड़ी	मामा	मामी
तीतर	तीतरी	भतीजा	भतीजी-इत्यादि ❁

❁अप्राणिवाचक शब्दों में लघुता या सूक्ष्मता के अर्थ में अन्तिम 'आ' को 'ई' होता है । जैसे—रस्सी, रस्सा । पुतला, पुतली । घंटा, घंटी, डिब्बा डिब्बी आदि ।

(ख) कुछ पुलिङ्ग शब्दों के अन्तिम 'आ' को 'इया' होता है और पहला स्वर ह्रस्व हो जाता है। यदि अन्तिम 'आ' के पहले 'व्' हो तो उसका और उसके पूर्ववर्ती 'अ' का लोप हो जाता है और द्वित्व अक्षर हो तो पहले व्यञ्जन का लोप हो जाता है। उदाहरण—

पुं०	स्त्री०	पुं०	स्त्री०
लोटा	लुटिया	चूहा	चुहिया
बछ्वा	बछिया	बुढ़ा (बूढ़ा)	बुढ़िया-इत्यादिऽ

(ग) व्यापारियों के वाचक पुलिङ्ग शब्दों के अन्तिम स्वर को 'इन' होकर स्त्रीलिङ्ग बनता है। उदाहरण—

पुं०	स्त्री०	पुं०	स्त्री०
कहार	कहारिन	धोबी	धोबिन
सुनार	सुनारिन	कसेरा	कसेरिन
जुलाहा	जुलाहिन	हलवाई	हलवाईन
जकूड़ा	कँजड़िन	नाई	नाइन इत्यादिऽ

(घ) उपनाम-वाचक शब्दों के अन्तिम स्वर को 'आइन' होकर स्त्रीलिङ्ग बनता है। यदि इन शब्दों का पहला स्वर

स्त्रीलिङ्ग शब्दों की अन्तिम 'ई' को 'इया' लघुता निरादर या प्रेम के अर्थ में होता है। यदि नका पहला स्वर दीर्घ हो तो ह्रस्व हो जाता है और यदि उस 'ई' के पहले द्वित्व अक्षर हो तो पहले व्यञ्जन का लोप हो जाता है। जैसे—बेटा, बिटिया। गगरी, गगरिया। डिब्बा, डिबिया। बुढ़ी (बूढ़ी) बुढ़िया। कुत्ती, कुतिया। बच्छी, बछिया-इत्यादि।

§ कुछ दूसरे शब्दों में भी 'इन' लगता है। जैसे—सांपिन, बाधिन आदि। कहीं २ 'इन' के स्थान में 'अन' भी लगता है। जैसे—चितरन लोहारन—आदि। 'चमारिन' और 'लोहारिन' के स्थान में 'चमाइन' और 'लोहाइन' भी बोला जाता है। परन्तु ऐसे प्रयोग एकदेशी या प्रान्तीय होते हैं।

दीर्घ हो तो ह्रस्व हो जाता है (ओभा शब्द इस का अपवाद है । इसका 'ओभाइन' ही रहता है 'उभाइन' नहीं होता)

उदा०—

पुं०	स्त्री०	पुं०	स्त्री०
पाण्डे)	पाण्डाइन	पाठक	पाठकाइन
पाण्डा)		दुबे	दुवाइन
ठाकुर	ठकुराइन		
लाला	ललाइन	बाबू	बबुआइन इत्यादि ।

(ड) कई एक शब्दों के अन्तिम स्वर को 'आनी' से स्त्रीलिङ्ग बनता है । (कहीं २ दीर्घ आदिस्वर को विकल्प से ह्रस्व हो जाता है) उदा०—

पुं०	स्त्री०	पुं०	स्त्री०
चौधरी	चौ (चु) धरानी	मेहतर	मेहतरानी
खत्री	खत्रा (तरा) नी	मुगल	मुगलानी
देवर	देवरानी	सेठ	से (सि) ठानी
जेठ	जे (जि) ठानी	नौकर	नौ (नु) करानी इत्यादि

(च) कुछ अकारान्त शब्दों के अन्त में किसी विशेष नियम के बिना 'नी' लगाकर स्त्रीलिङ्ग बनाया जाता है । इस श्रेणी में पशुपक्षीवाचक शब्द अधिक हैं । उदा०—

पुं०	स्त्री०	पुं०	स्त्री०
जाट	जाटनी	मोर	मोरनी
राजपूत	राजपूतनी	ऊँट	ऊँटनी
सिंह	सिंहनी	शेर	शेरनी
सियार	सियारनी	बाघ	बाघनी इत्यादि ।

† गुरुआनी शब्द अपवाद है । इसमें अन्तिमस्वर के आगे 'आनी' होता है, अन्तिम स्वर को नहीं । इसका रूप 'गुरुआइन' भी होता है । इसी प्रकार 'ठकुराइन' का 'ठा (ठ) कुरानी' भी ।

(ख) कई पुल्लिङ्ग शब्दों के स्त्रीलिङ्ग शब्द अलग ही होते हैं। उदा०—

पुं०	स्त्री०	पुं०	स्त्री०
पिता	माता	पुत्र	कन्या
बाप	मा	वर	वधू
पुरुष	स्त्री	राजा	रानी
मर्द	औरत	मियां	बीबी इत्यादि*।
भाई†	बहन		

इसी भांति स्त्रीलिङ्ग शब्दों में आ, उआ ओई, आव आदि प्रत्यय लगाने से पुल्लिङ्ग शब्द बने हैं। जैसे—भैंस, भेड़.

† भाई का स्त्रीलिङ्ग, भावज, भाभी या भौजई और बेटा का स्त्रीलिङ्ग बहू या पत्नी भी होता है।

*संस्कृत के अकारान्त, ऋकारान्त और व्यञ्जनान्त शब्दों में 'ई' लगाकर स्त्रीलिङ्ग बनाया जाता है। जैसे—ब्राह्मण से ब्राह्मणी, देव से देवी, कुमार से कुमारी आदि। कर्तृ से कर्त्री (हिन्दी पुं० कर्ता), धातृ से धात्री, विधातृ से विधात्री, (हिन्दी पुं० धाता, विधाता), जनयितृ से जनयित्री (हिं० पुं० जनयिता) आदि। विद्वस् (विदुष्) से विदुषी, श्रीमत् से श्रीमती, भगवत् से भगवती, पापिन् से पापिनी, अपराधिन् से अपराधिनी, स्वामिन् से स्वामिनी, (हिं० पुं० विद्वान्, श्रीमान् भगवान्, पापी, अपराधी, स्वामी) आदि।

बहुत से प्रकारान्त संस्कृत शब्दों से 'आ' लगाकर स्त्रीलिङ्ग बनाया जाता है। जैसे—सुत से सुता, प्रिय से प्रिया, बाल से बाला आदि। 'क' प्रत्ययान्त शब्दों में 'आ' लगने पर 'क' के पूर्ववर्ती 'अ' को 'इ' हो जाता है। जैसे—बालक से बालिका, लेखक से लेखिका, पाठक से पाठिका इत्यादि।

से भैंसा, भेडा । राँड से रंडा या रँडुआ । बहन. ननद से बहनोई. ननदोई । बिल्ली से बिलाव । गठड़ी से गट्टड़ — इत्यादि ।

ऊपर लिखे अनुसार जो शब्दों में विकार होता है, उसका कारण लिङ्ग है ।

अभ्यास

लिङ्ग किसे कहते हैं ? हिन्दी में लिङ्ग कितने हैं ? प्राणि-वाचक शब्दों में लिङ्ग कैसे जाने जाते हैं ? अप्राणिवाचक-शब्दों में लिङ्ग पहचानने की क्या रीति है ? कौन २ सी संज्ञाएं नित्य स्त्रीलिङ्ग या नित्य पुलिङ्ग रहती हैं ?

पुलिङ्ग से स्त्रीलिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग से पुलिङ्ग बनाने की क्या रीति है ? 'इन' प्रत्यय लगाने से किन संज्ञाओं का स्त्रीलिङ्ग बनता है ? पांच २ पुलिङ्ग शब्दों को भिन्न २ स्त्रीप्रत्यय लगाकर स्त्रीलिङ्ग बनाओ ।

आगे लिखे शब्दों में से पुं० शब्दों के स्त्रीलिङ्ग शब्द और स्त्री० शब्दों के पुलिङ्ग शब्द बताओ—बिल्ला, तेली, बरछा, नारी, सखी, भैंस, नागिन; हिन्दू, मुसलमान. ईसाई, नट; भाभी, बहन ।

आगे लिखे शब्दों के लिङ्ग बताओ—दीमक, जुगनू, हास, रास, डैस्क, भोंवर, भँवर, मलमल, दलदल, लैम्प, सरसों, मृत्यु, समाज, गन्ध, मोटर, कमर, स्लेट, सूँड, हींग, एवज, सिगरट, तक्रार, तोल, बारूद, साध, छत, घास, निकास, आस, हुलास ।

२. वचन

संज्ञा आदि विकारी शब्दों के जिस रूप से वस्तु की संख्या (एक या एक से अधिक होने) का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं ।

हिन्दी में एकवचन और बहुवचन ये दो ही वचन होते हैं । संस्कृत के समान एक तीसरा वचन 'द्विवचन' इसमें नहीं होता ।

(क) शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है, उसे 'एकवचन' कहते हैं । जैसे—लड़का खेलता है । बंदरी नाचती है । मुझे रुपया दिया । उससे लोटा लिया ।

(ख) शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, उसे 'बहुवचन' कहते हैं । जैसे— लड़के खेलते हैं । बंदरियां नाचती हैं । हमको रुपये दिये । उनसे लोटे लिये ।

'लड़के खेलते हैं' इत्यादि में 'एक से अधिक या बहुत लड़के यही प्रतीत होता है । लड़कों की निश्चित (विशेष) संख्या का बोध नहीं होता । इसलिये जहां किसी विशेष संख्या से अभिप्राय होता है वहां संख्या के वाचक शब्दों का साथ प्रयोग किया जाता । जैसे—चार लड़के गये । दो लड़कियां आईं—इत्यादि ।

आदर या गौरव के लिये एकवचन के स्थान में बहुवचन आता है । जैसे—चचा आए । राजा हरिश्चन्द्र बड़े दानी थे ।

⊗ कई शब्द (प्राण, दाम, दर्शन, बाल, आदि) प्रायः बहुवचन में ही आते हैं । जैसे—प्राण बच गये । प्राण-पखेरू उड़ गये । इसके कितने दाम हैं । फिर आप के दर्शन कब होंगे । क्यों बाल बढ़ा रक्खे हैं ।

हम आते हैं। (अपने लिये साधारणतः एकवचन बहु-
वचन दोनों ही आते हैं—मैं गया, हम गये)। कभी २
बहुवचन के अर्थ में भी एकवचन आता है। जैसे—बिल्ला
बड़ी चोर है (सब बिल्लियाँ)। कुत्ता बड़ा स्वामिभक्त होता है
(सब कुत्ते)। उसके पास कई लाख रुपया है (रुपये हैं)।
वर्षा में कला बहुत होता है (केले बहुत होते हैं) इत्यादि।

‘लोग’ शब्द नित्य-बहुवचन है। जंग—लोग मुहआई बात कह
देते हैं। लोग और जन शब्द जिन संज्ञाओं के साथ लगाए जाते हैं, वे
नित्य बहुवचन में ही आती है। जैसे—राजालोग मनमानी कहते हैं।
गुरुजनों का प्रणाम। स्त्रीजनों का आदर करो। उन्मत्त बन्धुजनों से ही
सुहाते हैं। साधु बहुधा कहा करते हैं—“माईलोग, बाबूलोग, दातालोग”
इत्यादि। बहरे (ग्यानभमे) कहा करते हैं—“साहबलोग, मेमलोग” इत्यादि।

‘बहुवचन’ (अधिक संख्या) प्रकट करने के लिये संज्ञाओं के साथ
गण, वर्ग, वृन्द आदि शब्द भी जोड़े जाते हैं। इनका प्रयोग एकवचन
में ही होता है। जैसे—महिलागण मंगलगीत गाता है। “पाठकगण प्रसन्न
हुए”—इत्यादि में ‘पाठकों के गण (अनेक गण)’ ऐसा अर्थ होने में
बहुवचन का प्रयोग किया गया है। जहाँ ‘पाठकों का गण, श्रोताओं
का वर्ग, छात्रों का वृन्द, मैनिफेस्टो का दल’ ऐसा अर्थ होता है वहाँ पाठक-
गण, श्रोता (तृ) वर्ग, छात्रवृन्द, मैनिफेस्टो—आदि शब्द एकवचन में ही
आते हैं।

“भूखी मरते हैं” इस में ‘भूख’ शब्द का बहुवचन में प्रयोग
मुहाबिरे के अनुसार हुआ है। अकारान्त संज्ञाओं को छोड़कर शेष स्त्रीलिङ्ग
संज्ञाओं का एकवचन और बहुवचन में एकसा प्रयोग भी देखने में आता
है। जैसे—उसने कई भाषा सीखीं। सब स्त्री चकित हो गईं। बहुत सी
वस्तु ऐसी हैं—इत्यादि। थोड़े दिन में—इत्यादि प्रयोग भी इसी प्रकार

संज्ञा शब्दों में वचन के अनुसार जो विकार (रूपपरिवर्तन) होता है वह दो प्रकार का है । एक विभक्तिरहित (कारकचिह्न 'ने, को' आदि के बिना) और दूसरा विभक्तिसहित (कारकचिह्नों के लगने पर होने वाला) । एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम पहले (विभक्तिरहित) प्रकार के अनुसार यहाँ दिये जाते हैं (दूसरे प्रकार के नियम आगे कारकों के वर्णन में दिये जाएंगे) ।

(१) स्त्रीलिङ्ग आकारान्त संज्ञाओं के अन्तिम 'अ' को बहुवचन में 'एं' हो जाता है । उदा०—पुस्तकें, दवातें, भैंसें, कोशिशें, बोटलें इत्यादि ।

(२) पुलिङ्ग अकारान्त संज्ञाओं के अन्तिम 'आ' को 'ए' करने से बहुवचन बन जाता है । उदा०—लड़के, लोटे, पोते, भानजे, घोड़े, जोड़े, पहिये इत्यादि ॥

अपवाद मामा, नाना, दादा आदि सम्बन्धवाचक, एशिया, जावा सुमाट्रा आदि स्थानवाचक, संस्कृत की के है । यह प्रयोग की रीति शुद्ध और अनुकरणीय नहीं है । कई वयाकरण 'चारफल के दाता, तीनलोक के स्वामी, चौदहभुवन के नाथ इत्यादि प्रयोगों को भी ऊपर कहे प्रकार में ही गिरते हैं । परन्तु वस्तुतः 'चारफल' आदि शब्द गमस्त हैं । 'चार' और 'फल' आदि शब्दों को इन्द्रा न लिखकर अलग २ लिखना ही भ्रम में डालता है । संस्कृत के पञ्चगव, त्रिलोकी आदि शब्दों के समान यहाँ भी 'द्विगु' समाग है । हिन्दी में दो पहरोँ का समाहार 'दोपहर' यह शब्द गमस्त है, एकवचन में आता है । इसी प्रकार चार फलों का समाहार 'चारफल' इत्यादि शब्द भी गमस्त हैं और एकवचन में आते हैं । ऐसे ही चारदिन का जीवन, दोदिन का महमान आदि भी ।

ऋकारान्त, नकारान्त तथा सकारान्त संज्ञापं जो हिन्दी में अकारान्त हो जाती हैं तथा देवता, पराडा, सूरमा, दरिया, खुदा आदि ऊपर कहे नियम के अपवाद हैं। इनके बहुवचन में 'आ' को 'ए' नहीं होता। उदा०—मामा आये। पिता (पितृ) गये वहां बड़े २ योद्धा (योद्ध) हैं। इन ग्रन्थों के कर्ता (कर्तृ) अज्ञात हैं। हमारे राजा। (राजन्) अभी युवा (युवन्) हैं। हमारे वंश के देवता चन्द्रमा (चन्द्रमस्) हैं। ये पराडा हैं। आप बड़े सूरमा हैं। पञ्जाब में पांच दरिया हैं। हमारे तो आप ही खुदा हैं। ❀

(३) पुलिङ्ग आकारान्त संज्ञाओं को छोड़ शेष पुलिङ्ग संज्ञाओं (मुनि, गुरु, भालू, पाण्डे, बरें, भाघो, जो आदि) के बहुवचन में रूप नहीं बदलते ।

(४) स्त्रीलिङ्ग इकारान्त तथा ईकारान्त संज्ञाओं के अन्त में यां (याँ) प्रत्यय लगाने और (ईकारान्त शब्दों की) दीर्घ ई को ह्रस्व कर देने से बहुवचन बन जाता है। उदा०—रीति से रीतियां (याँ), विधि से विधियां (याँ), थाली से थालियां (याँ), रानी से रानियां (याँ) इत्यादि। (कोई २ रीतियाँ, विधियाँ चिड़ियाँ, थालियाँ इत्यादि भी लिखते हैं। ऐसे प्रयोग ठीक न होने से अनुकरणीय नहीं हैं) ।

❀ बापदादा, मुखिया, अगुआ, पुरखा, और पटना, कलकत्ता आदि नगर-वाचक शब्दों के बहुवचन में 'आ' को 'ए' विकल्प से होता। बाप-दादा, बापदाँद। मुखिया (ये)। अगुआ (ए)। पुरखा (खे)।

हिन्दी में आने वाली संस्कृत का व्यंजनान्त संज्ञाओं का रूप बहुवचन में नहीं बदलता। उदा०—श्रीमान् आये है। आप बड़े विद्वान् और सच्चे सुदृढ़ है। भगवान् कृपा करें।

(५) स्त्रीलिंग इया प्रत्ययान्त संज्ञाओं के अन्तिम 'या'पर अनुस्वार लगा देने से बहुवचन बन जाता है। उदा०—लुटिया-लुटियां, खटिया—खटियां चिड़िया—चिड़ियां, कुण्डलिया—कुण्डलियां इत्यादि। (लुटियाँ आदि भी लिखा जाता है)।

(६) स्त्रीलिङ्ग आकारान्त, उकारान्त, ऊकारान्त, एकारान्त, ऐकारान्त, ओकारान्त और औकारान्त संज्ञाओं के अन्त में 'ए' लगाने से बहुवचन बनता है और ऊकारान्त संज्ञाओं के अन्तिम ऊ' को 'उ' किया जाता है। उदा०—माता-माताएं माला—मालाएं, वस्तु—वस्तुएं, धेनु—धेनुएं, बहू—बहुएं इत्यादि। कोई २ 'ए' के स्थान में (यें) लगाते हैं। जैसे—मालायें, वस्तुयें। ऐक्सरे—ऐक्सरेयें ('x' rays) (इसी भांति खरे, खिस्ते, कमो आदि उपनामवाचक शब्दों का स्त्रीलिंग में बहुवचन खरेएं, खिस्तएं कमोएं—आदि होगा)। जै—जैएं। गौ—गौएं। हिन्दी में ए, ऐ, आ, औ जिनके अन्त में हो ऐसी संज्ञाएं नहीं के बराबर हैं।

(७) सानुस्वार ओकारान्त और औकारान्त संज्ञायें बहुधा दोनों वचनों में एक सी रहती हैं। जैसे—सरसों, जोखों, दौं, गौं। (कोई २ सरसोंएं, दौंएं आदि रूप भी बनाते हैं)। ❀

अभ्यास

वचन किसे कहते हैं ? हिन्दी में उस के कितने भेद हैं ? एकवचन अर्थ में बहुवचन और बहुवचन के अर्थ में एकवचन

❀ हिन्दी में सम्बोधन भी विभक्ति रहित ही है। परन्तु उसका बहुवचन बनाने के नियम विभक्तिसहित बहुवचन के नियमों से अधिक भिन्न न होने के कारण आगे कारक वर्णन में ही लिख जायेंगे।

कहाँ होता है ? पुलिङ्ग आकारान्त और म्त्रीलिङ्ग आकारान्त, ईकारान्त और अकारान्त संज्ञाओं से विभक्तिरहित बहुवचन बनाने के कौन २ नियम हैं ? आगे लिखे शब्दों के बहुवचन बनाओ:—वाचा, देवता, मेज, तोता, भक्ति. नदी. लाट, सरसों, गुड़िया. अगुआ, तकिया, भोंपू ।

३ कारक

संज्ञा (या सर्वनाम) के जिस रूप के द्वारा उसका सम्बन्ध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं जैसे—“मोहन ने सोहन की मिठाई कुतिया को खिला दी”—इस वाक्य में ‘मोहन ने’ सोहन की’ मिठाई’ ‘कुतिया’—इन संज्ञाओं के भिन्न २ रूपों के द्वारा इन (संज्ञाओं) का परस्पर तथा ‘खिला दी’ इस क्रिया के साथ सम्बन्ध ज्ञात होता है । मोहन खिलाने वाला है । सोहन मिठाई का स्वामी (मालिक) या अधिकारी (हकदार) है । मिठाई सोहन की (वस्तु) है । कुतिया को मिठाई खिलाई गई । इसलिये मोहन आदि संज्ञाओं के मोहन ने’ सोहन की’ मिठाई’ और ‘कुतिया को’—ये कारक हैं । संज्ञा या सर्वनाम के आगे कारक सूचित करने के लिये जो ने, को’ आदि प्रत्यय लगाये जाते हैं, वे ‘विभक्तियां’ कहलाते हैं ।

हिन्दी में कारक आठ हैं जिनके नाम और विभक्तियां ये हैं—

कारक	विभक्ति (विभक्तियों के बदले आनेवाले शब्द)
१ कर्ता	ने, (रं) ❀
२ कर्म	को (के प्रति)
३ करण	से (करके, के द्वारा—कारण आदि)
४ सम्प्रदान	को (के लिये-निमित्त-हेतु-अर्थ-वास्ते)
५ अपादान	से (की अपेक्षा आदि)
६ सम्बन्ध	का, के, की (रा, रे, री) †
७ अधिवरण	में, पर † (के बीच-भीतर-अंदर-ऊपर)

❀ कर्ता का चिन्ह 'ने' केवल सकर्मक धातु की अपूर्णभूत और हेतु-हेतुमद्भूत के अतिरिक्त भूतकाल की क्रिया के साथ आता है। मोहन ने रोटी खाई। भीम ने दुर्योधन को मारा। राधा ने सखियों को पुकारा—इत्यादि। कर्मो २ विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे—मैं आम (को) चूमता हूँ। कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता का चिन्ह 'से' (करण-कारक की विभक्ति) आती है; क्योंकि वहाँ कर्ता करणकारक में रक्खा जाता है। जैसे—मुझसे रोटी नहीं खाई जाती (कर्मवा०) मुझसे मोया नहीं जाता (भाववा०)। पढ़ने (को) गया। उसने उसे आड़े हाथों (से) लिया। आंखों (से) देखी बात कही। इन वाक्यों में से पहले दो में 'को' और दूसरों में 'से' विभक्ति का लोप है।

† त्रु. में शब्दों के सम्बन्ध कारक में 'का, के, की' के स्थान में 'रा, रे, री' का प्रयोग होता है। जैसे—तेरा, तुम्हारा, मेरा, हमारा, तेरे, तुम्हारे, मेरे हमारे, तेरी, मेरी, तुम्हारी, हमारी।

† विभक्तियाँ अन्तिम प्रत्यय हैं। इनके पश्चात् दूसरे प्रत्यय नहीं आते। तो भी हिन्दी में अधिकरणकारक की विभक्तियों के पश्चात् सम्बन्ध या अपादानकारक भी विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे—आले 'में का' सेव। गाड़ी पुल 'पर से' गुज़री। दिन रात खेती में खड़े

८ सम्बोधन

(हे, अरे, अजी आदि सम्बोधन के द्योतक अव्यय हैं, विभक्तियां नहीं)†

कारकों के लक्षण ये हैं:—

(१) संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के कर्ता (करने वाले) का बोध होता है उसे कर्ताकारक कहते हैं। जैसे - श्याम वहां है। इसमें 'होना' क्रिया के कर्ता (होने वाले) का बोध कराने वाला 'श्याम'—यह संज्ञा का रूप कर्ताकारक है। राम ने रावण को मारा। इसमें 'मारना' क्रिया के कर्ता (मारने वाले)

रहनेवाले किसनों 'में से' बहुतेरों को भरणे भोजन भी नसीब नहीं होता। कुछ अव्ययों के पीछे भी विभक्ति का प्रयोग पाया जाता है। जैसे— 'कहां को' जाते हो। 'आगे को' ऐसा न करना। 'कहां से' आएं हो। 'यहां से' जाओ। 'आगे से' हटो। श्याम 'कब का' सो चुका है। वह 'कहां का' भलामानम है। बदमाश 'कहीं का'। कल 'यहां पर' बड़ी वारिश हुई।

‡ सम्बोधनकारक की कोई विभक्ति नहीं है। उसको प्रकट करने के लिये हे, अरे, आदि द्योतक अव्यय लगाए जाते हैं। ये 'विभक्ति' नहीं कहे जा सकते। विभक्तियां शब्द के आगे जोड़ी जाती हैं और ये पीछे। संस्कृत में सम्बोधन की विभक्तियां 'सु' औं, 'जस्' हे, 'हे' आदि नहीं।

संस्कृत में विभक्तियां शब्दों से मिली रहती हैं। जैसे—'गुरुभिः' में 'भिः'। परन्तु हिन्दी में शब्दों से पृथक् रहती हैं; जैसे—गुरुओं ने। फिर भी बहुत से विद्वानों का मत है कि संस्कृत की चाल पर हिन्दी में भी विभक्तियां शब्दों से मिलाकर ही लिखनी चाहिये। परन्तु साधारण प्रयोग में यही देखा जाता है कि संज्ञाओं से विभक्तियों को अलग लिखते हैं और सर्वनामों से मिलाकर। जैसे—मोहन ने, राम को, धन से, पुस्तक का, नगर में, घर जाने पर। उसका, किसीकी, मैंने, उन्होंने, किनको, इसमें— इत्यादि।

का बोध कराने वाला 'राम ने' यह संज्ञा का रूप कर्ताकारक है—इत्यादि ॥

(२) जिस वस्तु पर कर्ता के व्यापार (क्रिया) का फल पड़ता है उसका बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को कर्मकारक कहते हैं। जैसे—शिकारी ने शेर को मारा। इसमें शिकारी मारने वाला (कर्ता) है। उसके व्यापार (मारने) का फल शेर पर पड़ा (शेर मारा गया)। इसलिये 'शेर को' यह संज्ञा का रूप कर्मकारक है।

(३) संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करणकारक कहते हैं। जैसे—लकड़ियां कुल्हाड़ी से काटीं। इसमें 'काटना' क्रिया की साधन कुल्हाड़ी का बोध कराने वाला 'कुल्हाड़ी से' यह संज्ञा का रूप करणकारक है ॥

(४) जिसके लिये क्रिया की जाती है उसका बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को संप्रदानकारक कहते हैं। जैसे—पिता ने पुत्र को पुस्तकें दीं। पौदों को पानी दिया। लड़का पढ़ने को गया। इनमें पुस्तक देने, पानी देने और जाने की क्रियाएं क्रमशः पुत्र, पौदों और पढ़ने के लिये की गईं। इसलिये 'पुत्र को' 'पौदों को' 'पढ़ने को'—ये संज्ञाओं के रूप सदानकारक हैं ॥

(५) संज्ञा के जिस रूप से पृथक्त्व, अलगवाव, विभाग, जुदाई का बोध होता है उसे अपादानकारक कहते हैं। जैसे—पेड़ से पत्ता गिरा। सिंह गुफा से निकला। इनमें पत्ते और सिंह का पेड़ और गुफा से पृथक्त्व 'पेड़ से' और 'गुफा से' इन पेड़ और गुफा संज्ञा के रूपों से जाना जाता है। इसलिये ये अपादानकारक हैं।*

*आग लिये जिन अर्थों में अपादानकारक का प्रयोग होता है उन सब में 'पृथक्त्व' का अर्थ किसी न किसी रूप में अवश्य पाया जाता है।

(६) संज्ञा के जिस रूप से उस संज्ञा (नाम) वाली वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ सम्बन्ध जाना जाता है उसे सम्बन्धकारक कहते हैं। जैसे—राजा का हाथी। अमीरों के महल। गोपाल की पुस्तक। चाय की प्यालियाँ। इनमें 'राजा का' आदि संज्ञाओं के रूप में राजा आदि का हाथी आदि के साथ सम्बन्ध जाना जाता है। इसलिये 'राजा का' आदि सम्बन्धकारक हैं। +

इसलिये ऊपर लिखा अपादानकारक का लक्षण वहाँ भी संगत है:—

आरम्भ—कल से श्याम जायगा (जाना आरम्भ करेगा)। वहाँ से लाहौर का इलाका जानो (आरम्भ हुआ जानो)।

पढ़ना, मांगना आदि—उससे पढ़ंगा। तुमसे मांगता हूँ। माँ मे छिया। यह लड़की सब से लजाती है। कलङ्क से डरो। शराब से घृणा करो। धोखे ले बचो—इत्यादि।

दूरो—शाहदरा लाहौर से दो मील है।

आगा, पीछा, छुटाई, बड़ाई, न्यूनता, अधिकता, जन्म, कारण आदि—वह मुझ में पीछे-आगे बढ़कर-घटकर-बड़ा-छोटा है। बुखार से दुर्बल चत्रायी से पैदा हुआ—इत्यादि।

+ 'राजा का हाथी' आदि में दो २ सम्बन्धी हैं। पहला (राजा आदि) जिसका और दूसरा (हाथी आदि) जिसके साथ सम्बन्ध बोधित होता है। जहाँ दूसरा सम्बन्धी पुलिङ्ग एकवचन होता है वहाँ पहले सम्बन्धी के आगे 'का' और जहाँ दूसरा पुलिङ्ग बहुवचन होता है वहाँ पहले के आगे 'के' विभक्ति लगती है। जहाँ दूसरा सम्बन्धी स्त्रीलिङ्ग होता है वहाँ उसके दोनों वचनों में पहले के आगे 'की' विभक्ति लगती है।

(७) संज्ञा के जिस रूप से आधार का बोध होता है उसे अधिकरणकारक कहते हैं। जैसे दूध में घी है। घी को टीन में डालो। इनमें 'दूध में' 'टीन में' इन रूपों से दूध और टीन घी के आधार हैं—यह बोध होता है। इसलिये 'दूध में' 'टीन में' ये अधिकरणकारक हैं।*

(८) संज्ञा के जिस रूप से उस संज्ञा वाले को पुकार कर या चिन्ता कर सम्बोधित (मुख्यातिव) करना पाया जाता है उसे सम्बोधनकारक कहते हैं। जैसे—मोहन, इधर आओ। ईश्वर, उन्हें सुमति दो। इनमें संज्ञा के 'मोहन' 'ईश्वर' इन रूपों से सम्बोधित करना पाया जाता है। इसलिये ये सम्बोधनकारक हैं ॥ †

विभक्तियों के योग से संज्ञा के रूपों में जो विकार होता है उसके नियम ये हैं:—

(१) पुंलिङ्ग आकारान्त संज्ञाओं के एकवचन में अन्तिम

*आधार शब्द से देश (जगह)। काल, अवस्था आदि सब प्रकार के आधार लिये जाते हैं। जैसे—छत पर सोया (जगह)। पांच भिन्ट में आया (काल)। बुखार में नहाना अच्छा नहीं (अवस्था)। सब छात्रों में प्रथम रहा—इत्यादि में बहुतों में से एक की विशेषता प्रकट करने के लिये भी अधिकरणकारक का प्रयोग होता है। यहां भी जिनमें से किसी की विशेषता प्रकट की जाती है वे एक प्रकार के आधार ही हैं।

† सम्बोधन को सूचित करने के लिये जो द्योतक अव्यय संज्ञाओं के पहलें लगाये जाते हैं वे दो प्रकार के हैं। एक आदर, प्रेम या हर्ष सूचित करने वाले (हे, अयि, वाह आदि), दूसरे अनादर, घृणा या शोक प्रकट करने वाले (अरे, अबे, हा आदि)। जैसे—हे राम, अयि प्रिय, वाह लड़के, अरे मूर्ख, अबे पागल, हा नाथ इत्यादि।

‘आ’ को ‘ए’ और सम्बोधन के एकवचन में भी ‘ए’ होजाता है । जैसे—लड़के को, पहिये को, बच्चे को । विभक्तिरहित बहुवचन बनाने के दूसरे नियम के जो शब्द अपवाद हैं वे इस नियम के भी अपवाद समझने चाहियें अर्थात् उन शब्दों के अन्तिम ‘आ’ को ‘ए’ नहीं होता । जैसे—माता को, दादा को एशिया को, जावा को, पिता को, राजा को, देवता को, सुरमा को, चन्द्रमा को इत्यादि । सम्बोधन में—हे लड़के, हे मामा इत्यादि ।*

बाकी सब पुलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग संज्ञाएं एकवचन में अविकृत रहती हैं ।

(२) अकारान्त, आकारान्त पुलिङ्ग और अकारान्त तथा इयाप्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्ग, शब्दों के बहुवचन में अन्तिम ‘अ’ और ‘आ’ को ‘ओं’ और सम्बोधन बहुवचन में ‘ओ’ हो जाता है । जैसे—बालकों को, लड़कों को, पुस्तकों को, डिवियों को । सम्बोधन में—हे बालको हे लड़को, हे पुस्तको, हे डिवियो—इत्यादि ।

(३) आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों, ऊपर बताये मामा, दादा, पिता, राजा, देवता, चन्द्रमा, सुरमा आदि आकारान्त पुलिङ्ग शब्दों तथा उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ—इनमें से कोई जिन के अन्त में है ऐसे सम्पूर्ण पुलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग शब्दों के अन्त में बहुवचन में ‘ओं’ और सम्बोधन के बहुवचन में ‘ओ’ जोड़ा

❁ विभक्तिरहित बहुवचन बनाने के दूसरे नियम की टिप्पणी में दिये मुखिया-आदि शब्दों के अन्तिम ‘आ’ को ‘ए’ विकल्प से होता है । जैसे—मुखिया को, मुखिये को अगुआ को, अगुए को, पटना को, पटने को इत्यादि । सम्बोधन में—हे मुखिया, हे मुखिये इत्यादि ।

जाता है और शब्द के अन्त में यदि 'ऊ' हो तो उसे 'उ' किया जाता है। जैसे—शालाओं को, माताओं को, मामाओं को, पिताओं को, राजाओं को, चन्द्रमाओं को, साधुओं को, धेनुओं को, भालुओं को, बहुओं को, चौबेओं को, एक्सरेओं को, बर्रेओं को, जैओं को, रासाओं को, जौओं को, गौओं को इत्यादि। सम्बोधन में—हे शालाओ, हे मामाओ, हे साधुओ, हे धेनुओ, हे भालुओ, हे बहुओ, हे चौबेओ, हे बर्रेओ, हे जौओ, हे गौओ इत्यादि। ❀

(४) इकारान्त तथा ईकारान्त सम्पूर्ण पुलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग संज्ञाओं के बहुवचन में अन्त में 'यों' और सम्बोधन के बहुवचन में 'यो' लगाया जाता है। अन्तिम 'ई' को 'इ' किया जाता है। जैसे—पतियों को, मतियों को, मालियों को, लड़कियों को—इत्यादि। सम्बोधन में—हे पतियो, हे मतियो, हे मालियो, हे लड़कियो—इत्यादि।

ऊपर लिखे नियमों को ध्यान में रखकर आगे दी हुई संज्ञाओं की रूपावली को देखो।

❀ पहले बताए आकारान्त पुलिङ्ग मुखिया आदि शब्दों के बहुवचन में विकल्प है। जैसे—मुखियों को, मुखियाओं को इत्यादि। सम्बोधन—हे मुखियो, हे मुखियाओ इत्यादि। ओकारान्त शब्दों के अन्त में केवल अनुस्वार जोड़ कर भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे—रासों को। सानुस्वार ओकारान्त तथा औकारान्त शब्द अविकृत रहते हैं। जैसे—सरसों को, दौं को। कई सरसोंओं को, दौंओं को—इत्यादि रूप भी बनाते हैं।

व्यंजनान्त संज्ञाओं के रूप भी अकारान्त संज्ञाओं के समान ही होते हैं। जैसे विद्वान् विद्वानों को, हे सब विद्वानो इत्यादि।

४ संज्ञाओं की रूपावली ।

अकारान्त पुलिङ्ग - बालक शब्द ।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	बालक, बालक ने	बालक बालकों ने
कर्म	बालक को	बालकों को
करण	बालक से	बालकों से
सम्प्रदान	बालक को	बालकों को
अपादान	बालक से	बालकों से
सम्बन्ध	बालक का-के-की	बालकों का-के-की
अधिकरण	बालक में-पर	बालकों में-पर
सम्बोधन	(हे) बालक	(हे) बालको

इसी प्रकार सब अकारान्त पुलिङ्ग शब्दों के रूप होते हैं ।

अकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के कर्ताकारक के विभक्तिरहित बहुवचन में रातें, बातें आदि रूप होते हैं । वाकी संपूर्ण रूप 'बालक' के समान होते हैं ।

अकारान्त पुलिङ्ग-घोड़ा शब्द

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	घोड़ा, घोड़े ने	घोड़े, घोड़ों ने
कर्म	घोड़े को	घोड़ों को
करण	घोड़े से	घोड़ों से
सम्प्रदान	घोड़े को	घोड़ों से
सम्बन्ध	घोड़े का-के-की	घोड़ों का-के-की
अधिकरण	घोड़े में-पर	घोड़ों में-पर
सम्बोधन	(हे) घोड़े	(हे) घोड़ो

इसी प्रकार ब्रह्मा, पहिया आदि अन्य आकारान्त शब्दों के रूप होते हैं ।

इय प्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के कर्ता के बहुवचन में कुरडलियां, डिवियां आदि रूप होने हैं । बाकी सब रूप घोड़ा' के समान ।

आकारान्त पुलिङ्ग— राजा शब्द ।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	राजा राजा ने	राजा, राजाओं ने
कर्म	राजा को	राजाओं को
करण	राजा से	राजाओं से
सम्प्रदान	राजा को	राजाओं को
अपादान	राजा से	राजाओं से
सम्बन्ध	राजा का-के की	राजाओं का के-की
अधिकरण	राजा में-पर	राजाओं में-पर
सम्बोधन	(हे) राजा	(हे) राजाओ

इसी प्रकार पिता. माना, नाना. देवता, चन्द्रमा, दरिया आदि शब्दों के भी रूप होते हैं ।

आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के कर्ता के विभक्तिरहित बहु-वचन में माताएं. शालाएं आदि रूप होते हैं । शेष सारे रूप 'राजा' के समान हैं ।

इकारान्त पुलिङ्ग-पति शब्द ।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	पति, पति ने	पति, पतियों ने
कर्म	पति को	पतियों को
करण	पति से	पतियों से

सम्प्रदान	पति को	पतियों को
अपादान	पति से	पतियों से
सम्बन्ध	पति का-के-की	पतियों का-के-की
अधिकरण	पति में-पर	पतियों में-पर
सम्बोधन	(हे) पति	(हे) पतियो

अन्य इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं ।
इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के कर्ता के विभक्तिरहित बहु-
वचन में मतियां, गतियां आदि रूप होते हैं । शेष सब रूप
'पति' के समान हैं ।

ईकारान्त पुल्लिङ्ग-धोबी शब्द ।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	धोबी, धोवी ने	धोबी, धोबियों ने
कर्म	धोबी को	धोबियों को
करण	धोबी से	धोबियों से
सम्प्रदान	धोबी को	धोबियों को
अपादान	धोबी से	धोबियों से
सम्बन्ध	धोबी का-के-की	धोबियों का-के-की
अधिकरण	धोबी-में-पर	धोबियों में-पर
सम्बोधन	(हे) धोबी	(हे) धोबियो

अन्य ईकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं ।
ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के कर्ता के विभक्तिरहित बहु-
वचन में लड़कियां, देवियां आदि रूप होते हैं । बाकी सब रूप
'धोबी' के समान हैं ।

उकारान्त पुल्लिङ्ग-गुरु शब्द ।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	गुरु, गुरु ने	गुरु, गुरुओं ने

कर्म	गुरु को	गुरुओं को
करण	गुरु से	गुरुओं से
सम्प्रदान	गुरु को	गुरुओं को
अपादान	गुरु से	गुरुओं से
सम्बन्ध	गुरु का-के-की	गुरुओं का-के-की
अधिकरण	गुरु में-पर	गुरुओं में-पर
संबोधन	(हे) गुरु	(हे) गुरुओ

अन्य उकारान्त पुलिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं ।

उकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के कर्ता के विभक्तिरहित बहुवचनमें धेनुषं आदि रूप होते हैं । शेष सब रूप गुरु के समान हैं ।

उकारान्त पुलिङ्ग-डाकू शब्द ।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	डाकू, डाकू ने	डाकू, डाकुओं ने
कर्म	डाकू को	डाकुओं को
करण	डाकू से	डाकुओं से
सम्प्रदान	डाकू को	डाकुओं को
अपादान	डाकू से	डाकुओं से
सम्बन्ध	डाकू का-के-की	डाकुओं का के की
अधिकरण	डाकू में-पर	डाकुओं में-पर
सम्बोधन	(हे) डाकू	(हे) डाकुओ

सभी उकारान्त पुलिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं ।

उकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के विभक्तिरहित बहुवचन में बहुषं, जोरुषं आदि रूप होते हैं ॥ शेष सारे रूप 'डाकू' के समान हैं ।

एकारान्त पुलिङ्ग-दुवे शब्द ।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	दुवे, दुवे ने	दुवे, दुवेओं ने
कर्म	दुवे को	दुवेओं को
करण	दुवे से	दुवेओं से
सम्प्रदान	दुवे को	दुवेओं को
अपादान	दुवे से	दुवेओं से
सम्बन्ध	दुवे का-के-की	दुवेओं का-के-की
अधिकरण	दुवे में-पर	दुवेओं में पर
सम्बोधन	(हे) दुवे	(हे) दुवेओ

अन्य एकारान्त पुलिङ्ग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं ।

एकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के विभक्तिरहित बहुवचन पेक्स-रेपं आदि रूप होते हैं । शेष सब रूप 'दुवे' के समान हैं ।

एकारान्त पुलिङ्ग-वरै शब्द ।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	वरै, वरै ने	वरै, वरैओं ने
कर्म	वरै को	वरैओं को
करण	वरै से	वरैओं से
सम्प्रदान	वरै को	वरैओं को
अपादान	वरै से	वरैओं से
सम्बन्ध	वरै का-के-की	वरैओं का के की
अधिकरण	वरै में-पर	वरैओं में-पर
सम्बोधन	(हे) वरै	(हे) वरैओ

अन्य एकारान्त पुलिङ्ग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं ।

ऐकारान्त स्त्रीलिंग के विभक्तिरहित बहुवचन में जौपं आदि रूप होते हैं। शेष रूप 'बरै' के समान हैं।

ओकारान्त पुलिङ्ग-माधो शब्द ।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	माधो, माधो ने	माधो, माधोओं ने
कर्म	माधो को	माधोओं को
करण	माधो से	माधोओं से
सम्प्रदान	माधो को	माधोओं को
अपादान	माधो से	माधोओं से
सम्बन्ध	माधो का-के-की	माधोओं का-के-की
अधिकरण	माधो में-पर	माधोओं में-पर
सम्बोधन	(हे) माधो	(हे) माधोओ

सभी ओकारान्त पुलिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं। ओकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के विभक्तिरहित बहुवचन में व्यासोंएं ('व्यासो' एक लड़की का नाम) आदि। शेष रूप 'माधो' के समान हैं।

सानुस्वार आकारान्त स्त्रीलिङ्ग — सरसों शब्द ।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	सरसों, सरसों ने	सरसों सरसों ने
कर्म	सरसों से	सरसों को

☞ कई बहुवचन में सरसोंएं, सरसोंओं ने-आदि रूप भी बनाते हैं। परन्तु प्रयोग में अधिक सरसों, सरसों ने आदि रूप ही आते हैं। इसी प्रकार चाबे आदि एकारान्त शब्दों के चाँबेओं ने आदि रूप बनाए जाते हैं, परन्तु प्रयोग में अधिक चाँबों ने आदि रूप ही आते हैं।

करण	सरसों से	सरसों से
सम्प्रदान	सरसों को	सरसों को
अपादान	सरसों से	सरसों से
सम्बन्ध	सरसों का-के-की	सरसों का-के-की
अधिकरण	सरसों में-पर	सरसों में-पर
सम्बोधन	(हे) सरसों	(हे) सरसों

अन्य सानुस्वार ओकारान्त शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं ॥

औकारान्त पुलिङ्ग—जौ शब्द ।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	जौ, जौ ने	जौ, जौओं ने
कर्म	जौ को	जौओं को
करण	जौ से	जौओं से
सम्प्रदान	जौ को	जौओं को
अपादान	जौओं से	जौओं से
सम्बन्ध	जौ का के-की	जौओं -का-के-की
अधिकरण	जौ में-पर	जौओं में-पर
सम्बोधन	(हे) जौ	(हे) जौओं

अन्य औकारान्त पुलिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं ।

ओकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के विभक्तिरहित बहुवचन में गौपं आदि रूप होते हैं । शेष सब रूप 'जौ' के समान हैं ।*

* हिन्दी में संस्कृत शब्दों के सम्बोधन के रूप संस्कृत के अनुसार भी प्रयुक्त किये जाते हैं । जैसे—(हे) राजन्, भगवन्, महात्मन्, कविते, प्रिये, राधे, हरे, सखे, जननि, पुत्रि, गुरो, साधो, प्रभो, मातः--इत्यादि ।

अभ्यास ।

कारक किसे कहते हैं ? कर्ता, कर्म और सम्प्रदान की विभक्तियां (चिन्ह) लिखो । अपादान, अधिकरण और सम्बन्ध के लक्षण क्या हैं ? कारकों के अनुसार शब्दों में क्या २ विकार होते हैं ? कौन २ शब्द अविकृत रहते हैं ? विधाता, पशु, भाडू, कोदों, रसिया, बिटिया शब्दों के सब कारकों में रूप लिखो ।

आगे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो—कबूतरें उड़ते हैं । मालें सूख गई । इन वस्तु को क्या करोगे ॥ इस बैल के सींगों टेदा है । विधाते की इच्छा ही ऐसा थी । दुःखी आत्मा की उद्धार करो ॥

चौथा अध्याय

१. सर्वनाम के भेद ।

संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिये उसके बदले सर्वनाम का उपयोग किया जाता है । जैसे— मोहनने सोहन के घर जाकर उसकी माता से उसके लिये रोटी ली और उसकी दुकान पर जाकर उसे दी । यहां 'सोहन' संज्ञा के बदले चार बार 'वह' सर्वनाम का उपयोग किया गया है । यदि सर्वनाम का उपयोग न किया जाता, तो इस प्रकार कहना पड़ता— मोहन ने सोहन के घर जाकर सोहन की माता से सोहन के लिये रोटी ली और सोहन की दुकान पर जाकर सोहन को दी । यहां सर्वनाम के बिना 'सोहन संज्ञा' को बार २ कहना पड़ा जिससे वाक्य बहुत भद्दा प्रतीत होता है ।

सर्वनाम के लिङ्ग और वचन वही होते हैं जो उन संज्ञाओं के हों जिनके बदले सर्वनाम का प्रयोग होता है ।

सर्वनाम पांच भेदों में बांटे गये हैं :—

१ पुरुषवाचक २ निश्चयवाचक ३ अनिश्चयवाचक
४ सम्बन्धवाचक और ५ प्रश्नवाचक ।

पुरुषवाचक सर्वनाम ।

बातचीत में या लेख में तीन का सम्बन्ध होता है । कहने वाले या लिखने वाले, सुनने वाले या पढ़ने वाले का और

उसका जिसके विषय में कुछ कहा या लिखा जाय। इन तीनों के विचार से पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं :--

उत्तमपुरुष, मध्यमपुरुष और अन्यपुरुष।

कहने या लिखने वाले का बोध कराने वाले सर्वनाम को 'उत्तमपुरुष' सुनने या पढ़ने वाले का बोध कराने वाले सर्वनाम को 'मध्यमपुरुष' और जिसके विषय में कहा या लिखा जाय उसका बोध कराने वाले सर्वनाम को 'अन्यपुरुष' कहते हैं। जैसे--मैं तुम्हें उसकी हालत सुनाता हूँ। इस वाक्य में 'मैं' कहने वाले का बोध कराता है और उसकी संज्ञा (नाम) के बदले आया है। इस लिये यह उत्तमपुरुषवाचक सर्वनाम है। 'तुम्हें' (तू शब्द का रूप) सुनने वाले का बोध कराता है और उसकी संज्ञा (नाम) के बदले आया है। इस लिये यह मध्यमपुरुषवाचक सर्वनाम है। 'उसकी' (वह शब्द का रूप) जिसके विषय में कुछ कहना है (जिसकी हालत सुनानी है) उसका बोध कराता है और उसकी संज्ञा (नाम) के बदले आया है। इसलिये यह अन्यपुरुषवाचक सर्वनाम है।

हिन्दी में सर्वनाम शब्द- मैं, तू, आप यह, सो, जो, सब; कोई, कुछ कौन क्या आदि हैं। इनमें से मैं-उत्तमपुरुष तू और आप (आदरसूचक)-मध्यमपुरुष और यह, वह आप (आदरसूचक), सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि अन्यपुरुष हैं। ❀

❀ संज्ञाएं भी अन्यपुरुष हैं। निजवाचक आप शब्द का प्रयोग तीनों पुरुषों में होता है और यह वाक्य में अकेला नहीं आता किन्तु दूसरे सर्व-

अन्यपुरुषवाचक सर्वनामों में से—यह, वह निश्चयवाचक, कोई, कुछ अनिश्चयवाचक, जो, सो सम्बन्धवाचक और कौन, क्या प्रश्नवाचक हैं ।

निश्चयवाचक सर्वनाम ।

निश्चयवाचक सर्वनाम वह है जिस से निश्चय पाया जाए । जैसे—यह अच्छा है, वह नहीं । यहां यह' शब्द से पदार्थ के समीप होने का और वह' शब्द से दूरवर्ती होने का निश्चय पाया जाता है । इसलिये ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं ।

अनिश्चयवाचक सर्वनाम ।

अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह है जिस से निश्चय न पाया जाय । जैसे—सब आते जाते हैं । कोई आया, कोई गया । कुछ सोते हैं, कुछ जागते हैं । इन वाक्यों में 'सब' 'कोई' और कुछ शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति के विषय में

नामों या संज्ञाओं के साथ आता है । जैसे—मैं आप वहां गया । तू आप वहां जाए तो काम हो । वह आप वहां गया । उनमें से कोई भी आप वहां नहीं गया । राम ने आप कहा-इत्यादि । इसलिये यह सर्वसाधारण (सर्वपुरुषवाचक) है । कई वैयाकरण इस सर्वनाम को अलग छठा भेद मानते हैं । वस्तुतः यह भी पुरुषवाचक ही है, क्योंकि इसका प्रयोग सब पुरुषों में होता है । निजवाचक आपशब्द के बदले खुद, स्वयं या स्वतः का भी प्रयोग होता है । जैसे-मैं-तू-वह, खुद स्वयं या स्वतः वहां गया-इत्यादि । जहां कहीं यह अकेला आता है वहां दूसरा शब्द छिपा होता है । जैसे-(मैं, तू, या कोई) आप भला तो जग भला । (मुझे, तुझे या सबको) अपने बड़ों का आदर करना चाहिये-इत्यादि ।

निश्चय नहीं पाया जाता, आने, जाने, सोने, जागने वाले व्यक्ति कौन हैं—यह निश्चित नहीं होता। इसलिये ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं।

सम्बन्धवाचक सर्वनाम ।

सम्बन्धवाचक सर्वनाम वह है जो एक बात का दूसरी बात के साथ सम्बन्ध प्रकट करता है। जैसे—जो देता है, सो लेता है। यहां 'देता' है 'लेता है' इन दो बातों का परस्पर सम्बन्ध 'जो' और 'सो' के द्वारा प्रकट होता है। इसलिये वे सम्बन्धवाचक सर्वनाम हैं। ❀ 'जो' 'सो' के

❀ इन दोनों का सम्बन्ध नित्य है। पहले वाक्य में 'जो' कहने से दूसरे वाक्य में 'सो' अवश्य कहना पड़ता है। 'जो' सदा पहले वाक्य में आता है और 'सो' दूसरे में। कविता में इस नियम के विरुद्ध भी प्रयोग होता है। जैसे—“सो ताको” सरवस जहां जाको लागो नेह।” 'जो' वा 'सो' का कभी २ लोप भी रहता है। जैसे—हुआ सो हुआ। जो होता है होने दो। 'जो आज्ञा महाराज'—इत्यादि। 'सो' की अपेक्षा वह का प्रयोग अधिक होता है। जो लड़का चाहे वह खम ठोक कर आए। जिसका व्याह उसके गीत। वह कौन है जिसके हृदय में प्रेम का अंकुर नहीं—इत्यादि। वस्तुतः सम्बन्धवाचक सर्वनाम एक 'जो' ही है। 'सो' 'वह' के समान निश्चयवाचक है। तथापि 'जो' का नित्यसम्बन्धी होने से कई वैयाकरणों ने इसे भी सम्बन्धवाचक माना है।

❀ विभक्तिसहित कर्ताकारक के बहुवचन में यह, वह, सो, जो और कौन के दो २ रूप होते हैं—इनेने—इन्होंने, उनने—उन्होंने, तिनने—तिन्होंने, जिनने—जिन्होंने, किनने—किन्होंने। कोई शब्द का विभक्ति-सहित बहुवचन नहीं होता। इसकी द्विगुक्ति का बहुवचन में प्रयोग करते हैं।

समान 'जौन' 'तौन' भी प्रयोग में आते हैं, किन्तु बहुत कम ।
जैसे— जौन करै, तौन भरे ॥

प्रश्नवाचक सर्वनाम

प्रश्नवाचक सर्वनाम वह है जिससे प्रश्न का बोध हो ।
जैसे—कौन जानता है ? क्या करते हो ? इत्यादि । 'कौन' का प्रयोग प्राणियों के लिये और विशेष कर मनुष्यों के लिये होता है और 'क्या' का क्षुद्र प्राणियों और प्राणिभिन्न पदार्थों वा धर्मों के लिये ॥

२. सर्वनामों का विकार (रूपान्तर)

कर्त्ताकारक के विभक्तिरहित बहुवचन में मैं, तू यह वह के रूप क्रम से हम, तुम, ये, वे होते हैं और बाकी सर्वनाम अविकृत (जैसे के तैसे) रहते हैं । शेष कारकों के एकवचन और बहुवचन में नीचे लिखे रूपान्तर होते हैं :—

जैसे—कोई २ कहते हैं । इसका विभक्तिरहित बहुवचन में रूप 'किसी २' होगा । जैसे—'किसी २ का' विचार है—इत्यादि । विभक्तिरहित बहुवचन में तो द्विरुक्ति क विना भी इसका रूप 'कोई' प्रयुक्त होता है । जैसे वे लोग कौन थे ? कोई होंगे । आज हमारे यहां कोई आए हैं इत्यादि ।

पुरुषवाचक सर्वनामों के विभक्तिरहित कर्त्ताकारक के एकवचन और सम्बन्धकारक को छोड़कर बाकी कारकों में अवधारण (निश्चय) प्रकट करने के लिये एकवचन में 'ई' और बहुवचन में 'ई' वा 'ही' जोड़ने से मुझको, तुम्ही को, हमीं को तुम्हीं को, उमी को, उन्हीं को इत्यादि रूप बनते हैं । 'यह', 'वह' के भी एकवचन और बहुवचन में क्रम से 'ई' और 'ही' लगता है । जैसे—'यही' चाहिये । 'वही' हुआ । इसी ने किया था 'इसी का' घर । 'उसी का' पुस्तक । 'इन्हीं का' यश है । उनकी जूती 'उन्हीं के' सिर ।

शब्द मैं, तू, यह, वह, कोई, कौन, जो जौन सो तौन
 एकवचन—मुझ तुझ इस उस किसी किस जिस तिस ।
 बहुवचन हम तुम इन उन × किन जिन तिन ।

कर्म और संप्रदान कारक में विकल्प से नीचे लिखे रूप भी होते हैं :—

शब्द मैं तू यह वह कौन जो जौन सो तौन
 एकवचन—मुझे तुझे इसे उसे किसी जिसे तिसे ।
 बहुवचन—हमें तुम्हें इन्हें उम्हें किन्हें जिन्हें तिन्हें ।

सम्बन्धकारक में मैं और तू के ये रूप होते हैं :—

शब्द	मैं	तू
एकवचन	मेरा-रे-रा	तेरा-रे-री
बहुवचन	हमारा-रे-री	तुम्हारा-रे-री

निजवाचक आप शब्द एकवचन में रहता है। बहुवचन संज्ञा और सर्वनाम के साथ भी यह एकवचन में ही आता है। सम्बन्धकारक में इसके रूप 'अपना-ने-नी' होते हैं। कर्ता और सम्बन्ध कारक को छोड़ शेष कारकों में 'आप' के विकृत रूप 'अपना' के साथ ('ने' के अतिरिक्त) सब विभक्तियां लगाई जाती हैं। आदरसूचक 'आप' शब्द के साथ सब विभक्तियां आती हैं और बहुवचन 'लोग' शब्द लगा कर बनाया जाता है। *

*सम्बन्धकारक के अतिरिक्त अन्य कारकों में 'अपना' और 'आप' इन दोनों का मिलकर प्रयोग होता है और आप के साथ विभक्तियां लगती हैं। जैसे—अपने आप, अपने आप को—इत्यादि। 'आप' का एक रूप 'आपस' (परस्परबोधक) भी संज्ञा के समान प्रयुक्त होता है। जैसे—'आपस में' विरोध रखना अच्छा नहीं। 'आपस की' फूट ने सत्या-

सब, कुछ और क्या शब्दों का रूपान्तर नहीं होता। 'सब' शब्द के साथ सब विभक्तियां लगती हैं। कुछ और क्या के साथ से और का, के, की को छोड़ और विभक्तियां नहीं आती। जैसे—क्या से' क्या कुछ के' कुछ, क्या 'का' क्या कुछ 'का कुछ, क्या के' क्या कुछ 'के' कुछ क्या 'की' क्या कुछ 'की' कुछ। कई वैयाकरण काहे को काहे से आदि 'क्या के रूपान्तर लिखते हैं। परन्तु ये रूप अब प्रयोग में नहीं आते। सर्वनामों का अस्वोधन नहीं होता।

ऊपर लिखे नियमों के अनुसार नीचे सर्वनामों की रूपावली दी जाती है।

३. सर्वनामों की रूपावली

ॐ
में

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	मैं, मैंने	हम, हमने
कर्म	मुझको, मुझे	हमको, हमें
करण	मुझसे	हमसे
सम्प्रदान	मुझको मुझे	हमको हमें
अपादान	मुझसे	हमसे
सम्बन्ध	मेरा, मेरे, मेरी	हमारा, हमारे, हमारी
अधिकरण	मुझमें--पर	हममें--पर

नास कर दिया—इत्यादि। 'आत्मीय' के अर्थ में 'अपना' शब्द के रूप 'लडका' शब्द के समान होते हैं। जैसे—जग में कोई नहीं 'अपना'। 'अपने' उद्देश्य से मुंह न मोड़ो। 'अपनों से' मनमुटाव अच्छा नहीं इत्यादि।

तू

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	तू, तूने	तुम, तुमने
कर्म	तुम्हको, तुम्हे	तुमको, तुम्हें
करण	तुम्हसे	तुमसे
सम्प्रदान	तुम्हको, तुम्हे	तुमको, तुम्हें
अपादान	तुम्हसे	तुमसे
सम्बन्ध	तेरा तेरे, तेरी	तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी
अधिकरण	तुम्हमें--पर	तुममें--पर

यह

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	यह इसने	ये * इनने, इन्होंने
कर्म	इसको इसे	इनको इन्हें
करण	इससे	इनसे
सम्प्रदान	इसको इसे	इनको, इन्हें
अपादान	इससे	इनसे
सम्बन्ध	इसका-के-की	इनका-के की
अधिकरण	इसमें--पर	इनमें--पर

* कई बहुवचन में 'ये' और 'व' के बदले 'यह' और 'वह' भी लिखते हैं, जो अनुकरणीय नहीं। 'यह' शब्द के बदले आदर के लिये 'आप' शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे—(कृष्ण ने सुदामा की ओर हाथ करके कहा) "आप = (यह) मेरे बाल सखा हैं"। 'आप' शब्द का एक और प्रकार का प्रयोग भी होता है। जैसे—यह लड़का किसका है ? यह पूछने पर 'मेरा' न कह कर कहते हैं 'आप का है'।

वह

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	वह, उसने	वे उनने, उन्होंने
कर्म	उसको, उसे	उनको, उन्हें
करण	उससे	उनसे
सम्प्रदान	उसको, उसे	उनको, उन्हें
अपादान	उससे	उनसे
सम्बन्ध	उसका-के-की	उनका-के-की
अधिकरण	उसमें-पर	उनमें पर

कोई

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	कोई किसीने	☞
कर्म	कोई किसीको	
करण	किसीसे	
सम्प्रदान	किसीको	—
अपादान	किसीसे	कोसे
सम्बन्ध	किसीका-के-की	कोका
अधिकरण	किसीमें-पर	कोमें

जो (जौन)

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	जो (जौन), जिसने	जो जौन), जिनने, जिन्होंने

☞ कोई २ इसका सविभक्तिक बहुवचन का रूप 'किन्हीं' लिखते हैं—कन्हीं को, इत्यादि । कर्ताकारक के विभक्तिरहित बहुवचन का रूप "कोई" होता है । जैसे—आज हमारे यहां कोई आये हैं ।

कर्म	जिसको जिसे	जिनको. जिन्हें
करण	जिससे	जिनसे
सम्प्रदान	जिसको, जिसे	जिनको, जिन्हें
अपादान	जिससे	जिनसे
सम्बन्ध	जिसका-के-की	जिनका के की
अधिकरण	जिसमें पर	जिनमें-पर

सो (तौन)

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	सो (तौन), तिसने	सो तौन). तिनने. तिन्होंने
कर्म	तिसको, तिसे	तिनको, तिन्हें
करण	तिससे	तिनसे
सम्प्रदान	तिसको तिसे	तिनको, तिन्हें
अपादान	तिससे	तिनसे
सम्बन्ध	तिसका-के-की	तिनका-के की
अधिकरण	तिसमें-पर	तिनमें-पर

कौन

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	कौन, किसने	कौन. किनने, किन्होंने
कर्म	किसको, किसे	किनको. किन्हें
करण	किससे	किनसे
सम्प्रदान	किसको, किसे	किनको, किन्हें
अपादान	किससे	किनसे
सम्बन्ध	किसका के-की	किनका-के-की
अधिकरण	किसमें-पर	किनमें पर

आप (आदरसूचक)

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	आप अपने	आप लोग आप लोगों ने
कर्म	आपको	आप लोगों को
करण	आपसे	आप लोगों से
सम्प्रदान	आपको	आप लोगों को
अपादान	आपसे	आप लोगों से
सम्बन्ध	आपका-के की	आप लोगों का-के-की
अधिकरण	आपमें पर	आप लोगों में-पर

आप (निजदाचक)

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	आप	
कर्म	अपने को	
करण	अपने से	
सम्प्रदान	अपने को	
अपादान	अपने से	
सम्बन्ध	अपना ने-नी	
अधिकरण	अपने में-पर	

नहीं होता

‘अपना’ और ‘आप’ दोनों के मिलने पर अपने आप, अपने आप को अपने आप से, अपने आप को, अपने आप में—आदि रूप होते हैं ❀

❀ ऊपर लिखे सर्वनामों के अतिरिक्त एक, दो, और अन्य, दोनों, पहला, दूसरा, कई आदि और भी सर्वनाम हैं। जैसे—‘एक’ गया, ‘दो’ आए। दुविधा में ‘दोनों’ गये। इस हफ्ते मैंने पांच चित्र तैयार किये, जिनमें से ‘पहला’ राजा की चित्रशाला में भेजा, ‘दूसरा’ एक मित्र

अभ्यास

सर्वनाम के कितने भेद हैं ? उन सब के नाम लक्षण और उदाहरण बताओ । कोई, आप (निजवाचक), जो, मैं-के सब रूप लिखो । सर्वनामों के विकार के नियम बताओ ।

आगे लिखे वाक्यों में खाली स्थानों में उचित सर्वनाम रक्खा:—

को दिया, 'और' (या 'अन्य') अभी रक्खे है । 'कई' इस मत को नहीं मानते इत्यादि ।

कुछ सर्वनाम जोड़ा २ होकर भी प्रयोग में आते हैं । जैसे—कोई कोई, कोई (न) कोई, जो कोई, कई एक, एक यह (तो) दूसरा वह, कोई कुछ (तो) कोई कुछ, सब कोई, एक आध, और कौन, कौन कौन, क्या क्या, कुछ (न) कुछ, एक (न) एक, कोई और, कुछ (का) कुछ, क्या (का) क्या, और का और, क्या से क्या—इत्यादि ।

जब सर्वनाम विशेष्य (किसी संज्ञा) के पहले आते हैं तो ये उसके विशेषण बन जाते हैं । जैसे—'इस' घोड़े का 'कोई' अङ्ग बेडाल नहीं । इस वाक्य में 'इस' और 'कोई' घोड़े और अङ्ग के विशेषण हैं ।

कई सर्वनाम अव्यय के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं । जैसे—'जो' (= यदि) मेरी बात मानो तो कहूँ । हर किसी में ताकत नहीं 'जो' (= कि) मोटर को रोक सके । यह 'जो' (क्रियावि०) बैठा हूँ । लीजिये सरकार, 'यह' (= अभी, क्रियावि०) मैं सब ठीक किये देता हूँ । आज गर्मी 'कुछ' (क्रियावि०) घटी है । 'क्या' (प्रश्न) मोहन चला गया ? वह मेरा 'क्या' कर लेगा !—इत्यादि ।

सर्वनामों से ऐसा, वैसा, इतना, उतना, कितना आदि विशेषण और यहाँ, वहाँ, कहाँ, अब, तब, कब आदि अव्यय बनते हैं ।

मैंने—भाई को बुलाया । जो कहे—करे ।—किसका है ?
मैं—कहूँ ? तू—पुस्तक—दे ।

आगे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो:— मुझका भाई वह के
घर गया । तुमका घर मैं के घर से बड़ा है । हमारे के लिये
अपने के घर से दूध लाओ । जो का काम सो को साजे ।



पांचवां अध्याय ।

१. विशेषण के भेद ।

विशेषण वस्तुओं की विशेषता को प्रकट करते हैं । जिन वस्तुओं की विशेषता विशेषणों द्वारा प्रकट की जाती है, उनकी संज्ञा को 'विशेष्य' कहते हैं । जैसे—'बलवान् पुरुष' इसमें 'बलवान्' विशेषण है और 'पुरुष' विशेष्य है ।

विशेषण चार प्रकार के होते हैं—गुणवाचक, संख्या-वाचक और निर्देशक ।

१. गुणवाचक विशेषण वे हैं जो वस्तुओं के गुण, दशा, आदि का (वस्तुएं कैसी हैं—इसका) बोध कराते हैं । इनके अन्तर्गत अर्थों में से मुख्य २ ये हैं:—

रंग—काला, पीला, नीला आदि ।

आकार—गोल, सुडौल, सुन्दर, बेडौल, विरूप आदि ।

दशा—रोगी, दुःखी, सुखी, दुबला, गाढ़ा, गीला आदि ।

ॐ यह, वह, आप—ये सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसके अर्थ का निर्देश करते हुए निर्देशक विशेषण बन जाते हैं । (इसी प्रकार कई सर्वनाम संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण होते हैं) इसलिये कई वैयाकरणों ने विशेषण का भेद 'निर्देशक' न मानकर उसके स्थान पर 'सर्वनामिक' माना है ।

देश—हिन्दुस्थानी, चीनी, जापानी, युरोपियन अमरीकन
आदि ।

काला—नया, पुराना, भूत, वर्तमान, भविष्य, गत-
आगामी आदि ।

स्थान—बाहरी, भीतरी, ऊचा, नीचा आदि ।

दशा—पूर्वी, पच्छिमी, दक्षिणी, उत्तरी, दायं (दहना),
बायां आदि ।

गुण—अच्छा (भला), बुरा (खोटा), धर्मो, पापी
आदि ।*

२ --परिमाणवाचक विशेषण वे हैं जो वस्तुओं का
परिमाण या माप (वस्तुएं माप में कितनी हैं-यह) बताते हैं।
जैसे—सेर, मन, थोड़ा, बहुत आदि। इनमें सेरभर दूध,

ॐ सादृश्य के अर्थ में 'सा' प्रत्यय, नाम या नामक, सम्बन्धी और
रूपी आदि संज्ञा के साथ लगाकर भी ये विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे—
मुफसा, तुफसा, दशरथसा, दारुकनाम सारथि, भीमनामक पाण्डव, देश-
सम्बन्धी, कालरूपी व्याल (साँप) —इत्यादि । इसी प्रकार मुफसरीखा
मुफ जैसा, रामसरीखा, रामजैसा आदि भी (यहां सरीखा, और जैसा का
प्रयोग सम्बन्धवाचक के समान हुआ है) । इसी भांति तुम्हारे ऐसा, मेरे
जैसा, उसकासा आदि भी प्रयोग में आते हैं। गुणवाचक विशेषणों के
साथ हीनता के अर्थ में 'सा' प्रत्यय लगाया जाता है । बड़ा सा आम,
ऊंचासा चबूतरा इत्यादि । गुणवाचक विशेषणों के बदले बहुधा सम्बन्ध-
कारक के रूप प्रयोग में आते हैं। जैसे—देशी व्यापार = देश का व्यापार
चीनी यात्री = चीन का यात्री, घरू आदमी = घर का आदमी—
इत्यादि।

मनभर (पानी), गज़भर (कपड़ा) आदि निश्चितपरिमाण-वाचक हैं और थोड़ा (दूध), बहुत (पानी), सारा (कपड़ा)—आदि अनिश्चितपरिमाणवाचक हैं। परिमाणवाचक संज्ञाओं में 'ओं' जोड़ने से भी अनिश्चितपरिमाणवाचक विशेषण बनते हैं। जैसे—सेरों (बादामरोगन), मनों (दूध), टोकरों (फल), ढेरों (अनाज), मीलों (लम्बा—इत्यादि)। ❀

३—सख्यावाचकविशेषण वे हैं जिनसे वस्तुओं की सख्या जानी जाती है जैसे—एक, दो, अनेक, कई आदि। इनके तीन भेद हैं—निश्चितसंख्यावाचक, अनिश्चित-सख्यावाचक और विभागवाचक या प्रत्येकबोधक।

(क) निश्चितसंख्यावाचक वे हैं जिनसे निश्चित संख्या का ज्ञान होता है इनके चार भेद हैं:—

(अ) गणनावाचक, जैसे—एक, दो, तीन, चार आदि।

❀ निश्चितपरिमाण बताने के लिये परिमाणवाचक संज्ञा के पहले निश्चितसंख्यावाचक विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे—चार सेर, दो मन, पांच गज़, दस हाथ, दो इंच इत्यादि। 'भर' प्रत्यय 'एक' के अर्थ में जोड़ा जाता है। जैसे—मनभर = एक मन, हाथभर = एक हाथ इत्यादि। बहुत, अधिक, थोड़ा आदि के साथ 'सा' प्रत्यय निश्चय के अर्थ में लगाया जाता है। जैसे—थोड़ासा 'पानी', बहुतसा दही—इत्यादि। बहुत-सारा, बहुत-कुछ, कम-ज्यादा आदि संयुक्त परिमाणवाचक हैं। 'बहुत' रोया, 'थोड़ा' बरसा इत्यादि में परिमाणवाचक विशेषण 'क्रियाविशेषण' के समान प्रयुक्त हुए हैं। इसी भांति 'एक' (केवल) उसी का डर है। तू 'इतना' क्यों डरता है। 'कैसा' मारा इत्यादि में 'एक' 'इतना' आदि का भी 'क्रियाविशेषण' के समान प्रयोग हुआ है।

(आ) क्रमवाचक, जैसे—पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि।
 (इ) आवृत्तिवाचक, जैसे—दुगुना, तिगुना, चौगुना आदि।
 (ई) समुदायवाचक, जैसे—दोनों, तीनों, चारों, छत्रों, बीसों, पचासों आदि।*

(ख) अनिश्चितसंख्यावाचक वे हैं जिनसे निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं होता। जैसे—सब (लोग), बहुत (फल), थोड़े (आदमी), कई (घोड़े), अनेक (घर), कुछ (लोग), इत्यादि। सब, बहुत, थोड़ा, अधिक, कम, पूरा, सारा, कुछ, आदि विशेषण जब एकवचन संज्ञा के साथ आते हैं तो अनिश्चितपरिमाणवाचक होते हैं† और जब बहुवचन संज्ञा के

* एक, दो, तीन, चार, और छः के क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा होते हैं। बाकी गणनावाचकों में 'वां' लगाने से क्रमवाचक बनते हैं। जैसे—पाँचवां, सातवां, आठवां, नवां, दसवां, बीसवां, पचासवां—इत्यादि। 'गुना' लगाने से आवृत्तिवाचक बनते हैं। (इन में दो से आठ तक गणनावाचक शब्दों का पहला स्वर 'गुना' पर होने पर कुछ विकृति हो जाता है) जैसे—दुगुना वा दूना, तिगुना, चौगुना, पंचगुना, छगुना, सतगुना, अठगुना—इत्यादि। 'दो' के और 'नों' और बाकी गणनावाचकों में 'ओं' लगाने से समुदायवाचक बनते हैं। जैसे—दोनों, तीनों, चारों, बीसों, पचासों इत्यादि। इकहरा, दुहरा, तिहरा आदि 'हरा' प्रत्यय लग कर बने हुए परत के वाचक शब्द आवृत्तिवाचकों के ही अन्तर्गत हैं।

† धान, चावल आदि शब्द प्रायः बहुवचन में ही आते हैं, परन्तु येंतोले जाते हैं (इनका हिमाब गिन कर नहीं लगाया जाता) इस कारण इनके लिये आनेवाले सब, बहुत आदि विशेषण परिमाणवाचक ही होते हैं।

साथ आते हैं तो अनिश्चितसंख्यावाचक होते हैं। दूसरा भेद यह है कि जब ये तौलमाप कर जानी जाने वाली वस्तुओं के लिये आते हैं (तोल या माप को प्रकट करते हैं) तो अनिश्चितपरिमाणवाचक होते हैं और जब गिन कर जानी जाने वाली वस्तुओं के लिये आते हैं (गिननी को प्रकट करते हैं) तो अनिश्चितसंख्यावाचक होते हैं। जैसे :—

अनिश्चितपरिमाणवाचक	अनिश्चितसंख्यावाचक
सब धन	सब रुपये
बहुत दूध	बहुत फल
थोड़ा पानी	थोड़े बर्तन
अधिक अनाज	अधिक लोग
कम धी	कम पुस्तकें
पूरा कपड़ा	पूरे कपड़े
सारा नगर	सारे नगर
कुछ माकखन	कुछ टिकियां

(ग) विभागवाचक या प्रत्येकबोधक वे हैं जिनसे कई वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध होता है। जैसे—प्रत्येक (आदमी), हर-एक (घर), हर (रोज़), हर (तीसरे हफ्ते), हर (दसवें दिन)—इत्यादि। ‡

‡ गणनावाचक शब्दों तथा गंज्ञा शब्दों की द्विरुक्ति होने पर वे भी "प्रत्येकबोधक" का अर्थ देते हैं। जैसे—'एक एक' मिखभंगे को 'एक एक' कंबल और 'दो दो' रुपये दिये गये। वे 'सौ सौ, दो दो' सौ की टोलियां बनकर जाने लगे। 'घर घर' आनन्द मनाया जा रहा है। 'वन वन' घूमे। 'मन मन' दूध। 'सेर सेर' खोया। इसी भांति 'जो जो' (आदमी) आएगा 'सो सो' पाएगा। 'किसी किसी' वृत्त पर।

४—निर्देशक वे हैं जिनमें निर्देश या संकेत (वस्तुओं की ओर अङ्गुलि आदि से इशारा) पाया जाता है (और इस प्रकार वस्तुओं का समीप होना या दूर होना आदि विशेषता प्रकट होती है) । जैसे—यह लड़का । वह घोड़ा । (हनुमान हाथ द्वारा संकेत करके सुग्रीव से कहता है) आप राम हैं और आप लक्ष्मण । परला घर । ऐसी छड़ी । ❀

‘कोई कोई’ आदमी’ । ‘सवा सवा’ मरा । ‘ढाई ढाई’ साँ मजदूर—इत्यादि में अन्य शब्दों की द्विरुक्ति से भी ‘प्रत्यकबोधक’ का सा अर्थ पाया जाता है । ‘लगभग’ के अर्थ में गणवाचक तथा परिमाणवाचक शब्दों के साथ ‘एक’ शब्द जोड़ा जाता है । जैसे—दो-एक, दस-एक, चालीस-एक, सौ-एक, हजार-एक, (आदमी आए होंगे) । सेर-एक, मन-एक, घड़ा-एक, (दूध होगा) गज़-एक (कपड़ा) । मील-एक (रास्ता)—इत्यादि । कुछ-एक, कई-एक, कितने-एक, कोई-एक आदि ‘अनिश्चय’ के अर्थ में आते हैं ।

❀ विशेषणों का प्रयोग दो प्रकार से होता है, विशेष्य (संज्ञा) के पहले और विशेष्य के बाद । जैसे—**धनी लोग** किसी के मित्र नहीं होते । **शङ्करलाल धनी** है । पहले वाक्य में ‘धनी’ विशेषण ‘लोग’ विशेष्य के पहले आया है और इसका सम्बन्ध सीधा ‘लोग’ विशेष्य से है । इसलिये इसको विशेष्यविशेषण कहते हैं । दूसरे वाक्य में ‘धनी’ विशेषण ‘शंकरलाल’ विशेष्य के बाद आया है और इसका सम्बन्ध सीधा ‘है’ क्रिया (विधेय) के साथ है । इस प्रकार इस विशेषण (धनी) से ‘है’ क्रिया द्वारा शङ्करलाल के धनी होने का विधान पाया जाता है । इसलिये इसे ‘विधेयविशेषण’ कहते हैं ।

‘कल मोहन ने श्याम के साथ **‘बुरी’** की । बाह तुमने **‘अच्छी** की ! **‘खूब’** की ! मैंने उससे **‘ऐसी’** की कि कभी नहीं भूलगा । बेचारी सीता पर **‘कड़ी’** बीती । “रहिमन लाख **‘भली’** करौं, अगुनी अगुन

२. तुलना ।

वस्तुओं के गुणों के मिलान को तुलना कहते हैं । तुलना के विचार से विशेषणों की तीन अवस्थाएँ होती हैं—

१ मूलावस्था या स्वरूपावस्था, २ उत्तरावस्था और ३ उत्तमावस्था ।

१—मूलावस्था में तुलना नहीं होती । जैसे—मोहन बुद्धिमान् है । इसमें मोहन की किसी से तुलना नहीं की गई । दूसरी दोनों अवस्थाओं में तुलना होती है ।

२—उत्तरावस्था में दो की तुलना करके एक की अधिकता या न्यूनता दिखाई जाती है । जैसे मोहन श्याम से बुद्धिमान् है । मोहन श्याम से कमज़ोर है । इनमें कम से मोहन की श्याम से अधिकता और न्यूनता दिखाई गई है ।

३—उत्तमावस्था में दो से अधिक वस्तुओं की तुलना न जाय । बटोही ने चारपाई मिलते ही 'लम्बी' तानी—इत्यादि में 'बुरी' आदि विशेषण अकेले ही आये है । इनके विशेष्य लुप्त हैं और अनुमान से समझे जा सकते हैं । जैसे—श्याम के साथ 'बुरी' की = श्याम की बुरी 'गत' की । उससे ऐसी की = उसकी ऐसी 'दुर्दशा' की—इत्यादि । 'बड़े' बड़ाई ना तजें । 'जैसे' को 'तैसा' मिले । 'दुखियों' पर दया करो—इत्यादि में 'बड़ा' आदि विशेषणों का संज्ञा के समान प्रयोग हुआ है ।

विशेषणों की द्विरुक्ति से 'अतिशय' का अर्थ पाया जाता है । जैसे—**लाल लाल** (अति लाल) आंखें निकाल कर । **काली काली** (अति काली) घटा—इत्यादि ।

करके एक को उन सब से अधिक या न्यून बताया जाता है । जैसे-विद्यार्थियों में मोहन सब से बुद्धिमान् है । इसमें मोहन को सब से अधिक बताया गया है । विद्यार्थियों में मोहन सब से कमजोर है । इसमें मोहन को सब से न्यून बताया गया है ।

इसी भांति कालू मूर्ख है (स्वरूपा०), कालू निहाल से मूर्ख है (उत्तरा०), क्लास में कालू सब से मूर्ख है (उत्तमा०) ।

जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसकी संज्ञा (नाम) के आगे 'से' (अपादानकारक की विभक्ति लगाते हैं, अथवा 'की अपेक्षा या बनिस्वत अधिक या कम' (अर्थानुसार) लगाते हैं । जैसे—हनूमान् भीम से या भीम की अपेक्षा अधिक बलवान् है । कभी २ 'से' के स्थान में 'में' भी लगाते हैं और कभी २ 'से बढ़ कर' 'से कहीं' 'से अधिक' से कम या उतरकर 'में अधिक या कम' (अर्थानुसार) लगाते हैं । जैसे—राम और मोहन इन दोनों में मोहन चतुर है । राम मोहन से बढ़कर या अधिक चतुर है । राम श्याम से कहीं सुखी है । वह उससे कहीं दुःखी है । पढ़ने में श्याम राम से कम या उतरकर है । इन दोनों में यह कम चालाक है (या अधिक चालाक है) इत्यादि ।

उत्तमावस्था प्रकट करने के लिये 'सब से' या 'सब में' लगाते हैं । जैसे—सब से बड़ा संकट । संसार में सब से ऊंचा पर्वत हिमालय है । यह कपड़ा सब में घटिया है । यह नगर सब नगरों से (या में) बड़ा है । (इसी भांति सब नगरों में इस नगर से बड़ा कोई नहीं है । सब नगरों में इस नगर के बराबर कोई नहीं है) । इसी प्रकार यह सब से अधिक डरपोक है । यह सब से कम शक्ति रखता है—इत्यादि ।

उत्तमावस्था दिखाने के लिये कभी २ विशेषणों की द्विरुक्ति भी करते हैं और द्विरुक्ति में कभी २ पहले शब्द के आगे 'से' (अपादान-कारक विभक्ति) लगाते हैं अथवा विशेषणों के पहले अति, अत्यन्त आदि शब्द लगाते हैं और कभी २ अति आदि के अनन्तर अतिशय में अधिकता प्रकट करने के लिये 'ही' भी लगाया जाता है। जैसे—अच्छे-अच्छे कपड़े। अधिक अधिक (या अधिकाधिक) सुख। उत्तम उत्तम (या उत्तमोत्तम) गहने। बड़े से बड़े धनी। छोटे से छोटे जीव। कठिन से कठिन काम। तुच्छ से तुच्छ पुरुष को भाग्य बड़े से बड़ा बना देता है। वे मामूली से मामूली बात पर झगड़ पड़ते हैं। अति स्वच्छ जल। अत्यन्त मैला कपड़ा। बहुत ऊंचा पेड़। बहुतही कमजोर आदमी। अति ही सुन्दर बालक। अत्यन्त ही घना जंगल—इत्यादि।

संस्कृत शब्दों में उत्तरावस्था प्रकट करने के लिये विशेषण के आगे 'तर' और उत्तमावस्था प्रकट करने के लिये 'तम' लगाया जाता है जैसे—प्रिय से प्रियतर, प्रियतम। दृढ़ से दृढ़तर, दृढ़तम—इत्यादि। घनिष्ठ आदि कुछ 'इष्टन्' प्रत्ययान्त भी हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं।

३. विशेषणों का विकार।

विशेषणों के लिङ्ग, वचन और कारक विशेष्य (संज्ञा) के अनुसार होते हैं (अकारान्त विशेषण स्त्रीलिङ्ग में ईकारान्त होजाते हैं। बाकी सब विशेषण दोनों लिङ्गों में एक से रहते हैं) पर विभक्तियां केवल विशेष्य (संज्ञा) के साथ ही लगती हैं और विभक्ति तथा बहुवचन के कारण होने वाले विकार (रूपान्तर) भी विशेष्य में ही होते हैं। आकारान्त पुलिङ्ग विशेषण का 'आ' कर्ता कारकके एकवचन को छोड़कर अन्यत्र

‘ए’ हो जाता है। जैसे—अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छे लड़के, सुडौल लड़का, सुडौल लड़की। घरू आदमी। घरू औरत। अच्छी लड़कियां। घरू औरतें। अच्छे लड़के को-से-को-से-का-के की-में-पर। अच्छे लड़कों को से-इत्यादि। अच्छी लड़की का-से-इत्यादि। अच्छी लड़कियों को-से-इत्यादि। सुडौल लड़के (कों) को-से-इत्यादि। सुडौल लड़की (कियों) को-से-इत्यादि। घरू आदमी (मियों) को-से-इत्यादि। घरू औरत (तों) को-से-इत्यादि। इन उदाहरणों में विशेषण का लिङ्ग ऋवचन और कारक वही है जो विशेष्य (संज्ञा) का। आकारान्त विशेषण ‘अच्छा’ स्त्रीलिङ्ग में ईकान्त ‘अच्छी’ होगया है। ‘सुडौल’ और ‘घरू’ विशेषण दोनों लिङ्गों में एक से हैं। विभक्तियां केवल लड़का, लड़की आदि विशेष्यों (संज्ञाओं) के साथ ही लगी हैं और विकार (रूपान्तर) भी विशेष्यों में ही हुआ है। किन्तु अच्छा लड़का, अच्छे लड़के को (-कों को) -इत्यादि में आकारान्त पुलिङ्ग ‘अच्छा’ का अन्तिम ‘आ’ कर्ता कारक के एकवचन को छोड़ अन्यत्र ‘ए’ हांगया है।

ऋसंस्कृत विशेषणों को हिन्दी में भी कई लेखक विशेष्य के स्त्रीलिङ्ग होने में स्त्रीलिङ्ग में बदल देते हैं। जैसे—“म्लाना नितान्त अवलोक सरोजिनी” को “हैं कांपती दीपशिखा विशाला” इत्यादि में ‘म्लान’ और ‘विशाल’ विशेषणों को ‘म्लान’ और ‘विशाला’ बना दिया है। परन्तु ऐसे प्रयोग खटकते हैं। हिन्दी में ‘सरोजिनी को म्लान अवलोक (देखकर), और विशाल दीपशिखा कांपती हैं’—इस प्रकार ‘म्लान’ और ‘विशाल’ लिखना ही अच्छा लगता है, ‘म्लाना’ और ‘विशाला’ नहीं। हां, जो प्रयोग खटकते नहीं वे दोनों रूपों में लिखे जा सकते हैं। जैसे—सुन्दर बालिका या सुन्दरी बालिका। सुशील कन्या या सुशीला कन्या। परन्तु कुछ संस्कृत विशेषण ऐसे भी हैं जो स्त्रीलिङ्ग

सर्वनामों को विशेषण के रूप में भी वही विकार (रूपान्तर) होता है जो उनको सर्वनाम के रूप में होता है। जैसे—
 मैं तू-यह-वह-कोई-कौन दीन। हम-तुम-ये-वे-कोई-कौन दीन।
 मुझ दीन को-से-इत्यादि। हम दीनों को-से इत्यादि।
 तुझ हठी को-से इत्यादि। तुम हठियों को-से इत्यादि। इसी प्रकार उस (इस) पेड़ को, उन (इन) पेड़ों को, किसी ब्राह्मण को, किस बालक को, किन बालकों को-इत्यादि। ❀

अभ्यास

विशेषण कितने प्रकार के हैं? उनके नाम, लक्षण और उदाहरण बताओ। संख्यावाचक विशेषणों के अवान्तर भेद उदाहरण सहित बताओ। दो, चार, नौ, सौ, शब्दों से क्रम-वाचक शब्द बनाओ। विशेषणों के विकार की रीति बताओ। संस्कृत विशेषणों के विकार का क्या नियम है? तुलना किसे कहते हैं? तुलना के अनुसार विशेषणों की कितनी अवस्थाएं होती हैं और वे किस प्रकार प्रकट की जाती हैं? उदाहरण भी दो। सारा नगर, सारे नगर। दस फल, दस-एक फल— इनमें क्या भेद है?

विशेषणों के साथ आने पर पुलिङ्ग रूप में लिखे जाएं तो खटकते हैं। उन्हें स्त्रीलिङ्ग में बदल कर लिखना चाहिये। जैसे—**श्रीमान् राजा** और **श्रीमती रानी**, श्रीमान् रानी नहीं। इसी भांति सुहासी पुरुष, सुहासिनी स्त्री। गुणवान् पुरुष, गुणवती स्त्री-इत्यादि।

❀कोई दम में, घड़ी में, कोई दम का ("यह जीवन है कोई दम का") ये अपवाद हैं। यहां 'कोई को किसी नहीं हुआ।

छठा अध्याय

—:❁:—

१. क्रिया के भेद

हरिण भागता है। मोहन सो गया राम जाएगा।—इन 'भागता है, 'सो' गया, जाएगा—ये क्रियाएं हैं। क्योंकि 'ये हरिण' 'मोहन और 'राम' के विषय में 'भागने' सोने और 'जाने' का विधान करती हैं। क्रिया के मूल को (जिसमें विकार होने से भिन्न २ क्रियाएं बनती हैं) धातु कहते हैं।

धातु के आगे 'ना' प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द बनता है, उसे क्रिया का सामान्य रूप कहते हैं। जैसे— जा से जाना. 'भाग' से भागना. 'सो' से सोना इत्यादि। क्रिया के सामान्य रूप का प्रयोग संज्ञा के समान होता है। इसलिये इसे 'क्रियार्थक संज्ञा' भी कहते हैं। जैसे— बहुत 'भागना' 'दिन को 'सोना' और 'जाना जंगल में अकेले अच्छा नहीं है।

क्रिया द्वारा दो अर्थ प्रकाशित होते हैं—व्यापार और फल। राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ने का व्यापार राम करता है और उसका फल पुस्तक पर पड़ता है अर्थात् पुस्तक पढ़ी जाती है। राम सोता है। इस वाक्य में सोने का व्यापार राम करता है और उसका फल भी उसी पर पड़ता है अर्थात् वही सोता है (नींद का सुख लेता है)।

व्यापार करने वाले को 'कर्ता' कहते हैं और जिस पर व्यापार का फल पड़ता है उसे 'कर्म' कहते हैं ।

राम पुस्तक पढ़ता है । इस वाक्य में पढ़ने का व्यापार करने वाला 'राम' कर्ता है और पढ़ने का फल पुस्तक पर पड़ता है (वह पढ़ी जाती है) इसलिये पुस्तक कर्म है । क्रिया के मुख्य भेद दो हैं—सकर्मक या कर्मवाली और अकर्मक या कर्म के बिना । जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता को छोड़ कर्म पर पड़ता है (अर्थात् व्यापार और फल एक में नहीं रहते) वे सकर्मक होती हैं । जैसे—राम पुस्तक पढ़ता है—इस वाक्य में 'पढ़ता है' क्रिया का व्यापार राम में रहता है (पढ़ने वाला राम है) परन्तु पढ़ने के व्यापार का फल राम को छोड़ पुस्तक पर पड़ता है (पढ़ी जाती है पुस्तक) इसलिये 'पढ़ता है' यह क्रिया सकर्मक है—'पुस्तक' इसका कर्म है ।

जिन क्रियाओं का व्यापार और फल—ये दोनों एक (कर्ता) ही में रहते हैं वे अकर्मक होती हैं । जैसे—राम सोता है ।—यहां सोने का व्यापार और उसका फल दोनों राम (कर्ता) में ही रहते हैं (अर्थात् राम ही सोने

* जिन क्रियाओं के साथ प्रश्न के लिये 'किसको, या 'क्या, लग सकता है वे सकर्मक होती हैं । जैसे—(प्रश्न) राम क्या पढ़ता है ? (उत्तर) राम पुस्तक पढ़ता है । (प्रश्न) मोहन किसको मरता है ? (उत्तर) मोहन सोहन को मारता है । इनमें 'क्या और' 'किसको, के उत्तर में 'पुस्तक, और सोहन आये हैं । वे ही पढ़ता है, और 'मारता है, क्रियाओं के कर्म हैं ।

के व्यापार को करता है और उसी में उसका फल रहता है— वही सोनेवाला और वही सोने के फल को पाने वाला है) इसलिये 'सोता है' क्रिया अकर्मक है-इसका कर्म कोई नहीं है । ❀

जब सकर्मक क्रियाओं द्वारा केवल व्यापारमात्र प्रकट किया जाता है और कर्म की विवक्षा नहीं होती तब वे भी अकर्मक हो जाती हैं । जैसे—वह देखता है, सुनता है, बोलता है—यहां 'देखता है' आदि क्रियाओं से केवल देखना आदि व्यापार ही प्रकट किया जाता है, किसी कर्म की विवक्षा नहीं है । इनका अर्थ यही होता है कि वह देख सकता है, अन्धा नहीं; सुन सकता है, बहरा नहीं; बोल सकता है; गूगा नहीं । 'क्या देखता है या किसको देखता है' यह प्रकट करना यहां अभीष्ट नहीं । इसलिये ये सकर्मक क्रियाएं भी अकर्मक होगई हैं ।

जब अकर्मक क्रियाओं के व्यापार या अर्थ को एक प्रकार का कर्म मान कर उनके साथ जोड़ देते हैं तब वे सकर्मक हो जाती हैं । जैसे—वह खूब 'लड़ाई लड़ा । वह

❀ जिन क्रियाओं के साथ प्रश्न के लिये 'क्या, या 'किसको, नहीं' लग सकता, वे अकर्मक हैं । जैसे—जागता है' सोता है, खड़ा है—इत्यादि । इन क्रियाओं के साथ 'क्या, या ,किसको, लग ही नहीं सकता, क्योंकि 'क्या जागता है' या 'किसको जागता है' ऐसा प्रश्न नहीं उठ सकता । इसलिये जागता है, इत्यादि क्रियाएं अकर्मक हैं ।

अच्छी 'चाल, चला । वह लम्बी 'दौड़' दौड़ा । वह 'सुख की नाँद' सोया इत्यादि ।

कई क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों होती हैं जैसे— वह सिर को खुजलाता है (सकर्मक) । उसका सिर खुजलाता है (अकर्मक) । तुम मुझे क्यों लजाते हो सक० । लड़की लजाती है (अक०) । वह चन्दन घिसता है (सक०) । जूता घिसता है (अक०) । उसने चाल बदली (सक०) । समय बदलता है (अक०) । उसने घड़ा भरा (सक०) । अभी घड़ा नहीं भरा (अक०) ।—इत्यादि ।

कई सकर्मक क्रियाएं एककर्मक (एककर्मवाली) होती हैं; जैसे—मैंने 'रोटी' खाई ।—इत्यादि और कई द्विकर्मक (दो कर्म वाली) होती हैं; जैसे—मैंने उसे 'व्याकरण' पढ़ाया । उसने 'भूखे को' 'रोटी' दी । उसने 'मुझे' कथा' सुनाई । मैंने 'उसे' एक 'बात' कही । उसने 'मुझे' एक 'चाल' बतलाई ।—इत्यादि । इन वाक्यों में 'उसे' आदि पहले कहे हुए कर्म अप्रधान या गौण हैं और 'व्याकरण' आदि अनन्तर कहे हुए कर्म प्रधान या मुख्य हैं । ❀

❀ द्विकर्मक क्रियाओं के दो कर्मों में से कौन प्रधान है और कौन अप्रधान इसके जानने की रीति यह है कि द्विकर्मक क्रियाओं के साथ प्रश्न के लिये 'क्या, और 'किसको,—ये दोनों लगते हैं । जो 'क्या, के उत्तर में आता है वह 'प्रधानकर्म, और जो 'किसको, के उत्तर में आता है वह 'अप्रधानकर्म, होता है । जैसे—(प्रश्न) राम 'किसको, 'क्या, पढ़ता है ? (उत्तर) राम 'श्याम को' 'व्याकरण, पढ़ता है ।—यहां क्या पढ़ता है, के उत्तर में 'व्याकरण' आया है । इसलिये 'व्याकरण' प्रधान कर्म है । 'किसको पढ़ता है, के उत्तर में आया है 'श्याम को, । इस लिये 'श्याम को, अप्रधानकर्म है ।

जब सकर्मक क्रियाओं का आशय कर्म के होने पर भी पूरा नहीं होता और उमकी पूर्ति के लिये किसी संज्ञा या विशेषण की आकाङ्क्षा रहती है तब वे क्रियाएं 'अपूर्ण सकर्मक' कहलाती हैं और जो संज्ञा या विशेषण उनके आशय को पूरा करने के लिये आता है उसे 'पूरक' कहते हैं। जैसे—मैंने उसे समझा। मैंने उसे बनाया। मैंने उसे पाया। इन वाक्यों में 'समझा' आदि क्रियाओं का आशय 'उसे' कर्म के रहते भी पूरा नहीं होता। किन्तु क्या समझा? क्या बनाया? क्या पाया?—यह आकाङ्क्षा बनी रहती है। इसलिये ये क्रियाएं 'अपूर्ण' हैं। यदि इन वाक्यों में 'उस' के आगे क्रमशः 'महात्मा' 'साथी' 'बदमाश' शब्द जोड़ दिये जाएं तो आशय पूरा हो जायेगा—कोई आकाङ्क्षा नहीं रहेगी। जैसे—मैंने उसे महात्मा समझा। मैंने उसे साथी बनाया। मैंने उसे बदमाश पाया—इत्यादि। यहां 'महात्मा, 'साथी, 'बदमाश'—ये क्रियाओं के आशय को पूरा करते हैं; इसलिये 'पूरक' हैं और वाक्य में ये कर्म के साथ उसके विशेषण बन कर आए हैं, अतः 'कर्मपूरक' कहाते हैं। ❀

अकर्मक क्रियाएं भी जब आशय पूरा न होने के कारण 'पूरक' की अपेक्षा रखती है तब वे 'अपूर्ण' 'अकर्मक' कहलाती हैं। जैसे—वह है। वह कहलाता है। वह रहता वह दिखता है। वह बनता है—इत्यादि। यहां क्या है? क्या

❀ जब इन क्रियाओं का आशय 'पूरक' के बिना ही पूरा हो जाता है तब ये 'पूर्ण' ही कहलाती हैं। जैसे—मैंने तुम्हारी बात समझी। मैंने ग्रन्थ बनाया। मैंने उसका भेद पाया—इत्यादि।

कहलाता है—इत्यादि आकाङ्क्षा रहती है, आशय पूरा नहीं होता। इसलिए है, आदि क्रियाएं 'अपूर्ण' हैं। यदि इन वाक्यों में 'वह' के आगे 'चतुर' आदि पूरक जोड़ दिये जाएं तो आशय पूरा हो जायगा। जैसे—वह 'चतुर' है। वह 'विश्व-रूप' कहलाता है। वह 'उदास' रहता है। वह 'भला' दिखता है। वह 'चालाक' बनता है—इत्यादि। इन वाक्यों में 'चतुर' आदि पूरक 'वह' कर्ता के विशेषण बनकर क्रिया की पूर्ति करते हैं। इसलिये ये 'कर्तृ पूरक' कहते हैं *

२. संयुक्त क्रियाएं।

'करता है' 'बोलता' 'जाता है'—आदि 'कर' 'बोल' 'जा' आदि मूलधातुओं से बनने वाली क्रियाएं 'मूलक्रियाएं' कहलाती हैं और 'भर दिया' 'खा चुका' 'ले दे बैठा'—आदि 'भर-दे' 'खा चुक' 'ले-दे-बैठ' आदि संयुक्तधातुओं से बनने वाली क्रियाएं 'संयुक्त क्रियाएं' कहलाती हैं। संयुक्त क्रियाओं में पहली क्रिया मुख्य होती है और दूसरी क्रिया उससे मिलकर उसके अर्थ में कुछ विशेषता प्रकट करती है। जैसे—'चल' का अर्थ केवल 'चलना' है, परन्तु 'चल' के साथ 'सक' के मिलने से 'चल सकना' हो गया। 'मैं चलता हूँ' से केवल चलने का अर्थ जाना जाता है, परन्तु 'मैं चल सकता हूँ' से मुझमें चलने की शक्ति है—यह विशेष अर्थ प्रकाशित होता है। इससे स्पष्ट हुआ कि 'चल सकता हूँ' इस संयुक्त क्रिया

* जब इन क्रियाओं का आशय 'पूरक' के बिना ही पूरा हो जाता है तब ये 'पूर्ण' ही कहलाती हैं। जैसे—हमारे घर दूध है। वह हमारे घर हरता है। तारे दिखाते हैं। मिठाई बनती है—इत्यादि।

में पहली 'चलना' क्रिया के अर्थ में दूसरी 'सकना' क्रिया ने विशेषता कर दी।

संयुक्त क्रियाएं कई प्रकार से बनती हैं :—

(क) क्रिया के सामान्यरूप के 'ना' को 'ने' करके आगे 'लगता' और 'देना' या 'पाना' क्रियाओं के जोड़ने से क्रमशः 'आरम्भबोधक' और 'अवकाशबोधक' संयुक्तक्रियाएं बनती हैं। जैसे—बादल गर्जने लगा, मोर नाचने लगे, मुझे जाने दो, आज चलने पाएं तो अच्छा है इत्यादि।

(ख) धातु के आगे 'चुकना' और 'सकना' क्रियाओं के जोड़ने से क्रमशः 'समाप्तिबोधक' और 'शक्तिबोधक' संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। जैसे—बादल बरस चुका। हम खा चुके। मैं चल सकता हूँ। वे जो चाहें, करसकते हैं—इत्यादि।

इसी प्रकार धातु के आगे 'चलना' 'उठना' 'बैठना' 'पढ़ना' 'आना' 'जाना' 'रहना' 'लेना' 'देना'—आदि क्रियाओं के जोड़ने से निश्चय आकस्मिकता, बलात्कार, पूर्णता, नित्यता आदि अर्थों को प्रकाशित करने वाली संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। जैसे—आगे बढ़ चलो। लड़का रो उठा। मैं यों ही कुछ कह बैठा। वह उसका माल दवा बैठा। श्याम गिर पड़ा श्यामा रो पड़ी। वह रुपये ले गया। वह बहुतसा माल ले आया। मैं काम कर रहा हूँ। माल लेलो, रुपया दे दो। उसे कह दो। यह काम कर लो—इत्यादि।

(ग) सामान्यभूतकालिक क्रिया के अन्तिम 'आ' को 'ऐ' करके आगे 'देना' या 'डालना' क्रिया जोड़ने से 'तत्कालबोधक' संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। जैसे—कहे देता हूँ। किये डालता हूँ इत्यादि। दिये देना, किये लेना, बिठाए आना, पढ़ने आना।

लिये जाना - आदि भी इसी प्रकार के अन्तर्गत हैं ।

इसी प्रकार 'जाना' या 'चलना' और 'रहना' क्रियाओं के जोड़ने से 'सातत्य (लगातार) बोधक' और 'स्थिरताबोधक' संयुक्त क्रियाएं बनती हैं । जैसे - काम किये जाओ, मौज उड़ाए जाओ, कमाएँ चलो और खाए चलो । इसे पकड़े रहो । कब तक सिर पर बोझ धरे रहोगे-इत्यादि । करता जाना, करता चलना, करता रहना-आदि हेतुहेतुमद्भूत क्रिया के आगे 'जाना' आदि क्रियाओं के लगने से भी 'लगातार' अर्थ में संयुक्त क्रियाएं बनती हैं । जैसे अपना काम करते जाओ (करते रहो या करते चलो) इत्यादि । कर रहा हूँ । लिख रहा हूँ-इत्यादि में धातु के आगे 'रहना, क्रिया लगाने से भी 'लगातार, अर्थ प्रकाशित होता है ।

(घ) सामान्यभूतकालिक क्रिया के आगे 'करना, क्रिया जोड़ने से 'नित्यबोधक' और 'चाहना' क्रिया लगाने से 'इच्छाबोधक' संयुक्त क्रियाएं बनती हैं । जैसे--पढ़ा करते हैं । वे गरीबों को अन्न दिया करते हैं । हम आया चाहते हैं । इसी भांति क्रिया चाहना, लिया चाहना, गया (जाया) चाहना आदि । कहीं २ ऐसी संयुक्त क्रियाएं व्यापार के तत्काल होने को प्रकट करती हैं । जैसे--गाड़ी आया चाहती है । बादल वासा चाहते हैं-इत्यादि । इसी प्रकार 'चाहिये के जोड़ने पर भी संयुक्त क्रियाएं बनती हैं । जैसे--यह काम किया चाहिये । तमाशा देखा चाहिये-इत्यादि । क्रिया के सामान्यरूप के आगे 'चाहना' क्रिया लगाने से भी 'इच्छाबोधक, संयुक्त क्रियाएं बनती हैं । जैसे--मैं जाना चाहता हूँ - इत्यादि । ('चाहिये के पहले भी क्रिया का सामान्यरूप लगता है । जैसे--यह काम करना चाहिये-इत्यादि ।)

(ड) क्रिया के सामान्यरूप के आगे 'पड़ना' क्रिया जोड़ने से विचशताबोधक (विचशता=बेवशी, मजबूरी) संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। जैसे—मुझे बहुत खर्च करना पड़ा। कर्मों का फल सब को भोगना पड़ता है—इत्यादि। ‡

(च) ऊपर लिखी संयुक्त क्रियाएं भिन्न २ क्रियाओं के संयोग से बनती हैं। बहुत सी ऐसी भी संयुक्त क्रियाएं हैं जो दूसरे शब्दों और क्रिया के संयोग से बनती हैं। जैसे—भय खाना, बगलें भांकना, उल्लू साधना, कमर बांधना, धीरज धरना, नौ दो ग्यारह होना, जी चुराना, दाग लगाना हँसी उड़ना, पौ बारह होना, तीन तेरह होना, लट्ट होना, भांडा फोड़ना, आदि अनेक क्रियाएं (प्रायः वैयाकरण इनको संयुक्त क्रिया नहीं मानते) ❀

३. नामधातु

क्रिया के अतिरिक्त अन्य शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातु बनते हैं या जो नाम संज्ञा या विशेषण) ही धातु

‡ क्रिया के सामान्यरूप के आगे 'होना, क्रिया के जोड़ने से बनने वाली संयुक्त क्रियाएं तथा दिखाई देना, सुनाई पड़ना—आदि संयुक्त क्रियाएं भी 'विचशता' अर्थ में आती हैं। जैसे—संकट सहना था। उसके बचाव के लिये भूठ बोलना होगा। न जाने क्या २ दिखाई देगा, क्या २ सुनाई पड़ेगा—इत्यादि।

❀ कुछ संयुक्त क्रियाएं एक ही अर्थ का बोध कराती हैं (उनमें दूसरी क्रिया पहली क्रिया के अर्थ में विशेषता पैदा नहीं करती)। जैसे—समझना—बुझना, चलना—फिरना, लिखना—पढ़ना, मारना—पीटना, कूदना—फादना, बोलना—चालना—आदि।

के समान प्रयुक्त होते हैं, उन्हें 'नामधातु' कहते हैं। नामधातुओं से जो क्रियाएँ बनती हैं, उन्हें 'नामधातुक्रिया' कहते हैं। प्रत्यय लगकर बनने वाले नामधातुओं में 'आ, 'या, और 'ला' प्रत्यय लगते हैं। शब्दों का पहला स्वर यदि दीर्घ हो तो ह्रस्व हो जाता है। 'या' प्रत्यय परे होने पर शब्द के अन्तिम स्वर को 'इ' हो जाता है। जैसे—

शब्द	प्रत्यय	नामधातु	क्रिया का सामान्यरूप
लाज	आ	लजा	लजाना
गर्म	”	गर्मा	गर्माना
भीतर	”	भितर	भितराना
हाथ	या	हथिया	हथियाना
लात	”	लतिया	लतियाना
बात	”	बतिया	बतियाना
जूता	”	जुतिया	जुतियाना
पानी	”	पनिया	पनियाना
चपत	”	चपतिया	चपतियाना
भूठ	ला	भुठला	भुठलाना

धातु के समान प्रयुक्त होने वाले नाम (संज्ञा या विशेषण), जो नामधातु बनते हैं:—

नामधातु	क्रिया का सामान्यरूप
रँग	रँगना
फटकार (धक्कार)	फटकार (धक्कारना)
गाँठ	गाँठना
दाग	दागना
खर्च	खर्चना

गुञ्जर	गुञ्जरना
दुख	दुखना
चिकना	चिकनाना
अपना	अपनाना
दुहग	दुहराना

कुञ्ज नामधातु अनियमित भी बनते हैं । जैसे: —

नाम	नामधातु	क्रिया का सामान्यरूप
दाल	दल ❀	दलना
चीथना	चिथेड़	चिथेड़ना

अनुकरणवाचक शब्दों से भी नामधातु बनते हैं, जिन्हें 'अनुकरण धातु' भी कहते हैं । जैसे:—

शब्द	प्रत्यय	नामधातु	क्रिया का सामान्यरूप
छनछन	आ	छनछना	छनछनाना

❀ 'दल' आदि को कुञ्ज वैयाकरण नामधातु मानते हैं । परन्तु वस्तुतः ये मूलधातु ही हैं । 'चल' आदि धातुओं से जैसे 'चाल' आदि नाम (संज्ञाएं) बनते हैं वैसे ही 'दल' आदि धातुओं से दाल, चीथड़ा आदि नाम बने हैं, न कि दाल आदि नामों से 'दल' आदि नामधातु ।

‡ धातु को द्वित्व करने से अतिशयबोध और धातु में 'घास' प्रत्यय जोड़ने से इच्छार्थक धातु बनते हैं । उनसे बनने वाली क्रियाएं 'अतिशयबोधक क्रिया' और 'इच्छार्थक क्रिया' कहलाती हैं । जैसे— बकना से बकबकाना, टराना से टरटराना आदि अतिशयबोधक हैं और बकना से बकवासना, भूकना से भुक्वासना आदि इच्छार्थक हैं । इन इच्छार्थक क्रियाओं का प्रयोग विरला ही देखने में आता है । मूलधातुओं और नाम धातुओं को छोड़ शेष धातु 'धातुज धातु' कहते हैं ।

भिनभिन	„	भिनभिना	भिनभिनाना
बड़बड़	„	बड़बड़ा	बड़बड़ाना
थरथर	„	थरथरा	थरथराना
टर्	„	टर्	टर्ना

४ प्रेरणार्थक क्रियाएं

प्रेरणार्थक क्रियाएं वे हैं जिनसे ज्ञात होता है कि कर्ता कार्य को आप न करके किसी दूसरे को उसके करने की प्रेरणा करता है (अर्थात् कार्य को आप न करके किसी दूसरे से करवाता है)। प्रेरणा करने वाले को 'प्रेरक' कर्ता कहते हैं और जिस की प्रेरणा की जाती है उसे 'प्रेरित' कर्ता कहते हैं (कभी 'प्रेरक' कर्ता एक से अधिक भी होते हैं, जो अपने से पहले 'प्रेरक' कर्ता की अपेक्षा 'प्रेरित' कर्ता भी होते हैं)। पहले कर्ता को छोड़ अन्य कर्ता कारणकारक में रखे जाते हैं उनमें कारण की विभक्ति 'से' लगाई जाती है)। पाना, होना आना, जाना, सकना, रुचना-आदि क्रियाओं को छोड़ शेष सब क्रियाओं से दो दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। जिनमें से पहले प्रकार की क्रियाएं बहुधा सकर्मक क्रिया के ही अर्थ में आती हैं, उनसे स्पष्ट प्रेरणा नहीं पाई जाती है। दूसरे प्रकार की क्रियाओं से स्पष्ट प्रेरणा पाई जाती है। प्रेरणार्थक क्रियाएं सम्पूर्ण सकर्मक होती हैं। पीना, खाना, सुनना, पढ़ना आदि क्रियाओं की प्रेरणार्थक क्रियाएं द्विकर्मक होती हैं। जैसे-बच्चा सोता है। (अकर्मक)। माता बच्चे को सुलाती है (सकर्मक, पहले प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया)। माता बच्चे को धाय से सुलवाती है (सकर्मक, दूसरे प्रकार की स्पष्ट प्रेरणार्थक क्रिया)। माता 'प्रेरक' कर्ता है (क्योंकि

माता धाय की प्रेरणा करती है) । धाय 'प्रेरित' कर्ता है (क्योंकि माता द्वारा धाय की प्रेरणा की गई है) और करण-कारक में रखा गया है । इसी प्रकार बच्चा दूध पीता है (सकर्मक) । माता बच्चे को दूध पिलाती है (द्विकर्मक, पहले प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया) । माता बच्चे को धाय से दूध पिलवाती है (द्विकर्मक; दूसरे प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया) । माता 'प्रेरक' कर्ता और धाय 'प्रेरित' कर्ता ।

एक से अधिक प्रेरक, जैसे—श्याम उठता है (अकर्मक) । मोहन श्याम को उठाता है (सकर्मक, पहले प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया) । राम मोहन से श्याम को उठावाता है (सकर्मक, दूसरे प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया) । राम प्रेरक कर्ता 'मोहन से 'प्रेरित' कर्ता करणकारक में । राम सोहन से मोहन से श्याम को उठावाता है (सकर्मक, दूसरे प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया) । राम सोहन का 'प्रेरक' और सोहन मोहन का 'प्रेरक (राम की अपेक्षा सोहन 'प्रेरित' और सोहन की अपेक्षा मोहन 'प्रेरित')—इस प्रकार यहां एक से अधिक 'प्रेरक' हैं और पहले को छोड़ शेष में से' करण विभक्ति लगाई गई है । इसी प्रकार—श्याम पुस्तक पढ़ता है । राम श्याम को पुस्तक पढ़ाता है । राम मोहन से श्याम को पुस्तक पढ़ाता है । राम सोहन से मोहन से श्याम को पुस्तक पढ़ावाता है—इत्यादि । परन्तु इस प्रकार के अधिक प्रेरक-युक्त वाक्य बहुत कम प्रयोग में आते हैं । क्योंकि इनसे रचना भद्दी लगती है और अर्थ भी स्पष्ट नहीं होता । हां, इन ऊपर लिखे वाक्यों के स्थान पर यदि नीचे लिखे प्रकार से वाक्य बोले जाएं तो उतने बुरे प्रतीत नहीं होते—

राम सोहन के द्वारा मोहन से श्याम को उठवाता है । राम सोहन के द्वारा मोहन से श्याम को पुस्तक पढ़वाता है ॥

प्रेरणार्थक बनाने के नियमः—

(१) मूल धातु के अन्त में 'आ' जोड़ने से पहली प्रे० और 'वा' जोड़ने से दूसरी प्रे० बनती है--(क) दो अक्षरों के धातुओं में 'ऐ' और 'औ' को छोड़ अन्य पहला स्वर यदि दीर्घ हो तो ह्रस्व हो जाता है (अर्थात् आ, ई, ऊ, ए, ओ क्रम से अ, इ, उ, इ, उ हो जाते) । ❀ जैसेः—

मूलधातु	पहली प्रे०	दूसरी प्रे०
चल (ना)	चला-(ना)	चलवा-(ना)
पढ़-,,	पढ़ा-,,	पढ़वा-,,
गिर-,,	गिरा-,,	गिरवा-,,
भटक-,,	भटका-,,	भटकवा-,,
पिघल-,,	पिघला-,,	पिघलवा-,,
समझ-,,	समझा-,,	समझवा-,,
(क) जाग-,,	जगा-,,	जगवा-,,
बीत-,,	बिता-,,	बितवा-,,
जीत-,,	जिता-,,	जितवा-,,
घूम-,,	घुमा-,,	घुमवा-,,
भूल-,,	भुला-,,	भुलावा-,,
लिट-,,	लिट्टा-,,	लिट्टवा-,,

❀ 'खिच' धातु अपवाद है । इसके 'ऐ' को 'इ' हो जाता है । जैसे—
खिचना, खिचना, खिचवाना । इस धातु का दूसरा रूप 'खींच' भी है खींचना आदि ।

कुछ सकर्मक धातुओं के केवल दूसरी प्रे० में ही रूप बनते हैं, पहली प्रे० में नहीं । जैसे—लेना-लिखाना । गाना-गवाना । खेना-खिवाना आदि ।

बोल-,,	बुला-,,	बुलवा-,,
फैल-,,	फैला-,,	फैलवा-,,
छोड़-,,	छोड़ा-,,	छोड़वा-,,
औट-,,	औटा-,,	औटावा-,,

(२) एकाक्षर धातुओं के दीर्घ स्वर को ह्रस्व करके अन्त में 'ला' जोड़ने से पहली प्रे० और 'लवा' जोड़ने से दूसरी प्रे० बनती है । जैसे:—

मूलधातु	पहली प्रे०	दूसरी प्रे०
जी (ना)	जिला (ना)	जिलवा (ना)
पो-,,	पिला-,,	पिलवा-,,
सो-,,	सुला-,,	सुला-,, इत्यादि‡

(३) कई धातुओं के पहली प्रे० में और कई धातुओं के दोनों प्रे० में विकल्प से अनियमित रूप बनने हैं । जैसे—

मूलधातु	पहली प्रे०	दूसरी प्रे० १
चुभ-(ना)	चुभा (ना) चुभो-(ना)	चुभवा-(ना)
भीग-,,	भिगा-,, भिगो-,,	भिगवा-,,
देख-,,	दिखा-,, दिखला-,,	दिखवा-,,
सीख-,,	सिखा-,, सिखला-,,	सिखवा-,,
लेट-,,	लिटा-,, लेटा-,,	लिटवा-,,
बैठ-,, बि(बै)ठा-,, बि(बै)ठवा-,,	बिठला-,, इत्यादि	
कह-,,	कहा-,, कहला-,,	कहवा-,, कहलना-,, ❀

‡ 'खा' धातु के 'आ' को 'अ' न होकर 'इ' होती है । जैसे—खाना खिलाना, खिलवाना । इसका प्रे० रूप 'खवाना' भी होता है ।

❀ कहाना, कहलाना और दिखलाना अकर्मक भी होते हैं । जैसे—
ऐसा करने वाले लोग मूर्ख **कहाते** (या **कहलाते**) हैं । परलोक में धर्म बिना कोई सहायक नहीं **दिखलाता** । लिटाना, लेटाना = इन दोनों रूपों के

बोल-,, बुला-,, बोला-,, बुलवा-,, बोलना-,,[‡]

अकर्मक से सकर्मक बनाने के नियमः—

(१) दो अक्षरों के धातुओं के पहले स्वर को और तीसरे अक्षरों के धातुओं के दूसरे स्वर को दीर्घ करने से अकर्मक धातु सकर्मक बन जाने हैं—

(क) परन्तु कुछ दो अक्षरों के धातुओं में पहले 'इ' को 'ए' और 'उ' को 'ओ' ह्रां जाता है। जैसेः—

अकर्मकधातु	सकर्मकधातु
गड़-(ना)	गाड़-ना)
कढ़-,,	काढ़-,,
मर-,,	मार-,,
लद-,,	लाद-,,
पिस-,,	पीस-,,

अर्थों में भेद है—**लिटाना** सुलाना और **लेटाना** कीचड़ में। 'बोलना' का प्रेरणार्थक रूपों में अर्थ बदल जाता है। जैसे—**बोलना** = कहना, **बुलाना** (= to call) उसको बुलाओ, परन्तु **बोलना** का अर्थ है बोलने को प्रेरित करना। पर प्रयोग में यह भेद नहीं रखा जाता—प्रायः 'बोलने को प्रेरित करना' के अर्थ में भी **बुलाना** ही का प्रयोग किया जाता है।

[‡]बहुत से धातुओं की दोनों प्रेरणार्थक क्रियाएं एक ही अर्थ रखती हैं। जैसे—रहना-रखाना, रखवाना। बाँधना-बँधाना, बँधवाना। करना-कराना, करवाना। कटना-कटाना, कटवाना। गड़ना-गड़ाना, गड़वाना। सिलना-सिलाना, सिलवाना। देना-दिलाना, दिलवाना। खुलना-खुलाना। तुलना-तुलाना, तुलवाना— इत्यादि।

पिट-,,	पीट-,,
लुट-,,	लूट-,,
मुँद-,,	मूँद-,,
निकल-,,	निकाल-,,
बिगाड़-,,	बिगाड़,,
उखाड़-,,	उखाड़-,, इत्यादि ।
(क) दिख-,,	देख-,,
छिद-,,	छेद-,,
फिर-,,	फेर-,,
गिर-,,	गेर-,,
घिर-,,	घेर-,,
खुल-,,	खोल-,,
तुल-,,	तोल-,,
मुड़-,,	मोड़-,, इत्यादि ।

(२) कुछ धातुओं के अन्तिम 'ट' को 'ड़' होकर पहल 'अ' को 'आ' और 'उ' या 'ऊ' को 'ओ' हो जाता है । जैसे—

अकर्मकधातु	सकर्मकधातु
फट-ना)	फाड़ (ना)
छुट-,,	जोड़-,,
छु छू ट-,,	छोड़-,,
फूट-,,	फोड़-,, इत्यादि ।

(३) कुछ अनियमित भी होते हैं । जैसे—

अकर्मकधातु	सकर्मकधातु
सिल-ना)	सी-ना)
रह-,,	रख-,,

बिक-,,
टूट-,,

बेच-,,
तोड़-,, इत्यादि । ❀

अभ्यास ।

धातु किसे कहते हैं ? क्रिया का सामान्यरूप कैसे बनता है और उसे क्रियार्थक संज्ञा क्यों कहते हैं ? क्रिया का अकर्मक और सकर्मक होना कैसे जाना जाता है ? अकर्मक क्रिया सकर्मक और सकर्मक क्रिया अकर्मक कब होती है ? उदाहरण भी दो । द्विकर्मक क्रिया वाले चार वाक्य बनाओ । द्विकर्मक क्रिया के दो कर्मों में से कौन गौण और कौन प्रधान है—यह कैसे जाना जा सकता है ? उदाहरण देकर बताओ । क्रियाएं अपूर्ण कब होती हैं ? उनकी पूर्ति कैसे होती है ? पूरक किसे कहते हैं ? वह कहां 'कर्तृपूरक' और कहां 'कर्मपूरक' होता है और कैसे ? उदाहरण देकर समझाओ । संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, संयुक्त क्रियाएं किन २ अर्थों में आती हैं और किस २ रीति से बनाई जाती हैं ? धातु से, क्रिया के सामान्यरूप से और सामान्यभूत काल की क्रिया में कौन कौन सी संयुक्त क्रियाएं बनती हैं ? अवकाशबोधक, विवशताबोधक और तत्कालबोधक

❀कुछ धातुओं के सकर्मक और पहली प्रे० के रूपों का अलग २ अर्थ होता है । जैसे—गिरना—गेरना (सक०) = डालना (दूध में खांड गेरो) और गराना (प० प्रे०) = ढड़ाना (मकान को गिराता है) । गड़ना-गाड़ना (सक०) = जमीन के अन्दर दाखल कर देना (कंजूस धन को गाड़ते हैं कि खर्च न होजाए) और गड़ाना (प० प्रे०) = चुभाना (कांटा आदि) । घुलाना-घोलना (सक०) = मिलाना (पानी में खांड घोली और शर्बत तैयार करो) और घुलाना (प० प्रे०) = गबाना—इत्यादि ।]

संयुक्त क्रियाएं कैसे बनती हैं ? एकार्थक संयुक्त क्रियाओं के कुछ उदाहरण दो । नामधातु किसे कहते हैं और उसके बनाने के क्या नियम हैं ? उदाहरण देकर बताओ । अतिशयबोधक और इच्छार्थक धातु कैसे बनते हैं ? उदाहरण भी दो । प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं ? किन २ क्रियाओं से प्रेरणार्थक क्रियाएं नहीं बनती ? किन २ क्रियाओं की प्रेरणार्थक क्रियाएं द्विकर्मक होती हैं ? एक से अधिक प्रेरक वाले वाक्य किस प्रकार बोले जाएं तो बुरे प्रतीत नहीं होते ? प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना के क्या नियम हैं ? प्रत्येक नियम के चार २ उदाहरणदो । अकर्मक से सकर्मक क्रियाएं किन नियमों से बनती हैं ? उदाहरण भी दो । किन क्रियाओं के पहली प्रे० में दो २ रूप हांते हैं ? किन क्रियाओं के सकर्मक और पहली प्रेरणा के रूप के अलग २ अर्थ हांते हैं ? उदाहरण देकर स्पष्ट करो ।



सातवां अध्याय ।

क्रिया का विकार (रूपान्तर) ।

क्रिया में विकार (रूपान्तर) वाच्य, लिङ्ग, वचन पुरुष, काल और प्रकार के कारण होता है ।

१ वाच्य ।

क्रिया के जिस रूपान्तर से जाना जाय कि वाक्य में क्रिया द्वारा किये गये विधान का प्रधान विषय कर्ता है अथवा कर्म है या भाव (धातु का अर्थ) है उसे 'वाच्य' कहते हैं ।

जैसे—बच्चा दूध पीता है (कर्ता) । दूध पिया जाता है (कर्म) । यहां रहा नहीं जाता (भाव) । इस प्रकार क्रिया में वाच्य के कारण तीन भेद हुए १ कर्तृवाच्य, २ कर्मवाच्य और भाववाच्य ।

कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा और प्रधान सम्बन्ध कर्ता से होता है अर्थात् क्रिया का वाच्य कर्ता होता है) अतएव क्रिया के लिङ्ग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं और कर्ता निर्विभक्तिक(विना विभक्ति के रहता

है । जैसे—राम जाता है । वे रोटी खाते हैं । लड़की हँसती है । स्त्रियां गीत गाती हैं । परन्तु अपूर्णभूत और हेतुहेतुमद्भूत को छोड़ शेष भूतकालिक सकर्मक क्रियाओं में—जहां कर्म निर्विभक्तिक ('को' विभक्ति के बिना) आता है क्रियाके लिङ्ग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं और जहां कर्म सविभक्तिक ('को' विभक्ति सहित) आता है वहां क्रिया सदा एकवचन पुल्लिङ्ग और अन्यपुरुष में रहती है और कर्ता में 'ने' विभक्ति रहती है । जैसे—मैंने पत्र लिखा । मैंने पुस्तक लिखी । मैंने राम को बुलाया । मैंने नासपतियां खाईं-इत्यादि । यह (कर्तृ-वाच्य) अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में होता है । इसमें कर्ता का होना आवश्यक है ।

२ कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का प्रधान सम्बन्ध सीधा कर्म से होता है (अर्थात् क्रिया का वाच्य कर्म होता है) अतएव क्रिया के लिङ्ग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं (और निर्विभक्ति कर्ताकारक के रूप में आता है) । जैसे—गीत गाए जाते हैं । लड़की बुलाई जाती है—इत्यादि । परन्तु जब कभी कर्म सविभक्तिक ('को' विभक्तिसहित) आता है तब क्रिया सदा पुल्लिङ्ग एकवचन और अन्यपुरुष में आती है । जैसे—योधाओं को भगाया जायगा— इत्यादि । यह (कर्मवाच्य) केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है इसमें कर्म का होना आवश्यक है ।

(३) भाववाच्य में भाव (धातु का अर्थ ही प्रधान होता है (वही क्रिया का वाच्य होता है). कर्ता या कर्म नहीं । यह अकर्मक क्रियाओं में ही होता है । इसमें क्रिया सदा एकवचन पुल्लिङ्ग और अन्यपुरुष में रहती है । इसका अधिक प्रयोग निषेधार्थक वाक्यों में होता है । जैसे—चला नहीं जाता ।

बैठा नहीं जाता । रात को नींद भरके सोया जाता तो भोजन ठोक पचता—इत्यादि ।

क्रिया के सामान्यभूतकालिक रूप के आगे विवक्षित काल पुरुष, लिङ्ग और वचन के अनुसार 'जाना' क्रिया के रूप जोड़ने से कर्तृवाच्य (सकर्मक क्रिया से कर्मवाच्य और (अकर्मक) क्रिया से भाववाच्य क्रिया बनती है । इसमें यदि कर्ता के लिखने की आवश्यकता हो तो वह करणकारक में रखा जाता है । जैसे—

कृष्ण ने कंस को मारा (कर्तृवाच्य) ।

कृष्ण से कंस मारा गया (कर्मवाच्य) ।

आज मैं रोटी नहीं खाऊँगा (कर्तृवाच्य) ।

आज मुझसे रोटी नहीं खाई जाएगी (कर्मवाच्य) ।

मैं नहीं चलता (कर्तृवाच्य) ।

मुझसे नहीं चला जाता (भाववाच्य) ।

मैं जाती तो अच्छा था (कर्तृवाच्य) ।

मुझसे जाया जाता तो अच्छा था (भाववाच्य) ।

इस प्रकार ऊपर लिखे वाच्यों को क्रिया का प्रयोग उस (क्रिया) के कर्ता वा कर्म से पुरुष, लिङ्ग और वचन के अनुसार सम्बन्ध (अन्वय) वा असम्बन्ध के कारण तीन प्रकार का होता है—

(१) जिसमें क्रिया के पुरुष लिङ्ग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं उस क्रिया के प्रयोग को कर्तरिप्रयोग कहते हैं । सकर्मक क्रियाओं के अपूर्णभूत और हेतुहेतुमद्भूत इन दो भूतकाल के भेदों में और अन्य सब कालों में तथा अकर्मक क्रियाओं के सम्पूर्ण कालों में 'कर्तरिप्रयोग' होता है । इसमें कर्ता निर्धिभक्तिक रहता है । जैसे—वह तमाशा देखता था ।

तुम्हारे घर में शान्ति रहती तो अच्छा था। वह आया। लड़की रामायण पढ़ती हैं—इत्यादि।

(२) जिसमें क्रिया के पुरुष, लिङ्ग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं उस क्रिया के प्रयोग को 'कर्मणिप्रयोग' कहते हैं। कर्तृवाच्य की अपूर्णभूत और हेतुहेतुमद्भूत को छोड़ शेष भूतकालिक सकर्मक क्रियाएं और कर्मवाच्य की सम्पूर्ण क्रियाएं कर्मणिप्रयोग में आती हैं। इनमें कर्मकारक निर्विभक्तिक रहता है। जैसे—मैंने रोटी खाई (कर्तृ०)। राम ने आम चूसे (कर्तृ०)। पत्र लिखा गया (कर्म०)। चिट्ठी भेजी जाएगी (कर्म०)।

(३) जिसमें क्रिया के पुरुष, लिङ्ग और वचन कर्ता या कर्म के अनुसार न हों किन्तु क्रिया सदा अन्यपुरुष, पुलिङ्ग और एकवचन में रहे उस (क्रिया के) प्रयोग को 'भावेप्रयोग' कहते हैं। कर्तृवाच्य की सकर्मक क्रियाएं जब उनके कर्ता और कर्म दोनों सविभक्तिक हों और अकर्मक-क्रियाएं जब उनका कर्ता सविभक्तिक हो, कर्मवाच्य की क्रियाएं जब उनका कर्म सविभक्तिक हों, और भाववाच्य की सम्पूर्ण क्रियाएं 'भावेप्रयोग' में आती हैं। जैसे—राजा ने नौकरों को बुलाया (कर्तृ०)। विल्ली ने छुईका (कर्तृ०)। नौकर को बुलाया गया (कर्म०)। आगे को विचाह पर वेश्याओं को नहीं बुलाया जायगा (कर्म०)। मुझसे उठा नहीं जाता (भाव०) भोजन बिना कैसे रहा जाए (भाव०) ॥ ❀

* आपवाद—बोलना, बकना, समझना, जनना, पुकारना—ये सकर्मक क्रियाएं और अपन व्यापार को कर्म के रूप में लेकर सकर्मक बनी हुई अकर्मक क्रियाएं अपूर्णभूत और हेतुहेतुमद्भूत के अतिरिक्त भूतकाल के

२ क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष ।

संज्ञा के समान क्रिया के भी पुलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग—ये दो लिङ्ग होते हैं । जैसे—पुरुष गाता है । स्त्री गाती है ।

क्रिया के भी एकवचन, बहुवचन—ये दो वचन होते हैं । जैसे—एक आदमी आता है । दो (या बहुत) आदमी आते हैं ।

क्रिया के पुरुष तीन हैं—उत्तमपुरुष, मध्यमपुरुष और अन्यपुरुष ।

मैं और हम के अनुसार आनेवाली क्रिया उत्तमपुरुष में

तू और तुम के अनुसार आनेवाली क्रिया मध्यमपुरुष में

बंदों में विकल्प से कर्मणिप्रयोग में आती है, लाना, लेजाना, भूलना और नित्यताबोधक सकर्मक संयुक्त क्रियाएं कर्त्तरिप्रयोग में ही आती हैं, नहाना, छोकना, ये क्रियाएं विकल्प से भावप्रयोग में आती हैं, और मुस्करा देना, हस देना, रो देना तथा ' डालना ' क्रिया के प्रयोग से बनी हुई अकर्मक संयुक्त क्रियाएं भावेप्रयोग में ही आती हैं । जैसे—

बोलना—लड़की कुछ न बोली । लाना—बरसात अपूरे शांभा लाई ।
मैंने झूठ नहीं बोला । लेजाना—अक्रूर कृष्ण को मथुरा ले गया ।
बकना—वे बहुत ऊटपटांग बके !

उसने बहुत गालियां बर्कीं । भूलना—'हम भूले तुम बरखानहारे,
समझना—'हम न समझे कि यह 'सब ग्वाल रोज़ कान्ह की
आना है या जाना तेरा'। बंसी सुना किये ।

उसने मेरी बात नहीं नहाना—हम नहाये ।
समझा । हम ने नहाया ।

जनना—भेड़बच्चा जनी । छींकनी—बिल्ली छींकी ।

भेड़ ने बच्चा जना । लड़की ने छींका ।

पुकारना—बुढ़िया पुकारी (कर्म के मुस्करादेना श्याम ने मुस्करादिया।

और अन्य सब शब्दों के अनुसार आनेवाली क्रिया अन्यपुरुष में होती है। (इनका वर्णन सर्वनामों के प्रकरण में किया जा चुका है)। जैसे—मैं जाता हूँ (उ० पुरुष)। तू जाता है (म०पु०) वह (या श्याम) जाता है (अन्य पु०)।

कर्तृवाच्य (कर्तरिप्रयोग) में क्रिया का लिङ्ग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार कर्मवाच्य (कर्मणिप्रयोग) में कर्म के अनुसार और भाववाच्य (भावेप्रयोग) में पुलिङ्ग एकवचन और अन्यपुरुष होता है—इत्यादि ऊपर वाच्य के वर्णन में बता दिया गया है। ❀

३ काल

क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय जाना जाता है, उसे 'काल' कहते हैं।

लुप्त रहने पर)।	हँसदेना—मोहन ने हँस दिया।
वह लंबी दौड़ दौड़ा।	रोदना—लड़की ने रो दिया।
प्रताप ने अनेक लड़कियाँ लड़ीं।	आप ने तो आज हृद से ज्यादा हँस डाला।]

❀ क्रिया के लिए वचन क विषय में संक्षेप से यो समझना चाहिये। (क) कर्ता या कर्म इनमें से जिसके साथ विभक्ति हो क्रिया के लिए, वचन उसके अनुसार नहीं होते। जैसे—राम ने रोटी खाई। श्याम ने फल खाए। राम रोटी को खाता है। श्यामा फलों को खाती है। (ख) यदि कर्ता, कर्म दोनोंके साथ विभक्ति हो तो क्रिया के लिङ्ग, वचन दोनों में से कौनसे के अनुसार नहीं होते, किन्तु क्रिया पुलिङ्ग और एक वचन में ही रहती है। जैसे—राम ने रोटी को खाया। श्याम ने फलों को खाया। (ग) यदि कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति में रहें तो लिए वचन कर्ता ही के अनुसार होते हैं—जैसे राम रोटी खाता है। श्यामा फल खाती है।

काल के के मुख्य भेद तीन हैं—भूत वर्तमान और भविष्यत् क्रिया के जिस रूप से भूत (वीते हुए) समय में क्रिया का होना जाना जाय उसे 'भूतकाल,' जिस से वर्तमान समय में क्रिया का होना ज्ञात हो उसे 'वर्तमानकाल,' और जिसमें भविष्यत् (आनेवाले) समय में क्रिया का होना पाया जाय उसे 'भविष्यकाल' कहते हैं । जैसे—उसने रोटी खाई (भूत०) । वह रोटी खाता है (वर्तमान०) । वह रोटी खाएगा (भविष्यत्) ।

कालों के अवान्तरभेद—

† क्रिया में लिंगभेद संस्कृत आदि अन्य भाषाओं में नहीं है । हिन्दी में (या) उसकी बहन पंजाबी में—क्योंकि ये दोनों ही शौरभेनी अपभ्रंश की सन्तान हैं) क्रिया में लिंग के कारण भेद (रूपान्तर) होता है । यह एक प्रधान विशेषता है । इसका कारण यह है कि जिन क्रियाओं में लिंगभेद होता है वे शुद्ध क्रियाएं नहीं हैं, किन्तु संस्कृत के कृतप्रत्यान्त विशेषणों के अपभ्रंश रूप हिन्दी में क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं और विशेषण के रूप में भी क्यों संस्कृत में चलत् (न), चलन्ती इत्यादि में लिंगभेद होता है, अतएव तदनुसार उनके अपभ्रंश चलता, चलती आदि हिन्दी की क्रियाओं में लिंग भेद रहता है जैसे राम आया श्यामा गई । चूहा भागता है । लक्ष्मी आती है—इत्यादि (क्रिया) आया वक्त योंही न गंवाना चाहिये । गई घड़ी पर पड़ताना वृथा है भागता चूहा बिल्लो के मुंह में । आती लक्ष्मी को कौन त्यागता है —इत्यादि (विशेषण) : और इसी कारण 'राम' 'श्यामा' आदि विशेष्यों के अनुसार 'आया' 'गई' आदि में पुलिग और स्त्रीलिग हुआ है । जो शुद्ध क्रियाएं हैं, उनमें लिंगभेद नहीं होता । संभाव्यभविष्यत् और विधिकालों की क्रियाएं तथा सत्तार्थक 'दो' धातु की सामान्यवर्तमान क्रियाएं शुद्ध क्रियाएं हैं । इनमें लिंगभेद नहीं होता । जैसे—पुरुष चले । स्त्री चले ।

भूतकाल के छः भेद हैं—सामान्यभूत, आसन्नभूत-
पूर्णभूत, अपूर्णभूत, संदिग्ध और हेतुहेतुमद्भूत ।

(१) सामान्यभूत वह है जिससे सामान्यतः वीते
हुए समय में क्रिया का होना पाया जाता है, उसे हुए
थोड़ी देर हुई या अधिक इत्यादि विशेषता का बोध नहीं
होता । जैसे—वह आया । उसने रोटी खाई— इत्यादि । ❀

(२) आमन्नभूत वह है जिससे आसन्न (वर्तमान) के
समीप—पास—के भूत में (अर्थात् अभी) क्रिया का समाप्त
होना पाया जाता है । जैसे—राम घर गया है । श्याम बाजार
से आया है । नौकर बुलाया गया है—इत्यादि ॥ †

पुरुष है । स्त्री है । वे (पुरुष या स्त्रियाँ) चले । म (पुरुष या स्त्री) चलूं । तू
(पुरुष या स्त्री) चले—इत्यादि । यहाँ लिङ्ग के कारण क्रिया से कोई परि-
वर्तन हुआ है वह पुरुष और वचन के कारण ही हुआ है । क्योंकि शुद्ध
क्रिया में परिवर्तन (रूपान्तर) पुरुष और वचन के अनुसार ही होता है,
लिंग के अनुसार नहीं ।

❀ सामान्यभूत का कभी २ भविष्यत् के अर्थ में भी प्रसंगवश प्रयोग
होता है । जैसे—भै गया तो खबर कर दूंगा (गया = जाऊंगा) । याद
रखना तुमने ककड़ी खाई और पेट में दर्द हुआ (= तुम ककड़ी खाओगे
तो फौरन पेट दर्द हो जाएगा)

† इसको कई वैयाकरण 'पूर्णवर्तमान' नाम से वर्तमानकाल का भेद
मानते हैं । कभी २ ऐतिहासिक घटना के कहने में (पूर्णभूत के बदले)
भी आमन्नभूत का प्रयोग होता है । जैसे—रामेश्वर का भेतु उगवान्
रामचन्द्र ने बांधा है । छत्रपति शिवाजी बड़ा वीर और बुद्धिमान
व्यक्ति हुआ है । अमरीका कोलम्बस ने खोजी है—इत्यादि । किसी के

(३) पूर्णभूत वह है जिससे दूरवर्ती भूत (बीते हुए) समय में क्रिया का पूर्ण होना पाया जाता है।*

जैसे—माली फल लाया था। कल में मोहन से मिला था। पिछले साल गङ्गा में भयङ्कर बाढ़ आई थी। वह अभी (थोड़ी देर हुई यहाँ था। फल मंगाए गये थे—इत्यादि।

(४) अपूर्ण भूत वह है जिससे क्रिया का भूतकाल में होना तो पाया जाय किन्तु उसका उस (भूतकाल) में पूर्ण होना न पाया जाय। जैसे—श्याम पढ़ता था। शान्ता खेलती थी। रंगरूट भर्ती किये जाते थे। पुस्तक छापी जा रही थी। मोहन आरहा था— इत्यादि। †

(५) संदिग्धभूत वह है जिससे भूतकाल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाय। जैसे—वह आया होगा। पत्र भेजा गया होगा—इत्यादि।

(६) हेतुहेतुमद्भूत वह है जिससे भूतकाल में होने कथन का उद्धरण या अपने शब्दों में अनुवाद करने में भी आसन्नभूत का प्रयोग होता है। जैसे = तुलसीदास जी ने कहा है—“जहाँ मुमति तहाँ संपति नाना”। एक अंग्रेज कवि ने कहा है कि सुन्दरता देखने की चीज़ है, छूने की नहीं। तुम्हारे पिता ने कहा है कि जल्दी चले आओ। वेद में लिखा है—“सच बोलो”—इत्यादि।

ॐ कमी २ पूर्णभूत के बदले सामान्यभूत का भी प्रयोग होता है। जैसे—पिछले साल गङ्गा में बाढ़ आई। पिता की आज्ञा से राम बन गये—इत्यादि।

† आ रहा था—इत्यादि ‘रह’ धातु की भूतकालिकक्रिया के योग से बने हुए अपूर्णभूत को ‘सातत्यबोधक’ या ‘तात्कालिकभूत’ भी कहते हैं।

वाली क्रिया का न होना किसी दूसरी क्रिया के न होने पर अवलम्बित पाया जाय। (हेतु = कारण, हेतुमत् = कारण-वाला = कार्य या फल। जिससे भूतकाल में किसी रूप क्रिया के न होने से उसकी कार्य या फल रूप क्रिया का न होना पाया जाय उसे हेतुहेतुमद्भूत कहते हैं)। यह दो प्रकार होता है—पूर्ण और अपूर्ण (अपूर्णभूत के था थी—आदि उड़ाने से 'अपूर्णहेतु०' और होता, होती—आदि सा० भूत के आगे जोड़ने से 'पूर्णहेतु०' (बनता है)। जैसे बारिश होती तो सुभिन्न होता। चिट्ठी भेजी गई होती तो क्यों न पहुँचती?। यदि मैं देखता होता तो ऐसा न होने देता। तुम आए गये होते तो काम जरूर बन जाता—इत्यादि। ❁

वर्तमानकाल के दो भेद हैं—सामान्यवर्तमान और संदिग्धवर्तमान।

(१) सामान्यवर्तमान वह है जिससे सामान्यरूप से वर्तमानकाल में क्रिया का होना पाया जाय।

जैसे—मैं पढ़ता हूँ। राम आता है। चिट्ठी लिखी जाती है—इत्यादि। ‡

❁ कई वैयकरणों ने 'संभाव्यभूत' नाम से भूतकाल का एक और भेद माना है। संभाव्यभूत वह है जिससे भूतकाल में क्रिया के होने की संभावना पाई जाय। जैसे—संभव है मार्ग की दुर्गमता ने उसका बिचार बदल दिया हो। यह कहा नहीं जा सकता कि वह हमारे अभिप्राय को न समझा हो। मैंने ऐसी बात यदि कही भी हो....।.... जो कभी किसी ने देखे सुने भी न हों—इत्यादि।

‡ पढ़ रहा है—इत्यादि 'रह' धातु की सामान्य भूतकालिक क्रिया के

(२) संदिग्धवर्तमान वह हैं जिससे वर्तमानकाल में क्रिया के हाने में संदेह पाया जाय। जैसे श्याम आता होगा। श्यामा सोती होगी। आज हमारा माल भरा जा रहा होगा—इत्यादि। ❀

योग से बने हुए वर्तमान को 'अपूर्णवर्तमान, सातत्यबोधकवर्तमान या तात्कालिकवर्तमान' कहते हैं। परन्तु प्रायः इसका सामान्य वर्तमान में ही अन्तर्भाव माना जाता है।

सामान्य वर्तमान का प्रयोग स्वभावक प्रकट करने और भूतकाल में पूर्व ऐतिहासिक घटना को वर्तमानवत् [मानो अभी हो रही है—इस प्रकार] या साधारणरूप से वर्णन करने के लिये भी होता है। पहले प्रकार को 'स्वभावबोधकवर्तमान' और दूसरे प्रकार को 'ऐतिहासिकवर्तमान' कहते हैं। जैसे—पृथ्वी घूमती है। पानी नीचे की ओर बहता है। विद्यार्थी प्रतिदिन पाठशाला जाते हैं—इत्यादि [स्वभावबोधक वर्त०]। रावण भिन्नक के भेष में आता है और सीता को छलकर लेजाता है। 'उन्होंने क्या देखा कि एक यह कहता है, एक वह, और सबके सब आपस में झगड़ा करते हैं।' [ऐतिहासिक]। इसी प्रकार दूसरे के कथन में उद्धरण करने में भी सामान्यवर्तमान का प्रयोग होता है। जैसे—दुर्योधन कहता है कि सूई की नोक जितनी जमीन छेद सकती है उतनी भी पाण्डव बिना लड़े नहीं पासकते। व्यास कहते हैं—'परोपकारः पुण्याय'—इत्यादि।

भूत और भविष्यत् की समीपता में भी वर्तमानकाल का व्यवहार होता है। जैसे—राजासाहब कब आएँ? अभी आ रहे हैं (= आये हैं)। तुम कब आयेँ? अभी आ रहा हूँ (आया हूँ)। तुम चलो, मैं अभी आया हूँ (= शीघ्र आऊंगा)। तुम लाहौर कब जाओगे? बस, कल जाता हूँ (= जाऊंगा)। तुम्हारा स्कूल कब खुलेगा? बस, परसों खुलता है (= खुलेगा)—इत्यादि ❀ जब अपूर्णभूत में संदेह दिखाना (अपूर्णभूतक्रिया को संदिग्धभूत बनाना)

भविष्यत्काल के भेद हैं —सामान्यभविष्यत् और संभाव्यभविष्यत् ।

(१) सामान्यभविष्यत् वह है जिससे क्रिया का सामान्यरूप से भविष्यत् (आनेवाले) समय में होना पाया जाय । जैसे—वह जाएगा । नाँकर बुलाया जाएगा—इत्यादि ।❀

हो तब भी आता होगा—इत्यादि ही रूप बनते हैं वहाँ संदिग्ध (अपूर्ण) भूत है और कहासंदिग्धवर्तमान—इसकी प्रतीत प्रकरण से होती है । जैसे मैंने सुना है कल मोहन फिर नाटकघर की ओर जाता (जा रहा) था । जाता (जा रहा) होगा । आज दस बजे श्याम कहाँ जाता था ? में क्या जानूँ कहीं जाता होगा—इत्यादि (सं० अ० भूत) वह देखो कौन आता (आ रहा) है ? कोई आता (आ रहा) होगा । मेरे हाथ में क्या है कुछ होगा । मोहन अभी आता होगा इत्यादि—(सं० वर्तमान) । कई व्याकरणों ने 'संभाव्यवर्तमान' नाम से वर्तमान का एक और भेद माना है । संभाव्यवर्तमान वह है जिसमें वर्तमान में क्रिया के होने की संभावना पाई जाय । जैसे—वह आता हो । कोई सुनता भी हो । संभव है उस कमरे में कोई मोता हो—इत्यादि ।

❀कल जब तुम आओगे तब मैं तुम्हारा काम करता (कर रहा) होऊँगा—इत्यादि के अनुसार अपूर्ण, सातत्यबोधक या तात्कालिक भविष्यत् नाम का एक भेद और कालों की भाँति भविष्यत् का भी कहा जा सकता है । इसी भाँति—यदि कोई तुम्हारी इन बातों को सुनेगा तो तुम्हें बिलकुल ही मूर्ख समझेगा—इत्यादि के अनुसार भविष्यत् का एक और भेद 'हेतुहेतुमद्भविष्यत्' भी माना जा सकता है । परन्तु साधारण विचार में इन उपभेदों का 'सामान्यभविष्यत्' में ही अन्तर्भाव माना जा सकता है । 'सामान्यभविष्यत्' अर्थ में कभी २ क्रिया के सामान्यरूप का भी

(२) संभाव्यभविष्यत् वह है जिससे भविष्यत्काल में होनेवाली क्रिया के विषय में संभावना या इच्छा पाई जाय । जैसे—संभव है, आज महाराज आवें । शायद, वह कल लाहौर जाय । चाहे मेरे प्राण चले जाएं..... । हो न हो ।—इत्यादि †

४ प्रकार ।

हम क्रिया द्वारा विवक्षित व्यापार को कई रीतियों से विधान करते हैं । इन्हीं विधान की रीतियों को 'प्रकार' करते हैं ।

प्रकार के तीन भेद हैं—साधारण, संभाव्य और प्रवर्तनार्थक ।

(१) क्रिया का साधारण प्रकार वह है जिससे साधारणतः क्रिया के होने का निर्देश पाया जाय । जैसे—श्याम आया । मोहन जाता था । वह जाता है । मैं पत्र लिखूंगा । क्या तुम न चलोगे ?—इत्यादि । इस प्रकार को 'निश्चयाथ भी कहते हैं ।

(२) क्रिया का संभाव्य प्रकार वह है जिस से संभावना (अर्थात् अनुमान, अनिश्चय, इच्छा, कर्तव्य या सन्देह) पाई जाय । जैसे—(काले बादल घिर रहे हैं) ।

प्रयोग होता है । जैसे—कल मुझे लाहौर जाना है (= कल मैं लाहौर जाऊंगा)—इत्यादि ।

† हेतुहेतुमत् के रूप में ही इसका प्रयोग होता है । जैसे—वे आप्रं तो देखें । यदि मैं वहां जाऊं तो सारा भेद ले जाऊं ।

(१) अनु०—कदाचित् पानी बरसे..... ।

(२) अनिश्चय यदि आज श्याम आजाये..... ।

(३) इच्छा—सुखी रहो ।

(४) कर्तव्य—सेवक को चाहिये कि शुद्ध भाव से स्वामी की सेवा करे ।

(५) संदेह—लड़की सोती होगी । मोहन गया होगा ।

बारिश होती तो सुभिन्न होता । मैं स्वयं गया होता तो सब ठीक कर आता । पानी बरसता होता तो मैं कैसे आता—इत्यादि हेतुहेतुमत् क्रियाएं भी इसी प्रकार के अन्तर्गत हैं ।

(३) क्रिया का प्रवर्तनार्थक (या विध्यर्थक) प्रकार वह है जिससे प्रवर्तना (किसी को किसी काम में प्रवृत्त करना या लगाना) पाया जाय । आज्ञा, प्रार्थना, प्रश्न, अनुमति मांगना, अनुमति देना, उपदेश—ये सब प्रवर्तना के अन्तर्गत हैं । जैसे—पानी भरला । शीघ्र दर्शन देने को कृपा कीजिये । उसे क्या लिख भेजें ? आप कहें तो मैं जाऊं ? जाओ । सब बोलो—इत्यादि । ॥४४

ऊपर कही क्रियाओं के अतिरिक्त एक और क्रिया है, जिसे 'पूर्वकालिक' कहते हैं । यह वाक्य की मुख्यक्रिया के अधीन होता है और इसका सिद्ध होना मुख्य क्रिया के होने से

* कभी २ क्रिया का सामान्यरूप भी प्रवर्तनाथक क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त होता है । जैसे—उधर आना । यह करना । उधर मत जाना । थोड़ी सी हमारी भी मदद कर देना—इत्यादि ।

संभाव्यमविध्यत् और प्रवर्तनार्थक क्रिया के रूप एक जैसे ही होते हैं ।

पहले पाया जाता है (इसी लिये इसे 'पूर्वकालिक' कहते हैं)। धातु के अन्त में 'कर' 'करके' वा 'के' लगाने से यह बनती है। जैसे - खाकर (खाकरके वा खाके) सोया, आकर (आकरके वा आके) गया इत्यादि।*

अभ्यास ।

क्रियाओं का रूपान्तर किन कारणों से होता है ? वाच्य किसे कहते हैं ? उमके कितने भेद हैं ? प्रत्येक के लक्षण और उदाहरण लिखो ? कर्तृवाच्य या भाववाच्य कैसे बनाया जाता है ? क्रिया का प्रयोग कितने प्रकार का है ? भावेप्रयोग में कौन २ क्रियाएं आती हैं ? कर्तृवाच्य क्रिया के कर्मणिप्रयोग और कर्मवाच्य क्रिया के भावेप्रयोग के उदाहरण दो । क्रिया के पुरुष, लिङ्ग और वचन कब कर्ता के अनुसार और कब कर्म के अनुसार होते हैं और कब दोनों में से किसी के भी अनुसार नहीं ? काल किसे

केवल मध्यमपुरुष एकवचन में इतना भेद है कि संभाव्यभविष्यत् में धातु के आगे 'ए' 'ये' या 'वे' (तू जाए, जायें, जावें, देवे, लेवे—इत्यादि) लगाए जाते हैं और प्रवर्तनार्थक में केवल धातु का ही प्रयोग होता है (जैसे—तू जा, कर, देख, ले, दे—इत्यादि)। कई वैयाकरण इस भेद को भी नहीं मानते और इसी लिये प्रवर्तनार्थक प्रकार का संभाव्य प्रकार में ही अन्तर्भाव करके सामान्य और संभाव्य दो ही प्रकार मानते हैं ।

* पूर्वकालिक' वस्तुतः क्रिया नहीं, कृदन्त अव्यय है । तथापि वैयाकरणों ने इसको क्रियाओं के ही अन्तर्गत माना है इसी प्रकार भागते भागते (टांग फूल गई), आते ही (ऊधम मचाया), (संच) कहते (क्यों हिचकता है ?), (इस बात को) हुए (देर हुई), (हथियार) बांधे (आया), बैठे बैठे मन उकता गया—इत्यादि भी कृदन्त अव्यय ही है, क्रियाएं नहीं ।

कहते हैं ? उस के कितने भेद हैं और उन के लक्षण क्या हैं ? भूत, वर्तमान और भविष्यत् के अवान्तर भेदों के लक्षण और उदाहरण बताओ। सामान्य-वर्तमान और आसन्नभूत का विशेष प्रयोग कहां २ होता है ? प्रकार किसे कहते हैं ? उसके कितने भेद हैं ? संभाव्य और प्रवर्तनार्थक प्रकार के लक्षण और उदाहरण बताओ। संभाव्य-भविष्यत् और प्रवर्तनार्थक क्रिया के रूपों में क्या भेद है ? पूर्वकालिक किसे कहते हैं ? इसके बनाने की क्या रीति है ?

आठवां अध्याय ।

१ क्रियाओं की रूप रचना ।

सामान्यभूत—अकारान्त धातुओं के 'अ' को पुलिङ्ग में 'आ' और स्त्रीलिंग में 'ई' करने से, ऊकारान्त धातुओं के ऊ' को ह्रस्व (उ) करके आगे पू० में 'आ और स्त्री' में 'ई' जोड़ने से और आकारान्त, ईकारान्त, एकारान्त तथा ओकारान्त धातुओं के अन्त में पू० में 'या और स्त्री० में 'ई' जोड़ने और धातु की अन्तिम 'ई' और 'ए' को 'इ' करने से सामान्य भत-काल की क्रियाएँ बनती हैं। जैसे—

धातु	पुँलिङ्ग	स्त्रीलिङ्ग	धातु	पुँलिङ्ग	स्त्रीलिङ्ग
बोल-	बोला	बोली	पी-	पिया	पी०
छू-	छुआ	छुई	दे-	दिया	दी
खा-	खायम	खाई	बो-	बोया	बोई

० पी और दे धातुओं के स्त्रीलिङ्गरूप बनाने के लिये ऊपर कहे नियम के अनुसार 'ई' आर 'ए' को 'इ' करके अन्त में 'ई' जोड़ने से, पि+ई दि+ई और सन्धिनियम के अनुसार दीर्घसन्धि करने से 'पी' 'दी' रूप बनते हैं (सन्धियों के नियम आगे सन्धिप्रकरण में देखो) इसी प्रकार जी, सी, ले धातुओं से—जिया, जि+ई=) जी । सिया, (सि+=ई) सी । लिया, लि=ई=) ली । 'से' और 'खे' धातु अपवाद है। इनके 'ए' को 'ई' नहीं होता। जैसे—सेया, सेई । खेया, खेई । स्त्रीलिङ्ग में खाई, बोई आदि के बदले खायी, बोयी—आदि रूप भी प्रयोग में आते हैं ।

कुछ धातुओं से सामान्यभूत की क्रियाएं अनियमित भी बनती हैं। जैसे—हो—हुआ (हुई)। कर—क्रिया (की)। जा—गया (गई) मर—मूआ (मुई), मरा (मरी)।

इन के बहुवचन रूप बनाने के लिए पुँलिङ्ग में अन्तिम 'आ' को 'ए' और स्त्रीलिङ्ग में अन्तिम 'ई' को 'ई' हो जाता है। जैसे—बोला—बोले (पुँ०) बोलीं (स्त्री०)। इस प्रकार लु आ—लुए लुई। आया—आये आई। दिया—दिये दीं इत्यादि। या प्रत्ययान्त रूपों के आये, गये आदि बहुवचन रूपों में 'ये' के स्थान में विकल्प से 'ए' हो जाता है। जैसे आये, आए। गये, गए ल ये, लाए—इत्यादि।

इन क्रियाओं के आगे यदि कोई सहायक्रिया हो तो स्त्रीलिङ्ग में बहुवचन के कारण होने वाला रूपान्तर सहाय क्रिया में ही होता है। परन्तु पुँलिङ्ग में मुख्यक्रिया में भी होता है। जैसे—वह बोली है लाई है। वे बोली हैं, लाई हैं। वह बोला है, लाया है। वे बोले हैं, लाए हैं—इत्यादि ❀

सामान्यभूतकालिक क्रिया (या भूतकालिक कृदन्त) के साथ सहायक क्रिया 'होना' के रूप लगाने से कई अन्य भूत कालिक क्रियाएं बनती हैं। जैसे—

❀ भूतकालिक कृदन्त' के रूप भी सामान्यभूत के रूपों के समान ही होते हैं। प्रयोग प्रायः विशेषण के समान होता है। जैसे— गया वक्त। कही बात। पढ़े मनुष्य—इत्यादि। इनके साथ बहुधा 'हुआ' भी लगाया जाता है, जिसका रूपान्तर इनके रूपान्तर के समान होता है। जैसे गया हुआ वक्त। कहीहुई बात। पढ़ेहुए मनुष्य—इत्यादि कहीं २ 'हुआ' के स्थान में 'गया' लगाया जाता है। जैसे— बनाई गई बातें। उठाय गया बोझ। व्याही गई लड़की—इत्यादि।

(क) उत्तम पुरुष (मैं) हूँ. (हम) हैं। मध्यम पु० (तू है, (तुम) हो। अन्य पु० (वह) है, वे हैं—इन 'होना' क्रिया के वर्तमानकालिक रूपों के सामान्यभूतक्रिया के आगे जोड़ने से 'आसन्नभूतकालिक' क्रियाएं बनती हैं। जैसे—मैं बोला (ली) हूँ, हम बोले (ली) हैं। तू बोला (ली) है, तुम बोले (ली) हो। वह बोला (ली) है, वे बोले (ली) हैं।

(ख) पुल्लिङ्ग सब पुरुषों के एकवचन 'था' बहुव० 'थे' और स्त्रीलिङ्ग एकव० 'थी' बहुव० 'थी'—इन 'होना' क्रिया के भूतकालिक रूपों के सा० भूतक्रिया के आगे जोड़ने से 'पूर्णभूतकालिक' क्रियाएं बनती हैं। जैसे—मैं, तू, वह बोला था। हम, तुम, वे बोले थे। मैं, तू, वह बोली थी। हम, तुम वे बोली थीं।

(ग) उ० पु० हूँगा (गी), होंगे (गी)। म० पु० होगा (गी), होंगे (गी)। अ० पु० होगा (गी), होंगे (गी)—इन 'होना' क्रिया के भविष्यत्कालिक रूपों के सा० भूतक्रिया के आगे जोड़ने से 'संदिग्धभूतकालिक' क्रियाएं बनती हैं। जैसे मैं बोला (ली) हूँगा (गी), हम बोले (ली) होंगे (गी)। तू बोला (ली) होगा (गी), तुम बोले (ली) होंगे (गी)। वह बोला (ली) होगा (गी), वे बोले (गी) होंगे (गी)।*

(घ) पुँ० सब पुरुषों में एकव० होता, बहुव० होते और स्त्री० में एकव० होती, बहुव० होती—इन 'होना' क्रिया के 'हेतुहेतुमद्भूतकालिक' रूपों के सा० भूत क्रिया के आगे जोड़ने से '(पूर्ण) हेतुहेतुमद्भूतकालिक' क्रियाएं बनती हैं। जैसे—मैं तू वह बोला होता,—बोली होती। हम, तुम, वे बोले होते,—

होएंगे (गी), होवेंगे (गी)—आदि रूप भी प्रयुक्त होते हैं।

बोली होती।‡

हेतुहेतुमद्भूत-धातु के आगे सब पुरुषों में पुलिङ्ग में एक-वचन होता, बहुवचन में और स्त्रीलिङ्ग में एकवचन भी बहुवचन में लगाने से 'हेतुहेतुमद्भूतकालिक' क्रियाएं बनती हैं। जैसे—मैं, तू वह बोलता (ती)। हम, तुम वे बोलते (तीं)।

हेतुहेतुमद्भूतक्रिया (या वर्तमानकालिक कृदन्त) के साथ सहायक क्रिया 'होना' के रूप लगाने से नीचे लिखी क्रियाएं बनती हैं:

(क) हेतुहेतुमद्भूतक्रिया के आगे 'होना' क्रिया के भूतकालिक रूप था, थे थी आदि लगाने से 'अपूर्णभूतकालिक' क्रियाएं बनती हैं। जैसे—मैं, तू, वह बोलता था (ती थीं)। हम, तुम, वे बोलते थे। (ती, थीं)

(ख) हेतुहेतुमद्भूतक्रिया के आगे होता, होती आदि 'होना' क्रिया के हेतुहेतुमद्भूतकालिक, रूप लिङ्ग वचनके अनुसार

‡ उ० पु० दोनों लिङ्गों में होऊं, हों (होवें)। म० पु० हो (होवे), हो। होओ। अ० पु० हो (होवे),—इन 'होना' क्रिया के संभाव्य भविष्यत्कालिक रूपों के स० भूतक्रिया के साथ जोड़ने से संभाव्य भूतकालिक क्रियाएं बनती हैं। जैसे—मैं बोला (ली) होऊं, हम बोले (ली) हों। तू बोला (ली) हो, तुम बोले (ली) हो। वह बोला (ली) हो, वे बोले (ली) हों।

* 'वर्तमानकालिक कृदन्त' के रूप भी हेतुहेतु मद्भूत के रूपों के समान ही होते हैं। इनका प्रयोग प्रायः विशेषण के समान होता है। जैसे—उड़ता पंखी दौड़ते घोड़े। चलती गाड़ी—इत्यादि। इनके साथ 'हुआ' भी लगाया जाता है, जिसका रूपान्तर इनके समान ही होता है। जैसे—उड़ता हुआ पंखी। दौड़ते हुए घोड़े। चलती हुई गाड़ी—इत्यादि।

जोड़ने से अपूर्णहेतुहेतुमद्भूतकालिक क्रियाएं बनती हैं। जैसे—
मैं, तू, वह बोलता होता—बोलती होती। हम, तुम, वे बोलते
होते,—बोलती होतीं।

(ग) हेतुहेतुमद्भूतक्रिया के आगे 'होना' क्रिया के वर्तमान-
कालिक रूप है, हैं आदि पुरुष और वचन के अनुसार लगाने
से 'सामान्यवर्तमानकालिक' क्रियाएं होती हैं। जैसे—मैं बोल-
ता (ती) हूँ, तू, वह बोलता (ती) है। हम बोलते (ती) हैं, तुम
बोलते (ती) हो, वे बोलते (ती) है। ❀

(घ) हेतुहेतुमद्भूतक्रिया के आगे 'होना' क्रियाके सामान्य-
भविष्यत्कालिक रूप होगा, होगी आदि पुरुष, लिङ्ग और वच-
न के अनुसार लगाने से 'संदिग्धवर्तमानकालिक' क्रियाएं बन-
ती हैं। जैसे—मैं बोलता हूँगा, बोलती हूँगी, तू, वह बोलता
होगा,—बोलती होगी। हम, वे बोलते होंगे—बोलती होंगी।
तुम बोलते होगे,—बोलती होगी। †

❀ जब सामान्यवर्तमानक्रिया (नहीं)के साथ आती है तब महायक
क्रिया है के रूप लुप्त रहते हैं। जैसे—वह नहीं बोलते तुम नहीं बोलते—
इत्यादि।

† संदिग्ध 'अपूर्णभूतकालिक' क्रियाएं भी ऐसे बनती है। जैसे—
बोलता होगा, बोलती होगी— (वह क्या बोलता था ? कुछ बोलता होगा
इत्यादि)

† हेतुहेतुमद्भूत क्रिया के आगे 'होना' क्रिया के संभाव्यभविष्यत्का-
लिक रूप हो, होऊँ—आदि पुरुष और वचन के अनुसार जोड़ने से 'संभा-
व्यवर्तमानकालिक' क्रियाएं बनती हैं। जैसे—मैं बोलता (ती) होऊँ, तू,
वह बोलता (ती) हो। हम बोलते (ती) हों, तुम बोलते (ती) हो, वे
बोलते (ती) हों।

संभाव्यभविष्यत् और प्रवर्तनार्थक—

संभाव्यभविष्यन् क्रियाएँ बनाने के लिये—

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उ० पु०	ऊं	एँ
म० पु०	ए	ओ
अ० पु०	ए	एँ

ये प्रत्यय अकारान्त धातुओं के 'अ' के बदले लगाए जाते हैं और अन्य स्वर जिन के अन्त में हैं उन धातुओं के आगे लगाए जाते हैं। (इन क्रियाओं में लिङ्ग भेद नहीं होता) जैसे— मैं बोलूँ, तू, वह बोले। हम बोलें, तुम बोलो, वे बोलें, मैं सोऊँ, तू, वह सोए। हम सोएँ, तुम सोओ, वे सोएँ।

आ, ई, ऊ या ओ जिन धातुओं के अन्त में हैं उनके आगे 'ए' और 'एँ' के बदले विकल्प से 'वे' और 'वें' लगाए जाते हैं। आकारान्त धातुओं के आगे 'ए' और 'एँ' के बदले 'य' और 'यँ' भी लगाए जाते हैं। 'ए' और 'एँ' परे होने पर धातु के अन्तिम 'ई' और 'ऊ' को ह्रस्व (इ और उ) हो जाता है। 'इ' के परे ऊं, ए, एँ और ओ को विकल्प से 'यू' ये 'यें' और 'यो' हो जाते हैं। जैसे मैं पाऊँ, जीऊँ, जियूँ, लूऊँ, सोऊँ।

तू, वह पाए पाय-पावे, जिए जिये-जीवे, लुएँ लूवे, सोए-सोवे।

हम वे पाएँ-पायँ-पावें, जिएँ-जियें-जीवें, लुएँ-लुवें सोऊँ - सोवें।

तुम पाओ, जिओ-जियो, लुओ, सोओ।

एकारान्त धातुओं के आगे 'ए' और 'एँ' के बदले 'वे' और 'वें' जोड़े जाते हैं। जैसे—मैं सेऊँ, खेऊँ। तू, वह सेवे, खेवे। हम, वे सेवें, खेवें। तुम सेओ खेओ।

ले और दे धातुओं के 'ए' को विकल्प से ऊं ए-आदि प्रत्यय होते हैं। जैसे-मैं दूँ देऊँ, लूँ-लेऊँ। तू, वह दे-देवे, ले-लेवे। हम, वे दें-देवें। तुम दो देओ। लो लेओ।

प्रवर्तनार्थकक्रियाएँ सभाव्यभविष्यत् क्रियाओं के समान ही होती हैं। केवल मध्यमपुरुष एकवचन में धातुमात्र का ही प्रयोग होता है। जैसे—तू बोल, कर, खा. पी, छू, दे सो—इत्यादि शेष रूप सभाव्यभविष्यत् के समान, (इसमें भी लिङ्ग भेद नहीं होता)। प्रवर्तना या विधि के दो भेद होते हैं—प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष तीन प्रकार की होता है—साधारण बोली, आदरसूचक (बोलिये), विशेषादरसूचक (बोलियेगा)।

प्रवर्तना या विधि में आदर दिखाने के लिये आदरसूचक 'आप' के साथ मध्यमपुरुष में अकारान्त धातु के 'अ' को 'इये' किया जाता है और अन्यस्वरान्त धातुओं के आगे इये वा इए' लगाया जाता है। जैसे—(आप) बैठिये कहिये, आइये, (आइए), छूइये, खेइये, सोइये—इत्यादि। ईकारान्त धातुओं की 'ई' को 'इये' किया जाता है। जैसे—(आप) सिये, जिये—इत्यादि, ❀

❀ 'चाहिये' 'चाह' धातु का आदरसूचक प्रवर्तना (विधि) का रूप है। परन्तु इस अर्थ में इसका प्रयोग नहीं होता। 'आप कहिये, खाइये' आदि के समान 'आप चाहिये' नहीं बोला जाता। इसका प्रयोग औचित्य या आवश्यकता के अर्थ में क्रियाविशेषण के समान होता है और इसके आगे 'होना' क्रिया के वर्तमानकालिक 'है' आदि रूपों का लोप रहता है। जैसे—आपको जाना चाहिये (= जाना उचित है)। मुझे एक नौकर चाहिये (= नौकर की आवश्यकता है)। 'होना' क्रिया के भूतकालिक था, थे

विशेष आदर दिखाने के लिये आदरसूचक विधि के आइये, जाइये—आदि रूपों के आगे गा लगाया जाता है। जैसे—आप आइयेगा, बैठियेगा। मुझ से घर में मिलियेगा। आज भोजन हमारे यहां पाइयेगा इत्यादि।

इसका प्रयोग सामान्यभविष्यत् के अर्थ में भी होता है। जैसे—इन लुट्टियों में आप कहां जाइयेगा [=जाएंगे] ?। अब आप फिर कब मिलियेगा [=मिलेंगे] ?। कल इधर आइयेगा [=आएंगे] तो मेरी पुस्तक लेते आइयेगा—इत्यादि।*

जिस कार्य के लिये प्रवर्तना या विधिकी जाती है वह यदि परोक्ष (दूर देश वा दूर काल) में होना हो तो प्रवर्तनार्थक-क्रिया बनाने के लिये धातु के आगे 'इये' के बदले 'इयो' लगाया

आदि रूपों का भी 'चाहिये' के आगे प्रयोग होता है। जैसे—आपको जाना चाहिये था। आपको कल हमारे यहां रोटी खानी चाहिये थी। आपको फल खाने चाहिये थे—इत्यादि। कविता में इसका प्रयोग आदरसूचक प्रवर्तना में भी होता है। जैसे—'आपको न चाहे ता के बाप को न चाहिये'।

जब 'चाहिये' क्रिया के साथ आता है तब इसका अर्थ 'आंचित्य' होता है, जैसे—फल खाने चाहिये (=खाने उचित है) इत्यादि, और जब यह

संज्ञा के साथ आता है तब इसका अर्थ 'अवश्यकता' होता है तथा बहुवचन संज्ञा के साथ इसका रूप 'चाहिये' प्रयुक्त होता है, जैसे—मुझे एक रुपया चाहिये (=रुपये की अवश्यकता है) मुझे नारंगियां चाहिये नारंगियों की आवश्यकता है इत्यादि।

✽ इस बात का स्मरण रखना चाहिये कि मध्यमपुरुष तुमके बदले अनेवाले आदरार्थक 'आप' शब्द के साथ क्रिया मध्यमपुरुष की नहीं आती किन्तु आदरार्थक अन्यपुरुष 'आप' शब्द के समान इसके साथ भी अन्यपुरुष की ही क्रिया आती है जैसे = आप चले, आप खाएं (प्रवर्तना)। आप कब आए है। आप कब जाएंगे ? इत्यादि।

जाता है। इस प्रवर्तना को 'परोक्षविधि' कहते हैं। यह केवल मध्यमपुरुष में ही आती है और तू तुम दोनों के लिये एक ही रूप प्रयुक्त होता है। जैसे तू कल जरूर आइयो। तुम उनसे कहियो...। तुम परसों तक लाहौर ही ठहरियो।

“मत जानियो तुम यह कि हम निर्बल बताते हैं तुम्हें”
(जयद्रथ वध) इत्यादि।

इससे प्यार भी सूचित होता है। जैसे बेटा, उधर मत जाइयो। आइयो मेरे मुन्ना, इधर तो आइयो।†

करना, लेना, देना पीना और होना क्रियाओं के आदर-सूचक, विशेषादरसूचक और परोक्षविधि के रूप अनियमित होते हैं। जैसे—कीजिये (ए) (करिये), कीजिये (ए) गा, (करियेगा), कीजियो (करियो)। लीजिये, लीजियेगा, लीजियो। दीजिये, दीजियेगा, दीजियो,। पीजियो, पीजियेगा, पीजियो। हूजिये, हूजियेगा, हूजियो।

“जहां में 'हाली' किसी पै अपने सिवा भरोसा न कीजियेगा। यह भेद है अपनी जिन्दगी का वस इसका चर्चा न कीजियेगा”
“कह दीजियो मेरे लिये मत शोक कोई कीजियो” (जयद्रथवध)

† विशेष आदरसूचक विधि का भी परोक्षविधि के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे—शीघ्र कुशलपत्र भेजियेगा। मुझ पर कृपादृष्टि रखियेगा। दिवाली तक जरूर वापिस आजाइयेगा—इत्यादि। परोक्षविधि का प्रसंगवश सा० भविष्यत् के अर्थ में भी प्रयोग होता है। जैसे—पंडित जी के यहां जाइयो। (= जाओगे तो उनसे मेरी पालागन कहियो।

इन्हें कीजिये, कीजियो—आदि रूपों के बदले 'कीजे' 'कीजो' आदि रूप भी होते हैं, जिनका प्रयोग प्रायः कविता में होता है। जैसे—

“सच जान लीजे अन्यथा निस्तार फिर होगा नहीं” (जयद्रथवध)

“संदेश कह दीजो यही सब से विशेष विनयभरा” (जयद्रथवध)।

सामान्यभविष्यत्—संभाव्यभविष्यत्कालिक क्रियाओं के आगे सव पुरुषों में पुलिङ्ग एकवचन में 'गा' बहुवचन में 'गे' और स्त्रीलिंग एकवचन, बहुवचन दोनों में 'गी' जोड़ने से 'सामान्यभविष्यत्कालिक' क्रियाएं बनती हैं। जैसे—मैं बोलूंगा (गी), तू, वह बोलेंगा (गी) । हम, वे बोलेंगे (गी), तुम बोलोगे (गी) ॥

‡'रहा' धातु के 'रहा है' आदि सा, भूतकालिक 'रहा था' आदि' पूर्ण-भूतकालिक, 'रहा होता' आदि हेतुहेतुमद्भूतकालिक, 'रहा हो' आदि संभाव्य-भूतकालिक और 'रहा होगा' आदि संदिग्धभूतकालिक रूपों के लिङ्ग वचन और पुरुष के अनुसार धातु के आगे जोड़ने में क्रमशः सातत्यबोधक या तात्कालिक वर्तमान, भूत, हेतुहेतुमद्भूत, संभाव्यवर्तमान, संदिग्धवर्तमान आदि क्रियाएं बनती हैं। जैसे—बोल रहा (ही) है, बोल रहा था (—रही थी), बोल रहा होता (—रही होती), बोल रहा हो (—रही हो), बोल रहा होगा (रही होगी)—इत्यादि ।

'हो' धातु के दो अर्थ होते हैं—एक सत्ता, स्थिति या विद्यमानता और दूसरा विकार (उत्पन्न होना, बनना आदि) । जैसे—हमारे खेत में खूब खेती है (= विद्यमान है) । हमारे खेत में खूब खेती होती है (= पैदा होती है) इत्यादि ।

सामान्यवर्तमान के विद्यमानता अर्थ में मैं हूँ, तू, वह है । हम, वे है, तुम हो—ये रूप होते हैं और विकार और विद्यमानता दोनों अर्थों में होता (ती) है—इत्यादि । सामान्यभूत के विद्यमानता अर्थ में (मैं, तू, वह) था, थी, (हम, तुम, वे) थे, थीं और विकार और विद्यमानता दोनों अर्थों के (मैं, तू, वह) हुआ, हुई, (हम, तुम, वे) हुए हुई—ये रूप होते हैं ।

संभाव्यभविष्यत् में दोनों अर्थों में मैं होऊँ, तू, वह हो (होवे) । हम, वे हों (होवें), तुम हो (होओ)—ये रूप होते हैं । प्रवर्तना के मध्यम पुरुष

२ रूपावली (संपूर्ण)

दिग्दर्शन के लिए एक अकर्मक और सकर्मक धातु की सम्पूर्ण रूपावली नीचे दी जाती है। (इसी के अनुसार अन्य धातुओं की रूपावली भी जानो) :—

अकर्मक “हँस” धातु कर्तृवाच्य

(१) सामान्यभूत

	कर्ता पुल्लिङ्ग		कर्ता स्त्रीलिङ्ग	
पुरुष	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ०	मैं हँसा	हम हँसे	मैं हँसी	हम हँसीं
म०	तू हँसा	तुम हँसे	तू हँसी	तुम हँसीं
अ०	वह हँसा	वे हँसे	वह हँसी	वे हँसीं

दोनों वचनों में हो और आदर आदि में (आप) हृजिय, हृज, हृजियेगा, (तू तुम) हृजियो, -ये रूप बनते हैं। शेष संभाव्यभविष्यत् के गमान।

सामान्यभविष्यत् में दोनों अर्थों में मैं हूँ (होऊँ) गा (गी), तू, वह हो (वे) गा (गी)। हम, वे हों (वे) गे (गी)। तुम हो (ओ) गे (गी) ये रूप होते हैं। हेतुहेतुमद्भूत में मैं तू वह होता(ती)। हम, तुम वे होते(ती)ये रूप होते हैं।

इसी प्रकार होता था (होती थी) आदि अपूर्णभूत आँर होता (ती) हो आदि संदिग्धवर्तमान के रूप भी दोना अर्थों में आते हैं।

शेष हुआ (हुई) है—आदि आसन्नभूत, हुआ था (हुई थी)—आदि पूर्णभूत हुआ (ई) हो—आदि संभाव्यभूत, हुआ होगा(हुई होगी) आदि संदिग्धभूत, और हुआ होता (हुई होती) आदि (पूर्ण) हेतुहेतुमद्भूत के रूप केवल विकार अर्थ में ही आते हैं।

(२) आसन्नभूत

उ० मैं हँसा हूँ	हम हँसे हैं	मैं हँसी हूँ	हम हँसी हैं
म० तू हँसा है	तुम हँसे हो	तू हँसी है	तुम हँसी हो
अ० वह हँसा है	वे हँसे हैं	वह हँसी है	वे हँसी हैं

(३) पूर्णभूत

उ० मैं हँसा था	हम हँसे थे	मैं हँसी थी	हम हँसी थीं
म० तू हँसा था	तुम हँसे थे	तू हँसी थी	तुम हँसी थीं
अ० वह हँसा था	वे हँसे थे	वह हँसी थी	वे हँसी थीं

(४) अपूर्णभूत

उ० मैं हँसता था	तुम हँसते थे	मैं हँसती थी	हम हँसती थीं
म० तू हँसता था	तुम हँसते थे	तू हँसती थी	तुम हँसती थीं
अ० वह हँसता था	वे हँसते थे	वह हँसी थी	वे हँसती थीं

(५) संदिग्धभूत

उ० मैं हँसा हूँगा	हम हँस होंगे	मैं हँसी हूँगी	हम हँसी होंगी
म० तू हँसाहोगा	तुम हँसे होंगे	तू हँसी होगी	तुम हँसी होंगी
अ० वह हँस-होगा	वे हस होंगे	वह हँसी होगी	वे हँसी होंगी

[संभाव्यभूत]

उ० मैं हँस होऊँ	हम हँसे हों	मैं हँसी होऊँ	हम हँसी हों
म० तू हँसा हो	तुम हँसे हो	तू हँसी हो	तुम हँसी हो
अ० वह हँसा हो	वे हँसे हों	वह हँसी हो	वे हँसी हों

सात्त्विकबोधक या तत्कालिक भूत

उ० मैं हँस रहा था	हम हँस रहे थे	मैं हँस रही थी	हम हँस रहीं थीं
म० तू हँस रहा था	तुम हँस रहे थे	तू हँस रही थी	तुम हँस रहीं थीं
अ० वह हँस रहा था	वे हँस रहे थे	वह हँस रही थी	वे हँस रहीं थीं

(६) हेतुहेतुमद्भूत (अपूर्ण और पूर्ण)

उ० मैं हँसता (हँसा होता) हम हँसते हसेहोते)	मैं हसती (हँसी होती) हम हँसतीं (हँसी होतीं)
म० तू हँसता ,, तुम हँसते ,,	तू हँसती ,, तुम हँसतीं ,,
अ० वह हँसता ,, वे हँसते ,,	वह हँसती ,, वे हँसती ,,

(१) सामान्यवर्तमान

उ० मैं हँसता हूँ हम हँसते हैं	मैं हँसती हूँ	हम हँसती हैं
म० तू हँसता है तुम हँसते हो	तू हँसती है	तुम हँसती हो
अ० वह हँसता है वे हँसते हैं	वह हँसती है	वे हँसती हैं

(२) संदिग्धवर्तमान

मैं हँसता हूँगा हम हँसते होंगे	मैं हँसती हूँगी हम हँसती होंगी
तू हँसता होगा तुम हँसते होगे	तू हँसती होगी तुम हँसती होगी
वह हँसता होगा वे हँसते होंगे	वह हँसती होगी वे हँसती होगी ❀

(१) सभाव्यभविष्यत् । (दोनों लिङ्गों में समान)

उ० मैं हँसूँ	हम हँसेँ
म० तू हसे	तुम हँसो
अ० वह हँसे	वे हँसेँ

सातत्यबोधक या तात्कालिक वर्तमान ❀

उ० मैं हँस रहा हूँ हम हँस रहे हैं	मैं हँस रही हूँ	हम हँस रही हैं
म० तू हँस रही है तुम हँस रहे हो	तू हँस रही है	तुम हँस रही हो
अ० वह हँस रहा है वे हँस रहे हैं	वह हँस रही है	वे हँस रही हैं

सभाव्यवर्तमान

उ० मैं हँसता होऊँ हम हँसते हों	मैं हँसती होऊँ	हम हँसती हों
म० तू हँसता हो तुम हँसते हो	तू हँसती हो	तुम हँसती हो
अ० वह हँसता हो वे हँसते हों	वह हँसती हो	वे हँसती हों।

(२) सामान्यभविष्यत्

उ० मैं हँसंगा	हम हँसंगे	मैं हँसंगी	हम हँसेंगी
म० तू हँसंगा	तुम हँसोगे	तू हँसंगी	तुम हँसांगी
अ० वह हँसंगा	वे हँसेंगे	वह हँसंगी	वे हँसेंगी

प्रवर्तना

(दोनों लिङ्गों में समान)

प्रत्यक्ष प्रवर्तना (विधि), साधारण

उ० मैं हँसूँ	हम हँसें	आदरसूचक—आप हँसियें
म० तू हँस	तुम हँसो	विशेषादरसूचक—आप हँसियेंगा
अ० वह हँसे	वे हँसें	परोक्षविधि तू, तुम हँसियो

पूर्वकालिक—हंसकर, हंसकरके, हंसके।

भाववाच्य (हँसा जा) (दोनों लिङ्गों में समान)

मुझसे, हमसे, तुझसे, तुमसे, उससे, उनसे—हँसा गया (सा० भूत) हँसा गया है (आ० भूत) हँसा गया था (पूर्णभूत) हँसा जाता था (अपूर्णभूत) हँसा गया होगा (संदिग्धभूत), हँसा जाता हँसा गया होता (हेतुहेतुमदभूत अपूर्ण और पूर्ण)

हँस जाता है सा वर्तमान) हँसा जाता होगा (संदिग्धवर्त०) हँसा जाए (संभाव्यवि० और प्रवर्तना) हँसा जावे (ए, य) गा (सा०भवि०) ।

सकर्मक 'पा' धातु कर्तृवाच्यः

⊗ हँसा गया हो (संभाव्यभूत), हँसा जा रहा था (मातृबोधक या नात्कालिक भूत)

†हँसा जा रहा है (= सत्यबोधक या नात्कालिक वर्त०), हँसा जाता हो (संभाव्यवर्त०)

‡ सामान्यभूत आदि भूत के कृद्य भदो भे कर्म के पुलिङ्ग या स्त्रीलिङ्ग होने से क्रिया पुलिङ्ग या स्त्रीलिङ्ग होती है । इगीलिये उपरिलिखित रूपावली भे

(१) सामान्यभूत

कर्म पुँलिङ्ग

एकवचन—मैंने-हमने, तूने-तुमने, उसने-उन्होंने पाया ।

बहुवचन— ,, ,, ,, ,, ,, ,, पाए ।

कर्म स्त्रीलिङ्ग

एकवचन—मैंने-हमने, तूने-तुमने, उसने-उन्होंने पाई ।

बहुवचन— ,, ,, ,, ,, ,, ,, पाई ।

(२) आसन्नभूत

कर्म पुं०

एकवचन—मैंने हमने, तूने-तुमने, उसने-उन्होंने पाया है

बहुवचन— ,, ,, ,, ,, ,, ,, पाए हैं

कर्म स्त्री०

एकवचन—मैंने-हमने, तूने-तुमने, उसने-उन्होंने पाई है

बहुवचन— ,, ,, ,, ,, ,, ,, पाई हैं

(३) पूर्णभूत

कर्म पुं०

एकवचन—मैंने-हमने, तूने-तुमने, उसने-उन्होंने पाया था

बहुवचन— ,, ,, ,, ,, ,, ,, पाए थे

कर्म स्त्री०

एकवचन—मैंने-हमने, तूने-तुमने, उसने-उन्होंने पाई थी

बहुवचन— ,, ,, ,, ,, ,, ,, पाई थी

‘कर्म पुँलिङ्ग’ कथा ‘कर्मस्त्रीलिङ्ग’ लिखकर रूपावली दी गई है । पुं०कर्म धन आदि तथा स्त्री० कर्म पुस्तक आदि स्वयं जोड़ लेना चाहिये । जैसे—मैंने धन पाया, पुस्तक पाई—इत्यादि ।

(१५८)

(४) अपूर्णभूत

कर्ता—पुँलिङ्ग (स्त्रीलिङ्ग)

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उ०	मैं पाता था (पाती थी)	हम पाते थे (पानी थीं)
म०	तू पाता था (पाती थी)	तुम पाते थे (पाती थीं)
अ०	वह पाता था (पाती थी)	वे पाते थे (पाती थीं)

(५) संदिग्धभूत

कर्म पुँ०

एकव०—मैंने—हमने, तूने तुमने, उसने—उन्होंने पाया होगा
बहुव०— ” ” ” ” ” ” , पाए होंगे ❁

(संभाव्यभूत) ❁

कर्म पुँ०

एकवचन—मैंने—हमने, तूने—तुमने, उसने—उन्होंने पाया हों ।
बहुवचन— ” ” ” ” ” ” , पाई हों ।

कर्म स्त्री०

एकवचन - मैंने—हमने, तूने—तुमने, उसने—उन्होंने पाई हो ।
बहुवचन— ” ” ” ” ” ” , पाई हों ।

सातस्यबोधक या तात्कालिक भूत

कर्ता—पुँलिङ्ग (स्त्रीलिङ्ग)

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उ०	मैं पारहा था (पारही थीं)	हम पारहे थे (पारही थीं)
म०	तू पारहा था (पारही थीं)	तुम पारहे थे (पारही थीं)
अ०	वह पाता था (पाती थी)	वे पारहे थे (पारही थीं)

कर्म स्त्री०

एकव०—मैंने-हमने, तूने-तुमने, उसने-उन्होंने पाई होगी
बहुव०— ,, ,, ,, ,, ,, ,, पाई होंगी

(६) हेतुहेतुमद्भूत (अपूर्ण)

कर्ता—पुंलिङ्ग (स्त्रीलिङ्ग)

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उ०	मैं पाता (पाती)	हम पाने (पातीं)
म०	तू पाता (पाती)	तुम पाने (पातीं)
अ०	वह पाता (पाती)	वे पाने (पातीं)

हेतुहेतुमद्भूत (पूर्ण)

कर्म स्त्री०

एकव०—मैंने-हमने, तूने-तुमने, उसने-उन्होंने पाई होती
बहुव०— ,, ,, ,, ,, ,, ,, पाई होती ❀

(१) सामान्य वर्तमान

कर्ता—पुंलिङ्ग (स्त्रीलिङ्ग)

उ०	मैं पाता हूँ (पाती हूँ)	हम पाते हैं (पाती हैं)
म०	तू पाता है (पाती है)	तुम पाते हो (पाती हो)
अ०	वह पाता है (पाती है)	वे पाते हैं (पाती है) ❀

❀सातत्यबोधक या तात्कालिक वर्तमान

कर्ता—पुंलिङ्ग (स्त्रीलिङ्ग)

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उ०	मैं पारहा हूँ (पारही हूँ)	हम पारहे हैं (पारही हैं)
म०	तू पारहा है (पारही है)	तुम पारहे हो (पारही हो)
अ०	वह पारहा है (पारही है)	वे पारहे हैं (पारही हैं)

(२) संदिग्धवर्तमान

कर्ता—पुंलिङ्ग (स्त्रीलिङ्ग)

मैं पाता हूँगा (पाती हूँगी) हम पाते होंगे (पाती होंगी)
म० तू पाता होगा (पाती होगी) तुम पाते होगे (पाती होंगी)
अ० वह पाता होगा (पाती होंगी) वे पाते होंगे (पाती होंगी) *

(१) सामान्यभविष्यत्

उ० मैं पाऊँगा (पाऊँगी) हम पाएँगे (पाएँगी)
म० तू पाएँगा (पाएँगी) तुम पाओँगे (पाओँगी)
अ० वह पाएँगा (पाएँगी) वे पाएँगे (पाएँगी)

(२) सभाव्यभविष्यत्

उ० मैं पाऊँ
म० तू पाएँ
अ० वह पाएँ

हम पाएँ
तुम पाओँ
वे पाएँ

प्रवर्तना प्रत्यक्ष, साधारण

उ० मैं पाऊँ हम पाएँ आदरविधि — पाइये
म० तू पाएँ तुम पाओँ विशेषादरविधि — पाइयेगा
अ० वह पाएँ वे पाएँ परोक्षविधि — पाइयो

सभाव्यवर्तमान

उ० मैं पाता हों (पाती हों) हम पाते हों (पाती हों)
म० तू पाता हो (पाती हों) तुम पाते होओ (पाती होओ)
अ० वह पाता हो (पाती हो) वे पाते हों (पाती हों)

कर्तृवाच्य (पाया जा)

(१) सामान्यभूत

कर्म पुल्लिङ्ग

कर्म स्त्रीलिङ्ग

एकव०

बहुव०

एकव०

बहुव०

उ० मैं पाया गया हम पाये गये

मैं पाई गई

हम पाई गई

म० तू पाया गया तुम पाये गये

तू पाई गई

तुम पाई गई

अ० वह पाया गया वे पाये गये

वह पाई गई

वे पाई गई

(२) आसन्नभूत

मैं पाया गया हूँ हमपाये गये हैं

मैं पाई गई हूँ

हम पाई गई हैं

तू पाया गया है तुम पाये गये हो

तू पाई गई है

तुम पाई गई हो

वह पाया गया है वे पाये गये हैं

वह पाई गई है

वे पाई गई हैं

(३) पूर्णभूत

कर्म पुल्लिङ्ग

एकवचन

उ० मैं पाया गया था

म० तू पाया गया था

अ० वह पाया गया था

बहुवचन

हम पाये गये थे

तुम पाये गये थे

वे पाये गये थे

कर्म स्त्रीलिङ्ग

मैं पाई गई थी

तू पाई गई थी

वह पाई गई थी

हम पाई गई थीं

तुम पाई गई थीं

वे पाई गई थीं

(४) अपूर्णभूत

कर्म पुल्लिङ्ग

उ० मैं पाया जाता था

म० तू पाया जाता था

अ० वह पाया जाता था

हम पाये जाते थे

तुम पाये जाते थे

वे पाये जाते थे

कर्म स्त्रीलिङ्ग

उ० मैं पाई जाती थी	हम पाई जाती थीं
म० तू पाई जाती थी	तुम पाई जाती थीं
अ० वह पाई जाती थी	वे पाई जाती थीं

(५) सदिग्धभूत

कर्म पुँ०

उ० मैं पाया गया हूंगा	हम पाये गये होंगे
म० तू पाया गया होगा	तुम पाये गये होंगे
अ० वह पाया गया होगा	वे पाये गये होंगे

कर्म स्त्रीलिङ्ग

उ० मैं पाई गई हूंगी	हम पाई होगी
म० तू पाई गई होंगी	तुम पाई होगी
अ० वह पाई गई होंगी	वे पाई गई होंगी

(६) हेतुहेतुमद्भूत (अपूर्ण)

कर्म पुँ०

कर्म स्त्रीलि०

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
मैं पाया जाता	हम पाये जाते	मैं पाई जाती	हम पाई जातीं
तू पाया जाता	तुम पाये जाते	तू पाई जाती	तुम पाई जातीं
वह पाया जाता	वे पाये जाते	वह पाई जातीं	वे पाई जातीं

हेतुहेतुमद्भूत (पूर्ण)

कर्म पुँ०

एकवचन

उ० मैं पाया गया होता
म० तू पाया गया होता
अ० वह पाया गया होता

बहुवचन

हम पाये गये होते
तुम पाये गये होते
हम पाये गये होते

कर्म स्त्रीलिङ्ग

उ० मैं पाई गई होती
म० तू पाई गई होती
अ० वह पाई गई होती

हम पाई गई होतीं
तुम पाई गई होतीं
वे पाई गई होतीं*

(१) सामान्यवर्तमान

कर्म पुलिङ्ग

उ० मैं पाया जाता हूँ
म० तू पाया जाता है
अ० वह पाया जाता है

हम पाये जाते हैं
तुम पाये जाते हैं
वे पाये जाते हैं

कर्म स्त्रीलिङ्ग

उ० मैं पाई जाती हूँ
म० तू पाई जाती है
अ० वह पाई जाती है

हम पाई जाती हैं
तुम पाई जाती हो
वे पाई जाती हैं

(२) संदिग्धवर्तमान

कर्म पुलिङ्ग

⊛ संभाव्यभूत

कर्म पुलिङ्ग

उ० मैं पाया गया होऊँ
म० तू पाया गया हो
अ० वह पाया गया हो

हम पाये गये हों
तुम पाये गये हों
वे पाये गये हों

कर्म स्त्रीलिङ्ग

उ० मैं पाई गई होऊँ
म० तू पाई गई हो
अ० वह पाई गई हो

हम पाई गई हों
तुम पाई गई हो
वे पाई गई हों

उ० मैं पाया जाता हूंगा हम पाये जाते होंगे
म० तू पाया जाता होगा तुम पाये जाते होंगे
अ० वह पाया जाता होगा वे पाये जाते होंगे

कर्म स्त्रीलिङ्ग

उ० मैं पाई जाती हूंगी हम पाई जाती होंगी
म० तू पाई जाती होगी तुम पाई जाती होगी
अ० वह पाई जाती होगी वह पाई जाती होंगी ❀

स्मृत्यवोधक या तात्कालिक वर्तमान

कर्म पुंलिङ्ग

उ० मैं पाया जा रहा हूँ हम पाये जा रहे हैं
म० तू पाया जा रहा है तुम पाये जा रहे हो
अ० वह पाया जा रहा है वे पाये जा रहे हैं

कर्म स्त्रीलिङ्ग

उ० मे पाई जा रही हूँ हम पाई जा रही हैं
म० तू पाई जा रही है तुम पाई जा रही हो
अ० वह पाई जा रही है वे पाई जा रही हैं

संभाव्यवर्तमान

कर्म पुंलिङ्ग

उ० मैं पाया जाता होऊँ हम पाये जाते हों
म० तू पाया जाता हो तुम पाये जाते हो
अ० वह पाया जाता हो वे पाये जाते हों

कर्म स्त्रीलिङ्ग

उ० मैं पाई जाती हीऊँ हम पाई जाती हों
म० तू पाई जाती हो तुम पाई जाती होओ
अ० वह पाई जाती है वे पाई जाती हों]

(१) सामान्यभविष्यन्

कर्म पुलिङ्ग

उ० मैं पाया जाऊंगा	हम पाये जाएंगे
म० तू पाया जायगा	तुम पाए जाओगे
अ० वह पाया जायगा	वे पाये जाएंगे

कर्म स्त्रीलिङ्ग

प्र० मैं पाई जाऊंगी	हम पाई जाएंगी
म० तू पाई जाएगी	तुम पाई जाओगी
अ० वह पाई जाएगी	वे पाई जाएंगी

(२) संभाव्यभविष्यन्

कर्मपुलिङ्ग

कर्म स्त्रीलिङ्ग

एकव०	बहुव०	एकव०	बहुव०
मैं पाया जाऊं	हम पाये जाएं	मैं पाई जाऊं	हम पाई जाएं
तू पाया जाए	तुम पाये जाओ	तू पाई जा	तुम पाई जाओ
वह पाया जाए	वे पाये जाएं	वह पाई जाए	वे पाई जाएं

प्रवर्तना प्रत्यक्ष साधारण

कर्मपुलिङ्ग

स्त्रीलिङ्ग

एकव०	बहुव०	एकव०	बहुव०
मैं पाया जाऊं	हम पाये जाएं	मैं पाई जाऊं	हम पाई जाएं
तू पाया जा	तुम पायजाओ	तू पाई जा	तुम पाई जाओ
वह पाय जाए	वे पाये जाएं	वह पाई जाए	वे पाई जाएं

पु०

आदरविधि - पाये जाइये
विशेषादरविधि—पाये जाइयेगा

स्त्री०

पाई जाइये
पाई जाइयेगा

परोक्षविधि—तू पाया जाइयो तू } पाई जाइयो
 तुम णये जाइयो तुम }

ऊपर लिखी रूपावलियों के अनुसार ही अन्य समस्त क्रियाओं की रूपावलियां होती हैं ॥

अभ्यास

सामान्यभूत, हंतुहेतुमद्भूत और संभाष्यभविष्यन् क्रियाएं कैसे बनती हैं और उनसे अन्य कौन कौन क्रियाएं कैसे बनती हैं ? 'होना' क्रिया के कौन रूप सहायकक्रिया के रूप में अन्य क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं और उनसे कौन कौन काल का क्रियाएं बनती हैं ? आदर्शविधि, विशेषाद्गविधि और परोक्ष-विधि की रूपरचना कैसे होनी है ? उनमें किन २ धातुओं के रूप अनियमित होते हैं ? वह परिङित हैं और वह परिङित होता है—इन वाक्यों में अर्थभेद है या नहीं ? यदि है तो क्या और क्यों है ?

नवाँ अध्याय ।



क्रियाविशेषण ।

क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहाते हैं । जैसे—‘जल्दी’ आओ—में ‘जल्दी’ शब्द ‘आओ’ की विशेषता प्रकट करता है,—इसलिये क्रियाविशेषण है । क्रियाविशेषणों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द (विशेषण) भी क्रियाविशेषण ही कहाते हैं (क्योंकि क्रिया-विशेषण की विशेषता प्रकट करते हुए वे परम्परा सम्बन्ध से क्रिया की ही विशेषता प्रकट करते हैं) । जैसे—‘बहुत’ जल्दी आओ—में ‘बहुत’ शब्द ।

क्रियाविशेषण के भेद निम्नलिखित हैं :—

(१) स्थानवाचक — यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ आंग, पीछे नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर, सर्वत्र, साथ, पास, दूर, सामने, इधर, उधर, जिधर, किधर, चारों ओर, आरपार—इत्यादि ।

(२) कालवाचक—अब, तब, जब, कब, आज, कल, परसों, तरसों, नरसों, सबेरे, तुरन्त अभी, तभी, पहले, पोछे, सदा, आजकल, लगातार, निरन्तर, प्रतिदिन, बारबार, घड़ी-घड़ी, पलपल, महीनाभर (पूरा महीना), रात तक (रातपर्यन्त), एक दिन, दूसरे तीसरे (दिन), बहुधा—इत्यादि ।

(३) परिमाणवाचक—(इन से परिमाण वा अनिश्चित संख्या का बोध होता है) बहुत अति, अन्यन्त, खूब, कुल्लु, किञ्चित्, जरा निपट विलकुल, सर्वथा लगभग, केवल, पर्याप्त, काफी, अधिक कम, इतना उतना, जितना, ठीक-बराबर, थोड़ा-थोड़ा बूंद-बूंद, एक एक, दो दो, करके-इत्यादि।

(४) रीतिवाचक—(प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध, कारण आदि के बोधक क्रियाविशेषण इसी प्रकार के अन्तगत है) ज्यों, न्यों यों ऐसे, वैसे, जैसे यथा, तथा जैसे, तैसे धड़ाधड़ आप ही आप, एकाएक, ध्यान-पूर्वक, अचश्य, सही, ठीक सचमुच, ज़रूर, अलवत्ता, विशेष करके, वस्तुतः कदाचित्, शायद, बहुत करके, यथासंभव, हां, सच न, नहीं, मत, इसलिये, अतएव, क्यों, ही, तक, भर मात्र, सा, तो (यों ही, मैं ही, फ़टा चनातक (चना भी) न मिला, खाने भर की देर (केवल खाने की देर) रोटीमात्र (केवल रोटी) । ' थोड़ा सा ' वच्चा है मैं 'तो' न जाऊंगा - इत्यादि।

बहुत से वाक्यांश भी क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे—जहाँ का तहाँ, न उधर का न उधर का, सच पूछिये तो, एक एक करके, क्रम क्रम से, बागी चारी से, इसी तरह इमी प्रकार, जिस समय, इसी समय, किस प्रकार से इत्यादि। ❀

❀ 'ही' का प्रयोग सहायक्रिया लगकर बनने वाले क्रियाओं के रूपों में प्रायः सहायक्रिया के पहले और सामान्यभविष्यत् क्रियाओं में गा, गे, गी (प्रत्ययों) के पहले होता है और कभी बाद २, जैसे—करता ही है, करता ही था, किया ही है, किया ही था, किया ही होगा, किया ही होता

२ क्रियाविशेषणों की रचना

(क) बहुत से क्रियाविशेषण यह, वह, जो, सो, कौन, कोई—इन सर्वनामों से बनते हैं। जैसे :—

यह—यहां यहीं, इधर, अथ, अभी, (अथ + ही), यों वा यूँ
(इस तरह) ।

वह—वहां, वही, उधर, तब, तभी, (तब + ही) वों
(उस तरह) ।

जो—जहां, जिधर, जब, जभी (जब + ही) ज्यों या ज्यूँ
(जिस तरह) ।

सो—तहां, तथ, तभी (तब + ही) स्यों ।

कौन—कहां, किधर, कब, क्यों ।

कोई—कहीं, कभी ।

(ख) संबन्ध से—दिनभर, महीने तक, सवेरे, क्रमशः, ध्यानपूर्वक, बूढ़बूढ़ करके—इत्यादि ।

(ग) विशेषण से—ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, तैसे, धीरे, चुपके, पहले, दूसरे, इतने में—इत्यादि ।

(घ) क्रिया से—आते, जाते, करते हुए, बैठे हुए, चाहें, (इस) लिये, (सर्दी के) मारे—इत्यादि ।

(ङ) शब्दों की द्विरुक्ति से—हाथोंहाथ, दिनदिन, एकाएक, साफसाफ, धड़ाधड़, तड़ातड़, धीरेधीरे, जहां जहां—इत्यादि ।

(च) भिन्न २ शब्दों के मेल से—घरबाहर, सांभसवेरे, जहां तहां, कहीं न कहीं, एकदम, एकसाथ, अमजाने, यथा-

कर ही रहा होगा, कर ही रहा है, कर ही गा, दे ही गा, ले ही गा, करेगा ही, देगा ही, लेगा ही इत्यादि । सामान्यभविष्यत् के बहुवचन में 'ही' को 'हीं' हो जाता है । जैसे—देहींगे, लेहींगे, जाएंहींगे—इत्यादि ।

संभव, मुख्य करके, एक एक करके ।

(छ) संस्कृत के तृतीया एकवचन के रूप और तस् (तः) प्रत्ययान्त शब्द भी क्रियाविशेषण होते हैं । जैसे—'कृपया' पत्र भेजिये । 'येनकेन प्रकारेण' उसे मना लेना । 'वस्तुतः' तुम सच्चे हो । ❀

अभ्यास ।

क्रियाविशेषण कं कितने भेद हैं ? प्रत्येक भेद के पांच २ उदाहरण दो । क्रियाविशेषणों की रचना कैसे होती है ? उदाहरण-सहित वर्णन करा । आठ ऐसे क्रियाविशेषण बताओ, जो प्रत्यय या अन्य शब्दों के मेल से बने हों । दो दो ऐसे वाक्य लिखो जिनमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्रियाविशेषण के समान प्रयुक्त हुए हों । क्रियाविशेषणों से निश्चय या अनिश्चय का बोध कैसे होता है ? उदाहरण देकर बताओ । दिन, समय, रोग, नीचा, करता, लिया, मारा, बैठा हुआ, शक्ति, हाथ, जन्म, बाल, सुख-इनसे

❀ कहीं २ संज्ञा, सर्वनाम आदि बिना किसी विकार के क्रियाविशेषण के समान प्रयुक्त होते हैं । जैसे—तुम 'पत्थर' समझोगे । तुम 'खाक' करोगे । तू अपना 'सिर' पढ़ेगा । मैं 'यह' चला । परिउत जी 'वे' आते हैं । तुम भरा 'क्या' करोगे । घोड़ा 'अच्छा' चलता है । बंदर 'कैसा' उड़ता । लड़का जैसे 'उड़कर' पहुंचा ।

क्रियाविशेषणों के आगे 'ही' लगाने से तथा कुछ क्रियाविशेषणों यहाँ वहाँ, आदि के 'हाँ' को 'हीं' कर देने से निश्चय का बोध होता है । जैसे—यों ही, कभी (कब + ही), यहीं—इत्यादि ।

दो क्रियाविशेषणों के मध्य में 'न' जोड़ने से अनिश्चय का बोध होता है । जैसे—कहीं न कहीं, कभी न कभी, जब न तब, जहाँ न तहाँ—इत्यादि ।

क्रियाविशेषण बनाओ ।

कुछ क्रियाविशेषणों के साथ 'को' 'से' 'का,के, की' और 'पर' ये विभक्तियाँ भी लगती हैं । जैसे—'भीतर को' भागा । 'बाहर से' आया । 'यहां से' वहां तक । 'इधर का' उधर न करो । 'यहां के' छप्पर अच्छे हैं, 'वहां की' अटारियां नहीं । 'वहां पर' हज़ारों आदमी इकट्ठे होते हैं—इत्यादि ।

'न' का निश्चय के अर्थ में प्रश्नार्थक भी प्रयोग होता है । जैसे—तुम तो कल ही जाओगे 'न' ? कहो 'न' हमारे यहां आओगे ? कभी २ प्रवर्तना में भी इसका प्रयोग होता है । जैसे—आप खाइये 'न' । तुम चलो 'न' इत्यादि ।

'मत' का प्रयोग केवल 'प्रवर्तना' में होता है । जैसे—मत करो, मत जाओ—इत्यादि । 'न' का प्रयोग निषेधमात्र में होता है । जैसे—तुम न जाओ । वह न आया—इत्यादि । निषेध में निश्चय प्रकट करने के लिये और सामान्यतया सातत्यबोधक वर्तमान, आसन्नभूत और किसी प्रश्न के उत्तर में 'नहीं' का प्रयोग होता है । जैसे—वह नहीं जाता । वह नहीं सो रही है । अब तक मैने कुछ नहीं किया है । तुम वहां नहीं गये थे ? इत्यादि ।]

दसवाँ अध्याय ।

१ सम्बन्धबोधक ❀

सम्बन्धबोधक अव्यय वाक्य के पदों का एक दूसरे से सम्बन्ध बताते हैं । जैसे—मेरे उसके 'बीच' भेद नहीं । दिया 'तले' अंधेरा—इत्यादि में 'बीच' 'मेरे उसके' का 'भेद' के साथ और 'तले' 'दिया' का 'अंधेरा' के साथ सम्बन्ध बताते हैं ।

अंग्रेजी में जैसे of, to, by आदि प्रैपोज़िशन (Preposition) होते हैं उसी प्रकार हिन्दी में 'सम्बन्धबोधक अव्यय' होते हैं । परन्तु of, to आदि का प्रयोग सम्बन्धी (जिसका सम्बन्ध जतलाया जाय) शब्द के पहले होता है । जैसे—The house of Ram ('राम का' घर); He said to him (उसने 'उसके प्रति' कहा)—इनमें 'Ram' और 'him' के पहले 'of' और 'to' का प्रयोग है । इसलिये ये pre = (सम्बन्धी शब्द के) पहले Position = स्थिति रखने से (प्रयुक्त होने से) Preposition 'प्रैपोज़िशन' कहाते हैं । परन्तु हिन्दी के सम्बन्धबोधक सम्बन्धी शब्द के बाद प्रयुक्त होते हैं (जैसे—'उसके प्रति' में 'प्रति' 'उसके' के बाद आया है) इसलिये इनके लिये अंग्रेजी शब्द वस्तुतः 'पोस्टपोज़िशन' Postposition (Post = बाद position स्थिति रखने वाला) होना चाहिये । तथापि अंग्रेजी में जो कार्य 'प्रैपोज़िशन' करते हैं, वही हिन्दी में 'सम्बन्धबोधक अव्यय' करते हैं अतः साधारणतः सम्बन्धबोधकों के लिये 'प्रैपोज़िशन' शब्द ही लिखा जाता है । कुछ सम्बन्धबोधकों का बल देने

सम्बन्धबोधक अव्ययों में से (१) कुछ ऐसे हैं जो नित्य विभक्तियों के बाद आते हैं, (२) कुछ ऐसे हैं जो विभक्तिहीन संज्ञा के बाद आते हैं और (३) कुछ ऐसे हैं जो दोनों प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। जैसे —

(१) उसके भीतर, उसकी अपेक्षा, तुम्हारी खातिर—इत्यादि। तरह, माफत, बिना, सिवा (सिवाय), और, निकट, समीप, पास, नज़दीक, बराबर, जगह, बदौलत, पहले, आगे, पीछे, पर, तरफ़, ओर, कारण, निमित्त, हेतु, लिये, वास्ते, मारे, यहाँ—आदि इसी प्रकार के अन्तर्गत हैं। ❀

के लिये सम्बन्धी के पहल भी प्रयोग किया जाता है। जैसे— 'मारे' गर्मी के नाकों दम है। 'बिना' पति के जीवन धिकार है—इत्यादि।

❀ अपेक्षा, जगह, खातिर, माफत, बदौलत, तरफ़, ओर आदि के पहले (स्त्रीलिङ्ग के कारण) 'की' या 'री' आते हैं (उसकी अपेक्षा 'मेरी अपेक्षा—इत्यादि)। परन्तु 'ओर' तथा 'तरफ़' जब संख्यावाचक विशेषण के बाद आते हैं तब इनके पहले 'के' या 'रे' का प्रयोग होता है। जैसे—नगर के चारो ओर (या तरफ़)। मेरे दोनों ओर (या तरफ़)—इत्यादि। इधर, उधर, किधर, जिधर के अर्थ में इस ओर, उस ओर, किस ओर, जिन ओर, इस तरफ़—इत्यादि रूप में विभक्ति के बिना प्रयोग होता है।

कारण, निमित्त, हेतु, लिये, वास्ते, मारे, खातिर, सबब—इनके पहले आने वाले यह, वह, जो, कौन—इन सर्वनामों के आगे विकल्प से विभक्ति आती है। जैसे—इस कारण—हेतु—निमित्त, इस लिये, इस वास्ते इस मारे, इस खातिर, इस सबब—इत्यादि, और इसके कारण—हेतु—निमित्त इसके लिये—वास्ते—मारे, इसकी खातिर, इसके सबब—इत्यादि।

सम्बन्धबोधक अव्यय 'यहाँ' का अर्थ पास, अधिकार, या घर

(२) वर्षपर्यन्त, सीतासहित. सखियों समेत, किनारे तक कटोरे भर-इत्यादि । रहित. हीन. लौं ❀ मात्र, पर, कर, करके, (उसे पुत्र कर [करके] जाना) सरीखा. ऐसा, जैसा, सा-आदि † इसी प्रकार के अन्तर्गत हैं ।

(३) सीता के द्वारा. सीता द्वारा । सीता के बिना, सीता

होता है । जैसे—उसने मुझे अपने 'यहां' (= पास) बुलाया । उसके 'यहां' (= पास या अधिकार में) पांच सौ मन धान है । तुम्हारे 'यहां' (= अधिकार में या पास) कितना धन है ? मे तुम्हारे यहाँ (= घर) गया था, सब कुशल है - इत्यादि । दिल्लीवाले 'यहां' को 'हां' बोलते और लिखते भी है । जैसे—आज तुम्हारे 'हां' मेहमान आएंगे । कभी २ 'यहां' और 'पास' का लोप भी रहता है । जैसे—उसके (यहाँ या पास) बहुत धन है । उसके (यहाँ) कोई बेटा बेटी नहीं—इत्यादि ।

कविता में प्रायः सम्बन्धबोधकों के पहले आने वाली विभक्ति का लोप कर दिया जाता है ।

❀ 'लौं' के दो अर्थ हैं—तक = पर्यन्त और समान । जैसे—रातलौं (= राततक) प्रतीक्षा की । ' जानत कळु जल-यंम-विधि दुर्योधनलौ लाल' (दुर्योधनलौं = दुर्योधन के समान)

† 'जैसा' और 'सा' जहां किसी लुप्त शब्द का दूसरे शब्द से सम्बन्ध बोधित करते हैं वहां इनके पहले 'का, के, की, या री, रे, री, आते हैं । जैसे भीम का जैसा (का सा) बल । इसमें 'जैसा (सा)' भीम और बल का परस्पर सम्बन्ध बोधित नहीं करता, किन्तु 'का' के पश्चात् लुप्त 'बल' शब्द का सम्बन्ध दूसरे 'बल' शब्द से बोधित करता है । इसी प्रकार—तुम्हारी जैसी (सी) बुद्धि—इत्यादि भी ।

बिना—*इत्यादि ! योग्य, तले, आगे, पीछे, अनुसार, अनुकूल—
आदि इसी प्रकार के अन्तर्गत हैं ।

कई कालवाचक और स्थानवाचक अव्यय सम्बन्धबोधक
और क्रियाविशेषण दोनों होते हैं (जब उनका प्रयोग संज्ञा या
सर्वनाम के साथ होता है तब सम्बन्धबोधक होते हैं और जब
वे क्रिया की विशेषता बोधित करते हैं तब क्रियाविशेषण होते
हैं) । जैसे—तुम मोहन के 'आगे' चलो (सम्बन्धबो०) । तुम
'आगे' चलो (क्रियावि०) । घर के 'भीतर' रक्खो (सम्बन्धबो०)
'भीतर' जाओ (क्रियावि०)—इत्यादि ।

२ सम्बन्धबोधकों की रचना ।

बिना, समेत, पर्यन्त—आदि मूल या शुद्ध सम्बन्धबोधक
थोड़े से हैं और शेष सम्बन्धबोधक दूसरे शब्दभेदों से घने हैं ।
जैसे—पलटे, बदले, वास्ते, अपेक्षा, लेखे हिस्से, मार्फत—
आदि संज्ञा से ।

ऐसा, जैसा, तुल्य, समान, बराबर—आदि विशेषण से ।

ऊपर, भीतर, यहां, पीछे—आदि क्रिया-विशेषण ।

❁ बिना, अनुसार और पीछे जब भूतकालिक कृदन्त के आगे
आते हैं तब इनके पहले विभक्ति नहीं आती । जैसे—काम किये बिना
गये पीछे, कहे अनुसार ।

अनुसार, अनुकूल या अनुरूप के पहले जब विभक्तिरहित स्त्रीलिङ्ग
शब्द हो तो उसके पहले 'की' लगती है । जैसे—'आपकी' आज्ञानुसार
करूंगा । 'आपकी' इच्छानुसार सब हो जायगा—इत्यादि ।

से । करके, लिये, मारे—आदि क्रिया से ।

अभ्यास ।

सम्बन्धबोधक कितने प्रकार के हैं ? प्रत्येक प्रकार के पांच २ उदाहरण दो । कौन २ अव्यय सम्बन्धबोधक और क्रियाविशेषण दोनों होते हैं ? उनके चार उदाहरण दो । सम्बन्धबोधकों की रचना किन २ शब्दों से होती है ? उदाहरण भी दो ।

ग्यारहवाँ अध्याय



योजक ।

योजक अव्यय पदों, वाक्यांशों, वाक्यखण्डों और वाक्यों को मिलाते हैं । जैसे—राम 'और' सीता । इस तरह 'या' उस तरह । गर्म होकर 'या' नर्म बनकर । उसने कहा है 'कि' मैं नहीं आऊंगा । राम आया 'और' श्याम गया । वह मान गया है 'परन्तु' यह नहीं मानता । इन वाक्यों में 'और' 'या' कि 'परन्तु'—ये योजक हैं ।

योजक अव्ययों के मुख्य भेद दो हैं—संयोजक और विभाजक । और, तथा, कि, भी, एवं, इससे, अर्थात्, मानों ताकि, इसलिये, जोकि, इसलिये—इत्यादि संयोजक हैं ।

वा. या, या—या, कि, अथवा क्या—क्या न—न केवल नकि, नहीं तो, चाहे—परन्तु चाहे चाहे—चाहे, यदि—तो, जो, तो, पर, परन्तु, किन्तु—इसलिये—इत्यादि विभाजक हैं । ❀

❀ ऊपर लिखे योजकों के दो मुख्य भेदों के अवान्तर भेद कई हैं । जैसे—इसलिये, सो, अतः, इससे—आदि परिणामदर्शक । क्योंकि, इसलिये, कि—आदि कारणबोधक । कि, जो, ताकि—आदि उद्देशवाचक । परन्तु, किन्तु, मगर, बरन, बल्कि—आदि विरोधदर्शक । जो-तो, यद्यपि तथापि, चाहे-परन्तु आदि संकेतवाचक । अर्थात्, यानं, कि—आदि व्याख्याबोधक ।

दिन्ही के अधिकांश योजक अव्ययों की रचना दूसरे शब्दभेदों से हुई

संयोजक अनेक अर्थों का संयोग (मेल, संग्रह व समुच्चय) प्रकट करते हुए वाक्यों को मिलाते हैं । जैसे भीम 'और' अर्जुन महाबली हैं । मैं चलता हूँ तुम 'भी' आओ । मोहन ही नहीं, सोहन भी गवैया है । औषध खाओ 'ताकि' रोग शीघ्र हटे । लड़की रो रही थी, 'इससे' मुझे दुःख हुआ । उसने मौनव्रत धारण किया अर्थात् किसी से बोलना छोड़ना दिया—इत्यादि ।

विभाजक अनेक अर्थों में विकल्प या भेद प्रकट करते हुए वाक्यों को मिलाते हैं । जैसे—यह पुस्तक श्याम को दूँ 'वा' मोहन को ? खिलौना नन्ही का है 'या' गोपाल का । 'या' यह होगा 'या' वह होगा । आओगे कि (या) नहीं । इन्हें कोई जानता है 'न' वृक्षता है । 'न' नौ मन तेल होगा 'न' राधा नाचेंगी । 'क्या' राजा 'क्या' प्रजा सब का अन्त एक है । इसका मालिक हरिहर है 'नकि' मदन । श्याम चतुर है 'पर' उसकी स्त्री निरी बुद्धू है—इत्यादि ।

इनमें से और एवं तथा, वा, या चाहे नहीं, तो, नकि, परन्तु किन्तु इसलिये—इत्यादि मुख्य वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं; और कि, ताकि, जो—तो, चाहे, परन्तु इत्यादि मुख्य वाक्य में आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं ।

है । जैसे—इसे, और, जो, मो, क्या—सर्वनाम से । ऐसा, जैसा, इतना, जितना, आदि विशेषण से । न, नहीं, तो, जहाँ—वहाँ (जहाँ आज समुद्र लहराता है, वहाँ कभी भयंकर मरुस्थल था), जब—तब (जब पूछेगा तब कहना)—आदि क्रियाविशेषण से । चाहे, मानो—आदि क्रिया से ।

जो-तो, यदि-तो, यद्यपि-तथापि या तोभी जब-तब, जहाँ-वहाँ या तहाँ,

अभ्यास

योजक के मुख्यभेद कौन हैं ? प्रत्येक भेद के पांच २ उदाहरण भी दो । योजकों के अवान्तरभेद और उनके दो दो उदाहरण लिखो । योजकों में से कौन मुख्यवाक्यों को जोड़ते हैं और कौन आश्रितवाक्यों का ? उदाहरण भी दो । योजकों की रचना किन २ शब्दों से होती है ? पांच वाक्य ऐसे बनाओ जिनमें नित्य सम्बन्धी अव्ययों का प्रयोग हो ।

जिधर-आदि अव्यय नित्य सम्बन्धी हैं (ये दो दो वाक्यों में एकसाथ आते हैं । जैसे—'जो' आज्ञा हो 'तो' जाएं, 'जहां' चाह 'वहां' राह-इत्यादि ।

बारहवाँ अध्याय ।

द्योतक ।

विस्मय, हर्ष, क्रोध आदि भिन्न २ मन के विकारों को प्रकट करनेवाले भिन्न २ अव्यय हैं, जिनको द्योतक या विस्मयादिबोधक कहते हैं । जैसे—

विस्मयबोधक—ओहो ! वाह ! हैं ! पैं ! इत्यादि ।

हर्षबोधक—अहा ! वाहवा ! धन्य ! शाबाश ! इत्यादि ।

शोक, क्लेश आदि के बोधक—हा ! आह ! दइया रे !

हाय ! हा ईश्वर ! त्राहि त्राहि ! मैया रे ! बाप रे !
इत्यादि ।

अनुमोदक या स्वीकारबोधक—ठीक ! हां ! अच्छा !
इत्यादि ।

तिरस्कारबोधक—ॐअरे ! छिः ! धिक् ! चुप ! हट ! दुर !
इत्यादि ।

प्रायः संज्ञा आदि सभी प्रकार के शब्द द्योतक (विस्मयादि-बोधक) होजाते हैं । जैसे—

संज्ञा—राम राम ! शिव शिव !-इत्यादि ।

ॐ 'अरे' और 'रे' के स्थान में स्त्रीलिङ्ग शब्दों के साथ 'अरी' और 'री' आते हैं ।

सर्वनाम—क्या ! कौन !-इत्यादि ।

विशेषण—अच्छा ! भला ! इत्यादि ।

क्रिया—लो ! चुप ! हट !-इत्यादि ।

क्रियाविशेषण—दूर दूर ! कहां !-इत्यादि ।

योजक—तो ! तभी तो !-इत्यादि ।

कभी २ वाक्यांश या वाक्य भी द्योतक होजाते हैं ।
जैसे—क्यों न हो ! ईश्वर न करे ! बहुत अच्छा ! भगवान्,
तुम्ही जानो ! इत्यादि ।

एक ही शब्द का भिन्न २ रूप से प्रयोग:—

कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो एक ही भिन्न २ संज्ञा आदि
शब्दभेदों के रूप में (समान) प्रयुक्त होते हैं । जैसे—

पत्थर—‘पत्थर’ मारा (संज्ञा) ।

कुटुम्ब का पालन ‘पत्थर’ करोगे (क्रियाविशेषण) ।

केवल—“मेरे ‘केवल’ राम सनेही” (विशेषण) ।

‘केवल’ बैठे रहो (क्रियाविशेषण) ।

“अपने हुए पराए सारे ‘केवल’ एक तुम्ही रखवारे”
(सम्बन्धबोधक) ।

कोई—‘कोई’ नहीं आया (सर्वनाम) ।

इनमें ‘कोई’ लड़का होशियार नहीं (विशेषण) ।

उनके यहां कोई’ (लगभग) पचास नौकर थे (क्रियावि०) ।

अच्छा - “अच्छों” की संगति करो तजो बुरों का संग”
(संज्ञा) ।

‘अच्छे’ लड़के बड़ों की आज्ञा में रहते हैं (विशेषण) ।

घोड़ा ‘अच्छा’ चलता है (क्रियाविशेषण) ।

आप हमारे यहां जरूर आइये । अच्छा ! (द्योतक) ।

और—‘ और ’ लाओ (सर्वनाम) ।

‘और’ लोगों से क्या काम (विशेषण) ।

राम ‘और’ लक्ष्मण वन को गये (योजक) ।


इसी प्रकार साथ, यह, हां—आदि भी भिन्न २ शब्द भेदों के रूप में प्रयुक्त होते हैं ।

अभ्यास

द्योतक अव्ययों के प्रकार उदाहरणसहित बताओ । आह, छिः, हां, अजी, अरी, बाहवा, शाबाश, जयजय, ओफ, लो इनका वाक्यों में प्रयोग करो ।

साथ, यह, हां, कुछ, क्या, जो, इसलिये—इनका भिन्न २ शब्दभेदों के रूप में वाक्यों में प्रयोग करो ।

तेरहवाँ अध्याय ।



शब्दरचना ।

पिछले अध्यायों में शब्दों के प्रकार और उनमें विकार होने से उनके भिन्न २ रूपों की सिद्धि आदि का वर्णन किया गया है । अब संज्ञा, सर्वनाम आदि में उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ने से तथा किसी शब्द के साथ दूसरे शब्द के मिलने से जो और नये शब्दों की रचना होती है, उसका वर्णन किया जाता है ।

उपसर्ग और प्रत्यय शब्दों में जुड़ कर अन्य नये शब्दों की सृष्टि करते हैं । इसलिये ये उन शब्दों के अंश होने से 'शब्दांश' कहाते हैं । उपसर्ग शब्दों के आदि में जुड़ते हैं । जैसे—सुमुख (सु + मुख = अच्छा मुख या अच्छे मुखवाला), दुमुख (दुर् + मुख = बुरा मुख या बुरे मुखवाला) विमुख (वि + मुख = प्रतिकूल, विरुद्ध), संमुख (सम् + मुख = सामने), उन्मुख (उत् + मुख = ऊपर को मुख किये हुए, तय्यार), अभि + मुख (अभिमुख = सामने, अनुकूल) आमुख (आ + मुख = नाटक की प्रस्तावना) । इनमें सु, दुर्, वि, सम्—आदि उपसर्ग हैं । इसी प्रकार दुर्जन सुजन, प्रबल दुर्बल—आदि ।

प्रत्यय शब्दों के अन्त में जुड़ते हैं । जैसे—खाया, करनेवाला, लड़कपन, लकड़हारा, आढ़तिया— इनमें या वाला, पन, हारा, इया, प्रत्यय हैं । ये तीन प्रकार के हैं—क्रियाप्रत्यय, कृतप्रत्यय और तद्धितप्रत्यय ।

धातुओं के अन्त में जिन प्रत्ययों के लगाने से क्रियाएं बनती हैं वे क्रियाप्रत्यय (जैसे 'खाया' आदि में 'या' आदि) और जिनके लगाने से अन्य शब्द बनते हैं वे कृत्प्रत्यय (जैसे—'करनेवाला' आदि में 'वाला' आदि) तथा धातुओं को छोड़ शेष शब्दों के अन्त में जिन प्रत्ययों के लगाने से अन्य शब्द बनते हैं वे हैं तद्धितप्रत्यय । जैसे—'लकड़हारा' आदि में 'हारा' आदि) ।❀

छेने, को, से आदि विभक्तियां भी प्रत्यय हैं जिनको 'कारकप्रत्यय' भी कहते हैं । इनको कई वैयाकरण अव्यय मानते हैं और 'कारकाव्यय' नाम से पुकारते हैं । शब्दों का शब्दों से समास (मेल) होने से भी अन्य शब्द बनते हैं । जैसे—पाठशाला (पाठ + शाला), रातदिन (रात + दिन), पीताम्बर (पीत + अम्बर)—इत्यादि ।

कृत्प्रत्ययों से बने हुए शब्दों को 'कृदन्त' शब्द, तद्धितप्रत्ययों से बने हुए शब्दों को 'तद्धितान्त' शब्द और शब्दों के समास या मेल से बने हुए शब्दों को 'समस्त' या 'सामासिक' शब्द कहते हैं ।

इनके अतिरिक्त दो प्रकार के और शब्द हैं—**पुनरुक्त** और **अनुकरणवाचक** । शब्द के दुहराने से 'पुनरुक्त' शब्द बनते हैं (इनमें कई शब्द पुनरुक्ति या दुहराने में अविकृत रहते हैं और कइयों के दूसरे शब्द विकृत होते हैं) । जैसे—दिन-दिन, घर-घर, मारा-मारा, काट-कूट, काम-धाम—इत्यादि । पदार्थ की ध्वनि आदि के अनुसार कल्पना किये गये शब्द 'अनुकरणवाचक' हैं । जैसे—भिनभिनाना, बड़बड़ाना, भिल्लमिल, रिमभिम—आदि ।

अभ्यास

उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे ? प्रत्यय कितने प्रकार के हैं ? प्रत्येक प्रकार का उदाहरणसहित वर्णन करो। शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं ? पुनरुक्त और अनुकरणवाचक शब्दों का उदाहरणसहित वर्णन करो।

चौदहवाँ अध्याय

(क) उपसर्ग ।

उपसर्ग शब्दों के आदि में मिलकर उनके अर्थ को बदल देने हैं जैसे—‘जय’ शब्द के आदि में ‘परा’ उपसर्ग के जुड़ने से ‘पराजय’ शब्द बनता है ‘जय’ का अर्थ है ‘जीत’ और ‘पराजय’ का अर्थ है ‘हार’। इसी प्रकार योग का अर्थ है ‘मिलना’ उसके आदि में ‘वि’ उपसर्ग लगाने से बना ‘वियोग’ जिसका अर्थ है ‘बिछुड़ना’। कभी कभी एक शब्द के साथ एक से अधिक भी उपसर्ग एकसाथ आते हैं। जैसे—प्रत्युपकार (प्रति + उप + कार) सुव्यवहार (सु + वि + अव + हार—इत्यादि ।

(१) प्र, परा, अप, सम्—आदि संस्कृत के उपसर्ग हैं। हिन्दी में उपसर्गयुक्त संस्कृत तत्सम शब्द बहुत आते हैं। इसलिये संस्कृत उपसर्गों का भी अर्थ और उदाहरणसहित वर्णन किया जाता है :—

प्र—प्रकर्ष (=अधिकता, उत्कर्ष, सामर्थ्य आदि) जैसे—
प्रबल, प्रभाव ।

परा—परे, पीछे, उलट आदि । जैसे—परास्त, पराजय
(जय से उलटा) ।

अप—बुराई, हीनता, लघुता आदि । जैसे—अपशब्द,
अपकीर्ति, अपमान ।

सम्—अच्छापन, पूणता साथ, आदि । जैसे—संभाषण
संग्रह, संगम ।

अनु—समानता, पश्चात् (पीछे आदि) । जैसे—अनुरूप,
अनुकरण, अनुगामी, अनुचर ।

अव—हीनता, नीचे आदि । जैसे—अवगुण, अवतार,
अवनति ।

निर्—निषेध, बाहर आदि । जैसे—निर्दोष, निर्गत ।

दुर्—बुराई, कठिनता आदि । जैसे—दुर्दशा, दुर्गम ।

वि—भिन्नता, अभाव, विशेषता आदि । जैसे—विदेश,
वियोग, विगुण, विज्ञ, विवरण ।

आ—आङ्—सीमा, तक, वरे (या उलटा) आदि जैसे—
आसमुद्र आबालवृद्ध, आगमन आदि ।

नि—निषेध, अधिकता आदि । जैसे—निरोध, निधान,
नियोग ।

अधि—ऊपर, प्रधानता आदि । जैसे—अधिपति, अध्यक्ष
अधिकार ।

अति—अत्यन्त. अधिकता आदि । जैसे अतिदीन,

अतिकाल, अतिशय ।

सु—उत्तमता, अधिकता, सुकर होना आदि । जैसे—

सुजन, सुशिक्षित, सुगम ।

उत्—ऊपर. उत्कर्ष आदि । जैसे—उद्गम. उत्पत्ति,

उत्तम आदि ।

अभि—सामने, पास, ओर. इच्छा, आदि । जैसे—अभि-

मुख, अभ्यागत, अभिगम, अभिमत, अभिप्राय ।

प्रति—प्रतिकूलता, सामने, प्रत्येक आदि । जैसे—प्रतिवादी

प्रत्यक्ष, प्रतिदिन ।

परि—चारों ओर. आसपास, पूर्णता आदि । जैसे—

परिक्रमा, परिजन, परितोष ।

उप—समीपता, गौणता, लघुता आदि । जैसे—उपगम,

उपनाम. उपसभापति । ❀

❀ इनके अतिरिक्त संस्कृत शब्दों में कई अव्यय भी उपसर्गों के समान शब्दों के आदि में जुड़ते हैं । जैसे—

अ, अन्— (व्यञ्जनादि शब्दों के आदि में 'न' अव्यय का रूप 'अ' होता है और स्वरादि शब्दों के आदि में ' 'अन्' होता है) निषेध ।

जैसे—अतुल, अनुपम, अनन्त ।

अधस्—नीचे । जैसे—अधःपतन, अधोगति ।

पुरस्—आगे, सामने । जैसे—पुरोहित 'पुरस्कार' ।

इसी प्रकार सह और उसका रूपान्तर स, अन्तर्, पुनर्, बाहिर पुरा आदि । जैसे—सहज, सफल, अन्तर्गत, पुनर्जन्म, बहिष्कार, पुरातन ।

[२] हिन्दी उपसर्ग—[ये बहुधा संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश हैं]

अ, अन—निषेध या अभाव । जैसे—अथाह, अथक, अनमिल, अनजान, अनवन ।

अध—[सं० अध] आधा । जैसे—अधमुआ, अधपक्का ।

औ—[सं० अव] हीनता, निषेध आदि । जैसे—औगुण, औसर, औघट, औतार ।

नि—(सं० निर)—निषेध या अभाव, जैसे—निडर, निधड़क, निखट्ट, निढ़ाल, निकम्मा ।

स, सु—उत्तमता । जैसे—सपूत सुडौल ।

क, कु—बुराई । जैसे—कपूत, कुटेव ।

भर—पूर्णता । जैसे—भरपेट, भरपूर ।

वि—(सं० वि)—अभाव । जैसे—बिछुड़ना, विलग ।

(३) उर्दू उपसर्ग—

बे, ला, ना—अभाव । जैसे—बेचारा, बेपरवाह, बेचैन लाचार, नाराज़ । नापसंद ।

या—अनुसार, साथ, सहित (=वाला) । जैसे—बाज़ाबता, बाकायदा, बातमीज़, बाअख़तियार ।

दर—में । जैसे—दरअसल (=असल में ।)

हर—प्रत्येक । जैसे—हरएक, हररोज़, हरघड़ी इत्यादि ।

(ख) कृत्प्रत्यय

कृत्प्रत्यय पांच प्रकार के हैं—कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करण-

वाचक, भाववाचक और क्रियाद्योतक । पहले चार प्रकार के प्रत्ययों से संज्ञाएं बनती हैं (जिन्हें कर्तृवाचकसंज्ञा, भाववाचक संज्ञा आदि नामों से पुकारते हैं) और अन्तिम (पांचवें प्रकार के प्रत्ययों से विशेषण और अव्यय बनते हैं । प्रत्यय परे होने पर धातु के आदि दीर्घस्वर को ह्रस्व होता है या इसी प्रकार के अन्य विकार होते हैं 'वाला' और 'हारा' को छोड़ अन्य सब प्रत्यय सब धातुओं से नहीं लगाए जा सकते । किन्तु प्रयोगानुसार कुछ ही धातुओं से लगते हैं ॥

(१) कर्तृवाचक—वे हैं जिनसे क्रिया (व्यापार) करने वाले का बोध होता है:—

वाला, हारा—(ये क्रिया के सामान्यरूप के 'ना' को 'ने' करके लगाए जाते हैं) करने वाला, पढ़ने हारा ।

हार, मार—(ये क्रिया के सामान्यरूप के 'ना' को 'न' करके लगाये जाते हैं) करनेहार: होनेहार । मिलनमार । (हारा प्रत्ययान्त और होनेहार के अतिरिक्त हार प्रत्ययान्त शब्दों का प्रयोग गद्य में नहीं होता) ।

नीचे लिखे प्रत्यय धातु से ही लगते हैं:—

वैया, ऐया, एरा, आऊ, आलू, ओड़ा, ओड़, आक, आका आड़ी, ऐत, ऊ, अकड़, इयल, क—इत्यादि । ❀

❀ ता (तृ) अक (राबुल), अन (ल्यु), अ अण), अ (क), इन् (णिनि, धिनुण—आदि कर्तृवाचक संस्कृत प्रत्यय हैं ।

उदा०—शता, पाठक, नन्दन, प्रन्थकार, व्यवहारज्ञ, दूरदर्शी, त्यागी इत्यादि ।)

उदा०—गवैया, रखैया. लुटेरा, कमाऊ, भगडालू. भगोड़ा हँसोड़. तैराक, लड़ाका. खिलाड़ी, लड़ैत, बिगाड़, बुझकड़ मरियल, घालक इत्यादि ।

(२) कर्मवाचक—वे हैं जिनसे कर्म का बोध होता है—ना, नी. औना इत्यादि ।

उदा० ओढ़न, ओढ़नी, सूँघनी. विछौना— इत्यादि । (ओढ़ना (नी) सूँघनी विछौना इन से जो पदार्थ ओढ़ना, सूँघना और विछाना क्रियाओं के कर्म होते हैं—अर्थात् जो ओढ़े जाते हैं सूँघे जाते हैं और विछाए जाते हैं—उनका बोध होता है । इसलिये इनमें लगे हुए ' ना ' आदि प्रत्यय कर्मवाचक हैं ।)

कारणवाचक—वे हैं जिनसे करण (क्रिया के साधन) का बोध होता है: आ, ई. ऊ. न, ना. नी, आनी-इत्यादि ।

उदा०—भूला, टेला, रेती, भाड़, भाड़न, बेलना, कतरनी, मथनी इत्यादि । (जिससे भूला जाय वह भूलना, जिससे रेता जाय वह रेती, जिससे कतरा जाय वह कतरनी । इस प्रकार ' भूला ' आदि करण भूलना आदि क्रियाओं के साधन का अर्थ बोधित करते हैं । इसलिये इनमें लगे हुए 'आ' आदि प्रत्यय करणवाचक हैं ।)

(४) भाववाचक—वे हैं जिनसे भाव (क्रियाके व्यपार) का बोध होता है:—अ, आ, आई, आन, आप, आव, आवट,

✽ 'आई' प्रत्यय से काम के दामों का भी बोध होता है । जैसे—लिखाई लिखना या लेख और लिखने के दाम । 'जैसे-इसका' लिखाई (=

आवा आहट, ई, एरा. औता, औती, औवल, त, ती, न, ना, नी-इत्यादि ।

उदा०—लूट, मेला, लड़ाई, उड़ान, मिलाप. चढ़ाव, थकावट, बुलावा. घबराहट, हँसी, निबटेरा, समझौता, मनौती. बुझावल, बचत, बढ़ती चलन बोलना करना. करनी—इत्यादि ।

(५) क्रियाद्योतक या क्रियार्थक—वे हैं जिनसे क्रियाओं के समान ही भूत या वर्तमानकाल के वाचक विशेषण या अव्यय बनते हैं:—आ, या, ता ।

उदा०—बीता (समय) खाया (भोजन) भागता (घोड़ा) । बीता खाया भूतकालिक विशेषण हैं और भागता वर्तमानकालिक विशेषण । इसी प्रकार बैठा, सोया, मरा, गया, चलता दौड़ता, आता, जाता-इत्यादि । कभी २ इनके आगे 'हुआ' भी लगाया जाता है । जैसे—बीता हुआ, खाया हुआ, भागता हुआ-इत्यादि । ❀

लिखने के दाम क्या लगे ?

ति (क्ति), अन (ल्यूट), अ, (घञ्, अप्, अच्), आ प्रत्ययों के लगने से बने हुए भाववाचक संस्कृत शब्द भी हिन्दी में आते हैं । जैसे नीति, रीति, भक्ति विभूति, संपत्ति, बिपत्ति, गति, मति, शयन, भोजन, दान, मान, पठन, पाठन, राग, त्याग, स्तव, जय, इच्छा, कृपा-इत्यादि ।

❀ ऊपर कहे अर्थों में ही त (क्ल) आर मान (शानच्) प्रत्यय लगकर बने हुए संस्कृत शब्द भी हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं । जैसे—नियत, संगत, प्रयुक्त, भक्त, आसक्त, शक्त, वर्तमान, वर्धमान, दृश्यमान,—इत्यादि । नग्न, मग्न भग्न दृग्ण,—आदि में 'त' का 'न' हो गया है ।

इन भूतकालिक और वर्तमानकालिक विशेषणों के 'अ' को 'ए' कर देने से ये अव्यय बन जाते हैं। ये प्रायः द्वित्व होकर प्रयोग में आते हैं। जैसे— 'बैठे बैठे' दिन कैसे कटे। 'समझाते समझाते' हार गई—इत्यादि।

(ग) तद्धितप्रत्यय

तद्धितप्रत्यय अनन्त हैं। कुछ मुख्य २ प्रत्यय उदाहरणसहित नीचे लिखे जाते हैं। इन प्रत्ययों के आने पर भी बहुधा शब्दों में विकार हो जाता है। जैसे सांप + एरा = सपेरा, लोहा + आर = लुहार, बूढ़ा + आपा = बुढ़ापा, इनमें दीर्घ स्वर ह्रस्व होजाता है। इनसे तीन प्रकार के शब्द बनते हैं।

(१) सज्ञाओं, सर्वनामों और अव्ययों में प्रत्यय लगाने से विशेषण। जैसे टोपी से टोपीवाला (टोपी + वाला), आढ़त

* 'इया' और 'वाँ' प्रत्यय लगाने से भी विशेषण बनते हैं। जैसे— बढ़ना से 'बढ़िया'। घटना से 'घटिया'। ढालना से 'ढलवाँ'—इत्यादि। 'योग्य' अर्थ में 'तव्य' य (गयत्, यत्) और 'अनीय' प्रत्यय लगकर बने हुए संस्कृत शब्द भी हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं।

जैसे—कर्तव्य, गन्तव्य, कार्य, विनेय, ध्येय, ज्ञेय, पूजनीय, करणीय, माननीय—इत्यादि।

संस्कृत, 'त' 'य' और 'अनीय' प्रत्ययों से बने हुए पूजित, नाथ्य पूजनीय आदि शब्दों की चाल पर थक (ना), काट (ना), सराह (ना) आदि हिन्दी धातुओं से भी थकित, अकाथ्य, सराहनीय जड़ित—आदि शब्द बनाए गये हैं।

से आढ़तिया (आढ़त + इया) भूख से भूखा (भूख + आ) । यह से पेसा, वह से वैसा, आगे से अगला, पीछे से पिछला इत्यादि ।

(२) संज्ञाओं में प्रत्यय लग कर भाववाचक आदि संज्ञाएं और विशेषणों से प्रत्यय लगकर भाववाचक संज्ञाएं जैसे—चूर से चूरा (चूर + आ) टहल से टहलुआ, ऊंचा से ऊंचान, लंबा से लंबाई इत्यादि ।

(३) संज्ञाओं, सर्वनामों और विशेषणों में प्रत्यय लग कर अव्यय । जैसे कोसों (कोस + ओं) पहरों (पहर + ओं) बदले (बदला + ए) यहां (यह + आं) यों (यह + ओं) ऐसे (ऐसा + ए) इत्यादि ।

नीचे अर्थ और उदाहरण सहित प्रत्यय लिखे जाते हैं:—

(क) कर्तृवाचक (करनेवाले, बनानेवाले, या घड़ने वाले के अर्थ में) इया गर, उआ, आलू, वाला, आर इत्यादि । उदा० आढ़तिया, कलईगर, टललुआ, भगडालू, टोपीवाला, सुनार, लुहार इत्यादि ।

(ख) व्यापारवाचक—(व्यापार करनेवाले या घेचनेवाले के अर्थ में)—ई, वाला, हारा, इया, एरा, उआ—इत्यादि ।

उदा०—तेली, टोपीवाला, लकड़हारा, मखनिया, कसेरा, मछुआ—इत्यादि ।

(ग) सम्बन्धवाचक—एरा, जा, ओई,—इत्यादि ।

उदा०—ममेरा, फुफेरा, भांजा, भतीजा, बहनोई—इत्यादि

(घ) भाववाचक—आ,आपा. आई, आस, आका, आटा. आन. आयत, आहट, ई, औती, त, पन,—इत्यादि ।

उदा०—आपा, बुढ़ापा. लंबाई, मिठास. घमाका. धमाका, सर्गटा, ऊँचान, बहुतायत, कड़वाहट, मस्ती, बपौती, रंगत, लड़कपन—इत्यादि ।*

(ङ) ऊनता (लघुता) वाचक—आ, इया, ई, ओला, टा, डा. डी, री, ली—इत्यादि ।

उदा०—बबुआ, लुटिया, खटिया, घाटी, पहाड़ी, गोली, सँपोला, रोंगटा, मुखड़ा, चमड़ा, टँगड़ी, पंखड़ी, कोठरी, छतरी, टिकली, बिंदली—इत्यादि ।

(च) पूरणवाचक—ला, रा, था, ठा, बाँ ।

उदा०—पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, पांचवाँ, सातवाँ—इत्यादि ।†

(छ) सादृश्यवाचक—सा, हरा, आदि ।

* अ (अणा), य (एयत्), त्व, ता, इमन्-प्रत्यय लगाकर बने हुए, गौरव, लाघव, शैशव, चातुर्य, धैर्य, मार्भुर्य, प्रभुत्व, प्रभुता, महिमा—आदि भाववाचक संस्कृत शब्द भी हिन्दी में आते हैं । संस्कृत 'कालिमा' शब्द के समान हिन्दी में भी 'लाल' शब्द से 'इमन्' प्रत्यय लगाकर 'लालिमा' शब्द बना लिया गया है । 'इमन्' प्रत्ययान्त 'महिमा' आदि शब्द संस्कृत में पुल्लिङ्ग होते हैं परन्तु हिन्दी में स्त्रीलिङ्ग में प्रयुक्त होते हैं—उसकी महिमा, 'उसका महिमा' नहीं ।

† संस्कृत में पूरणवाचक तीय (द्वितीय, तृतीय), थ (चतुर्थ, षष्ठ, सप्तम, सप्तम, नवम, दशम), अ (एकादश द्वादश)—आदि ।

उदा०—कालासा, तुभसा, सुनहरा, रुपहरा, इत्यादि

ऊपर लिखे सब शब्द वास्तव में विशेषण ही हैं । इनके अतिरिक्त आऊ, आरा, ई, वी, ईला, ऊ, ऐत, ऐला, ला, वाला, वाल,—इत्यादि प्रत्ययों से भी विशेषण बनते हैं ।

उदाहरण—अगाऊ, भटियारा, देशी, रेशमी, पंजाबी, मुलतानी, देहलवी, घरू, सुरीला, रसीला, लटैत, बनैला, अगला, पिछला, घरवाला, बम्बईवाला, गयावाल, प्रयागवाल, ('बाल' 'वाला' का सांक्षिप्त रूप है) इत्यादि ।

अण, आलु, इरू, इत, इष्ट, ई, ईय, मान (मतुप), वान् (मतुप), (विनि), तर, तम, आदि प्रत्यय लगकर बने हुए शैव, वैष्णव, दयालु, निद्रालु, धार्मिक, श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, गनिष्ठ, गुणी, सुखी, भारतीय, स्वर्गीय, बुद्धिमान्, श्रीमान्, धनवान्, तेजस्वी, मायावी, गुरुनर, गुरुतम—आदि संस्कृत विशेषण भी हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं ।

इसी भांति आल (सं० आलय का अपभ्रंश), जैसे—समुराल, ननिहाल, आना (स्थानवाचक), जैसे—राजपूताना, ई (भूषणवाचक), जैसे—अंगूठी, पहुंची, कंठी, औटा (अपत्यवाचक) जैसे—हिरनौटा, हर ('घर' के अर्थ में), जैसे—गीहर, नैहर, खंडहर, आंद आईंद ('बू' के अर्थ में), जैसे—सड़ांद, सडाँईंद इत्यादि तथा और तद्धित प्रत्ययों से अनेक शब्द बनते हैं ।

आना, गी, गार, गीन, ची, दार, दान, नाक, बाज़, वान्, मन्द वर, सार आदि उर्दू ढंग के तद्धित प्रत्यय हैं ।

उदा०—नजराना, बंदगी, ज़िन्दगी, मददगार, यादगार, गुमगीन, समझदार, कलमदान, पानदान, दर्दनाक, खौफनाक, दगाबाज़, भेहरवान, दौलतमन्द, अकलमन्द, ताक़तवर, खाकसार—इत्यादि ।

(ज) तद्धितान्त अव्यय—ए, आं, व इत्यादि ।

उदा०—कैसे जैसे, यों ज्यों, कोसों, वरसों, अब, कब तब जब—इत्यादि । ❀

अभ्यास ।

उपसर्ग शब्दों के आदि में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं इसको उदाहरण देकर स्पष्ट करो। अभेद, आगमन, प्रतिपद, अपमान, उपग्रह, प्रताप, संबंधन,—इन शब्दों में जुड़े हुए उपसर्गों के अर्थ बताओ। धातुओं के अन्त में लगने वाले प्रत्यय क्या कहाते हैं और संज्ञा आदि अन्य शब्दों के आगे लगने वाले क्या ? कृतप्रत्यय कितने प्रकार के हैं ? प्रत्येक प्रकार के प्रत्ययों से पांच २ शब्द बनाओ। गाना, पियक्कड़, गति, शान्त, खेल हसते हंसते (गुजरती रात) खिलती हुई (कली), देखा हुआ (खेज़), सूखा (तालाब) कतव्य, मुक्त, चलनी, क्रिया) बाल, दाता, परखैया इन में कौन किस प्रकार का कृदन्त शब्द है और किम प्रत्यय से बना है यह बताओ। तद्धित प्रत्ययों के योग से किस २ प्रकार के शब्द बनते हैं ? उदाहरण देकर बताओ। भाववाचक तद्धित प्रत्यय कौन २ हैं किन २ प्रत्ययों से तद्धितान्त अव्यय बनते हैं ? नीचे लिखे शब्दों में कौन प्रत्यय किस अर्थ में है—रंगत, चुटकीला, वक्रता, गमगान; सुनहरा पहला, लुनाई, गड़गड़ाहट, ताजगी, लाघव, चाञ्चल्य, गुरुत्व ।

—:०:—

❀या, दा, त्र, तः, धा, शः, आदि—प्रत्यय लगकर बन हुए यथा तथा, सदा, सर्वत्र, विशेषतः, बहुधा, शतशः—इत्यादि संस्कृत अव्यय भी हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं ।

पंद्रहवाँ अध्याय ।

—:❀:—

समास

अर्थ के अनुसार परस्पर सम्बन्ध रखने वाले अनेक (दो या अधिक) शब्दों के मेल से अन्य स्वतन्त्र शब्द बनते हैं । इस मेल को—‘समास’ कहते हैं और इससे बनने वाले शब्दों को ‘समस्त या सामासिक’ शब्द कहते हैं । समास में शब्दों के परस्पर सम्बन्ध को जतलाने वाली विभक्तियों या दूसरे शब्दों का लोप हो जाता है । (इस प्रकार भिन्न २ शब्दों के मेल से एक स्वतन्त्र शब्द बन जाता है जिस के अन्त में और शब्दों की भांति अर्थानुसार विभक्तियाँ लगाई जाती हैं । समास होने पर कई शब्दों में कुछ विकार (हेर फेर) भी होता है । जैसे—काठ का बंगला ‘कठबंगला’ यह ‘काठ’ और ‘बंगला’ इन दो शब्दों के मेल से एक शब्द बना है और दोनों शब्दों के सम्बन्ध को जतलाने वाली ‘का’ विभक्ति का लोप हो गया है । इसी प्रकार घोड़े का सवार = ‘घुड़सवार’ (यहां ‘घोड़ा’ को ‘घुड़’—यह विकार हो गया है, इसी प्रकार अन्यत्र भी), राजा की सभा = राज-सभा, मीठा है बोल जिसका वह = मिठबोला —इत्यादि ।

समस्त शब्द जिन शब्दों के मेल से बनता है वे शब्द उसके खण्ड (हिस्से) कहाते हैं । समस्त शब्द में

मिले हुए शब्दों को अलग करके उनका परस्पर सम्बन्ध व्यक्त करने की रीति को विग्रह (= अलग करना) कहते हैं। जैसे—‘राजसभा’ इस समस्त शब्द का विग्रह ‘राजा की सभा’ है इससे ज्ञात होता कि ‘राजा’ और ‘सभा’ ये शब्द सम्बन्धकारक से संबद्ध हैं। इसी भांति ‘वनवास’ इस समस्त शब्द का विग्रह ‘वन में वास’ है और इससे जाना जाता है कि ‘वन’ और ‘वास’ शब्द अधिकरणकारक से सम्बद्ध हैं।

कई समस्त शब्दों का पहला खण्ड (शब्द) प्रधान होता है, कइयों का दूसरा खण्ड प्रधान होता है, कइयों के दोनों खण्ड प्रधान होते हैं और कइयों का कोई भी खण्ड प्रधान नहीं होता। जैसे—

(१) ‘यथाशक्ति’ = (यथा = अनुसार) शक्ति के अनुसार, ‘हरघड़ी’ = (हर = प्रत्येक) प्रत्येक घड़ी या घडी घड़ी—इन समस्त शब्दों में ‘यथा’ और ‘हर’ इन पहले खण्डों की अर्थ के अनुसार प्रधानता है।

(२) ‘राजपुत्र’ इस समस्त शब्द के ‘राजा’ और ‘पुत्र’—इन दो खण्डों में से दूसरा या अन्तिम खण्ड ‘पुत्र’ प्रधान है। ‘राजपुत्र’ ने खूब वीरता दिखाई। इस में वीरता दिखलाने वाला राजा नहीं उसका पुत्र है। इसलिये ‘राजपुत्र’ इस समस्त शब्द में अन्तिम खण्ड पुत्र की ही प्रधानता है।

(३) ‘मा-बाप’ बच्चों की पालना करते हैं। इसमें पालना करने वाले माँ और बाप दोनों हैं इसलिये ‘मां-बाप’ इस समस्त शब्द में ‘मां’ और ‘बाप’ ये दोनों खण्ड प्रधान हैं।

(४) यह लड़का मिठबोला है। इस में ‘मिठबोला’ इस समस्त शब्द के ‘मीठा’ और बोला—इन दो खण्डों में से कोई भी प्रधान

नहीं। क्योंकि मिठबोला का अर्थ है-मीठा है बोल जिसका वह (= मिठबोला)। इसप्रकार 'मीठा' और 'बोला' ये दोनों शब्द मिलकर (एक समस्त शब्द बनकर) अपने से भिन्नसंज्ञा लड़का के विशेषण हो गये हैं। प्रधान दोनों में से एक भी नहीं है।

ऊपर लिखे प्रकार से समस्त शब्दों के खण्डों की प्रधानता अप्रधानता के अनुसार यथाक्रम 'समास' के प्रधान भेद चार हैं--अव्ययीभाव (जिसमें प्रायः पहला खण्ड प्रधान हो), तत्पुरुष (जिसमें दूसरा खण्ड प्रधान हो),

द्वन्द्व (जिसमें दोनों खण्ड प्रधान हों),

और बहुव्रीहि जिसमें कोई भी खण्ड प्रधान न हो)। तत्पुरुष का एक उपभेद 'कर्मधारय' है और कर्म धार्य का उपभेद द्विगु' है।

(१) अव्ययीभाव

जिस समास में प्रायः पहला खण्ड (शब्द) प्रधान होता है और समस्त शब्द अव्यय हो जाता है उसे 'अव्ययीभाव समास' कहते हैं (अव्ययीभाव = जो अव्यय नहीं है उसका अव्यय होजाना। इसमें संज्ञा शब्द भी समस्त होकर अव्यय हा जाते हैं)। जैसे—प्रतिदिन, आजन्म, बेखटके, हाथोंहाथ, एकएक, मन ही मन, पहले पहले, बीचोंबीच, धड़ा-धड़, मुँहामुँह, घरघर,—इत्यादि। ❀

❀ प्रतिदिन, आजन्म आदि संस्कृत के उदाहरण है और हाथोंहाथ आदि हिन्दी के। बेखटके, अनजाने, प्रतिदिन आदि 'अन' 'बे' 'प्रति' आदि उपसर्गों के योग से बने हैं और हाथोंहाथ—आदि संज्ञाओं की द्विरक्ति से तथा 'बीचोंबीच' आदि अव्ययों की द्विरक्ति से अव्ययरूप समस्त शब्द बने हैं।

(२) तत्पुरुष

जिस समास में दूसरा खण्ड (शब्द) प्रधान होता है और पहले खण्ड (शब्द) में कर्तृवाच्य के कर्तृकारक की विभक्ति से भिन्न किसी विभक्ति का लोप होता है, उसे 'तत्पुरुष समास' कहते हैं। इस समास के पहले खण्ड (शब्द) में जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है, उसी कारक के अनुसार इस समास (तत्पुरुष) का नाम होता है। जैसे—

कर्मतत्पुरुष—स्वर्गगत (= स्वर्ग को = गतगया)—इत्यादि।

करणतत्पुरुष—सूरदासकृत (सूरदास से कृत = बनाया गया), गुणभरा (गुणों से भरा हुआ), मनमाना (मनसे माना हुआ)—इत्यादि।

संप्रदानतत्पुरुष—हवनसमग्री (हवन के लिये सामग्री) रसोईघर रसोई के लिये घर), राहखर्च (राह के लिये खर्च)—इत्यादि।

अपादानतत्पुरुष—रोगमुक्त (रोग से मुक्त = छूटा हुआ), जन्मरोगी (जन्म से रोगी), निर्विघ्न (विघ्नों से रहित), निडर (डर से रहित)—इत्यादि।

सम्बन्धतत्पुरुष—राजकन्या (राजा की कन्या), सुखमूल (सुख का मूल), घुड़दौड़ (घोड़ों की दौड़), गङ्गाजल (गङ्गा का जल) अमृतधारा (अमृत की धारा)—इत्यादि।

अधिकरणतत्पुरुष—वनवास (वन में वास), आपबीती

(आपने आप पर बीती), आनन्दमग्न (आनन्द में मग्न = डूबा हुआ) -इत्यादि ।❀

(क) कर्मधारय

जिसमें विशेष्य विशेषण या उपमान उपमेय का मेल हो उस तत्पुरुष को 'कर्मधारयसमास' कहते हैं । जैसे-नीलकमल, भलामानस महाराज, लालफूल-इत्यादि । घनश्याम (घन जैसा श्याम), प्राणप्रिय (प्राणों के समान प्रिय) -इत्यादि । उपमान पीछे भी आता है । जैसे--चरणकमल (कमल के समान चरण) मुखचन्द्र (चन्द्र के समान मुख)--इत्यादि ।†

❀इसी प्रकार कठफोड़ा, तिलचट्टा, चिड़ीमार, घुड़बढ़ा ग्रन्थकार, आदि भी 'तत्पुरुष' के उदाहरण हैं ।

मनसिज (मन में पैदा होने वाला = काम), **सरसिज** (सर में पैदा होने वाला = कमल), **युधिष्ठिर** (युद्ध में स्थिर), **वाचस्पति** (वाणी का पति), **खेचर** (ख = आकाश में विचरने वाला) —आदि संस्कृत शब्दों में समास होने पर भी 'मनसि' 'वाचः' आदि पहले पदों की विभक्तियों का लोप नहीं हुआ । ऐसे समास को 'अलुक्समास' कहते हैं ।

अपवित्र (न पवित्र), अनुदार (न उदार), अनपढ़ (न पढ़ा हुआ), अश्रुता (न श्रुता हुआ) -इत्यादि अभाव या निषेध के अर्थ में अ वा अन (स० नञ् के रूपान्तर वा अपभ्रंशरूप) लगाने से होने वाले 'तत्पुरुष' को **नञ्तत्पुरुष** या **नञ्समास** कहते हैं ।

† इसी प्रकार भवसागर (भव संसार रूपी सागर), नररत्न (नर रूपी रत्न), विद्याधन (विद्यारूपी धन) -इत्यादि । इन में भी 'भव' 'नर' आदि उपमेय के रूप में हैं और 'सागर' 'रत्न' आदि उपमान के रूप में ।

(ग्व) द्विगु

जिस 'कर्मधारय' समास में पहला शब्द संख्यावाचक होता है और जिससे समाहार या इकट्ठे का वाध होता है उसे 'द्विगु' (या संख्यापूर्वपद कर्मधारय) कहते हैं जैसे— त्रिलोकी (तीन लोकों का समाहार), त्रिभुवन (तीन भुवनों का समाहार), अठन्नी (आठ आनों का समाहार) । इसी भांति—पंसेरी, चामासा, छप्पय, दोपहर, सतसई (सप्तशती), दुअन्नी, चुअन्नी, चोबोला, दो दिन, चारदिन, "यह जीवन है दोदिन का" 'चार दिन की चांदनी") इत्यादि ।

(३) द्वन्द्व

जिस समास में सब खण्ड (शब्द) प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर 'और' या 'अथवा' लगता है, उसे 'द्वन्द्वसमास' कहते हैं । जैसे—'पाप-पुण्य' करके किसी

जिस 'कर्मधारय' समास के विग्रह करने में 'के समान' या 'की भांति' लगे उसे 'उपमितसमास' कहते हैं और जिसके विग्रह में 'रूपी' लगे उसे 'रूपकसमास' कहते हैं ।

जिस 'कर्मधारय' समास में पहले शब्द का दूसरे शब्द से सम्बन्ध बताने वाले बीच के 'विशेषण' शब्द का लोप हो जाता है उसे 'मध्यम-पदलोपी' समास कहते हैं । जैसे—घृतान्न (घृतमिश्रित अन्न), तिल-चावली (तिलमिले चावल), दहीबड़ा (दही में डूबा हुआ बड़ा), गाबर-गणेश (गोबर से बना गणेश), पञ्जाबदेश (पञ्जाब नाम देश) हिमालयपहाड़ (हिमालय नाम पहाड़)—इत्यादि ।

तरह 'दाल-रोटी' के लिये चार पैसे पाते हैं (पाप-पुण्य = पाप 'अथवा' पुण्य । दाल रोटी = दाल 'और' रोटी) । इसी प्रकार अन्न-जल, दिन रात, बेटा बेटा, सेठ-साहूकार, धनी मानी, हाथ-मुँह, लोक परलोक, — इत्यादि ।

इनमें कुछ (द्वन्द्वसमास से समस्त होकर बने हुए) शब्द ऐसे हैं जो एकवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे— दालभात खाया । दालरोटी खाई— इत्यादि, और कुछ ऐसे हैं जो बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे— रामलक्ष्मण आए । राम के माता-पिता धन्य हैं । तुम्हारे मां-बाप कहाँ हैं— इत्यादि । पहले उदाहरणों में 'दालभात' और 'दालरोटी' शब्दों के एकवचन होने से 'खाया' और 'खाई' क्रियाएं एकवचन में आई हैं और दूसरे उदाहरणों में 'रामलक्ष्मण' मातापिता आदि शब्दों के बहुवचन होने से 'आए' आदि क्रियाएं बहुवचन में हैं । परन्तु विभक्ति परे होने पर बहुवचन का चिन्हसंस्कार 'ओं' आदि नहीं होता । जैसे— रामलक्ष्मण ने वनगमन किया ('रामलक्ष्मणों ने' नहीं), मातापिता की आज्ञा मानो ('माता-पिताओं की' नहीं) । परन्तु जब समस्त होने वाले शब्द बहुत व्यक्तियों या पदार्थों के लिये आए हों तो विभक्ति परे होने पर बहुवचन का चिन्हसंस्कार 'ओं' आदि भी होता है । जैसे— नरनारियों की भीड़ । सेठसाहूकारों से मेल— इत्यादि । इन उदाहरणों में नर और नारी, सेठ और साहूकार शब्द बहुत से नरों और नारियों, सेठों और साहूकारों के लिये आए हैं । इसलिये इनमें बहुवचन का चिन्हसंस्कार 'यों' और 'ओं' हुआ है । स्त्रीलिङ्ग शब्दों में कर्ताकारक के निर्विभक्तिक बहुवचन में भी चिन्ह संस्कार 'एँ' होता है । उसकी व्यवस्था भी ऊपर लिखे अनुसार है । जैसे— नरनारी आए । नरनारियाँ

आण—इत्यादि । समस्त शब्द के शब्द जब बहुतों के लिये आते हैं तब उसके पहले खण्ड (शब्द में भी बहुवचन का चिन्ह-संस्कार आता है । जैसे—हमारी घुड़साल में अच्छे २ घोड़ियां-घोड़े (घोड़ेघोड़ियां) हैं । आपके लड़केलड़कियां कितने हैं ? कहीं पहले खण्ड (शब्द) में चिन्हसंस्कार नहीं भी आता । जैसे—इस नगर के स्त्रीपुरुषों का रहनसहन सादा है—इत्यादि बातें लेखकों के प्रयोग के अनुसार जाननी चाहियें । ❀

(४) बहुव्रीहि

जिस समास में समस्त शब्द का कोई भी खण्ड (शब्द)

❀ द्वन्द्वसमास में स्त्रीलिङ्ग शब्द, पूज्य जनों के नाम, श्रेष्ठवाचक संज्ञाएं और अल्पस्वर वाले शब्द प्रायः पहले आते हैं । जैसे—सीताराम, दालभात, राईनोन, रामलक्ष्मण, कृष्ण बलदेव, राजारानी, दालरोटी—इत्यादि ।

साधारणतः द्वन्द्वसमास से बने समस्त शब्दों का लिङ्ग अन्तिम खण्ड (शब्द) के अनुसार होता है जैसे—दाल-भात खाया । दाल-रोटी खाई—इत्यादि । परन्तु जिस समस्त शब्द का पूर्व खण्ड प्रधान या श्रेष्ठ का वाचक हो उस शब्द का लिङ्ग पूर्वखण्ड के अनुसार होता है । जैसे—राजा-रानी आये । इसके अतिरिक्त—नर नारी बैठे हैं । कितने दिन-रात उसके सिरहाने बैठ कर विताए । पिता-माता क्या कहेंगे—इत्यादि प्रयोग भी होते हैं जिनमें लिङ्ग पहल खण्ड के अनुसार आता है ।

तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगुसमास से बने समस्त शब्दों का लिङ्ग भी अन्तिम खण्ड के अनुसार होता है । जैसे—राजपरिचारिका आई, सांडनीसवार भागा जा रहा है । चौबोला गाया । (सं० 'त्रिलोकी' के समान 'पंसेरी' शब्द 'ई' प्रत्यय लगकर स्त्रीलिङ्ग बन गया है) । 'दोपहर' शब्द अपवाद है इसके अन्तिम खण्ड 'पहर' शब्द के पुलिङ्ग होने पर भी यह शब्द स्त्रीलिङ्ग ही है ।

प्रधान नहीं होता, और उस में 'वाला' अर्थ पाया जाता है (और इसीलिये वह किसी अन्य संज्ञा का विशेषण हो जाता है) उसे 'बहुव्रीहिसमास कहते हैं । जैसे— दशानन (दश हैं आनन (मुख) जिसके = दशमुखोंवाला), दोरंगा (दो हैं रंग जिसके = दो रंगों वाला), चतुर्भुज (चार हैं भुजाएँ जिसकी = चार भुजाओंवाला), बारहसिंगा (बारह हैं सींग जिसके = बारह सींगों वाला), मुशील (सु = सुन्दर है शील जिसका = सुन्दर शीलवाला), दुरात्मा (दूर् = दुष्ट है आत्मा जिसका = दुष्ट आत्मावाला), अपुत्र (अ(न) = नहीं है पुत्र जिसके = पुत्र वाला नहीं = पुत्र से रहित), कमलनयन (कमल के समान हैं नयन जिसके = कमल के समान नयनों वाला) जितेन्द्रिय (जीती गई हैं इन्द्रियाँ जिसके द्वारा = जीती गई इन्द्रियोंवाला), अलोना (नहीं है लोन जिसमें = न लोनवाला = लोन से रहित)— इत्यादि । ❀

❀ बहुव्रीहि के विग्रह में सम्बन्धवाचक 'जो' सर्वनाम के कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़ यथासंभव शेष कारकों के रूप लगते हैं ।

प्राप्तधन (प्राप्त हुआ है धन जिसको)—इत्यादि 'कर्मबहुव्रीहि'

दत्तधन (दिया है धन जिसको (जिसके लिये)—इत्यादि संप्रदान बहुव्रीहि'

और **पतितपत्र** (पतित = गिर गये है पत्र = पत्ते जिससे) इत्यादि 'अपादान बहुव्रीहि' का प्रयोग संस्कृत में ही होता है, हिन्दी में इनका प्रयोग नहीं के बराबर है ।

बड़बोला (बड़े हैं बोल जिसके), **सहस्रबाहु** (सहस्र हैं बाहु जिस के)—इत्यादि 'सम्बन्धबहुव्रीहि' का हिन्दी में अधिक प्रयोग होता है ।

कृतकार्य (किया गया है कार्य जिसके द्वारा),

अभ्यास ।

समास किसे कहते हैं और विग्रह किसे ? समास कितने प्रकार के हैं ? उनके नाम, लक्षण और उदाहरण लिखो । यथाविधि, निडर, राजपुरुष, कमलवदन, चतुरानन, अकारण, कविताकौमुदी, साहित्यसुधा, भद्रपुरुष, महारानी, चन्द्रमुखी, त्रिलोकी, अनन्त-इनमें कौन २ समास हैं ? विग्रह करके समझाओ । भिन्न २ समासों के बने समस्त शब्दों का लिङ्ग उनके किस खण्ड के अनुसार होता है ? उदाहरण भी दो ।

पतझड़ (पत्तों का है भाड़ना जिस में)—इत्यादि 'करण और अधिकरण' 'बहुव्रीहि' का भी हिन्दी में प्रयोग होता है ।

कनफटा (फटे हैं कान जिसके), **सिरकटा** कटा है मिर जिसका)—इत्यादि में 'फटा' 'कटा' शब्दों का परनिपात ('कान' 'सिर' शब्दों के बाद प्रयोग) होता है ।

कई समस्त शब्द अर्थभेद से अनेक समासों से सम्बन्ध रखते हैं । जैसे—

पीताम्बर = पीत + अम्बर = पीला कपड़ा 'कर्मधारय' ।

पीताम्बर = पीत है अम्बर (कपड़े) जिसके = पीले कपड़ोंवाला—'बहुव्रीहि' ।

त्रिगुण = तीन गुण—'द्विगु' ।

त्रिगुण = तीन है गुण जिसके = तीन गुणोंवाला—'बहुव्रीहि' ।

चन्द्रमुख = चन्द्र जैसा मुख—'कर्मधारय' ।

चन्द्रमुख = चन्द्र के समान है मुख जिसका = चन्द्रमा के समान मुख वाला—'बहुव्रीहि' ।

अकारण = कारण के बिना ('अकारण' क्यों कुढ़ते हो)—'अव्ययीभाव' ।

अकारण = नहीं है कारण जिसका—'बहुव्रीहि'—इत्यादि ।

सोलहवाँ अध्याय



सन्धि

दो अक्षरों के पास पास होने के कारण मिल जाने से जो विकार होता है उसे 'सन्धि' कहते हैं। जैसे—राम + अवतार = रामावतार। दिक् + नाग = दिङ्नाग। यद्यपि हिन्दी के शब्दों में प्रायः सन्धि के नियमों का उपयोग नहीं होता (जैसे—राम-आसरे आदि में सन्धि नहीं हुई) तथापि संस्कृत से हिन्दी में आने वाले (तत्सम) समस्त शब्दों में अवश्य सन्धि होती है। इसलिये उनके सम्बन्धसे समास-प्रकरण' के अनन्तर सन्धियों के नियम दिये जाते हैं। ❀

*संस्कृत में सन्धियों के नियम बहुत से हैं। परन्तु यहाँ केवल वही नियम संक्षेप से लिखे जाते हैं जिनके अनुसार सिद्ध हुए संस्कृत के समस्त शब्द हिन्दी में अधिक प्रयुक्त होते हैं और यह भी इस लिये कि हिन्दी पढ़ने वालों को उनकी बनावट जानने के लिये उनकी सन्धियों का जानना आवश्यक और अर्थबोध के लिये सुविधाजनक है। (जिनका प्रयोजन हिन्दी में बहुत ही कम पड़ता है, वे नियम यहाँ नहीं लिखे जाएंगे।

सन्धि होने पर कहीं दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है, कहीं एक ही में और कहीं दोनों के स्थान पर एक तीसरा अक्षर आजाता है। जब एक अक्षर के स्थान दूसरा अक्षर होने लगता है तब प्रायः वही अक्षर होता है जो यथा-संभव उच्चारण के स्थान और प्रयत्न में उस अक्षर के समान हो जिसके स्थान वह होने लगा है। इस प्रकार परिवर्तन से उच्चारण में सुगमता

सन्धि तीन प्रकार की है—स्वरसन्धि, व्यञ्जनसन्धि और विसर्गसन्धि ।

(१) स्वरसन्धि

स्वर के साथ स्वर की सन्धि को 'स्वरसन्धि' कहते हैं।

(क) ह्रस्व या दीर्घ अकार के बाद ह्रस्व या दीर्घ अकार, ह्रस्व या दीर्घ इकार के बाद ह्रस्व या दीर्घ इकार,

ह्रस्व या दीर्घ उकार के बाद ह्रस्व या दीर्घ उकार हो तो दोनों को मिलकर क्रम से दीर्घ आ, ई, ऊ हो जाते हैं। इस सन्धि को "दीर्घ" कहते हैं। जैसे—अ + अ = आ—परम + अर्थ = परमार्थ—इसमें 'पर' के 'म' में का 'अ' और 'अर्थ' का 'अ' इन दोनों के मिलने से दीर्घ (आ) होकर 'परमार्थ' बन गया। इसी प्रकार—

अ + आ = आ—शिव + आलय + शिवालय ।

आ + आ = आ—विद्या + आलय = विद्यालय ।

इ + इ = ई—कवि + इन्द्र = कवीन्द्र ।

ई + ई = ई—मही + ईश = महीश ।

उ + उ = ऊ—गुरु + उपदेश = गुरूपदेश ।

ऊ + उ = ऊ—वधू + उत्सव = वधूत्सव—इत्यादि ।

(ख) ह्रस्व या दीर्घ अकार के बाद ह्रस्व या दीर्घ इकार हो तो दोनों को मिलकर 'ए' ह्रस्व या दीर्घ उकार हो तो दोनों

आजाती है । उच्चारण की सुगमता के तत्त्व पर ही सन्धि हो कर (या अन्यान्य भाषाविज्ञान के नियमों से) अक्षर बदलते हैं और इसीलिये पहले अधिकरण में अक्षरों के स्थान और प्रयत्न का वर्णन किया गया है ।

को मिलकर 'ओ' और ह्रस्व या दीर्घ ऋकार हो तो दोनों को मिलकर 'अर्' होजाता है। इस सन्धि को 'गुण' कहते हैं। जैसे—भारत + इन्दु = भारतेन्दु—इसमें 'भारत' के 'त' में विद्यमान 'अ' और 'इन्दु' वाली 'इ' को मिलकर 'ए' होने से 'भारतेन्दु' बना। इसी प्रकार—

अ + ई = ए सुर + ईश = सुरेश।

आ + ई = ए—रमा + ईश = रमेश।

अ + उ = ओ—चन्द्र + उदय = चन्द्रोदय।

आ + उ = ओ—महा + उत्सव = महोत्सव।

अ + ऋ = अर्—सप्त + ऋषि = सप्तषि।

आ + ऋ = अर्—महा + ऋषि = महर्षि—इत्यादि। ❀

(ग) अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों को मिलकर 'ऐ' और ओ या औ हो तो दोनों को मिलकर 'औ' हो जाता है। इस सन्धि को 'वृद्धि' कहते हैं। जैसे—एक + एक = एकैक—इसमें पहले 'एक' के 'क' में 'अ' और दूसरे 'एक' का 'ए' इन दोनों को मिलकर 'ऐ' होजाने से 'एकैक' बन गया। इसी प्रकार—

स्वरसन्धियों में से कुछ के उदाहरण हिन्दी में भी पाए जाते हैं। जैसे दीर्घ-लड़ + आई = लड़ाई, लम्ब + आई = लम्बाई, राजपूत + आना = राजपूताना, दी + ई = दी, लि + ई = ली, सि + ई = सी, इत्यादि। वृद्धि-लठ + ऐत = लठैत, रख + ऐया = परखैया—इत्यादि। यण्-पी + आस = प्यास—इत्यादि।

❀ अपवाद—स्व+ईर = स्वेर, स्व+ईरी = स्वेरी, स्व+ईरिणी = स्वैरिणी, अक्ष+ऊहिनी = अक्षोहिणी प्र+ऊढ = प्रौढ, प्र+ऊढि = प्रौढि। इन में 'अ+ई' और 'अ+ऊ' का क्रम से 'ए' 'ओ' न होकर 'ऐ' 'औ' हुए हैं।

अ + ऐ = ऐ - मत + ऐक्य = मतैक्य ।

आ + ए = ऐ - सदा + एव = सदैव ।

अ + ओ = औ - वन + ओषधि = वनौषधि ।

आ + ओ = — महा + औषध = महौषध - इत्यादि । †

(घ) इ, ई, उ, ऊ और ऋ के बाद यदि इनसे भिन्न स्वर हो तो इ, ई को 'य्' 'उ ऊ' को 'व्' और ऋ को 'र्' होता है । इस सन्धि को 'यण' कहते हैं । जैसे-यदि + अपि = यद्यपि- इसमें 'यदि' के 'द्' में विद्यमान 'इ' के बाद 'अपि' वाला 'अ' है । इसलिये 'इ' को 'य्' होने पर 'अपि' वाले 'अ' के उसमें मिल जाने से (यद् य् + अपि) 'यद्यपि' बन गया । इसी प्रकार—

इ + आ = या - इति + आदि = इत्यादि ।

इ + उ = यु - अभि + उदय = अभ्युदय ।

इ + ऊ = यू - नि + ऊन = न्यून ।

इ + ए = ये - प्रति + एक = प्रत्येक ।

ई + अ = य = देवी + अर्पण = देव्यर्पण ।

उ = अ = व - अनु + अर्थ = अन्वर्थ ।

उ + आ = वा - सु + आगत = स्वागत ।

उ + ए = वे - अनु + एषण = अन्वेषण ।

ऋ + अ = र - पितृ + अनुमति = पित्रनुमति ।

ऋ + आ = रा - मातृ + आनन्द = मात्रानन्द - इत्यादि ।

(२) व्यञ्जनसन्धि

व्यञ्जन के साथ स्वर या व्यञ्जन की सन्धि को

† विकल्प—अ या आ से पर यदि 'ओष्ठ' शब्द हो तो विकल्प से 'ओ' भी होता है । जैसे—अधर + ओष्ठ = अधरोष्ठ, अधरोष्ठ । महा + ओष्ठ = महोष्ठ, महौष्ठ ।

‘व्यञ्जनमन्धि’ कहते हैं ।

(क) त् या द् के बाद च् या छ् हो तो त् या द् के बदले च् होता है, ज् या भ् हो तो ज् ट् या ट् हो तो ट् ड् या द् हो तो ड् और ल हो तो ल् होता है । जैसे —

सत् + चरित्र = सच्चरित्र । सत् + छत्र = सच्छत्र ।

शरद् + चन्द्र = चरच्चन्द्र । सत् + जन = सज्जन ।

विपद् + जाल = विपज्जाल । बृहत् + टीका = बृहट्टीका ।

उत् + डयन = उड्डयन । उत् + लास = उल्लास इत्यादि ।

(ख) त् या द् के बाद श् हो तो त् या द् को च् और श् को छ् होता है, त् के बाद ह् हो तो त् को द् और ह् को ध् और द् के बाद ह् हो तो भी उसको ध् होता है । जैसे—

सत् + शास्त्र = सच्छास्त्र । शरद् + शशी = शरच्छशी ।

(ग) त् के बाद कोई स्वर या ग्, घ्, द्, ध्, ब, भ, य्, र्, व् इनमें से कोई वर्ण हो तो त् को द् होजाता है । जैसे—

सत् + आनन्द = सदानन्द । सत् + गति = सुद्गति । सत् + धर्म = सद्धर्म । बृहत् + यन्त्र = बृहद्दयन्त्र । भगवन् + भक्ति = भगवद्भक्ति । तत् + रूप = तद्रूप-इत्यादि ।

(घ) क्, च्, ट्, प्, के बाद कोई स्वर, वर्णों के तीसरे, चौथे व्यञ्जनों में से या य्, र्, ल्, व्, में से कोई वर्ण हो तो क् को ग्, च् को ज्, ट् को ड् और प् को ब् हो जाता है जैसे—दिक् + गज = दिग्गज, वाक् + दान = वाग्दान, अच् + अन्त = अजन्त, षट् + आनन = षडानन, षट् + दर्शन = षड्दर्शन, अप् + ज = अज — इत्यादि ।

(ङ) क्, च्, ट्, त्, प्—इनमें से किसी अक्षर के बाद अनुनासिक वर्ण, (न् या म्) हो तो क् को ङ्, च् को ञ्, ट् को

ण्, त् को न् और प् को म् होजाता है । जैसे-वाक्+मय=वाङ्मय. दिक्+नाग=दिङ्नाग, षट्+मास=षण्मास. जगत्+नाथ=जगन्नाथ, जगत्+मान्य=जगन्मान्य, अप्+मय=अम्मय-इत्यादि । ❀

(च) छ के पहले कोई स्वर हो तो छ के पहले च् और जुड़ जाता है जैसे—स्व+छन्द=स्वच्छन्द, वि+छेद=विच्छेद आ+छादन=आच्छादन—इत्यादि ।

(छ) म् के बाद यदि कोई स्पर्शवर्ण हो तो म् को विकल्प से अनुस्वार या जिस वर्ण का वर्ण परे हो उसी वर्ण का अनुनासिक वर्ण (ङ्, ज्ञ्-आदि) होता है । जैसे—सम्+कल्प=संकल्प सङ्कल्प । सम्+चय=संचय, सञ्चय । सम्+तोष=संतोष, सन्तोष । सम्+पूर्ण=संपूर्ण, सम्पूर्ण । सम्+बन्ध=सबन्ध, सम्बन्ध—इत्यादि ।

(ज) म् के बाद य्, र्, ल्, व्, श्, ष्, स्, ह्, - इनमें से कोई वर्ण हो तो म् का अनुस्वार हो जाता है । जैसे—सम्+

❀ यौगिक या सामासिक शब्दों में पहले शब्द के अन्त में यदि न् हो तो उसका लोप होजाता है । जैसे—राजन्+त्व=राजत्व, प्राणिन्+मात्र=प्राणिमात्र, राजन्+आज्ञा=राजाज्ञा, हस्तिन्+राज=हस्तिराज-इत्यादि ।

ऊपर के उदाहरणों में से षण्मास, अम्मय आदि कुछ शब्द हिन्दी में व्यवहृत नहीं होते ।

अपवाद—अहन् शब्द के न् के आगे कोई वर्ण हो तो न के बदल र् हो जाता है । जैसे—अहन्+गण=अहर्गण, अहन्+मुख=अहर्मुख—इत्यादि । परन्तु 'रात्र' परे होने पर न् को उ होकर पहले अ और उ को मिलकर ओ होजाता है । जैसे—अहोरात्र ।

वत्=संवत्, सम्+लग्न=संलग्न. सम्+शय संशय, सम्+सार=संसार—इत्यादि । ❁

(झ) अ, आ को छोड़ अन्य किसी स्वर के बाद यदि किसी शब्द का पहला अक्षर स् हो तो उसे ष् हो जाता है । जैसे—प्रति+सेध=प्रतिषेध, वि+सम=विषम, सु+सुप्ति=सुषुप्ति. सु+समा=सुषमा—इत्यादि । †

(३) विसर्गसन्धि

विसर्ग के साथ स्वर या व्यञ्जन की सन्धि को 'विसर्गसन्धि' कहते हैं ।

(क) विसर्ग के पहले और पीछे अ हो तो पहले अ और विसर्ग को 'अ' हो जाता है और पीछेले अ का लोप हो जाता है (अ का लोप सूचित करने के लिये कभी २ (ऽ) इस प्रकार का चिन्ह भी बीच में लिखते हैं । जैसे—मनः+अवधान=मनोवधान (मनोऽवधान), —यशः+अभिलाषी=यशोऽभिलाषी—इत्यादि ।

(ख) यदि विसर्ग के पहले अ हो और आगे वर्गों के पहले दूसरे वर्गों और श्, ष्, स को छोड़ और कोई व्यञ्जन हो

❁अपवाद—सम+राट्=सम्राट् । संस्कृत में शब्द के मध्य में स्पर्श-वर्ण के पूर्व आनेवाला अनुस्वार नित्य अनुनासिक वर्ण (ङ् आदि) के रूप में ही लिखा जाता है । जैसे—गङ्गा, मङ्गल, रञ्ज—इत्यादि । परन्तु हिन्दी में ऐसे शब्दों को गंगा, मंगल—इत्यादि रूप से अनुस्वारसहित भी लिखते हैं ।

† विस्मरण, विसर्ग, अनुसरण, विस्तार—आदि ऊपर लिखे नियम के अपवाद हैं ।

तो अ और विसर्ग (अः) को 'ओ' हो जाता है । जैसे—
मनः + रथ = मनोरथ, अधः + गति = अधोगति, पयः + द =
पयोद, तेजः + राशि = तेजोराशि— इत्यादि ।

(ग) यदि विभर्ग के पहले अ, आ के अतिरिक्त और कोई
स्वर हो और परे वर्णों के पहले, दूसरे वर्ण और श् ष् स् के
अतिरिक्त कोई वर्ण हो तो विसर्ग को र् हो जाता है । जैसे—
निः + आशा = निराशा, दुः + उपयोग = दुरुपयोग बहिः + गतः =
बहिर्गत, बहिः + मुख = बहिर्मुख, निः + गुण = निगुण, दुः +
दशा = दुर्दशा— इत्यादि । ❀

(घ) विसर्ग के परे च् या छ् हो तो विसर्ग को श्,
ट् या ठ् हो तो ष्, त् या थ् होतो स् होता है । निः + चिन्त =
निश्चिन्त निः + छल = निश्छल, धनुः + टंकार = धनुटंकार निः +
तार = निस्तार— इत्यादि ।

(ङ) विसर्ग के परे श् ष् या स् हो तो विकल्प से विसर्ग
को परे का वर्ण होता है । जैसे— दुः + शासन = दुःशासन,
दुश्शासन, निः + सन्देह = निःसन्देह, निस्सन्देह— इत्यादि ।

(च) निः, दुः के विसर्ग को क् ष् या फ् परे होने से ष् हो
जाता है । जैसे— निः + कलङ्क = निष्कलङ्क, निः + पाप = निष्पाप,
निः + फल = निष्फल, दुः + कर = दुष्कर, दुः + प्रकृति = दुष्प्रकृति
दुः + फल = दुष्फल— इत्यादि । †

❀ ह्रस्व स्वर के बाद के र् से परे यदि र् हो तो पहले र् का लोप हो जाता
है और ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है । जैसे— निर् + रोग = नीरोग, निर् +
रस = नीरस— इत्यादि ।

† कुछ शब्दों में अ, आ से परे आने वाले विसर्ग को क् या ष् परे होने
पर स् होता है, बहुतों में नहीं । जैसे— नमः + कार = नमस्कार भाः +

(ङ) अ के परे विसर्ग हो और उसके परं अ को छोड़ और स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और स्वरों में सन्धि नहीं होती । जैसे—अत + एव = अतएव ।

(ज) शब्द के अन्तिम र् से परे वर्गों के पहले दूसरे वर्ण और श्. प्स्—इनमें से कोई हो तो र् को विसर्ग हो जाता है । जैसे—अन्तर् + करण = अन्त.करण, प्रातर् + काल = प्रातःकाल, अन्तर् + पुर = अन्त पुर—इत्यादि । ❀

कर = भास्कर, पुरः + कार = पुरस्कार—इत्यादि । नमः + कामना = मनःकामना, पयः + पान = पयःपान, रजः + कण = रजःकण, तेजः + पुञ्ज = तेजःपुञ्ज—इत्यादि ।

❀ हिन्दी में शब्द और प्रत्यय का मेल होने पर ही सन्धि होती है (और वह भी सर्वत्र नहीं) । जैसे—अपना = इत अपनाइत—यहां सन्धि नहीं हुई) । पहले बताए दीर्घ, वृद्धि और यण—इनके अतिरिक्त और संस्कृत सन्धियों के नियम हिन्दी सन्धियों में नहीं लगते । हिन्दी की सन्धियों में प्रायः नीचे लिखे परिवर्तन होते हैं :—

(क) प्रत्यय परे होने पर कहीं शब्द का पहला स्वर दीर्घ हो तो ह्रस्व (आ को अ, ई को इ, ऊ को उ, ए को ह, ओ को उ) हो जाता है । बाप + औती = बापौती, खाट + इया = खटिया, बूढ़ा + आपा = बुढ़ापा—इत्यादि । (कहीं परवर्ती व्यञ्जन का लोप भी हो जाता है । जैसे—दूध + हांडी = दूधांडी) ।

(ख) कहीं शब्द के अन्तिम स्वर का लोप हो जाता है । जैसे—चौबे + आइन = चौबाइन, घर + ऊ = घरू, साँप + एरा = सँपेरा (इसमें 'साँप' का 'साँ' पहले नियम से ह्रस्व हुआ है)—इत्यादि ।

(ग) कहीं स्वरों के मिलने से वृद्धि हो जाती है और यदि बीच में कोई व्यञ्जन हो तो उसका लोप हो जाता है । जैसे—भाई + इया +

अभ्यास

सन्धि किसे कहते हैं ? सन्धि कितने प्रकार की है ? उन प्रकारों के नाम और लक्षण बता कर प्रत्येक प्रकार के पांच २ उदाहरण दो। दीर्घ, गुण, वृद्धि तथा यण के उदाहरण देकर समझाओ, उनमें कैसे क्या हुआ।

आगे लिखे शब्दों में सन्धिच्छेद करा—उद्धार, अन्वित, महेश, निर्भय, दुष्प्राप्य, उज्ज्वल, दिगम्बर, उच्चारण, सच्चिदानन्द।

आगे लिखे सन्धिच्छेदों में नियमानुसार सन्धि करा—
मनु + अन्तर, दिक् + विजय, उन् + शिष्ट, मनः + हर, गण + ईश,
निः + बल, तत् + हित, सम् + जय, इत्यादि।

दोनों इकारो को मिलकर दीर्घ ई हुई) भा + इया = (आ और ई को ऐ वृद्धि हुई) भैया, गया + इया = (य् का लोप 'गा' के 'या' और 'य' के 'अ' को मिलकर दीर्घ हुआ = गा + इया (आ और इ को ऐ वृद्धि) गैया, इत्यादि।

(घ) व् और ह् के मिलने से दोनों को भ् होजाता है तथा त् द् के मिलने से ह्। जैसे—तब + ही = तभी, जब + ही = जभी, पोत + दार = पौदार इत्यादि (व और त के अ का पहले (ख) नियम से लोप)

(ङ) कई शब्दों में 'ही' प्रत्यय के ह् का लोप होजाता है और ई उसके पूर्ववर्ती स्वर के बदले व्यञ्जन में मिल जाती है और कुछ शब्दों में ही प्रत्यय ज्यों का त्यों रहता है और उसके पूर्ववर्ती स्वर का लोप होने से व्यञ्जन 'ह्' से मिल जाता है। जैसे—वह + ही = वही, यह + ही = यही, हम + ही = हमी
वहां + ही = वहीं, यहां + ही = यहीं, इस + ही = इसी, उस + ही = उसी,
इन + ही = इन्हीं, उन + ही = उन्हीं, तुम + ही = तुम्हीं—इत्यादि।

सत्रहवाँ अध्याय ।

विभक्तियों के अर्थ और प्रयोग ।

(क) कर्तृकारक की विभक्तियां (चिन्ह) दो हैं—‘शून्य’ और ‘ने’, क्रिया के साथ कहां ‘शून्य और कहां ‘ने’ लगता है—इसका निर्देश क्रियाप्रकरण में हो चुका है । इसके अतिरिक्त वस्तुमात्र के कहने में तथा निबन्ध आदि के शीर्षक में भी ‘शून्य’ चिन्ह आता है । जैसे—मेज, कुर्सी, बालक आदि तथा ‘विभक्तिविचार’ ‘आत्माराम की टै टै,—इत्यादि ।

(ख) कर्मकारक तथा संप्रदानकारक की विभक्ति ‘को’ है । कर्तृप्रधान क्रिया के कर्म में तथा द्विकर्मकधातुओं के अप्रधानकर्म में ‘को’ लगता है । जैसे—देवता को पूजता है, वह उनको नहीं पहचानता—इत्यादि तथा मुझको व्याकरण पढ़ाओ, बच्चे को दूध पिलाओ—इत्यादि ।

पचना, रुचना, भाना मिलना, लगना, सुहाना, आदि क्रियाओं के योग में ‘को’ लगता है । जैसे—क्या आपको भात नहीं पचता (भाता या रुचता) ?

‘आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना’

उसको क्या मिला ? बात यह करो जो सबको भली लगे, ये बातें आपको नहीं सुहाती,— इत्यादि । ❀

❀ सर्वनाम शब्दों में ‘को’ के बदले एकव० बहुव० के क्रम से ‘ए’ और ‘एं’ भी लगता है । जैसे—उसे, मुझे, तुझे, या उन्हें, हमें, तुम्हें, किसने देखा—

संप्रदानकारक का चिन्ह 'को' (या के लिये, वास्ते आदि) देने के अर्थ में, निमित्त, आवश्यकता और अवस्था के अर्थ में, नमस्कार, धन्यवाद, धिक्कार, फटकार, योग्य, उपयुक्त उचित, पर्याप्त—आदि तथा इनके अर्थवाचक अन्य शब्दों के योग में भी आता है । जैसे—भूखे को रोटी दो । महात्मा के दर्शन को (के निमित्त) गये थे । मुझ को अपना पाठ याद करना है (मेरे लिये अपना पाठ याद करना आवश्यक है) । उसको कल रोते रोते बीता (अवस्था) । गुरु जी को नमस्कार (या प्रमाण) । आपको धन्यवाद । परतन्त्रता को धिक्कार । धोखेबाज़ को फटकार । आप को ऐसा करना योग्य नहीं । ऐसे तंग मकान में रहना आपके स्वास्थ्य को उपयुक्त (या उपयोगी) नहीं । छोंटों को बड़ों की सेवा करनी उचित है । यह भोजन चार आदमियों को पर्याप्त (या काफी) होगा — इत्यादि ॐ

इत्यादि । होना, उरना, कहना, पूछना, लगना, मिलना, चढ़ना, खुलना, समाना—आदि क्रियाओं के योग में 'को' लगता है, परन्तु इनमें से कई धातुओं में विकल्पसे 'को' के बदले 'में' या 'पर' भी लगाया जाता है और कई धातुओं से 'को' के बदले 'से' भी लगता है । जैसे—तुमको क्या हुआ ? तू किसको (से) डरता है ? उसको (से) कहो । उसको (से) पूछो । उसको (में) आग लगाओ । तुमको (पर) भूत चढ़ा है । मुझको (पर) उसका भेद खुल गया । आपको (में) भूत समाया है—इत्यादि ।

ॐ 'योग्य' के योग में 'के' भी लगता है । जैसे—यह पुरस्कार आपके योग्य नहीं ।

समयवाचक शब्द (भोर, रात—आदि) और स्थानवाचक शब्द (घर, बाहर आदि) से तथा मूल्य के अर्थ में अधिकरणकारक विभक्ति (में या पर) के बदले विकल्प से 'को' आता है । मूल्य के अर्थ में

(ग) करणकारक तथा अपादानकारक की विभक्ति 'से' है । कर्मवाच्य तथा भाववाच्य क्रिया के कर्ता में, प्रेरणार्थक क्रिया के 'प्रेरित' कर्ता में, करण में, हेतु में, 'साथ' के अर्थ में, मूल्य वाचक संज्ञा में, किसी अङ्ग का विकार बतलाने में, पहचान के लिये किसी चिन्ह के बतलाने में, निषेधार्थक 'क्या' के योग में, तथा प्रकृति, स्वभाव, हेतु, कारण, प्रकार, इच्छा, प्रयोजन, आदि शब्दों से 'से' विभक्ति 'करणकारक' में लगती है ।

जैसे—मुझ से रोटी नहीं खाई जाती (कर्मवाच्य) । मुझसे सोया नहीं जाता (भाववाच्य) । राम श्याम से पत्र लिखवाता है

सम्बन्ध के चिन्ह (का, के, की) भी लगते हैं । जैसे—मोहन रात को (या में) जाएगा । श्याम मोर को (या में) आएगा । वह घर को (या पर) गया । यह पुस्तक कितने को (में या पर या की) ली ?—इत्यादि ।

संप्रदानकारक का चिन्ह 'को' प्रायः सजीवपदार्थवाचक संज्ञाओं के साथ लगाया जाता है और 'के लिये' 'वास्ते' आदि निर्जीवपदार्थवाचक संज्ञाओं के साथ । जैसे—मोहन ने श्याम को फल दिये । गाय को चारा दिया । पैसे के लिये (वास्ते, अर्थ, निमित्त) मेहनत करता है । यश के लिये (वास्ते, निमित्त) दान करता है—इत्यादि ।

छोटे जीवों की संज्ञाओं तथा अप्राणिकवाचक संज्ञाओं के साथ प्रायः 'को' का लोप रहता है । जैसे—फल्लू कीड़ियां मारता है । राम चिट्ठी लिखता है । मोहन आम चूसता है । नन्हीं रोटी खाती है—इत्यादि ।

क्रिया के 'कर्मणिप्रयोग' में कर्म का चिन्ह 'को' लुप्त रहता है । जैसे—राम ने आम चूसे । पत्र लिखा गया । चिट्ठी भेजी जाएगी—इत्यादि ।

इसी भांति—रात बड़ी वर्षा हुई । श्याम कलकत्ते गया । शशिकला पढ़ने जाती है—इत्यादि में भी 'को' का लोप है ।

(प्रे०) । कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है (करण) । रोग से दुबला होगया (हेतु) । मुझे आप से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई (साथ०) । घोड़ा दो सौ रुपये से लिया (मूल्य०) । एक आंख से काना (अङ्गविकार) । जटाओं से साधु और बोलचाल से विद्वान् जान पड़ता है (चिन्ह) । जंगल में रोने से क्या लाभ । तुमसे क्या हो सकेगा ? प्रकृति से कोमल । स्वभाव से मृदु । इस हेतु से (या कारण से) मुझे रुकना पड़ा । इस प्रकार से चिकित्सा करने पर अवश्य लाभ होगा । मैंने अपनी इच्छा से ऐसा किया । आप किस प्रयोजन से आए हैं इत्यादि ॥

अपादान (विभाग = जुदा होना) में उत्पत्ति, आरम्भ, तुलना स्थान और समय की दूरता बताने में, भिन्न, बाहर, परे, रहित, हीन, दूर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, लज्जा, डर वचाव, निकास आदि शब्दों तथा इनके अर्थ वाले दूसरे शब्दों के योग में, दिशावाचक शब्दों के योग में, तथा 'पूर्वकालिक' के अर्थ में 'से' विभक्ति 'अपादान कारक' में लगती है । जैसे—लता से पुष्प गिरते हैं (अपादान) । जमीन से अनन्त पदार्थ पैदा

॥ निषेधाथेक 'क्या' के योग में तथा अंगविकार के अर्थ में सम्बन्ध कारक की विभक्ति भी लगती है । जैसे—नाराज होने का क्या प्रयोजन । आंख का काना—इत्यादि । कहीं कहीं 'से' के बदले अधिकरणकारक की विभक्ति 'में' भी आती है । जैसे—ऐसा काम करो जिसमें बदनामी न हो—इत्यादि । हेतु, कारण, प्रकार आदि की 'से' विभक्ति का लोप भी हो जाता है । जैसे—इस कारण मैं नहीं बोला । इस प्रकार—गेहूँ किस भाव बेचे हैं । आंखों देखी, कानों सुनी । वच्चा घुटनों चलता है । अपने हाथों अपनी इज्जत न खोओ । किसके सहारे रहूँ । साँप पेट के बल चलता है—इत्यादि में भी 'से' का लोप है ।

होते हैं (उत्पत्ति) । लाहौर से काश्मीर तक (आरम्भ) । धन से विद्या श्रेष्ठ है (तुलना) । लाहौर से श्रमृतसर २५ मील है (स्थान की दूरता) । आज से बरसों प्रतीक्षा करनी पड़ेगी (समय की दूरता) । यह उससे भिन्न (या अलग) है । घर से बाहर । इससे परे । धन से रहित (या हीन) । घर से दूर । इससे आगे, उससे पीछे । दस से ऊपर और बीस से नीचे । मुझसे न लजाओ (या शरमाओ) बुराई से डरो । रोग से बचो । घर से निकाला । गङ्गा हिमालय से निकलती है । हमारे घर से पच्छिम एक टीला है । ग्राम से पूर्व या दक्षिण । अटारी से (अटारी पर चढ़कर) देखता है (पूर्वकालिक के अर्थ में) इत्यादि । ❁

(घ) सम्बन्धकारक की विभक्तियां (चिन्ह) 'का' 'के' की (और कुछ सर्वनामों में 'रा' 'रे' 'री') हैं पुलिङ्ग एकवचन 'का'

❁ आगे, पीछे, ऊपर, नीचे आदि तथा दिशावाचक शब्दों के योग में सम्बन्धकारक की विभक्ति भी लगती है । जैसे—इसके आगे, तुम्हारे पीछे, ग्राम के पूर्व एक तालाब है—इत्यादि ।

पूछना, कहना—आदि धातुओं के गौण (अप्रधान) कर्म में तथा क्रिया विशेषण में भी अपादानकारक की 'से' विभक्ति लगती है । जैसे—मोहन सोहन से क्या पूछता है । तुम उरासे क्या कहते थे । कहाँ से आये हो । किधर से आना हुआ—इत्यादि । कहना, पूछना के योग में 'को' भी लगाते हैं । जैसे—मोहन सोहन को क्या पूछता है । तुम उसको क्या कह रहे थे—इत्यादि । निर्धारण (निश्चय) में अधिकरण की विभक्ति के आगे 'से' विभक्ति भी लगाई जाती है । जैसे—इनमें से कौन लड़का अच्छा है । कभी २ अधिकरण विभक्ति पर' के आगे भी 'से' लगाया जाता है । जैसे—भिर पर से बोझ उतार—इत्यादि ।

(रा) और बहुवचन 'के' (रे) तथा स्त्रीलिङ्ग दोनों वचन 'का' (री) ।

सम्बन्ध में, भविष्यत् के अर्थ में, मूल्यवाचकसंज्ञा में, समय, परिमाण, आयु, उपादान, कार्य, कारण नाता, व्याप्ति या आधिक्य सौगन्ध बदला, आधार, आधेय, निश्चय, लक्षण, शीघ्रता, योग्यता आदि में सम्बन्धकारक की विभक्तियां लगती हैं । जैसे प्रताप का घोड़ा (सम्बन्ध) । अब मैं नहीं आने का (=आऊंगा) । दस रुपये का घी (मूल्य) । अभी कल की बात (समय) । पांच गज़ की साड़ी (परिमाण) । अत्सी बरस का बूढ़ा (आयु) । चांदी का थाल (उपादान) । तलवार का लोहा (कार्य) । रास्ते का थका(कारण) । मोहन का मामा (नाता) । सबके सब । भुएड के भुएड (व्याप्ति, आधिक्य) । गङ्गा जी की सौगन्ध । राई का पहाड़ राजा का रङ्ग (बदला) । घड़े का पानी(आधार) । पानी का घड़ा (आधेय) । सच्चे का सच्चा और भूटेका भूटा आप ही जाना जाता है(निश्चय) । शरीर का हलका । ज़वान का मीठा (लक्षण) । बात की बात में सब ठीक किये देता हूँ (शीघ्रता) । पीने का (= पीने के योग्य) पानी (योग्यता)—इत्यादि ।

इसी प्रकार 'रूपी' के अर्थ में, योग्य, अधीन, तुल्य, अनुसार, प्रति, साथ, समीप, लिये, मारे, निमित्त, कारण, द्वारा भीतर आदि शब्दों तथा इनके अर्थवाले दूसरे शब्दों तथा कई क्रियाविशेषणों के योग में भी सम्बन्धकारक की विभक्तियां आती हैं । जैसे प्रेमका (=प्रेमरूपी) बन्धन । धर्म की (- धर्म रूपी) नौका । आपके योग्य । तुम्हारे अधीन । चन्द्र के तुल्य (सदृश या समान) मुख । नियम के अनुसार । राम लक्ष्मण के प्रति बोले । उसके साथ (या संग) जाओ । मेरे समीप बैठो । मेरे लिये क्या लाए ? , भूख के मारे जान निकल रही है । ये

पुस्तकें आपके निमित्त लाया हूँ। तुम्हारे कारण मुझे भी ठहरना पड़ा। आपके द्वारा। घर के भीतर। बदमाश कहीं का। वह कहां का भलामानस है। वह कहां का कहां चला गया। मैं आज तक कहीं का कहीं पहुँच गया होता। नन्ही तुम्हें कब की पुकार रही है। मैं कब का खड़ा हूँ—इत्यादि। ❀

(ङ) अधिकारणकारक की विभक्तियाँ 'में' और 'पर' हैं। (में) प्रायः 'बीच' 'अन्दर' या 'भीतर' के अर्थ में आता है और 'पर' प्रायः 'ऊपर' के अर्थ में।

आधार में, निर्धारण भेद भीतर, कारण मूल्य, अवस्था और द्वारा आदि के अर्थ में 'में' विभक्ति आती है। जैसे—वर्तन में घी (आधार)। पत्तियों में कौआ चालाक है (निर्धारण)।

❀ 'कब' और 'कहां' के आगे 'से' भी लगता है। जैसे—कब से खड़ा हूँ। वह कहां से कहां चला गया। कभी २ 'में' तथा 'पर' के बाद भी सम्बन्धकारक की विभक्तियाँ लगती हैं। जैसे—आले में का सेब। सिर पर का बोझ—इत्यादि। लक्षण में 'से' भी लगता है। जैसे—शरीर से हलका, जवान से मीठा—इत्यादि।

कभी २ सम्बन्धी शब्द लुप्त भी रहता है। जैसे—“मन की (इच्छा) मन ही माँहि रही”। वह तो किसी की (बात) नहीं सुनता। कल रात की गाड़ी से चलने की (सल्लह) ठहरी—इत्यादि।

स्वस्वामिभाव (मेरी घड़ी), सेव्यसेवकभाव (विष्णु का भक्त। राजा का सेवक), अज्ञाज्ञिभाव (बच्चे का हाथ। पलंग का पाया), जन्यजनकभाव (मोहन का लड़का), कर्तृकर्मभाव (विहारी की सतसई, तुलसीदास की रामायण), कार्यकारणभाव (सोने का कंठा)—आदि अनेक प्रकार के सम्बन्ध हैं। इसलिये सम्बन्धकारक का विषय बड़ा विस्तारण है।

वह मुझ में और तुझ में भेद (या फ़ूट) डालना चाहता है। शिव और विष्णु में भेद नहीं। घरमें (= घर के भीतर) चलो। काम वह करो जिसमें (= जिसके कारण) हानि न हो। यह किताब कितने में ली? दो रुपये में (मूल्य)। वह इन दिनों बड़े झंझट में है (अवस्था)। 'सुख में सब आयु गुज़ार सकें' (अवस्था)। योगी ईश्वर के ध्यान में लीन रहते हैं (अवस्था)। एक ही गोली में (= गोली द्वारा) शेर का काम तमाम कर दिया—इत्यादि)

आधार में, ऊपर, अनुसार, सातत्य, दूरी, अनन्तर आदि के अर्थ में 'पर' विभक्ति आती है जैसे— अटारी पर कबूतर है (आधार)। मेज पर डिबिया है (आधार)। मीनार पर (मीनार के ऊपर) चढ़ो। नियम पर (= नियम के अनुसार) रहो। तीर पर तीर छोड़ने लगा (सातत्य)। पत्र पर पत्र आने लगे (सातत्य)। हमारा गांव यहां से सात-आठ कोस पर है दूरी। उसके ऐसा कहने पर (= कहने के अनन्तर) बुढ़िया बोली—इत्यादि।

पैर में जूता, हाथ में कड़ा, गले में माला, कमर में करधनी—इत्यादि प्रयोगों में अधिकरणकारक की विभक्ति विरुद्ध अर्थ में है। क्योंकि जूते में पैर होता है, कड़े में हाथ, माला में गला और करधनी में कमर होती है, न कि पैर में जूता, हाथ में कड़ा इत्यादि। इसी लिये इन प्रयोगों में 'में' का अर्थ ऊपर, नीचे, इर्दगिर्द या इसी प्रकार का कुछ है (पैर में जूता = पर के ऊपर नीचे इर्दगिर्द जूता। हाथ में कड़ा = हाथ के इर्दगिर्द कड़ा इत्यादि)।

कहीं २ अधिकरण विभक्तियों पर (या में) का लोप भी हो जाता है। जैसे पाँव पड़ कर मनाओ। इस जगह मत

रहो। किसी दूसरे समय आना। यह दौलत किस काम आएगी। चार आने सेर चावल। सारा सामान एक ही बार उठा लेगया। 'प्यारे दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान'—इत्यादि ॥

अभ्यास

कौन २ विभिन्न किस २ अर्थ में आती है—यह उदाहरण देकर बताओ। पांच वाक्य ऐसे बनाओ जिनमें कर्म, करण और अधिकरण की विभक्तियां लुप्त हों। नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो—किधर पर आना हुआ। उसने खूब सोया। श्यामा की भाई चतुर है। चार दिन को मैं घर पर बाहर नहीं निकला। आप से धन्यवाद। धोबी की गधा। ये राजा को सिपाही है। पांच वाक्य ऐसे कहो जिनमें सम्बन्धी शब्द लुप्त हो। क्रियाविशेषणों में कौन २ सी विभक्तियां लगती हैं? उदाहरण भी दो।

॥ एक ही शब्द में भिन्न २ विभक्तियों (कारक चिन्हों) के लगने से अर्थ में बहुत अन्तर हो जाता है। जैसे—

हमारे मकान नहीं हैं = हमारा फोई जदी मकान नहीं है।

हमारा मकान नहीं है = किसी दूसरे का मकान है।

यह घड़ी **कितने को** लाये = इसका निश्चित मूल्य कितना है?

यह घड़ी **कितने की** (या **कितने में**) लाये = इसके मूल्य—की सीमा क्या है?

चार दिन पर आये = चार दिन के बाद आये।

चार **दिन में** आये = चार दिन के भीतर आये।

लंका **भारत से** दक्षिण है = भारत के बाहर है।

कुमारी अन्तरीप **भारत के** दक्षिण है = भारत के अन्तर्गत है—इत्यादि।

अठारहवाँ अध्याय



पदपरिचय

वाक्य में प्रयुक्त पदों के व्याकरणशास्त्र के अनुसार प्रकार आदि तथा उनके परस्पर सम्बन्ध बताने की प्रक्रिया को 'पदपरिचय' कहते हैं। इसको 'शब्दनिरुक्ति' या 'शब्दबोध' भी कहते हैं।

संज्ञा आदि शब्द भेदों के पदपरिचय में जिन २ बातों का वर्णन होना चाहिये वे ये हैं—

संज्ञा—प्रकार, लिङ्ग, वचन, कारक और दूसरे शब्दों के साथ सम्बन्ध।

सर्वनाम—प्रकार, जिसके स्थान सर्वनाम प्रयुक्त हुआ हो वह संज्ञा, पुरुष, लिङ्ग, वचन, कारक, और शब्दों के साथ सम्बन्ध।

विशेषण—प्रकार, विशेष्य, लिङ्ग और वचन।

क्रिया—क्रिया, क्रिया का भेद, वाच्य, काल, पुरुष, लिङ्ग, वचन, कर्ता और क्रिया सकर्मक हो तो कर्म।

क्रियाविशेषण—प्रकार तथा क्रिया जिसका वह विशेषण है।

सम्बन्धबोधक—प्रकार तथा सम्बन्धी शब्द।

योजक—प्रकार तथा वे शब्द, वाक्यांश, वाक्यखण्ड या वाक्य जो योजक द्वारा जोड़े जाते हैं।

द्योतक—प्रकार ।

उदाहरणः—

(१) अहा ! आप कब आये ?

अहा—द्योतक अव्यय. हर्षद्योतक ।

आप—पुरुषवाचक सर्वनाम, आदरवाचक, मध्यमपुरुष, बहुवचन, पुलिङ्ग, कर्ताकारक 'आये' क्रिया का ।

कब—क्रियाविशेषण, कालवाचक, 'आये' क्रिया का विशेषण ।

आये—आना क्रिया, अकर्मक, कर्तृवाच्य, सामान्य भूत-काल, मध्यमपुरुष, पुलिङ्ग, बहुवचन, इसका कर्ता आप ।

(२) ठिगना सिपाही रात को नगर के भीतर घुसा और एक गली में होकर जाने लगा ।

ठिगना—विशेषण गुणवाचक, इसका विशेष्य सिपाही, पुलिङ्ग, एकवचन ।

सिपाही—संज्ञा, जातिवाचक, पुलिङ्ग, एकवचन, कर्ताकारक, 'घुसा' क्रिया का कर्ता ।

रात को—संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिङ्ग, एकवचन, अधिकरण के अर्थ में कर्मकारक ।

नगर के—संज्ञा, जातिवाचक, पुलिङ्ग एकवचन, संबन्धकारक ।

भीतर—सम्बन्धबोधक अव्यय, स्थानवाचक, सम्बन्धी शब्द नगर ।

घुसा— घुसना क्रिया, अकर्मक, कर्तृवाच्य, सामान्य भूतकाल, अन्यपुरुष, पुलिङ्ग, एकवचन, कर्ता सिपाही ।

और— योजक अव्यय, संयोजक, 'ठिगना...घुस' और जाने लगा,— इन दो वाक्यों को मिलाता है ।

एक— सर्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक, विशेष्य गली, स्त्रीलिङ्ग, एकवचन ।

गली में— संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिङ्ग, एकवचन, अधिकरणकारक ।

होकर— अकर्मक, कर्तृवाच्य, होना क्रिया का पूर्वकालिक रूप (क्रियाविशेषण के समान प्रयुक्त हुआ है) ।

जाने लगा— जानेलगना संयुक्त क्रिया, अकर्मक, कर्तृवाच्य, सामान्यभूतकाल, अन्यपुरुष, पुलिङ्ग, एकवचन, कर्ता सिपाही ।

(३) मुझे सन् १९२६ ई० तक साहूकार का सारा ऋण चुका देना है ।

मुझे— सर्वनाम, पुरुषवाचक, कहनेवाले की संज्ञा के बदले प्रयुक्त हुआ है, उत्तमपुरुष, उभयलिङ्ग, एकवचन, कर्ता के अर्थ में सम्प्रदानकारक, 'चुका देना है' क्रिया से सम्बन्ध ।

सन् — संज्ञा, जातिवाचक, पुलिङ्ग, एकवचन, अधिकरण कारक ।

१९२६— विशेषण संख्यावाचक, विशेष्य सन्, पुलिङ्ग एकवचन ।

ई० (ईसवी)—विशेषण, गुणवाचक, विशेष्य सन्, पुलिङ्ग
एकवचन ।

चुका देना है—आवश्यकताबोधक संयुक्त क्रिया. सकर्मक,
कर्तृवाच्य, सामान्यवर्तमानकाल, अन्य-
पुरुष, पुलिङ्ग. कर्ता, 'मुझे' (कर्मणिप्रयोग) ॥

शेष (साहकार आदि) का पदपरिचय स्पष्ट है ।

(४) मोहन पैसा कमानेवाला है ।

मोहन — संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुलिङ्ग, एकवचन, कर्ताकारक,
'है' क्रिया का कर्ता ।

पैसा—संज्ञा, जातिवाचक, पुलिङ्ग, एकवचन, कर्मकारक
'कमानेवाला' कृदन्त (संज्ञा या विशेषण) का कर्म ।

कमानेवाला—(१) सकर्मक, कर्तृवाच्य, कृदन्तसंज्ञा,
जातिवाचक, पुलिङ्ग, एकवचन, कर्ताकारक,
'मोहन' का समानाधिकरण, 'है' क्रिया का 'पूरक' ।

(२) (कमानेवाला है = कमाएगा-इस अर्थ में) कमानेवाला-
भविष्यत्कालवाचक, सकर्मक, कृदन्त विशेषण (विधेय-
विशेषण), विशेष्य 'मोहन', पुलिङ्ग एकवचन ।

है—होना क्रिया, अकर्मक कर्तृवाच्य, सामान्यवर्तमानकाल,
एकवचन, कर्ता 'मोहन' ।

इसी प्रकार और वाक्यों के पदों का 'पद-परिचय' भी
विचारपूर्वक समझ लेना चाहिये ॥

* हिन्दी-व्याकरण *

वाक्याधिकरण ।

पहला अध्याय ।

वाक्यरचना ।

वाक्य विचारों के प्रतिनिधि हैं। वाक्य के पदों का परस्पर ठीक २ सम्बन्ध जान लेने से ही वाक्य का अर्थ समझ में आसकता है। इसके लिये वाक्य के शब्दों का एक दूसरे से अन्वय या मेल, क्रम और प्रयोग इनका जानना आवश्यक है। इसलिये वाक्यरचना में इन तीनों बातों का विचार किया जाता है।

(१) मेल

वाक्य के पदों का एक दूसरे से लिङ्ग, वचन, पुरुष, काल आदि के अनुसार सम्बन्ध रहता है उसे 'अन्वय या मेल, कहते हैं। हिन्दी में क्रिया का कर्ता या कर्म के साथ, सर्वनाम का संज्ञा के साथ, सम्बन्ध (कारक) का सम्बन्धी के साथ और विशेषण का विशेष्य के साथ मेल

होता है। मेलसम्बन्धी कई नियम प्रसङ्गवश पहले लिङ्ग, क्रिया आदि प्रकरणों में कह भी दिये गये हैं।

क्रिया और कर्ता का मेल

(क) कर्ता विभक्तिरहित हो तो क्रिया उसके अनुसार होती है। जैसे—मैं हँसता हूँ। तू हँसता है। महेश पढ़ता था। सीता सी रही थी। तुम आओगे—इत्यादि।

(ख) एक से अधिक एकवचन के कर्ता हों तो उन (बहुत कर्ताओं) के विचार से क्रिया बहुवचन में आती है। जैसे—सुरेश और महेश पढ़ रहे थे—इत्यादि।

(ग) यदि विभक्तिरहित अनेक कर्ताओं के अनन्तर समुदायवाचक शब्द आए तो क्रिया उसी के अनुसार आती है परन्तु यदि विभक्तिरहित अनेक कर्ता बहुत्व के अर्थ में आए तो क्रिया एकवचन में आती है चाहे कर्ताओं के अनन्तर समुदायवाचक शब्द रहे या न रहे। जैसे—आज इस घर के बाल, युवा, वृद्ध सब प्रसन्नमुख हैं। बालक, वृद्ध, युवा, नर नारी, गृहस्थी, सन्यासी, भीड़ की भीड़ देशी के दर्शन को चली जा रही हैं—इत्यादि। इस टूंक में पांच कमीजें, दो कोट और चार पाजामे हैं। राज्य, धन और देह भी धर्म पर न्योछावर कर दिया। धनदौलत, घरद्वार सब स्याहा होगये। रूप और रंग अच्छा है—इत्यादि।*

(घ) आदर प्रकाशित करने के लिये विभक्तिरहित एकवचन कर्ता की भी क्रिया बहुवचन में आती है। जैसे—गुरु जी आए हैं। वह आते हैं। महाराज आते हैं—इत्यादि।

* परन्तु प्राणधारी कर्ताओं में “राम और लक्ष्मण आते हैं”—इस प्रकार क्रिया बहुवचन में ही आती है।

(ङ) यदि अनेक विभक्तिरहित कर्ता न-न वा, अथवा या चाहे आदि योजकों से मिलाए गये हों तो क्रिया एकवचन ही रहती है। जैसे—न महेश पढ़ता है न रमेश। आज तुम्हारा बैल या मेरी भेड़ें जंगल में पकड़ी जाएंगी—इत्यादि।

(च) एक क्रिया के अनेक असमानलिङ्गी (भिन्न २ लिङ्ग वाले कर्ता बहुवचन में हों तो क्रिया अन्तिम कर्ता के अनुसार होती है और एकवचन में हों तो क्रिया पुलिङ्ग बहुवचन में आती है। जैसे—एक लड़का, दो बूढ़े और दो स्त्रियां खेत से आरही हैं। एक लड़का दो स्त्रियां और दो बूढ़े खेत से आरहे हैं—इत्यादि। इनके राज में बाघ और बकरी एक घाट णनी पीते हैं। हमारे पड़ोस में एक हलवाई और एक तंबोलिन रहते हैं—इत्यादि।*

(छ) उत्तम, मध्यम और अन्यपुरुष जब एक क्रिया के कर्ता होकर आते हैं तब क्रिया पहले २ के अनुसार आती है (अर्थात्—तीनों पुरुषों के मेल में क्रिया उत्तमपुरुष के अनुसार आती है मध्यम और अन्य पुरुष के मेल में मध्यमपुरुष के अनुसार एवं उत्तम और मध्यमपुरुष के मेल में उत्तमपुरुष के अनुसार) जैसे श्याम तुम और हम चलेंगे। तुम और मोहन जाओ। हम तुम साथ साथ चलेंगे—इत्यादि।

(ज) दो या अधिक क्रियाओं का जब एक कर्ता होता है तब वह (कर्ता) एक ही बार आता है और यदि उन क्रियाओं के

असमानलिङ्गी अनेक विभक्तिरहित कर्ताओं के अनन्तर यदि कोई समुदाय-वाचक शब्द हो तो क्रिया पुलिङ्ग बहुवचन में आती है (और समष्टि के विचार से कभी २ क्रिया एकवचन में भी आती है)। जैसे—नरनारी सब प्रसन्न दिखाई देते हैं। (घास लकड़ी आटा दाल सब छीन लिया)—इत्यादि।

उत्तर खण्ड (सहायक क्रिया 'होना' के रूप) समान न हों तो वे प्रायः अन्तिम क्रिया में ही रखे जाते हैं, सब क्रियाओं में नहीं। जैसे—वहां हम खूब खाते पीते धूमते फिरते थे। सोहन गाता बजाता और नाचता भी है। मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, वहां स्थिर मनसे पढ़ता है और यथासमय घर लौटे आता है—इत्यादि।

क्रिया और कर्म का मेल

'कर्मणिप्रयोग' में आने वाली क्रिया कर्म के अनुसार रहती हैं, परन्तु 'भावेप्रयोग' में आनेवाली क्रिया सदा पुलिङ्ग एकवचन, अन्यपुरुष में रहती है। जैसे—मैंने पानी पीया। मुझसे ज्यादा पानी पिया गया। मैंने लड़के को सोया पाया। हमसे चला नहीं जाता—इत्यादि। ❀

संज्ञा और सर्वनाम का मेल

सर्वनाम के लिङ्ग वचन वही होते हैं जो संज्ञा जिसके बदले सर्वनाम आता है। जैसे—जिस बुढ़िया को आपने कल पैसे दिये थे वह आज फिर आई है। श्यामा कहती है कि मैं आज रामायण पढ़ूंगी। सुरेश आज नहीं आएगा, वह कहीं गया है—इत्यादि। †

❀ यदि कर्म न हो या विवक्षित न हो आर कर्ता विभक्तिसहित हो तो क्रिया सदा पुलिङ्ग, एकवचन, अन्यपुरुष में रहती है। जैसे—मुझसे सोया नहीं जाता। मुझसे खाया नहीं जाता है। मैंने सुना है। उसने देखा था—इत्यादि।

† जब स्त्री भी पति, परिवार या स्त्रीपुरुषों के समुदाय की ओर से कुछ कहता है तब वह अपने लिये पुलिङ्ग बहुवचन क्रिया का प्रयोग करती

सम्बन्ध और सम्बन्धी का मेल

(क) सम्बन्ध (कारक) की विभक्ति (चिन्ह) में वही लिङ्ग और वचन होते हैं जो सम्बन्धी के होते हैं। जैसे—विष्णु का मन्दिर। रथ के पहिये। मोहन की पुस्तक। राजा की सेनाएँ मेरा घर। मेरे नौकर। मेरी पुस्तकें।

(ख) जब सम्बन्धी के आगे कोई विभक्ति हो तो एकवचन में भी ('का' 'रा' के स्थान में) 'के' 'रे' ही आता है (अर्थात् आकारान्त विशेषण के रूपान्तर होने में जो नियम लगते हैं उन्हीं के अनुसार सम्बन्ध के चिन्ह 'का' 'रा' का भी रूपा-

है। जैसे—रमा ने मनोरमा से कहा कि बहिन, तुम लोग धनी हो, रुपये सेर भी बिकने लगे तो परवाह नहीं, परन्तु हम गरीब क्या करेंगे—इत्यादि। परन्तु जब स्त्री केवल स्त्रियों की ओर से कहती है तब क्रिया स्त्रीलिंग में ही आती है। जैसे—जया ने कहा—“हम स्त्रियाँ है तो क्या। हममें भी शक्ति है। हम किसी से क्यों डरने लगीं” इत्यादि।

एक ही संज्ञा के बदले तू और तुम, मैं और हम, आप और तुम अथवा श्रीमान् या महाराज और आप का प्रयोग नहीं होना चाहिये। किन्तु एक प्रसङ्ग में तू, तुम, मैं, हम, आप या तुम आदि में से जिस शब्द का पहले प्रयोग किया है, उसी का प्रयोग बाद भी करना चाहिये। जैसे—गुरुजी ने कहा कि यदि तूने फिर शरारत कि तो मैं तुझे दण्ड दूंगा और तेरे पिता को भी लिख दूंगा कि मनोहर मेरी आज्ञा को पालन नहीं करता। यह वाक्य आगे लिखे प्रकार से नहीं होना चाहिये—गुरुजी ने कहा कि यदि तूने शरारत की तो मैं तुम्हें दण्ड दूंगा और तुम्हारे पिता को लिख दूंगा कि मनोहर हमारी आज्ञा का पालन नहीं करता।

न्तर होता है)। जैसे—रमेश के नौकर को बुलाओ, मेरे भाई का घोड़ा इत्यादि।

(ग) जब अनेक सम्बन्धी होते हैं तब सम्बन्धी का चिन्ह पहले सम्बन्धी के अनुसार होता है। जैसे-उसका लड़का और लड़की पढ़ते हैं। उसकी चारपाई और बिस्तरा उटाला—इत्यादि।

विशेष्य और विशेषण का मेल

(क) विशेषण के लिङ्ग वचन विशेष्य के अनुसार होते हैं। जैसे—काला घोड़ा। पीले कपड़े। हरी साड़ी। बड़ी पुस्तकें ❀

(ख) एक विशेषण के कई विशेष्य हों तो विशेषण के लिङ्ग वचन उसी विशेष्य के अनुसार होते हैं जो समीप हो। जैसे—नये कोट और कमीज़ें। नई धोतियां और पाजामे—इत्यादि। ❀

(२) क्रम

वाक्य में शब्द उनके अर्थ और सम्बन्ध के अनुसार यथास्थान रखे जाएं तभी विवक्षित वाक्यार्थ का ठीक र बोध होता है। इसी (शब्दों के यथास्थान रखने) को क्रम कहते हैं।

(क) साधारणतः वाक्य में पहले कर्ता, अनन्तर (यदि हो तो) कर्म अथवा पूरक और अन्त में क्रिया रक्खी जाती है। जैसे लड़का हँसता है। मनोरमा रामायण पढ़ रही है।

❀ परन्तु विभक्तिरहित स्त्रीलिंग कर्म का विभेयविशेषण विकल्प से एकवचन पुलिग भी होता है। जैसे—दीवार को किसने काली किया—अथवा—दीवार को किस ने काला किया—इत्यादि।

दुर्गादास सेनापति बनाया गया । उसने मुझे एक चाल बताई । जहां दो कर्म हों वहां गौणकर्म पहले और प्रधानकर्म पीछे रखा जाता है । इनके अतिरिक्त दूसरे कारकों में आने वाले शब्द उन शब्दों से पहले रखे जाते हैं जिनसे उनका सम्बन्ध होता है । जैसे मेरे भाई की घड़ी कुछ ही दिनों में बिगड़ गई—इत्यादि । ❀

(ख) सम्बन्धन प्रायः वाक्य के आदि में आता है, परन्तु कभी २ (बल देने के लिये) अन्त में भी रखा जाता है । जैसे—बेटा ! इधर आओ । उठो भाई ! कहो मित्र ! क्या समाचार है—इत्यादि ।

(ग) सम्बन्धी के पहले सम्बन्ध विशेष्य के पहले विशेषण और क्रिया के पहले क्रियाविशेषण रखा जाता है । जैसे— राजा का घोड़ा । काला घोड़ा । धीरे चलो । परन्तु विधेयविशेषण और उपनाम आदि सूचकविशेषण या उपाधि समानाधिकरण शब्द विशेष्य के बाद आते हैं । जैसे—आपका मकान सुन्दर है । देवराज तिवारी घर ही है । चेता चमार और नन्दा नाई भी भक्तों की श्रेणी में हैं । पदवीसूचक विशेषण विशेष्य के पहले ही आते हैं । सर आशुतोष । महामहोपाध्याय पं०

❀ करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण जब एक वाक्य में कर्ता और कर्म के बीच में आते हैं तब प्रायः पहले अधिकरण, अनन्तर अपादान, संप्रदान तथा करण आते हैं और अनेक अधिकरण आएँ तो पहले कालवाची अधिकरण रखा जाता है । जैसे—सीता वन में कुटिया से रावण के लिये अपने हाथों (से) कन्दमूलफल लाई । वसन्त में वन उपवन (में) सर्वत्र फूलों की बाहर होती है । ये डाकू दिन में जंगलों में छिप रहते हैं—इत्यादि ।

शिवदत्त जी-इत्यादि । ❀

(घ) प्रश्नवाचक शब्द जिसके विषय में प्रधानतः प्रश्न किया जाता है उसी केपह ले रखे जाने हैं, अन्यथा अर्थ, और का और होजाता है । जैसे वह कौन आदमी है ? वह आदमी कौन है ? क्या मोहन गाता है ? मोहन क्या गाता है ? इनमें प्रश्नवाचक 'कौन' 'क्या' शब्दों के भिन्न २ स्थान में आने से अर्थ में भेद होगया है । †

(ङ) सम्बोधक अव्यय जिम् संज्ञा या सर्वनाम से सम्बन्ध रखते हैं उसी के बाद आते हैं । जैसे—नियम के अनुसार । घर के आगे । अलमारी के पीछे-इत्यादि । ‡

❀ विभक्ति विशेष्य या मुख्य शब्द में न लगकर उपाधिसूचक विशेषण या समानाधिकरण शब्द में लगती है । जैसे—देवराज तिवारी का घर । चेता चमार की भक्ति-इत्यादि । अवधारण के लिये सम्बन्ध और सम्बन्धी के बीच क्रियाविशेषण आसकते हैं और सम्बन्धी क्रिया का सामान्य रूप हो तो उसके और सम्बन्ध के बीच में कर्म आदि भी आसकते हैं । जैसे—आपका घर को जाना-गांव से आना-घर में रहना ।

† प्रश्नवाचक सर्वनाम और क्रियाविशेषण कभी २ (बल देने के लिये) मुख्यक्रिया और सहायक क्रिया के बीच में आते हैं । जैसे—वह मानता कब था ? इतनी बारिश में हम आ कैसे सकते थे ? अरे वह होता कौन है ? अजी वह सुनता किसकी है ?—इत्यादि । जब पूरा वाक्य ही प्रश्न हो तब प्रश्नवाचक वाक्य के आरम्भ आता है जैसे—क्या आप घर जाएंगे ?—इत्यादि ।

‡ समेत, बिना, सिवा, मारे आदि सम्बन्धबोधक जिससे सम्बन्ध रखते हैं उसके पहले भी आते हैं । जैसे—संमत परिवार के । बिना भोजन किये । सिवा आपके । मारे भूख के । परिवार के समेत । भोजन किये बिना—इत्यादि ।

(च) केवल सिर्फ, प्रधानतः आदि शब्द उन्हीं के पहले और ही, भी, तो, तक मात्र आदि शब्द उन्हीं के पीछे आते हैं जिनकी विशेषता या जिनके विषय में अवधारण जताते हैं। इनका स्थानान्तर में प्रयोग होने से वाक्य के अर्थ में उलटफेर होजाता है जैसे-केवल रामदास रामायण पढ़ा सकता है (और कोई नहीं)। रामदास केवल रामायण पढ़ा सकता है (और कोई पुस्तक नहीं)। रामदास रामायण केवल पढ़ा सकता है (उसके विषय में और कुछ आलोचना आदि नहीं कर सकता)। हम ही घर जाने हैं (और कोई नहीं)। हम घर ही जाते हैं (और कहीं नहीं)। हम घर जाते ही हैं (अवश्य जाते हैं)। इसी प्रकार-तुम भी घर चलोगे। तुम घर भी चलोगे। तुम घर चलोगे भी। हम तो घर को जाते हैं। हम घर को जाते तो हैं। मैं घर तक नहीं जाता। मैं घर जाता तक नहीं। हमारे अधिकार में मकानमात्र रहा है। हमारे अधिकार में मकान रहा मात्र है—इत्यादि।

(छ) जब, तब, जहां-तहां आदि सम्बन्धवाचक क्रियाविशेषणबहुधा वाक्य के आरम्भ में आते हैं। जब वह आजाए तब तुम चले जाना। जहां चाह वहां रह इत्यादि।

(ज) पूर्वकालिकक्रिया मुख्यक्रिया से पहले आती है। और इनके कर्म आदि यथाक्रम इन्हीं के पहले आते हैं। जैसे—मोहन रोटी खाकर स्कूल को गया-इत्यादि।

(झ) योजक अव्यय जिन शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उनके बीच में आते हैं। जैसे-उमश और रमेश सगे भाई हैं। परिश्रम से पढ़ो ताकि परीक्षा में सफल हो जाओ—इत्यादि।

(ज) द्योतक अव्यय प्रायः वाक्य के आरम्भ में आते हैं । जैसे—वाह खूब ! किया ! यह लो ! राम भैया आगये । यह क्या करते हो छिः छिः ! इत्यादि ।

(ठ) निषेधार्थक अव्ययों में से 'नहीं' और 'मत' क्रिया के पहले या पीछे आते हैं । और 'न, बहुधा क्रिया के पहले आता है । जैसे—वह नहीं मानेगा । शराब मत पियो । मैंने तो उसे देखा नहीं । मुझे जगाना मत ॥ वह न गया ॥ मैंने पानी तक न पिया ॥ *

* ऊपर क्रम के नियमों का दिग्दर्शनमात्र कराया गया है । परन्तु वाक्य के जिस भाग या पद पर अवधारण हो या जिसकी प्रधानता दिखानी हो उसे पहले रखा जाता है और ऐसा करने से वाक्य के दूसरे अंशों का भी क्रम बदल जाता है । जैसे :—

कर्ता से पहले क्रिया—**जाना था** मैंने और **गया** वह—इत्यादि ।

कर्ता से पहले पूर्वकालिक—विद्वानों की संगति में **रहकर** मूर्ख भी विद्ववान् हो जाते हैं—इत्यादि (ऐसे स्थानों में पूर्वकालिक क्रिया कारण के अर्थ में आती है । जैसे—विद्वानों की संगति में रहकर (= रहने के कारण)।

कर्म से पहले क्रिया—मैंने **बुलाया** एक को और **आए** दस—इत्यादि ।

कर्ता से पहले कर्म—**मोहन को** मैं नहीं पहचानता—इत्यादि ।

कर्ता से पहला करण—**छुरी से** उमने टहनी काटी ।

कर्ता से पहले संप्रदान—**आपके लिये** मैं सब कुछ कर सकता हूँ ।

कर्म से पहले संप्रदान—**तुम वच्चों को** ये फल देना ।

कर्ता से पहले आपादान—**घर से** ललुआ भागा तो सही, पर उसकी माता ने देख कर उसे पकड़ लिया ।

(३) प्रयोग

वाक्यगत पद दूसरे पद के योग में भिन्न २ कारकों में या भिन्न २ रूपों में रखे जाते हैं—साधारण बोलचाल के ढंग पर रखे जाते हैं जिसे 'रोजमर्रा' कहते हैं और 'वाग्धरा' (मुहावरे) के अनुसार रखे जाते हैं । इसी को प्रयोग कहते हैं । जैसे—

दूर भिन्न आदि शब्दों के योग में इनसे सम्बन्ध रखने वाले शब्द अपादान कारक में रखे जाते और तुल्य आदि शब्दों के योग में इनके सम्बन्धी शब्द सम्बन्धकारक में रखे

सम्बन्ध से पहले सम्बन्धी—ये पुस्तकें मेरी है ॥ अपराध किसी का और कोई दण्ड पाता है ॥

कर्ता से पहले अधिकरण—मुंडेर पर कवूतर है ॥ तुझमें शक्ति कहां ! कर्ता से पहले क्रियाविशेषण—अभी वह यहां था , अब कौन जाए ! कर्म से पहले क्रियाविशेषण—वह भली भांति रामायण पढ़ सकती है । विशेष्य से विधेयविशेषण—चालाक तो वह है ही ।

इसी प्रकार प्रयोग के अनुसार अन्य परिवर्त भी जानने चाहियें । कविता में आवश्यकतानुसार प्रायः सभी पदों का स्थानपरिवर्तन किया जाता है ॥ जैसे—

“आज करते हैं विजय की कामना सब वीरवर”

“बात अपनी ही सुनाता सभी,

पर छिपाये भेद छिपता है कहीं ।

जब किसी का दिल पसीजगा कभी,

आंसू से आंसू कड़ेगा क्यों नहीं ॥” इत्यादि ॥

जाते हैं—इत्यादि । जैसे—घर से दूर । मुझसे भिन्न । चांद के तुल्य मुख—इत्यादि ।

रोज़मर्रा

जिनकी जो मातृभाषा है उसमें वे अपनी रोज़ की बोलचाल में जिस रीति से पदों का प्रयोग (या वाक्य-रचना) करते हैं उसे 'रोज़मर्रा' कहते हैं ।

बोलने और लिखने में रोज़मर्रा का ध्यान रखना श्रौक्ष अनुसरण करना अत्यावश्यक है । जैसे—सात आठ दिन में आएंगे । आठ दस दिन में पढ़ाई समाप्त होगी—इत्यादि में 'सात आठ' 'आठ दस' का प्रयोग रोज़मर्रा के अनुसार है । परन्तु इसी ढंग पर 'छ आठ' या 'सात दस' का प्रयोग रोज़मर्रा के विरुद्ध होने से नहीं किया जा सकता ।

मुहावरा

जो वाक्य या वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को न जताकर किसी और ही विलक्षण अर्थ को प्रकाशित करता है वह 'वाग्धारा या मुहावरा' कहता है । जैसे—उसने भंडा फोड़ दिया' = भेद प्रकट कर दिया । यह सुनते ही वह 'लाल पीला होगया' = गुस्से में आगया—इत्यादि ।

मुहावरे का प्रयोग भी सावधानी से करना चाहिये । जैसे—बुद्धि में बृहस्पति का कान काटता है । आप भी उपमा की टांग तोड़ने लगे ।—इनको - बुद्धि में 'बृहस्पति की टांग तोड़ता है' । आप उपमा का 'कान काटने लगे'—इस प्रकार नहीं लिख सकते ।

रोजमरं और मुहावरे के प्रयोग के नियम नहीं बन सकते । अच्छे बोलने वालों की बातचीत को ध्यान से सुनने और और अच्छे लेखकों के लेखों को बार २ ध्यान देकर पढ़ने से इनका ज्ञान हो सकता है । लिखने और बोलने में रोजमरं की पावन्दी आवश्यक है क्योंकि इससे लालित्य आजाता है । परन्तु मुहावरे का बांधना उतना आवश्यक नहीं क्योंकि मुहावरे के बिना भी वाक्य-रचना में श्रोज लाया जासकता है । हां रोजमरं के साथ मुहावरे का भी प्रयोग हो तो सोने और सुगन्ध का योग होजाता है ।

नीचे कुछ मुहावरे अर्थसहित लिखे जाते हैं---

अंग छूना = कसम खाना ।

अंगार उगलना = कड़ी और असह्य बातें कहना ।

अंगार सिर पर धरना = किसी कार्य के लिये भारी कष्ट उठाना ।

अंगूठा दिखाना = कोई चीज़ देने या काम करने से मुकर जाना ।

अंत पाना = रहस्य (भेद) जानना ।

अंत बनाना = परलोक सुधारना ।

अंधाधुंध मच(चा)ना = गड़बड़ या वद इन्तजामी फल (ला) ना ।

अक्ल के घोड़े दौड़ाना = तरह तरह की कल्पनाएँ करना ।

अगर मगर करना = हुलजत करना या टालमटोल करना ।

अड़ियल दूढ़ = हठी, काम करते २ रुक जाने वाला ।

अपना ऊल्ल सीधा करना = अपना मतलब साधना ।

अपना घर समझना = संकोच न करना ।

अपना सा मुंह लेकर रह जाना = कुछ न कर सकना, शर्म से चुप रह जाना ।

अपना राग अलापना = अपने मतलब की बात कहना, अपनी बड़ाई आप करना ।

अवे तवे करना = अनादर से बुलाना या बात करना ।

आँखें चार होना = एक दूसरे को देखना ।

आँख चुराना = छिपना, सामने न होना, टाल जाना ।

आँख मारना = ईशारा करना ।

आँख लगाना = प्रेम करना ।

आँख से गिरना = बेकदर होना ।

आकाश पाताल एक करना = प्रबल उद्योग करना ।

आगे पीछे फिरना = खुशामद करना ।

आपे से बाहर होना = काबू में न रहना ।

उड़ती चिड़िया पहचानना = मन की बात ताड़ जाना ।

उलटे छुरे से मूंडना = दूसरे को बेवकूफ बना कर अपना काम निकालना ।

एड़ी चोटी का पसीना एक करना = अति कठिन परिश्रम करना ।

कट जाना = अत्यन्त लज्जित होना ।

कसौटी पर कसना = अच्छी तरह परखना ।

काली हांडी सिर पर धरना = बदनामी सिर पर लेना ।

खरी खोटी सुनाना = बुरी भली कहना, डाटना ।

गुड़ गोबर कर देना = बात बिगाड़ देना ।

चादर से बाहर पैर फैलाना = आमदनी से ज्यादा खर्च करना ।

चूड़ियां पहनना = औरत बनना, कायर होना ।

छक्के छूटना = घबरा जाना ।

छठी का दूध याद आना = घोर संकट या परिश्रम पड़ना ।

जले पर नमक छिड़कना = दुःखी को अधिक दुःखी करना ।

टका सा जवाब देना=कोरा जवाब देना, भट इन्कार कर देना ।

डकार न लेना=चुप चाप हज़म कर जाना ।

डोंग मारना=अपनी भूटी बड़ाई करना ।

तवे की बूंद होना=देर तक न ठहरना ।

तारे तोड़ लाना=बहुत ही कठिन काम कर दिखाना ।

तिल का ताड़ करना=ज़रा सी बात को बड़ा देना ।

दांत खट्टे करना हराना ।

दांतों तले ऊंगली दवाना=अचरज में आना, या अपने किये पर दुःख प्रकट करना ।

दाई से पेट छिपाना=जो किसी बात को जानता हो उससे उसे छिपाना ।

धता बताना=धोखा देना ।

नाक कटना=इज्जत जाना ।

नाकों चने चबाना=खूब तंग करना । ✓

नाव पार लगा देना=काम पूरा कर देना ।

पगड़ी उतारना=बेइज्जत करना ।

पत्थर की लकीर होना=अमिट होना ।

पहाड़ से टक्कर लेना=बलवान् से बैर करना ।

बगल में मुंह डालना=शर्माना । ✓

बहती नदी में हाथ धोना=अनुकूल समय पाकर कामकर लेना ।

बांह टूटना=सहायक या साथी का मर जाना । ✓

बातों में उड़ाना=हंसी करना, टालना ।

भांजी मारना=रुकावट डालना ।

भिड़ के छुत्ते को छेड़ना=भगड़ालू या क्रोधी आदमी को छेड़ना, क्रोधित करना ।

भेड़ चाल या भेड़िया धसान=देखा देखी काम करना ।

मन खट्टा होना = तबीयत फिर जाना ।

मन भारी करना = उदास होना या शोक करना ।

माथा ठनकना = विपत्ति या भय की आशङ्का होना ।

मिट्टी की मूरत = मूर्ख या सीधा सादा आदमी ।

मीट्टी छुरी होना = मित्र के रूप में शत्रु होना ।

मुँह की खाना = किये का दण्ड पाना या लज्जित होना ।

मुँह पर हवाइयाँ उड़ना = भय या दुःख के कारण चेहरा उतर जाना ।

मुट्टी में करना = कावू में करना ।

मैदान मारना = जीतना ।

रुपये पानी में डालना = निकम्मी चीज़ मोल लेना ।

लहू के घूंट पीकर रह जाना = क्रोध या दुःख को दवाकर रह जाना ।

शेर के कान कतरना = चालाक होना ।

सटपटाते फिरना = घबराए हुए फिरना ।

स्वाहा करना = जला देना, कुछ वाकी न रखना ।

सात घाट का पानी पीना = लोकिक व्यवहार में चतुर होना ।

सिर पर चढ़ना = बेइज्जती करना ।

सिर से पाँव तक आग लगना = अत्यन्त क्रोधित होना ।

सोने की चिड़िया हाथ से निकल जाना = लाभदायक काम का बिगड़ जाना ।

हवा से लड़ना = मामूली बात पर नाराज़ हो जाना ।

हवा पलटना = समय का बदलना ।

हाथ पैर टूटना = शरीर में हल्का दर्द होना ।

हूँ हाँ करना = टालमटोल करना ।

होश संभालना = सयाना होना ।

कहावतें

कहावतें मनुष्य समाज के अनुभव का सार होती हैं। इनमें बहुत सा अर्थ थोड़े से शब्दों में प्रभावोत्पादक ढंग से कहा हुआ होता है, अनुभवसिद्ध बातें गठी और मंजी हुई भाषा में सूत्र रूप में कही हुई होती हैं। पढ़े लिखे और अनपढ़ सभी बोलचाल में कहावतों का प्रयोग करते हैं। साहित्य शास्त्र में लोकोक्ति (कहावत) को अलङ्कार माना गया है। निबन्ध में उचित स्थान पर कहावतों का प्रयोग करने से उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसमें हृदयङ्गमता आजाती है।

उदाहरणार्थ नीचे कुछ कहावतें लिखी जाती हैं—

अएडा सिखावे बच्चे को कि चींची मतकर।

अन्त भले का भला।

अंधी पीसे कुत्ता चाटे।

अंधेर नगरी चोपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा।

अधों ने गांव लूटा, दौड़ियो बे लंगड़े।

सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाय।

अपनी अपनी गरज को अरज करै सब कोय।

अल्पाहारी सदा सुखी।

आई तो रोजी नहीं तो रोज़ा।

आग कहते मुँह नहीं जलता।

आटे का चिराग, घर रक्खूँ तो चूहा खाय। बाहर रक्खूँ तो कौआ ले जाय।

आदमी आदमी अंतर, कोई हीरा कोई कंकर।

आपा तजे सो हरि को भजे।

उतावला सो बावला।

उलटी गंगा पहाड़ को चली ।
ऊंट घोड़े बहे जाएं गदहा कहे कितना पानी ।
एक अकेला दो का मेला ।
एकादशी के घर शिवरात ।
ऐसे मियां रंगरेज होते तो अपनी ही दाढ़ी न रंग लेते ।
ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती ।
कमली ओढ़ने से फकीर नहीं होता ।
कमानी न पहिया गाड़ी जोत मेरे भैया ।
करघा छोड़ जुलाहा जाय नाहक चोट बेचारा खाय ।
खाक डाले चांद नहीं छिपता ।
खाए पान टुकड़े को हैरान ।
गधा पीटे घोड़ा नहीं होता ।
गये ऊन के लेन को आए बाल मुँडाय ।
घोड़ा घास से यारी करे तो खाय क्या ?
चलै न पावै कूदन नाम ।
चाकर से कूकर भला जो सोवे अपनी नींद ।
जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ ।
जस दुलहा तस बनी बराता ।
भूटे की क्या दोस्ती लंगड़े का क्या साथ । ✓
टुकड़े देवे बछड़ा पाला. सींग लगे तब मारन चाला ।
ठोकर लगी पहाड़ की तोड़े घर की सिल ।
तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी धार ।
थोथा चना बाजे घना ।
दूध का जला छु छु को फूँक र कर पीता है ।
धोबी के घर पड़े चोर वह न लुटा लुटे और ।
नदी किनारे रूखड़ा जब तब होत विनास ।

पत्थर डारे कीच में उछलि विगारे अंग ।
बिल्ली के भाग से छीका टूटा ।
भूखो सिंह न तिनका खाव ।
भेड़ जहाँ जायगी वहीं मुँडेगी ।
मनके लड्डुओं से भूख नहीं मिटती । ✓
राजा का दान प्रजा का स्नान एक बराबर है । ✓
राजा जोगी अगन जल उलटी इनकी रीत ।
लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में डेलमडेला ।
वशीवट सों वट नहीं कृष्ण नाम सों नाम ।
शौकीन बूढ़िया चटाई का लहँगा ।
संगत से फल होत है संगत से फल जाय ।
हाथ सुमिरनी बगल कतरनी ।
होनहार बिरघान के होत चीकने पात ।

अभ्यास

वाक्य रचना में किन २ बातों का विचार किया जाता है ?
कर्ता क्रिया और विशेष्य विशेषण के मेल के क्या नियम हैं ?
उदाहरण भी दो । 'प्रयोग' किसे कहते हैं ? रोजमर्रा किसे
कहते हैं और मुहावरा किसे ? उदाहरण दो ।

नीचे लिखे वाक्यों में पदों को क्रम के अनुसार रक्खो-देवता
ऋषि गन्धर्व आदि उस यज्ञ में सब लगे कश्यप जी की
करने सहायता मिलकर । लाने की यज्ञ के लिये लकड़ियाँ आज्ञा
कश्यप ने बालखिल्य ऋषियों को दी और इन्द्र आदि देवताओं
को । थे बड़े इन्द्र बली । वे अनुसार शक्ति अपनी के ऐसा पहाड़
ढेर अनायास लकड़ियों का ले आये उठाकर । इन्द्र ने अंगूठे की
हरा में बराबर पोर के बालखिल्य देखा नाटे ऋषियों को कि वे

मिलकर सब छोटी सी एक लकड़ी ढाक की आ रहे हैं लिये उठाएँ ।

नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो और कारण भी बताओ—

रमेश ने बेटे को बुलाती होगी । तुम्हारे पिता और माता ब्या कहती है । तुम्हारी बिल गार्थें इधर चर रही है । हम भूठ नहीं बोलता । मैं तू और मांहन चलेगा । बुढ़िया से चला नहीं जाता । दाल और भात अच्छी है । राजा ने सिपाहीयों को बुलाये । श्याम पिता से कहा कि आपकी आज्ञा से मैंने तुम्हारे मित्र के पास गया, परन्तु उसने हमें नहीं पहिचाना, फिर हमने तेरा नाम बताया तो उसने प्रसन्नता प्रकट की । आप हमारे यहां आने की कष्ट उठानी पड़ेगी ।

दूसरा अध्याय

१ वाक्य के भाग

वाक्य के दो भाग होते हैं—उद्देश्य और विधेय ।

जिसके विषय में कुछ बिधान किया जाय (कहा जाय) उसे 'उद्देश्य' कहते हैं और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाय उसे 'विधेय' कहते हैं । जैसे—बालक हंसता है । इस वाक्य में 'बालक' उद्देश्य है और 'हंसता है' विधेय है । कमला पूजा करती है इस वाक्य में 'कमला' उद्देश्य है और 'पूजा करती है' विधेय है ।*

❀ छोटे से छोटे वाक्य में भी उद्देश्य और विधेय—ये दोनों भाग अवश्य रहते हैं । कहीं-दोनों में से एक ही भाग कहा जाता है और दूसरा लुप्त रहता

२ उद्देश्य और उसका विस्तार

उद्देश्य भाग में कर्ता होता है। उद्देश्य में संज्ञा या उसके समान दूसरे शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे—

संज्ञा—‘राम’ गाता है।

सर्वनाम—‘वह’ आता है।

विशेषण—‘विद्यावान्’ सर्वत्र पूजा जाता है

वाक्यांश—‘सवेरे उठना’ स्वस्थवर्धक है।

† उद्देश्य अकेला भी आता है और विशेषण आदि के साथ भी। विशेषण आदि उद्देश्य के विस्तार में आते हैं जैसे—

विशेषण—‘सुन्दर’ बालक देखा।

सम्बन्धकारक—मोहन का भाई स्कूल नहीं गया।

वाक्यांश—‘ज्ञानवान् होकर भी’ तुम शोक करते हो।

है परन्तु प्रकरण से लुप्त भाग का भी अभिप्राय समझा जाता है इसलिये ऐसे वाक्य भी पूर्ण ही होते हैं। जैसे—वहाँ क्या है? घोड़ा। श्याम क्या करता है? नहाता है। इनमें पहले प्रश्न के उत्तर में कहा गया ‘घोड़ा’ जो उद्देश्यमात्र है। इसका विधेय ‘है’ प्रकरण से समझा जाता है इसलिये ‘घोड़ा है’—इस प्रकार वाक्य पूर्ण है। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया ‘नहाता है’ जो विधेयमात्र है। इसका उद्देश्य ‘श्याम’ प्रकरण से समझा जाता है। इसलिये ‘श्याम नहाता है’ इस प्रकार वाक्य पूर्ण है

† आपको वहाँ जाना उचित नहीं था—इत्यादि में उद्देश्य (आपको) संप्रदानकारक में है।

३ विधेय और विधेय का विस्तार

विधेय भाग में मुख्य क्रिया ही होती है और बहुधा अकेली क्रिया ही विधेय के रूप में आती है। दूसरे शब्द उसके विस्तारक होते हैं। वे ये हैं—

(क) क्रिया सकर्मक हो तो उसका कर्म जैसे—मोहन 'रोटी' खाता है।

(ख) क्रिया अपूर्ण हो तो उसका पूरक, जैसे—सुरेश 'सयाना' है। मैंने उसे 'साथी' बनाया।

(ग) क्रिया की विशेषता—प्रकार, स्थान, समय, प्रयोजन आदि—घटानेवाले शब्द (क्रियाविशेषण) जैसे—पवन 'धीरे धीरे' चल रही है। तुम कहां जाते हो। श्याम 'कब' आएगा-इत्यादि।

(घ) विशेषण आदि के साथ या केवल करण, संप्रदान आदि कारकों में आई हुई संज्ञाएँ। जैसे—नन्हीं 'तुम्हारे लिये' दो सेब 'चाकू से छील-काट कर गोल मेज पर' रख गई है—इत्यादि।

जो संज्ञा, सर्वनाम, आदि उद्देश्य होते हैं वे कर्म आदि भी हो सकते हैं।

पूरक नीचे लिखे शब्दभेद हो सकते हैं -

(क) संज्ञा—इस लड़के का नाम 'देवेन्द्र' है।

(ख) विशेषण—तुम्हारी बात 'भूठी' निकली।

(ग) सम्बन्ध—यह पुस्तक 'मोहन की' है।

४ वाक्य भेद

रचना के अनुसार वाक्यों के तीन भेद हैं—
सरल (या साधारण) वाक्य, मिश्रित (या संकीर्ण)
वाक्य, संयुक्त (या संसृष्ट) वाक्य ।

(क) जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे “सरलवाक्य” कहते हैं । जैसे—घोड़ा दौड़ता है ।—इसमें ‘घोड़ा’ उद्देश्य है और ‘दौड़ता है’ विधेय है । दोनों केवल (विस्तारक शब्दों के बिना) हैं । श्यामसिंह का नोला घोड़ा रामवनवाली खाई को बात की बात में लांघ गया । इसमें ‘घोड़ा’ उद्देश्य ‘श्याम सिंह का’ और ‘नोला’—इन विस्तारक शब्दों के साथ आया है और ‘लांघ गया’ कह विधेय रामवनवाली खाई को बात की बात में—इन विस्तारक शब्दों के साथ आया है ॥

(ख) जिस वाक्य में एक प्रधानवाक्य और उसके आश्रित एक या अधिक उपवाक्य (या अङ्गवाक्य) होते हैं, उसे ‘मिश्रितवाक्य’ कहते हैं । जैसे—गोपाल कहता है कि भानु आज स्कूल नहीं गया था ।—इसमें ‘गोपाल कहता है’ यह प्रधानवाक्य है और ‘भानु आज स्कूल नहीं गया था—यह उसका आश्रित या अंगवाक्य है, क्योंकि यह कहता है’ क्रिया का कर्म है ।

उपवाक्य (या अंगवाक्य) तीन प्रकार के होते हैं:—

(१) संज्ञावाक्य जो संज्ञा (कर्ता कर्म आदि आदि) के रूप में आते हैं । जैसे— ‘कालू बद्माश है’ यह सच नहीं है इसमें)

‘कालू बदमाश है’—यह उपवाक्य कर्ता के रूप में आया है) । मैं नहीं जानता कि तुम उदास क्यों रहते हो (इसमें ‘उदास क्यों रहते हो’ यह उपवाक्य ‘जानता’ क्रिया का कर्म है) । इसी भांति—मेरा विचार है कि ‘श्याम सच्चा है’ (इसमें श्याम सच्चा है यह उपवाक्य है’ क्रिया का पूरक है । ❀

(२) विशेषणवाक्य जो विशेषण का काम देते हैं ।

जैसे—वे लोग ‘जो दिन रात चिन्ताओं में डूबे रहते हैं’ जल्दी बूढ़े हो जाते हैं । क्या तुम उस आदमी को पहचानते हो ‘जो कल यहां आया था’ ? मैं उस गाड़ी से जाना चाहता हूँ जो दिन दिन में लाहौर पहुँचा दे ।’ इनमें ‘जो’ (योजक अव्यय) से आरम्भ होने वाले उपवाक्य विशेषणवाक्य हैं जो क्रमशः कर्ता (लोग) कर्म (आदमी को) और करण (गाड़ी से) के विशेषण होकर आए हैं । †

(३) क्रियाविशेषणवाक्य जो क्रियाविशेषण के रूप में आते हैं । जैसे—‘जहां राजप्रसाद थे’ वहां आज जंगल है । ‘जब छुट्टी मिलेगी’ तब आऊंगा । ‘जैसे चाहो’ वैसे करो । ‘जितना भागोगे’ उतना थकोगे । (इनमें जहां, जब, जैसे, जितना—इन शब्दों से आरम्भ होनेवाले उपवाक्य क्रमशः

❀ संज्ञावाक्य ‘कि’ (योजक अव्यय) से आरम्भ होता है, परन्तु कहीं कहीं संज्ञावाक्य पहले आता है और प्रधानवाक्य ‘यह’ से आरम्भ होकर पीछे आता है जैसे—देवेन्द्र परिश्रमी है यह सभी जानते हैं ।]

† विशेषणवाक्यों का आरम्भ जो, जितना, जैसा, जब, जहां आदि से होता है । कभी कभी इन शब्दों का लोप भी हो जाता है । जैसे—चोर हो सो डेर । सच हो सो कहो—इत्यादि ।

स्थानवाचक, कालवाचक, प्रकारवाचक और परिणामवाचक क्रियाविशेषण हैं) । ❀

(ग) जिस वाक्य में दो या अधिक सरल या आश्रित वाक्य रहते हैं उसे 'संयुक्तवाक्य' कहते हैं । संयुक्तवाक्य में आनेवाले अवान्तरवाक्य प्रधान (परस्पर निरपेक्ष) ही होते हैं, आश्रित नहीं । इनको 'समानाधिकरणवाक्य' कहते हैं । ये चार प्रकार के हैं—

(१) संयोजकवाक्य—इनमें एक वाक्य दूसरे के साथ मिला रहता है विरोध विकल्प आदि विशेष अर्थ नहीं बोधित करता) । जैसे—तुम गये और वह आया । एक तो धूप जलाए डालती है दूसरे पीने को पानी की बूंद तक नहीं मिलती—इत्यादि ।

(२) विभाजकवाक्य—इसके अवान्तर प्रधानवाक्यों में परस्पर विभाग भेद या विरोध का सम्बन्ध रहता है । जैसे— वहां राम मिला न श्याम दिखाई दिया । वहां राम गया था, न कि श्याम । और तो सब ने स्वीकृति दे दी परन्तु माता न मानी—इत्यादि ।

(३) विकल्पदर्शक वाक्य—इसमें विकल्प (दो बातों में से एक का स्वीकार करना) पाया जाता है । जैसे—या सामने आकर लड़ो या चूड़ियां पहनकर रनवास में चले जाओ । माफी मांग लो नहीं तो जुर्माना देना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा नाम कलङ्कित हो जाएगा । इत्यादि ।

❀ क्रियाविशेषणवाक्यों का आरम्भ जहां, जिधर, जब जैसा, ज्यों, यदि, यद्यपि आदि से होता (और मुख्य वाक्यों में इनके नित्य सम्बन्धी शब्द आते हैं) । कभी कभी इन शब्दों का लोप भी रहता है । जैसे—वहां आओगे तब फैसला होगा । बुरा न मानो तो कहुं—इत्यादि ।]

(४) परिणामबोधक—इसके एक उपवाक्य से कारण बोधित हो जाता है और दूसरे से उसका परिणाम या फल जैसे— मुझे उसकी बातों पर विश्वास हो गया, इस लिये मैंने उसे कुछ न कहा। बहुत काम बाकी है, सो सबेरे जल्दी आना—इत्यादि । ❀

❀ संयुक्तवाक्य के उपवाक्यों में जब एक ही उद्देश्य या विधेय अथवा दूसरा कोई अंश बारंबार आता है तब उसकी पुनरुक्ति को दूर करने के लिये उसे एक बार कहा जाता है इस प्रकार के संयुक्तवाक्य को 'संकुचित वाक्य' कहते हैं। जैसे—बैल हल में जोते जाते (हैं), (बैल) गाड़ी खेंचते (हैं) और (बैल) रहट फेरते हैं। बेटा तुम चिरंजीव रहो (तुम) फूलो और (तुम) फलो—इत्यादि ।

इनमें 'बैल' 'हे' और 'तुम' ये बार बार आते हैं परन्तु पुनरुक्ति दूर करने के लिए एक बार कहे गये हैं ।

कभी कभी वाक्यों में ऐसे शब्द जो अर्थ के अनुसार सहज ही समझ में आजाते हैं, छोड़ दिये जाते हैं। ऐसे वाक्य 'संक्षिप्तवाक्य' कहाते हैं। जैसे—(...) हो सकता है। (...) कहते हैं। (...) सुना है। चिराग तले अंधेरा (...)। दूर के ढोल सुहावने (...)—इत्यादि ।

संयुक्तवाक्य के भेदों में से संयोजकवाक्यों में और तथा एवं, भी, फिर आदि विभाजकवाक्यों में पर परन्तु, न-न, न कि यद्यपि-तथापि आदि विकल्पदर्शक वाक्यों में या, वा, अथवा, चाहे-चाहे, नहीं तो अन्यथा आदि (परिणामबोधक वाक्यों को मिलाते वाले) योजक अव्यय मिश्रित-वाक्य के आश्रित वाक्यों को भी मिलाते हैं। जैसे—जो विद्या, धन, प्रतिष्ठा आदि में सब से उच्च है पर अपने अपने आपको सबसे नीचा, सबकी चरणरज समझते हैं, वही सच्चे महापुरुष हैं। इसमें जो... उच्च है, और अपने आपको... समझते हैं—इन दो आश्रितवाक्यों को 'पर' मिलता है ।]

अभ्यास

इस रचना के अनुसार वाक्य के जितने भेद होते हैं? लक्षण उदाहरणसहित वर्णन करो। उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे? कौन २ से शब्दभेद उद्देश्य के रूप में आते हैं? उद्देश्य और विधेय का विस्तार कितने प्रकार से होता है? उदाहरण देकर बताओ। मिश्रितवाक्य और संयुक्तवाक्य के उपवाक्यों में क्या भेद होता है? उदाहरण भी दो। आश्रितवाक्य कितने प्रकार के होते हैं और समानाधिकरणवाक्य कितने प्रकार के? प्रत्येक प्रकार के दो दो उदाहरण भी दो। संकुचितवाक्य किसे कहते हैं और संचितवाक्य किसे? उदाहरण भी दो।

विराम-चिह्न ।

‘विराम’ कहते हैं ठहरने को। बोलने में अर्थ के अनुसार कहीं थोड़ा ठहरते हैं, कहीं कुछ अधिक (आधा) और कहीं (वाक्य के समाप्त होने पर) पूर्णतया (बिलकुल) ठहर जाते हैं। तथा कहीं प्रश्न, आश्चर्य, हर्ष, विषाद आदि प्रकट करने के लिये भी ठहरते हैं, इस ठहराव को लेख में प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें “विराम-चिन्ह” (Stops) कहते हैं। इनके यथास्थान प्रयोग करने से अर्थ स्पष्ट हो जाता है।

मुख्य विराम-चिन्ह आठ हैं —

- (१) अल्प-विराम (,)
- (२) अर्ध-विराम (;)
- (३) पूर्ण विराम (।)
- (४) प्रश्न-चिन्ह (?)
- (५) भाव-बोधक (!)

(६) निर्देशक (—)

(७) कोष्ठक () []

(८) उद्धरणचिह्न “ ”

स्वल्प-विराम—यह चिह्न थोड़ा ठहराव प्रकट करने के लिये आता है । इसका प्रयोग प्रायः नीचे लिखे स्थलों में होता है—

(क) योजक के न होने पर एक ही शब्दभेद के दो या अधिक शब्दों अथवा वाक्यों के बीच में । जैसे—रथी, घुड़चढ़े, पैदल सैनिक चारों ओर उमड़े चले आ रहे हैं । तुम सरासर अन्याय करते हो, अत्याचार करते हो ।

(ख) जोड़े से आने वाले शब्दों के प्रत्येक जोड़े के बाद । जैसे संसार में रात और दिन, धूप और छाया, सुख और दुख ये सदा नहीं रहते ।

(ग) समानाधिकरण शब्दों के बीच में । जैसे—अमेरिका के प्रेजीडेंट, अब्राहिम लिंकन दासत्व-प्रथा को दूर करने में अग्रसर हुए ।

(घ) कई एक वाक्यांशों के बाद । जैसे—वह बातचीत करने में, हँसने बोलने में, उदासीन रहता है ।

‘यह’ के लुप्त होने पर । जैसे—कब जा सकूंगा, (यह) कह नहीं सकता ।

(च) नित्य संबन्धी शब्दों के लोप होने पर । जैसे—जब आप जाएं, (तो) मेरा सन्देश जरूर लेते जाएं । वह जहां जाएगा, (वहां) ऊधम ही मचाएगा ।

तोभी, परन्तु, किन्तु, पर आदि के पहले । जैसे—मैं जाना

नहीं चहता, तोभी जाऊंगा। यह भी सुन्दर है, परन्तु उससे अधिक नहीं। ये बुलाएंगे ही, किन्तु हमें जाना उचित नहीं। अब तो प्रसन्न होते हो, पर पीछे पछुताओगे।

(छ) एक वाक्य में आने वाले दूसरे वाक्य के आदि और अन्त में। जैसे - राम, जिन्होंने ने बचपन में शिव का धनुष तोड़ा था, कम शक्तिशाली नहीं हैं। मैंने ता, आपकी सौगन्ध, उन्हें आज तक नहीं देखा।

(ज) इसी प्रकार सम्बोधन आदि अन्य स्थलों में भी, जहां थोड़ा ठहराव प्रकट करना हो, यह चिह्न लगाया जाता है। जैसे—मोहन, इधर आओ। देखो, फिर ऐसा न करना। नवम श्रेणी, तीसरा घंटा, विषय हिन्दी। ए, बी, सी-इत्यादि

अर्ध-विराम-यह आधा (अल्प-विराम की अपेक्षा कुछ अधिक) ठहराव प्रकट करने के लिये लिखा जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है -

(क) संयुक्त वाक्य के प्रधान वाक्यों का परस्पर विशेष सम्बन्ध न रहने पर उनके बीच में। जैसे - लोग उमड़े आरहे हैं; जय के नारे गूंज रहे हैं; बाजे बज रहे हैं; चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे हैं।

(ख) उन पूरे वाक्यों के बीच में जो अन्त में एक योजक द्वारा जोड़े जाते हैं। जैसे—उसका रंग गेंहुआ है; कद लम्बा है; माथा ऊंचा और वीस्तीर्ण है; और आंखें विशाल और रोबभरी हैं।

मुख्य वाक्य के कारणवाचक क्रियाविशेषण (क्योंकि आदि) वाले वाक्य का समीप सम्बन्ध न होने पर। जैसे—मैंने उसे बहुत समझाया, मगर उसने एक न मानी और चला

ही गया; क्योंकि वह प्रकृति से हठीला है, दूसरे की बात कभी नहीं मानता ।

पूर्ण-विराम-यह पूरे ठहराव को प्रकट करने के लिये लिखा जाता है । इसका प्रयोग (क) पूरे वाक्य के बाद (ख) शीर्षक के बाद और (ग) पद्य के पूर्वार्ध के बाद होता है । पूरे पद्य के बाद पूर्ण विराम की दो रेखाएं दी जाती हैं और कई अनुच्छेद या लेख की समाप्ति पर भी दो रेखाएं देते हैं ।

जैसे—(क) यह सुनते ही सब वहां पहुँच गये ।

(ख) इत्सिंग की भारत यात्रा ।

(ग) तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग ।

मिलकर रहिये सवन सों नदी नाव संयोग ॥

कई लेखक हिन्दी लिखने में भी पूरे वाक्य के बाद अङ्गरेजी के पूर्णविराम चिह्न विन्दु (`) का ही प्रयोग करते हैं । जैसे— यह सुनते ही सब वहां पहुँच गये.

प्रश्न-चिह्न—यह प्रश्नबोधक पूरे वाक्य के बाद पूर्ण विराम के बदले लिखा जाता है । जैसे—तुम क्या करते हो ? परन्तु जिन वाक्यों में प्रश्न आज्ञा रूप हो उनके बाद प्रश्न-चिह्न नहीं लिखा जाता । जैसे—इस गांव की जनसंख्या बताओ ।

भाव-बोधक—इसका प्रयोग विस्मय, हर्ष, विषाद आदि भावों को प्रकट करने के लिये भाव बोधक शब्दों और वाक्यों के बाद होता है । जैसे—ओह ! अहा ! आप आगये ! हाय ! अब किस मुंह से वहां जाऊं ? ओह ! कितना तेज़ दौड़ता है ! भावसूचक संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग होता है । जैसे—नीच ! पापी ! हत्यारे ! ।

बढ़ते हुए मनोभाव का प्रकट करने के लिये दो या तीन भावबोधक चिह्न लगाए जाते हैं। जैसे—हर्ष ! हर्ष !! महा-हर्ष !!!

निर्देशक--साधारणतः इसका प्रयोग किसी बात या वक्ता के निर्देश करने (जतलाने) के लिये किया जाता है। जैसे—उसने कहा--“मैं तुम से पीछे नहीं रह सकता”

कहा है--“जो जस करहि सो तस फल चाखा ।

तप तीन प्रकारका होता है--कायिक, वाचिक, मानसिक ।

रामचन्द्र--तुम सीता को अकेली छोड़ आए, अच्छा नहीं किया ।

लक्ष्मण--महाराज, उन्हीं के आग्रह से मैं आया हूँ ।

किसी वाक्य के एकाएक टूट जाने या अचानक भाव में परिवर्तन होने पर भी निर्देशक का प्रयोग किया जाता है। जैसे

कल्लू --अगर मैं तुम्हे देख पाता-

शकुन्तला--आर्यपुत्र - अथवा अब यह नहीं कह सकती ।

वाक्य में आने वाले विवरणात्मक समानाधिकरण शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों के आदि और अन्त दोनों ओर निर्देशक चिह्न लगाया जाता है। जैसे-इनमें तो कोई अद्वितीयता-अद्भुतता-नहीं दिखाई देती। सूर्य के मकर राशि में आने पर-माघ महीने के आरम्भ में-मैं तुम्हें प्रयाग में मिलूंगा। जहां पत्नी की घर के किसी कार्य में संमति न ली जाय-उसे केवल नौकरानी ही समझा जाय-वहां स्त्रीत्व का संमान कैसे रह सकता है ।

कोष्ठक - समानार्थक शब्द या वाक्यांश के साथ नाटकादि

के कथोपकथन में अभिनयप्रक्रिया को सूचित करने के लिये, विषयविभागसूचक अक्षरों या अङ्कों के साथ, एवं भूलसंशोधन या संदेहसूचन आदि के लिये इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे--राजा ने अभिज्ञान (पहचान) के लिये उसे अपनी अंगूठी दे दी।

कामरूप - मैं तो ऐसा नहीं कर सकता (सोच कर) अच्छा, इस तरह हो सकेगा।

इन्द्रपाल--ठहर, कहां जाता है (आगे बढ़ और हाथ पकड़ कर) अब यहां से जाने न पाएगा।

नीचे लिखे विषयों में से किसी एक पर प्रबन्ध लिखो--

(क) राम-रावण युद्ध

(ख) कर्ण-अर्जुन युद्ध

(ग) रामायण और महाभारत का आदिम रूप
इस पुस्तक में निम्न लिखित विषय हैं -

(१) भारतीय सभ्यता और आदर्श

(२) भारतीय कला

(३) भारतीय ऋषिविज्ञान

(४) भारतीय पशुपालन विद्या

यहां के ब्राह्मण (ब्राह्मण ?) सब पढ़े लिखे हैं।

उद्धरण-चिह्न-(क) किसी की उक्ति के यथावत् उद्धृत करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे--

राम कहने लगे--“मैं चौदह वर्ष के अन्दर अयोध्या नहीं जाऊंगा”

तुलसीदास जी ने सब कहा है--“कर्म प्रधान विश्व रचि राखा।”

[किसी की उक्ति में यदि और किसी की उक्ति आजाए तो उसके साथ इकहरा उद्धरण चिह्न लगता है। जैसे— मोहन कहने लगा—“मुझे मेरे गुरु जी कहा करते थे बिटा परोपकार से बढ़ कर कोई पुण्य नहीं। उस समय मैं इस पर कुछ ध्यान न देता था, परन्तु अब इसका महत्त्व समझ में आ रहा है।”]

(ख) पुस्तक आदि के नाम के साथ या किसी शब्द की विशेषता प्रकट करने के लिये भी उद्धरण चिह्न लगाया जाता है। जैसे—बाबू मैथिलीशरण का “रङ्ग में भङ्ग” बहुत अच्छा है। हम वहां “एसैकस सिक्स” होटल में ठहरे थे। यहां “सोम” का अर्थ चांद है। लताविशेष नहीं।

निबन्ध—रचना

(ESSAY WRITING)

निबन्ध तीन प्रकार के होते हैं—वर्णनात्मक Descriptive
आख्यानात्मक Narrative और विचारात्मक Reflective

नीचे प्रत्येक भेद और उनमें लिखे जाने वाले अंशों की सूचियाँ दी जाती हैं। इनसे विद्यार्थी भली भाँति जान जायेंगे कि किस प्रकार के निबन्ध में कौन कौन बातें लिखनी चाहिये।

वर्णनात्मक (DESCRIPTIVE) निबन्ध

(१) प्राणी-विषयक (मनुष्य, पशु, जलचर आदि के के विषय में)। लेख्यांश जाति और श्रेणी, जन्म तथा निवास,

आकर हानिलाभ, विशेषता और उपसंहार (मनुष्य के विषय में धर्म, भाषा, सामाजिक राजनैतिक स्थिति आदि का भी वर्णन होना चाहिये) ।

(२) उद्भिद्-विषयक वृक्ष, पौदे, लता आदि के विषय में) । लेख्यांश जाति, आकार, स्वाभाविक उत्पत्ति स्थान, और स्थान में हो सकना, उपयोग और उपसंहार ।

(३) अप्राणि-विषयक (नगर, इमारत, पर्वत, नदी आदि खांड, आदि वस्तुएँ, साना चाँदि आदि खनिज, भूकम्प, सूर्यग्रहण, खेल मेला त्योहार आदि के विषय में) । लेख्यांश-

नगर, ग्राम—प्रान्त, अवस्थिति जलवायु, विस्तार, जनसंख्या, वहाँ के लोगों के जाति, धर्म शिल्प, व्यापार आदि वहाँ के दर्शनीय स्थान, वहाँ पहुँचने के लिये रास्ता सवारो आदि, सामयिक परिवर्तन और उपसंहार ।

इमारत - अवस्थिति, बनावट विस्तार आदि' उपयोग और उपसंहार ।

पर्वत—प्रान्त, विस्तार, जंगल वृक्ष आदि, नदियां, झीलें, खनिज, जलवायु, नगर या ग्राम, तीर्थ, निवासी, प्रभाव उपकार, शोभा और उपसंहार ।

नदी—उद्गम, सहायक नदियाँ, विस्तार, देश, नगर, मुहाना, प्रभाव और हानि लाभ

वस्तु खांड आदि)—प्रकृतिक या कृत्रिम, उत्पत्ति, सामग्री, प्राप्तिस्थान, उपयोग, लाभ और उपसंहार ।

खनिज—उत्पत्तिस्थान, निकालने और साक करने का प्रकार, मूल्य, उपयोग और उपसंहार ।

भूकम्प ग्रहण आदि—किस समय हुआ, कितनी देर रहा, उस समय क्या र हुआ, (भूकम्प में इमारतों का गिरना मनुष्यों का दब जाना, आदि और ग्रहण में चांद या सूरज प्रसा गया आधा या थोड़ा सा इत्यादि) उपसंहार ।

मेला वा त्योहार—किस जाति का है, कब होता है, कैसे मनाया जाता है, रौनक, धार्मिक कृत्य, व्यापार, लोगों पर प्रभाव और उपसंहार ।

खेल—किस देश या जाति की है, कैसे खेली जाती है, साधन, लाभ, हानि, उपसंहार ।

आख्यानात्मक (Narrative) निबन्ध

(१) ऐतिहासिक घटना

लेख्यांश— भूमिका, घटना का समय, कारण, और स्थान, विस्तृत विवरण, परिणाम और उपसंहार ।

(२) जीवनचरित्र

लेख्यांश—समय, स्थान, माता पिता, बाल्यकाल विद्याभ्यास, बुद्धि और चरित्र, कार्यक्षेत्र, प्रसिद्धि के कारण, देश या जाति पर प्रभाव, (यदि वह व्यक्ति जिस पर निबन्ध लिखना है, जीवित न हो तो मृत्यु-समय, स्थान, समय, कारण अनस्था) और उपसंहार ।

(३) आकस्मिक घटना । लेख्यांश—स्थान समय, कारण, विस्तृत वर्णन परिणाम और उपसंहार ।

(४) भ्रमण (यात्रा) । लेख्यांश—उद्देश्य, समय, स्थान, साथी, मार्ग, क्रमिक दृश्य, सवारी, मार्ग के कष्ट, आमोद-प्रमोद, प्रभाव, आलोचना और उपसंहार ।

(५) आविष्कार । लेख्यांश— भूमिका, आविष्कारक, उसका जन्म स्थान तथा समय, आविष्कार के कारण, सामग्री. उपयोग और उपसंहार ।

(६) उपाख्यान या कहानी । इसमें उपाख्यान या कहानी लिखी जाती है और कभी कभी अन्त में उससे मिलने वाला उपदेश भी दिखाया जाता है ।

विचारात्मक (REFLECTIVE) निबन्ध

(१) अमूर्त विषय Abstract subjects (पाप पुण्य, अहिंसा, मित्रता, क्षमा, क्रोध आदि के विषय में ।)

(२) आलोचना (Criticism Comparison, contrast) साहित्यिक निबन्ध भी इसी के अन्तर्गत हैं । जैसे—तुलसीदास और उनकी कविता इत्यादि ।

(३) लोकोक्तिमूलक—जैसे—“एकै साधे सब सध सब साधे सब जाय” इत्यादि ।

लेख्यांश—प्रतिज्ञा (विषय का स्वरूपनिर्देश या जिस बात को सिद्ध करना चारते हैं उसका निर्देश), उत्पत्ति (साध्य बात को सिद्ध करने के लिये युक्तियाँ तथा प्रमाण देना) दृष्टान्त (अपने साध्य की पुष्टि के लिये उदाहरण देना), और उपसंहार ।

[आरम्भ में अभ्यास के लिये वर्णनात्मक निबन्ध लिखने चाहियें । फिर ज्यों ज्यों अभ्यास बढ़ता जाए तथा विचार शक्ति विकसित होती जाय त्यों त्यों क्रम से आख्यानात्मक तथा विचारात्मक निबन्ध लिखने चाहिये । एक ही विषय पर दो अथवा तीन प्रकार के निबन्ध लिखे जा सकते हैं । जैसे—

ताजमहल की इमारत का यदि वर्णनमात्र कर दें तो 'वर्णनात्मक' निबन्ध होगा और यदि उससे सम्बन्ध रखने वाली ऐतिहासिक बातें भी लिखे तो 'आख्यानात्मक' हो जायगा । इसी प्रकार भूकम्प या सूर्यग्रहण का यदि वर्णनमात्र करें तो 'वर्णनात्मक' निबन्ध होगा और यदि वैज्ञानिक दृष्टि से उसके कारणों आदि की अलोचना भी करें तो विचारात्मक हो जायगा । खांड कैसी होती है, उससे क्या क्या बनता है—इत्यादि वर्णनमात्र हो तो वर्णनात्मक कव, कहाँ पहले बनाई गई इत्यादि उसका इतिहास दिखाया जाय जाय तो ऐतिहासिक और उसके बनाने की वैज्ञानिक प्रक्रिया आदि का पर्यालोचन किया जाय तो निबन्ध विचारात्मक हो जायगा ।]

निबन्ध लिखने में कुछ आवश्यक बातें

१. निबन्ध लिखने से पहले जिस विषय पर लिखना हो उसे भली भाँति समझ लेना चाहिये । फिर जो बातें लिखनी हों उनके क्रम (सिलसिला) के अनुसार शीर्षक (Headings or outlines) बना लेने चाहिये । ऐसा करने से निबन्ध का ढाँचा सा बन जाता है । कोई भाव दोबारा नहीं लिखा जाता और कोई अंश छूटने भी नहीं पाता, विचारों का क्रम स्वाभाविक होजाता है और निबन्ध का विषय स्पष्ट होजाता है । ऐसा करने में कुछ समय तो खर्च होगा परन्तु इससे आधा कार्य होजयगा । शेष रहेगा उन शीर्षकों (outlines) को सामने रख कर उन्हीं का विस्तार करके निबन्ध लिख डालना ।

२—सदा थोड़े और सरल शब्दों में बहुत सा अर्थ लिखने का अभ्यास करना चाहिये ।

३- अधिक लिखने की अपेक्षा कम भले ही लिखा जाय, किन्तु सुस्पष्ट और सलित हो। बहुत अधिक लिखने में अशुद्धियाँ भी अधिक हो जाती हैं। इसलिये थोड़ेमें ही विचार कर ऐसा लिखना चाहिये, जिसमें जो कुछ उस विषय में लिखना हो वह सब आजाय और अशुद्धियाँ न होने पायँ

४--निबन्ध में विचारों का उत्कृष्ट और परिमार्जित होना होना आवश्यक है। इसके लिये विद्यार्थी को स्वयं विचार शील होना चाहिये। उत्तम पुस्तकों को सावधानी से पढ़ना तथा विद्वानों के व्याख्यानों को सावधानी से सुनना चाहिये। तत्त्वान्वेषक की दृष्टि से प्रकृति का पर्यवेक्षण करना चाहिये, उसके छोटे से छोटे आविष्कारों को भी भली भाँति परखना चाहिये। पुस्तकों को पढ़ते समय तथा विद्वानों के व्याख्यानों को सुनते समय उनमें आए हुए उत्तम विचारों को हृदयस्थल कर लेना चाहिये या नोटबुक में नोट कर लेना चाहिये।

५-निबन्ध को अप्रासङ्गिक (Irrelevant) बातों से भी बढ़ाना उचित नहीं। ऐसी बातें निबन्ध में बिल्कुल नहीं आनी चाहियें जिनका प्रकृत विषय से सम्बन्ध न हो।

६-निबन्ध की भाषा ऐसी होनी चाहिये जिससे अभिप्राय ठीक २ समझ में आसके। कठिन तथा अप्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। जहां तक हो सके वाक्य छोटे होने चाहिये, लंबे और जटिल नहीं। विदेशी शब्दों का यथासंभव कम प्रयोग करना चाहिये।

७-वाक्यरचना रोज़मर्रे (common use) के अनुसार होनी चाहिये और भाषा यथासंभव मुहावरेदार होनी चाहिये अर्थात् मुहावरे के विरुद्ध नहीं होनी चाहिये, मुहावरे से रहित

भले ही हो। क्योंकि मुहावरे बिना रचना दूषित नहीं होती परन्तु रोज़मर्रे की पाबंदी के बिना दूषित हो जाती है।

६-विराम आदि चिह्नों का यथास्थान अवश्य प्रयोग करना चाहिये।

१०-निबन्ध में कई प्रकार के विचार (भाव) लिखे जाते हैं। उनकी स्पष्टता के लिये एक विचार से सम्बन्ध रखने वाले वाक्यसमूह को एक अनुच्छेद (paragraph) में रखना चाहिये। इस प्रकार निबन्ध को कई अनुच्छेदों में विभक्त करना चाहिये, जिससे सब विचारों की खिचड़ी सी बन कर निबन्ध की स्पष्टता सरसता और सामञ्जस्य नष्ट न हो जाएं।

तीसरा अध्याय ।

वाक्यविग्रह

वाक्य के अंशों को अलग २ करके उनका परस्पर सम्बन्ध दिखाने की रीति को ' वाक्यविग्रह या वाक्यविभजन ' कहते हैं । ❀

किसी वाक्य का विग्रह करने में पहले उसका प्रकार बताना चाहिये कि वह साधारणवाक्य है, मिश्रितवाक्य है या संयुक्तवाक्य है ।

१ साधारणवाक्य का विग्रह ।

साधारणवाक्य के विग्रह में क्रमशः उद्देश्य (कर्ता), यदि हो तो) उद्देश्यविस्तार, विधेय (क्रिया), क्रिया आदि अपूर्ण हो तो) पूरक, (यदि हो तो) विधेयविस्तार, विधेयविस्तार में यथा-संभव कर्म, (यदि हो तो) कर्म का विस्तार और क्रियाविशेषण-ये भाग दिखाए जाते हैं । उदाहरण—

१ वह उदास रहता है । २ मैंने उसे साथी बनाया ।

३ एक बलवान् पुरुष ने दौड़कर उस बेचारी को बाढ़ में डूबने से बचाया ।

❀ साधारणवाक्य, मिश्रितवाक्य और संयुक्तवाक्य—इन वाक्यों के तीन भेदों का पीछे वर्णन हो चुका है । इन्हीं के विग्रह या विभजन की रीति आगे लिखी जाती है ।

वाक्य	उद्देश्य		विधेय				
	कर्ता	कर्ता का विस्तार	क्रिया	पूरक	कर्म	कर्म का विस्तार	क्रिया विशेषण आदि
१ साधारण	वह	रहता है	उदास
२ साधारण	मैंने	बनाया	साथी	उसे
३ साधारण	पुरुष ने	एक बलवान्	बचाया	...	बेचारी को	उस	दौड़कर बाढ़ में डूबने से

२. मिश्रितवाक्य का विग्रह ।

मिश्रितवाक्य के विग्रह में प्रधानवाक्य कौन है और उसका आश्रितवाक्य कौन है और वह संज्ञावाक्य है, विशेषणवाक्य है या क्रियाविशेषणवाक्य है—यह निर्देश करके अनन्तर आश्रितवाक्य का भी विग्रह साधारणवाक्य के समान करना चाहिये। उदाहरण: —

१—कौन कहता है कि हमने तुम्हारी निन्दा की ।

२—वे लोग जो व्यायाम नहीं करते स्वास्थ्य को खो बैठते हैं ।

३—जब बादल गर्जते हैं तब मोर बोलते हैं ।

विशेष

विशेषविस्तार

		उद्देश्य		विशेष						
				कर्ता का	क्रिया	पूरक	कर्म	सम	सम	क्रिया विशेषण
				विस्तार						आदि
वाक्य	वाक्यभेद	योजक	कर्ता	कर्ता का	क्रिया	पूरक	कर्म	सम	सम	क्रिया विशेषण
१ कौन कहता है कि हमने तुम्हारी निन्दा की।	प्रधान वाक्य आश्रित (संज्ञा वाक्य (कर्म))	कि	कौन हम ने	...	कहता है की	...	हमने... की निन्दा
२ वे लोग स्वास्थ्य खो बैठते हैं जो व्यायाम नहीं करते	प्रधान वाक्य आश्रित वाक्य (विशेषण)	जो	लोग जो	वे	खो बैठते हैं	...	स्वास्थ्य व्यायाम
३ मोर तब बोलते हैं जब बादल गर्जते हैं।	प्रधान वाक्य आश्रितवाक्य (क्रियाविशेषण)	जब	मोर जब	बोलते हैं गर्जते हैं	तब जब बादल गर्जते हैं

(१२)

३. संयुक्तवाक्य का विग्रह ।

संयुक्तवाक्य के विग्रह में जिन परस्पर निरपेक्ष (प्रधान) वाक्यों के मेल से संयुक्तवाक्य बना हो उनको और उनके योजकों को अलग अलग दिखाना चाहिये और अनन्तर प्रत्येक वाक्य का (जो चाहे साधारण हो या मिश्रित) पहले लिखी रीति से विग्रह करना चाहिये । उदाहरण:—

१—रमेश गया और सुरेश घर रहा ।

२—बच्चा रोता है पर जब मां आकर दूध पिलाती है, चुप हो जाता है ।

वाक्य	वाक्य भेद	योजक	उद्देश्य		विधेय					
			कर्ता	कर्ता का विस्तार	विधेयविस्तार					
					किया	पूरक	कर्म	प्रति	क्रियाविशेषण	आदि
१ रमेश गया और सुरेश घर रहा	प्रधान (साधारण) प्रधान (साधारण)	और	रमेश	गया	घर में
२ बच्चा रोता है पर (तब) चुप होजा ता है जब मां दूध पिलाती है	प्रधान (साधारण) प्रधान (सिद्धित) आश्रित	पर जब	बच्चा (बच्चा)	रोता है होजा ता है चुप पिलाता ता है	(तब) जब मां दूधपिलाती है जब

(२१२)

अभ्यास

साधारण, मिश्रित और संयुक्तवाक्यों के विग्रह की रीतियाँ उदाहरण देकर समझाओ। नीचे लिखे वाक्यों का विग्रह करो —

कवि की कविता का प्रभाव स्वयं कवि के हृदय पर नहीं पड़ता। वे कविता पढ़ते पढ़ते स्वयं युद्धक्षेत्र की ओर दौड़ते दिखाई नहीं देते। कवि एक ऐसा यन्त्र है जिसके द्वारा सृष्टि का सौन्दर्य देखा जा सकता है। कवि एक अलौकिक आनन्द की दशा में जागृत होता है, तब लोग उसे पागल कहते हैं। प्रेमी की भी यही दशा होती है पर वह अपने आनन्द को प्रकट नहीं कर सकता। काव्य का एक छोटासा पद श्रोताओं में इतना प्रभाव उत्पन्न कर सकता है जितना कि घाग्गीवर का लम्बा चौड़ा व्याख्यान नहीं। जिस कवि का हृदय जितना ही सुन्दर होता है, वह उतना ही मधुर गान कर सकता है। काँच के टुकड़े भी धन्य हैं, उनमें भी सौन्दर्य है, वे आनन्द बढ़ाते हैं किन्तु हीरों और लालाँ की बात कुछ और ही है।



हिन्दी व्याकरण के पारिभाषिक शब्दों के इङ्गलिश पर्याय शब्द ।

अकर्मक क्रिया	Intransitive Verb
अधिकरण कारक	Locative Case
अनिश्चयवाचक सर्वनाम	Indefinite Pronoun
अन्य पुरुष	Third Person
अपादान कारक	Ablative Case
अपूर्ण भूत	Past Imperfect
आश्रित वाक्य	Subordinate clause
आसन्नभूत	Present Perfect
उत्तम पुरुष	First Person
उत्तमाद्यस्था (विशेषण की)	Superlative Degree
उत्तरावस्था	Comparative Degree
उद्देश्य	Subject
उद्देश्यविस्तार	Enlargement of Subject
उपसर्ग	Prefix
एकवचन	Singular
करणकारक	Instrumental Case
कर्तरि प्रयोग	Use of verb in Concor- dance with the Subject
कर्त्ता	Subject
कर्त्ता कारक	Nominative Case
कर्तृ वाच्य	Active voice
कर्म	Object
कर्म कारक	Objective Case
कर्मणि प्रयोग	Use of verb in concor- dance with the object
कर्मवाच्य	Passive voice

कारक	Case
काल	Tense
क्रिया	Verb
क्रिया का सामान्य रूप	Infinitive
क्रियाविशेषण	Adverb
कृतप्रत्यय	Verbal Affixes
गुणवाचक विशेषण	Adjective of quality
जातिवाचक संज्ञा	Common noun
तद्धित प्रत्यय	Nominal Affixes
तुलना	Comparison
द्योतक	Interjection
द्विकर्मक क्रिया	Root
धातु	Nominal Verb
नामधातु	Demonstrative Adj.
निर्देशक [विशेषण]	Demonstrative Pron.
निश्चयवाचक सर्वनाम	Adjective of quantity
परिमाणवाचक विशेषण	Principal Clause
प्रधान वाक्य	Interrogative pronoun
प्रवर्तना	Causative Verb
प्रश्नवाचक सर्वनाम	Person
प्रेरणार्थक क्रिया	Personal Pronoun
पुरुष	Masculine Gender
पुरुषवाचक सर्वनाम	Complement
पुंलिङ्ग	Past Perfect
पूरक	Perfect Participle
पूर्णभूत	Plural
पूर्वकालिक क्रिया	
बहुवचन	

भविष्यत् काल	Future Tense
भाववाचक संज्ञा	Abstract Noun
भाववाच्य	Impersonal Voice
भाषा	Language
भूतकाल	Past Tense
मध्यम पुरुष	Second Person
मिश्रित वाक्य	Complex Sentence
मूलावस्था (विशेषण की)	Positive Degree
योजक	Conjunction
लिङ्ग	Gender
वचन	Number
वर्ण	Letters
वर्तमान काल	Present Tense
वाक्य	Sentence
वाक्य खण्ड	Clause
वाक्यविग्रह	Analysis
वाक्यांश	Phrase
वाग्धारा (मुहावरा)	Idiom
वाच्य	Voice
वाच्यपरिवर्तन	Interchange of Voices
विधेय	Predicate
विधेय विशेषण	Predicative use of adj- ective
विधेय विस्तार	Enlargement to the predicate
विशेषण	Adjective
विशेष्य विशेषण	Attributive use of adj.
विसर्ग सन्धि	Joining of विसर्ग
व्यञ्जन	Consonants

व्यञ्जन सन्धि	Joining of consonants
व्याकरण	Grammar
शब्द	Word
शब्दनिरुक्ति	Parsing
सक्रर्मक क्रिया	Transitive Verb
समास	Compound
सर्वनाम	Pronoun
संख्यावाचक विशेषण	Numeral adjective
संदिग्धभूत	Doubtful Past
संदिग्ध वर्तमान	Doubtful Present tense
सन्धि	Joining of letters
संप्रदान कारक	Dative Case
संबन्ध कारक	Genitive
संबन्ध बोधक अव्यय	Prepositions
संभाव्य भविष्यत्	Conditional future
संभाव्य भूत	Compound Verb
संयुक्त क्रिया	Compound Sentence
संयुक्त वाक्य	Feminine Gender
स्त्रीलिङ्ग	Vowels
स्वर	Joining of Vowels
स्वरसन्धि	Accent
स्वराघात या बल	Continuous
सातत्यबोधक	Simple Sentence
साधारण (सरल) वाक्य	Indefinite Future
सामान्य भविष्यत्	Past Indefinite
सामान्य भूत	Present Indefinite
सामान्य वर्तमान	Conditional Past
हेतु हेतु मद्भूत	

